

62 वीं वार्षिक रिपोर्ट
62nd Annual Report
2019 - 2020



ईसीजीसी लिमिटेड
ECGC Limited

प्रत्यक्ष संभावनाएं

OPPORTUNITY
UNLOCKED

विज़न

निर्यात ऋण बीमा एवं व्यापार संबंधी बेहतरीन सेवाएँ प्रदान करना।

VISION

To excel in providing export credit insurance and trade-related services.

मिशन

भारतीय निर्यात बाज़ार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध स्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए किफायती बीमा एवं व्यापार संबंधी सेवाएँ प्रदान कर भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना।

MISSION

To support the Indian export industry by providing cost-effective insurance and trade-related services to meet the growing needs of the Indian export market through the optimal utilisation of available resources.



ईसीजीसी लिमिटेड ECGC Limited

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें, हम जोखिमों से रक्षा प्रदान करेंगे
You focus on exports. We cover the risks.

पंजीकृत कार्यालय

एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400021
CIN: U74999MH1957GOI010918
आई आर डी ए आई पंजीकरण सं. 124

REGISTERED OFFICE

Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400021
CIN: U74999MH1957GOI010918
IRDAI Regn. No. 124

कम्पनी सचिव
COMPANY SECRETARY

श्रीमती स्मिता वी. पंडित
Smt. Smita V. Pandit

नियुक्त बीमांकिक
APPOINTED ACTUARY

श्रीमती प्रिसिला सिन्हा
Smt. Priscilla Sinha

संयुक्त संविधिक लेखा परीक्षक
JOINT STATUTORY AUDITORS

मेसर्स ए बी एम एंड एसोसिएट्स एल एल पी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 105016W/W-100015
M/s. abm & associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 105016W/W-100015

मेसर्स एस एन के एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109176W
M/s. SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

बैंकर्स
BANKERS

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (पूर्व में कॉर्पोरेशन बैंक)
आई डी बी आई बैंक
Union Bank of India
(Erstwhile Corporation Bank)
IDBI BANK

क्र.सं. S. No.	विषय-वस्तु/ CONTENTS	पृष्ठ संख्या Page No.
1.	निदेशक मण्डल Board of Directors	04
2.	वरिष्ठ प्रबंधन Senior Management	09
3.	निष्पादन विशेषताएँ-पिछला दशक Performance Highlights - The Past Decade	10
4.	अध्यक्ष का संबोधन Chairman's Message	12
5.	निदेशकों की रिपोर्ट Directors' report	15
6.	कंपनी शासन Corporate Governance	47
7.	निगमित सामाजिक दायित्व Corporate Social Responsibility	77
8.	प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion and Analysis	86
9.	लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण Audited Financial Statements	
i	राजस्व खाता, लाभ और हानि खाता एवं तुलन पत्र Revenue Account, Profit & Loss Account & Balance Sheet	112
ii	वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ (अनुसूची 1 से 15) Schedules to Financial Statements (Schedule 1 to 15)	119
iii	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अनुसूची 16) Significant Accounting Policies (Schedule 16)	135
iv	लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची 17) Notes to Accounts (Schedule 17)	144
v	मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात Key Analytical Ratios	170
vi	प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता Receipts & Payments Account	175
10.	वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन की रिपोर्ट Management Report on Financial Statements	177
11.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report	181
12.	नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ Comments of CAG	193
13.	सेवा तंत्र Service Network	194



श्री एम सेंथिलनाथन

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अ प्र नि), ईसीजीसी लिमिटेड
(दिनांक 29 अप्रैल 2020 से अ प्र नि के पद पर नियुक्त) कार्यकारी निदेशक

Shri M. Senthilnathan

Chairman-cum-Managing Director (CMD), ECGC Limited
(Appointed as CMD w.e.f April 29, 2020) Functional Director



श्रीमती गीता मुरलीधर

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अ प्र नि), ईसीजीसी
लिमिटेड

(दिनांक 31 अक्तूबर 2019 से अ प्र नि के रूप में
कार्यकाल की समाप्ति) कार्यकारी निदेशक

Smt. Geetha Muralidhar

Chairman-cum-Managing Director (CMD),
ECGC Limited.

(Ceased to be CMD w.e.f October 31, 2019)
Functional Director



श्री अमिताभ कुमार

संयुक्त सचिव,
वाणिज्य विभाग

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय

भा स (दिनांक 20 नवंबर 2020 से निदेशक
के रूप में नियुक्त), सरकारी निदेशक
गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक

Shri Amitabh Kumar

Joint Secretary, Department of Commerce,
Ministry of Commerce & Industry, GOI
(Appointed as Director w.e.f November 20, 2020)

Government Director

Non-Executive Part-Time-Director




श्री बिद्युत बिहारी स्वेन
विशेष सचिव, वाणिज्य विभाग (डीओसी),
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसी एंड
आई), भारत सरकार, सरकारी निदेशक
गैर-कार्यकारी अंशकालिक-निदेशक
(दिनांक 04 नवम्बर 2020 से ईसीजीसी लिमिटेड
के निदेशक के पद से कार्यकाल की समाप्ति)

Shri Bidyut Behari Swain
Special Secretary (SS), Department of Commerce
(DoC), Ministry of Commerce & Industry (MoC&I),
GOI, Government Director
Non-Executive Part-Time-Director
(Ceased to be Director, ECGC Limited,
w.e.f November 04, 2020)



श्री के राजारमन
अपर सचिव (एस), आर्थिक मामलों के विभाग
(डीईए), वित्त मंत्रालय (एमओएफ)
सरकारी निदेशक
(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार)-
गैर-कार्यकारी अंशकालिक-निदेशक

Shri K. Rajaraman
Additional Secretary (AS), Department of Economic
Affairs (DEA),
Ministry of Finance (MoF) Government Director
(Ministry of Finance, GOI) -
Non-Executive Part-Time-Director



श्रीमती उमा शंकर
कार्यकारी निदेशक (का नि), भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी
आई) (दिनांक 31 अक्टूबर 2019 से ईसीजीसी लिमिटेड
के निदेशक के पद से कार्यकाल की समाप्ति)
गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक

Smt. Uma Shankar
Executive Director (ED), Reserve Bank of India (RBI)
(Ceased to be Director, ECGC Limited,
w.e.f October 31, 2019)
Non-Executive Part-Time Director



श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू
कार्यकारी निदेशक (का नि), भारतीय रिजर्व बैंक
(आर बी आई)

गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक
Shri Shirish Chandra Murmu
Executive Director (ED),
Reserve Bank of India (RBI)
Non-Executive Part-Time Director



श्री डेविड रस्कीना
प्रबंध निदेशक (एमडी), एक्जिम बैंक
गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक
Shri David Rasquinha
Managing Director (MD), EXIM Bank
Non-Executive
Part-Time Director



श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई)
(दिनांक 06 अक्टूबर 2020 से ईसीजीसी लिमिटेड
के निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)
गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक
Shri Rajnish Kumar
Chairman, State Bank of India (SBI)
(Ceased to be Director, ECGC Limited,
w.e.f October 06, 2020)
Non-Executive Part- Time Director




श्रीमती एलिस जी वैद्यन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अ प्र नि), जीआईसी
(दिनांक 31 जुलाई 2019 से ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक
के रूप में
कार्यकाल की समाप्ति) पूर्व अधिकारी गैर-कार्यकारी
अंशकालिक निदेशक
Smt. Alice G. Vaidyan
Chairman-cum-Managing Director (CMD), GIC
(Ceased to be Director, ECGC Limited,
w.e.f July 31, 2019)
Ex-Officio Non-Executive Part-Time Director



श्री देवेश श्रीवास्तव
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अ प्र नि), जीआईसी
पूर्व अधिकारी
गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक
Shri Devesh Srivastava
Chairman-cum-Managing Director
(CMD), GIC
Ex-Officio Non-Executive Part-Time Director



श्री गणेश कुमार गुप्ता
पूर्व अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफ आई ई ओ)
(दिनांक 27 जून 2019 से ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) पूर्व अधिकारी गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक
Shri Ganesh Kumar Gupta
Former President, Federation of Indian Export Organisations (FIEO)
(Ceased to be Director, ECGC Limited, w.e.f June 27, 2019)
Ex-Officio Non-Executive Part-Time Director



श्री शरद कुमार सराफ
अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफ आई ई ओ)
पूर्व अधिकारी गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक
Shri Sharad Kumar Saraf
President, Federation of Indian Export Organisations (FIEO)
Ex-Officio Non-Executive Part-Time Director



श्री माणेक एरुच डावर
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), स्पेंटा मल्टीमीडिया प्रा.लिमिटेड
(दिनांक 29 जनवरी 2020 से ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक
Shri Maneck Eruch Davar
Chairman and Managing Director (CMD), Spenta Multimedia Pvt. Ltd.
(Ceased to be Director, ECGC Limited, w.e.f January 29, 2020)
Non-Executive Part - Time Director



श्रीमती सरनला मालती रानी
निदेशक
(दिनांक 29 जनवरी 2020 से ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक
Smt. Saranala Malathi Rani
Director
(Ceased to be Director, ECGC Limited, w.e.f January 29, 2020)
Non-Executive Part - Time Director



श्री प्रशांत कुमार डालमिया
निदेशक
(दिनांक 16 सितंबर 2019 से ईसीजीसी लिमिटेड
के निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)
गैर-कार्यकारी अंशकालिक निदेशक
Shri Prashant Kumar Dalmia
Director
(Ceased to be Director, ECGC Limited,
w.e.f September 16, 2019)
Non-Executive Part - Time Director



श्रीमती पद्मावती आर
कार्यपालक निदेशक (का नि), ईसीजीसी लिमिटेड
(दिनांक 09 जून 2020 से कार्यकारी निदेशक, ईसीजीसी
के रूप में नियुक्त)
(दिनांक 30 जून 2020 को ईसीजीसी लिमिटेड के
कार्यकारी निदेशक के पद से कार्यकाल की समाप्ति)
कार्यकारी निदेशक
Smt. Padmavathy R.
Executive Director (ED), ECGC Limited
(Appointed as Functional Director,
ECGC Limited w.e.f June 09, 2020)
(Ceased to be Functional Director, ECGC Limited,
w.e.f June 30, 2020) Functional Director



श्री सुनील कुमार जोशी
कार्यपालक निदेशक (का नि), ईसीजीसी लिमिटेड
(दिनांक 09 जुलाई 2020 को कार्यकारी निदेशक,
ईसीजीसी लिमिटेड के
पद पर नियुक्त) कार्यकारी निदेशक
Shri Sunil Kumar Joshi
Executive Director (ED), ECGC Limited
(Appointed as Functional Director, ECGC Limited,
w.e.f July 09, 2020) Functional Director

वरिष्ठ प्रबंधन / Senior Management



श्री एम् सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक Chairman-cum- Managing Director

श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi
कार्यपालक निदेशक Executive Director

श्री सी एन ए अन्बरसन Shri C N A Anbarasan
कार्यपालक निदेशक Executive Director

महाप्रबंधक / GENERAL MANAGERS

1. श्री परमदीप लाल ठाकुर
2. श्री शिवाजी नार्वेकर
3. श्री ईशनाथ झा
4. श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
5. श्री सुबीर कुमार दास
6. श्री निर्दोष चोपड़ा
7. श्रीमती प्रिसिला सिन्हा (नियुक्त बीमांकिक)
1. Shri Paramdeep Lal Thakur
2. Shri Shivaji Narvekar
3. Shri Ishnath Jha
4. Shri Sristiraj Ambastha
5. Shri Subir Kumar Das
6. Shri Nirdosh Chopra
7. Smt. Priscilla Sinha (Appointed Actuary)

उप महाप्रबंधक / DEPUTY GENERAL MANAGERS

1. श्री बलबीर सिंह मान Shri Balbir Singh Maan
2. श्रीमती स्मिता वी पंडित Smt Smita V Pandit
3. श्री एन सुब्रमणियन Shri N Subramanian
4. श्री अभिषेक कुमार जैन Shri Abhishek Kumar Jain
5. श्री आनंद सिंह Shri Anand Singh
6. श्री आर के पांडियन Shri R K Pandian
7. श्री कुमार अंशुमन Shri Kumar Anshuman
8. श्री गौरव अंशुमन Shri Gaurav Anshuman
9. श्री आर सुब्रमणियन Shri R Subramanian
10. श्री यशवंत बी. ब्रीद Shri Yashwant B Breed
11. श्रीमती अर्पिता सेन Smt Arpita Sen
12. श्री वाई. सुधीर Shri Y. Sudheer
13. श्री सुभाष चन्द्र चाहर Shri Subhash Chandra Chahar
14. श्री नीरज गुप्ता Shri Niraj Gupta
15. श्री शशांक बाजपेयी Shri Shashank Bajpai
(मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी) (Chief Information Security Officer)

निष्पादन विशेषताएँ- पिछला दशक / PERFORMANCE HIGHLIGHTS - PAST DECADE

(₹ करोड़)(₹ Crore)

वर्ष / YEAR	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
संरक्षित कारोबार मूल्य / VALUE OF BUSINESS COVERED										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	2,15,021.77	1,98,872.00	177,349.00	1,72,788.00	1,35,871.97	1,33,983.00	1,31,344.00	1,26,100.00	1,19,621.00	93,127.40
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	3,41,826.72	4,55,267.00	4,56,684.00	4,48,604.00	1,27,534.80	1,38,555.00	1,38,150.00	1,33,251.00	1,20,119.00	3,31,758.00
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	4,757.37	5,787.00	7,415.57	6,027.26	5,979.06	7,652.00	9,762.82	10,160.30	6,886.48	7,002.65
कुल / Total	5,61,605.86	6,59,926.00	6,41,448.57	6,27,419.26	2,69,385.83	2,80,190.00	2,79,256.00	2,69,512.00	2,46,626.00	4,31,888.00
प्रीमियम आय / PREMIUM INCOME										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	405.17	412.26	367.95	359.99	382.99	383.87	388.57	360.68	355.89	333.66
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	644.78	806.83	843.21	881.07	910.64	942.29	869.68	751.72	601.82	510.57
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	25.52	28.45	29.25	26.56	27.10	36.24	45.48	44.85	47.12	41.23
कुल / Total	1,075.47	1,247.54	1,240.41	1,267.62	1,320.73	1,362.4	1,303.73	1,157.25	1,004.83	885.46
प्रदत्त दावें / CLAIMS PAID										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	146.77	168.13	136.70	206.85	127.32	126.98	109.29	113.69	87.03	160.90
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	261.64	813.39	1,131.47	655.50	995.52	462.85	639.55	396.61	626.00	459.63
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	0.00	31.79	14.99	22.99	0.00	0.00	148.65	38.20	0.00	0.00
कुल / Total	408.41	1,013.31	1,283.16	885.34	1,122.84	589.83	897.49	548.50	713.03	620.53
वित्तीय शुल्क,कों / RECOVERIES MADE										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	10.21	21.47	18.55	9.77	7.80	9.61	5.76	7.40	6.31	9.27
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	156.17	129.36	166.39	109.76	106.06	142.52	144.53	104.71	152.59	110.65
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	0.06	0.00	0.67	19.14	0.18	8.02	8.02	8.42	9.74	16.14
कुल / Total	166.44	150.83	185.61	138.67	114.04	160.15	158.31	120.53	168.64	136.06

नोट: * इसमें घोषणा आधारित पॉलिसियाँ तथा जोखिम आधारित पॉलिसियाँ शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा उसके पश्चात जोखिम आधारित पॉलिसियों के अधीन संरक्षित कारोबार का मूल्य, वित्तीय वर्ष 2010-11 तक प्रत्येक पॉलिसी के लिए निर्धारित औसत हानी सीमा, अनुमानित निर्यात पण्यवर्त के आधार पर अनुमानित मूल्य हैं।

Note: * Comprises exposure under declaration based policies & exposure based policies. Value of business covered under exposure based policies for FY 2011-12 and onwards is the value estimated based on Aggregate Loss Limit fixed for each policy and that for years till FY 2010-11, the estimate of export turnovers.

** कस्टमाइज्ड एम बी ई पॉलिसियों के अंतर्गत जो. मू. सकल हानी सीमा(ए एल एल) का बीआईएस गुना लिया गया है क्योंकि ए एल एल से निर्यात पण्यवर्त अनुपात 5% तक होता है जबकि सामान्य एम बी ई पी में 10% या अधिक होता है। जो. मू. की गणना की संशोधित प्रक्रिया 01/04/2017 से प्रभावी है। विवरण कों तुलनात्मक बनाने के लिए पिछले वर्ष 01/04/2016 से 31/03/2017 तक के आकड़ों की पुनर्गणना की गई है।

** The RV for customised MBE Policies has been taken as 20 times of the Aggregate Loss Limit (ALL), the reason being under customized policies, the ALL to Export Turnover (ETO) ratio is upto 5% unlike normal MBEPs where the ratio is 10% or more. The revised procedure of calculating the RV has been implemented with retrospective effect from 1.4.2017. To make the comparison equitable, the figure w.e.f 1.4.2016 to 31.03.2017 has also been reworked.





*** वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं उसके बाद बैंकों द्वारा मंजूर सीमाएं जो कंपनी द्वारा रक्षित हैं तथा वित्त वर्ष 2010-11 तक मंजूर सीमा के अंतर्गत औसत बकाया कों दर्शाता है।
*** Represents average outstanding under the limits sanctioned by banks which are covered by the Company for the financial years 2011-12 and onwards and the limits sanctioned till FY 2010-11.

**** ये अनुमान, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में किए गए हैं। ये अनुमान आर बी आई से प्राप्त आकड़ों एवं अल्पावधि निर्यात के अंतर्गत व्यापार चक्र 90 दिन के आधार पर हैं। तदनुसार जोखिम मूल्य की गणना के लिए कंपनी द्वारा रक्षित बकाया निर्यात ऋण एवं चार के कारक से गुणन किया गया है।

**** The estimation has been done in compliance of the instruction of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that business cycle under short term exports is around 90 days. Accordingly, the outstanding export credit covered by the Company is multiplied by a factor of four to arrive at the Risk Value.

उत्पाद समूह वितरण

Product Group Distribution



- ईसीआईबी -अल्पावधि बैंको के लिए निर्यात ऋण बीमा-अल्पावधि / ECIB-ST: Export Credit Insurance for Banks-Short Term
- पॉलिसी-अल्पावधि / Policy-ST: Policy-Short Term
- एम एल टी: मध्यम एवं दीर्घावधि / MLT: Medium and Long Term



श्री एम् सेंथिलनाथन
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

Shri M. Senthilnathan
Chairman-cum-Managing Director

वर्ष 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को व्यापार और निवेश में अनिश्चितता के साथ ही क्षेत्रीय विवाद, भू राजनीतिक तनाव और टैरिफ युद्ध, का सामना करना पड़ा। 2019 में वैश्विक विकास दर 2018 के 3% से घटकर 2.5% हो गई। जबकि विकसित अर्थव्यवस्था की विकास दर जो 2018 में 2.2 प्रतिशत थी वह धीमी होकर 1.7% पर पहुंच गई, वहीं बढ़ते हुए बाज़ार एवं विकासशील अर्थव्यवस्था भी 2018 की तुलना में 4.3% से 3.7% तक सीमित हो गई।

कोविड-19 के आक्रमण ने वर्तमान चुनौतियों को बढ़ाया है। महामारी ने आपूर्ति श्रृंखला को इस प्रकार प्रभावित किया है कि मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ गया है। अगले कुछ वर्षों में व्यापार का विस्तार क्षेत्र और मूल्य महामारी के पैमाने और अवधि और इसे नियंत्रित करने के उपायों पर निर्भर करेगा। यह जीतना अधिक दिन रहेगा, कंपनी की तरलता पर उतना ही अधिक तनाव होगा साथ ही नौकरियाँ भी अधिक जाएंगी और कंपनियों का दिवालियापन भी उतना ही बढ़ेगा। यह व्यापक रूप से देखा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संभावनाएं इतनी अनिश्चित नहीं थी।

वर्ष 2020 के अधिकांश भागों के लिए कई अर्थव्यवस्थाओं के बड़े भाग बंद हो गए, अस्थायी व्यापार बंदी और लोगों के मुक्त आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण व्यापार संचालन सीमित हो गया है एवं व्यापारिक वादों को पूर्ण करने के लिए माल की कमी ने कंपनियों की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सरकारें व्यवसायों और उनके

In the year 2019, the global economy had to face the regional disputes, geopolitical tensions and tariff wars, fuelling uncertainty in trade and investment. The global growth in 2019 declined to 2.5% from 3% in 2018. While the growth rate of the Advanced Economies (AEs) slowed to 1.7% from 2.2 % in 2018, the Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) also narrowed to 3.7% from 4.3% in 2018.

The onset of COVID-19 has added to the existing challenges. The pandemic has impacted the supply chains that in turn are aggravating demand and supply shocks. The effect on volume and value of trade over the next few years will depend on the scale and duration of the pandemic, and on the measures to contain it. The longer it goes on, the greater the strain on companies' liquidity, the greater the job losses, and the greater the number of insolvencies. It has been widely observed that the prospects for international trade have not been so uncertain since the end of the Second World War.

With large sections of many economies effectively shut down for most part of the year 2020, limited business operations due to temporary closures and restrictions on the free movement of people and goods have severely limited the companies' ability to meet their trade commitments. Governments are offering unprecedented stimulus to businesses and their employees, while central banks are cutting interest rates and injecting massive

कर्मचारियों को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दे रही हैं, जबकि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं और वित्तीय बाजारों में बढ़े पैमाने पर तरलता बढ़ा रहे हैं। देशों और महाद्वीपों में ऋण का उच्च स्तर चिंता का एक प्रमुख कारण है। पिछले दो दशकों में अत्यधिक शिथिल मौद्रिक नीति ने विश्व ऋण स्तरों को बढ़ाया है। यह वर्तमान में यूएसडी 258 ट्रिलियन है जो कि विश्व जीडीपी का लगभग 330% है और 2018 के 220% से बढ़ा है। उत्पादन स्तर में बढ़ोत्तरी के बिना ऋण स्तर में वृद्धि होने पर भविष्य में तीव्र समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।

यह कहा गया है कि वैश्विक दिवालियापन 2019 के 1.4% से बढ़कर 2020 में 2.4% तक हो सकता है। यूएस-चाइना के बढ़ते हुए अनिश्चित गतिरोध के कारण 2019 की पिछली 2 तिमाही में 1% की कमी के साथ वैश्विक व्यापार में मंदी देखी गई। वर्तमान महामारी और बढ़ते हुए व्यापारिक दिवालियापन का वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुल मांग पर विपरीत प्रभाव होगा। महामारी के पश्चात अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ग्राहक व्यवहार एवं सरकारी नीतियों में बदलाव का सामना करना होगा।

विश्व व्यापार संगठन ने वर्ष 2020 के लिए व्यापारिक निर्यात में 13 से 32 प्रतिशत के बीच की गिरावट का अनुमान लगाया है। वापसी के लिए अत्यधिक प्रयासों की आवश्यकता होती है और बढ़े हुए जोखिम वाले कारकों का प्रबंधन एवं वित्त की प्राप्ति विकास पर प्रभाव डालता है। इस परिदृश्य में ईसीजीसी जैसी निर्यात ऋण एजेंसियों की प्रतिगामी भूमिका होती है क्योंकि विवेकपूर्ण तरीके से अवसरों की खोज करने हेतु जोखिमों को कम करना आवश्यक है।

इस वर्ष भारतीय निर्यात यूएसडी 314.31 बिलियन था जो कि इस वर्ष के दौरान उत्साहजनक प्रदर्शन था एवं महामारी के कारण अचानक समाप्त हो गया। सरकार ने प्रकोप को रोकने के प्रयास व सभी की सुरक्षा के साथ ही अर्थव्यवस्था को गति देने के उपाय अपनाए थे। आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। कंपनी अपने वृहद नेटवर्क व विशेषज्ञों के द्वारा निर्यातकों व बैंकों को सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।

कंपनी के पास वर्ष के अंत में लगभग ₹ 98608 की अधिकतम देयता के साथ लगभग 28095 रक्षा प्रभावी हैं। लघु अवधि पॉलिसी व्यापार में, जो निर्यातकों से संबन्धित हैं, वर्ष के दौरान 8% वृद्धि के साथ ₹ 2,15,022 करोड़ का जोखिम मूल्य बीमा दर्ज किया गया एवं लघु अवधि ईसीआईबी व्यापार में, जो बैंकों से संबन्धित हैं, वर्ष के दौरान 25% की नकारात्मक वृद्धि के साथ ₹ 3,41,824 करोड़ की जोखिम राशि दर्ज की गई। इसके साथ ही मध्यम एवं दीर्घ अवधि / परियोजना व्यापार की जोखिम राशि में -15% की वृद्धि के साथ ₹ 5,61,606 करोड़ का व्यापार किया गया। हमारे देश से लगभग 25% का निर्यात को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी गई। 18464 अलग-अलग निर्यातक-लाभार्थियों में से, ₹ 80 करोड़ तक के निर्यात ऋण या ₹ 40 करोड़ ऋण बीमा वाले छोटे एक्सपोर्टर्स की हिस्सेदारी 90% के करीब है, जो कि एक स्पष्ट समर्थन प्रदर्शित करता है जो इस क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है।

इस वर्ष के लिए ₹ 1075 करोड़ का सकल प्रीमियम था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 14% कम रहा। कोविड -19 महामारी के कारण लॉकडाउन उपायों के अतिरिक्त एनपीए कारकों के साथ ही पिछले कुछ वर्षों में निर्यात ऋण के वितरण में हुई लगातार गिरावट जोखिम राशि एवं प्रीमियम आय में कमी का प्रमुख कारण है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 408 करोड़ के दावों का भुगतान किया है। प्रत्यक्ष रक्षा के अंतर्गत

liquidity into the financial markets. The high levels of debt across countries and continents are a major cause of concern. The overstretched loose monetary policy has increased the world debt levels over the last two decades. It currently stands at USD 258 trillion and nearly 330% of the world GDP, up from 220% in 2018. Rising debt levels sans increase in productivity levels may require sharp adjustments in the near future.

It has been reported that the global insolvencies may rise to 2.4% in 2020, up from 1.4% in 2019. A Slowdown in world trade was visible in the last two quarters of 2019 with a decline of 1% in trade caused by the uncertainties arising from the US-China stand-off. The ongoing pandemic and the rising business bankruptcies will have an adverse effect on the aggregate demand in the global economy. Post pandemic, international trade will continue to face the challenge of modified customer behaviour and government policies.

The WTO predicted a fall in merchandise exports between 13 to 32 percent for 2020. The rebound demands immense efforts and managing increased risk factors and access to finance would impact the growth. In this scenario, Export Credit Agencies like ECGC have a counter cyclical role as risk mitigation is essential to explore the opportunities prudently.

India's exports this year were USD 314.31 billion, an encouraging performance during the year which ended up abruptly due to pandemic. The government, while striving to contain the outbreak and ensure safety to all, had taken measures to drive the economy. The road ahead is challenging. The Company is geared to meet the challenges in providing necessary support to exporters and banks through its wide network and expertise.

The Company had around 28095 covers in force, with a Maximum Liability of around ₹98608 crore at the end of the year. In Short-Term Policy business, that pertains to exporters, risk value insured during the period was ₹2,15,022 crore registering a growth of 8% and in Short-Term ECIB business, pertaining to banks, the risk value is ₹3,41,827 crore registering a negative growth of 25%. With addition of Medium & Long Term/ Project Exports business risk value, the total value of exports supported is ₹5,61,606 crore registering a growth of -15%. Nearly 25% of exports from our country are supported under different schemes. Out of the 18464 distinct exporter-beneficiaries, the share of Small Exporters with up to ₹80 crore export credits or ₹40 crore credit insurance is close to 90% exhibiting a pronounced support which is much needed for the sector.

The gross premium achievement for the year is ₹1,075 crore, a decrease by 14% over last year. The decline in risk value and premium income is attributable to continuing trend of fall in export credit disbursement in the last few years coupled with the NPA factor, besides the lockdown measures due to Covid-19 pandemic. The Company paid out claims to the tune of ₹408 crore during the year. The claims paid to exporters under the direct covers were comparable with the last year. The payment under covers to banks was low as losses were

निर्यातकों को भुगतान किए गए दावे पिछले वर्ष की तुलना में रहे। रिपोर्ट्स की कमी के चलते हानि की जानकारी नहीं होने के कारण बैंकों को दी जाने वाली सुरक्षा के अंतर्गत किया जाने वाला भुगतान कम था। हालांकि, कंपनी के दावा प्रावधानों की राशि ₹ 7280.60 करोड़ दायित्वों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। पिछले वर्ष के ₹ 314.39 करोड़ की तुलना में कंपनी ने कर से पूर्व ₹ 400.02 करोड़ का लाभ प्राप्त किया। पिछले वर्ष के ₹ 244.38 करोड़ के लाभ के स्तर की तुलना में इस वर्ष का शुद्ध लाभ 33% से बढ़कर ₹ 323.84 करोड़ रहा। निवेश पोर्टफोलियो ₹ 12,241.59 करोड़ रहा। मार्च 31 2019 के ₹ 5214.92 करोड़ की तुलना में मार्च 31, 2020 को कंपनी का निवल मूल्य ₹ 5214.92 करोड़ था।

कंपनी ने पिछले वर्ष हिन्दी दिवस के दौरान गृह मंत्रालय की ओर से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार मिलने के अलावा राजभाषा नीतियों के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु मुंबई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

कंपनी अपने परिचालनों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए सेवाओं के कुशल वितरण के लिए प्रक्रिया श्रृंखला में सुधार के साथ ही सिस्टम में प्रभावी प्रबंधन सिद्धांतों को शामिल करते हुए लगातार सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का पालन कर रही है। कंपनी अपनी निगमित सामाजिक दायित्वों के कार्य के रूप में देश भर के कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला और बाल कल्याण और स्वच्छ भारत पहल में सक्रिय रूप से योगदान देती है। कंपनी ने उक्त आवश्यकता के अनुसार सांविधिक एवं विनियामक मानकों की जांच व अनुपालन हेतु सिस्टम स्थापित किया है।

हमारे सभी सहयोगियों की ओर से मैं श्रीमती गीता मुरलीधर को अक्तूबर 2019 तक के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु धन्यवाद देता हूँ। कंपनी बोर्ड में सभी निदेशकों के योगदान के लिए उनकी सराहना करती है। वर्ष के दौरान श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, श्री डेविड पॉल रस्कीना, श्री देवेश श्रीवास्तव, श्री रजनीश कुमार, श्री शरद कुमार सराफ, श्री प्रशांत कुमार डालमिया बोर्ड में शामिल हुए। वर्ष के दौरान श्रीमती उमा शंकर, श्रीमती एलिस वैद्यन, श्रीमती सरनला मालती रानी, श्री गणेश कुमार गुप्ता, श्री माणेक डार, श्री प्रशांत डालमिया और श्रीमती गीता मुरलीधर का बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हुआ। हम निर्यातकों और बैंकों के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने अपने विश्वास को फिर से स्थापित किया और हमारे साथ व्यापार किया। अपने मूल्यवान सहयोग के लिए हम वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सी ए जी, नीति आयोग, डी पी ई, भारतीय रिज़र्व बैंक और आई आर डी ए आई को धन्यवाद करते हैं।

हमें विश्वास है कि कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी हमारे उत्पादों के साथ निर्यात समुदाय की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी निर्यात को बढ़ावा देने और देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।

श्री एम् सेंथिलनाथन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

unascertainable due to paucity of records. However, the company's claim provisions at ₹7,280.60 crore is adequate to meet the liabilities. The Company has achieved a profit before tax of ₹400.02 crore compared to ₹314.39 crore in the previous year. The net profit for the year stands at ₹323.84 crore reflecting an increase of 33% from the previous year level of ₹244.38 crore. Investment portfolio stood at ₹12,241.59 crore. The Net worth (NW) of the Company as of March 31, 2020 was ₹5,214.92 crore as against ₹4,463.41 crore as of March 31, 2019.

The Company won the first prize from the Mumbai PSUs Town Official Language Implementation Committee for excellent implementation of the official language policy apart from winning the second prize under the Rajbhasha Kirti Puraskar from the Ministry of Home Affairs during the Hindi Divas Samaroh last year.

The Company continuously adheres to the best Corporate Governance practices by incorporating effective management principles in its system in addition to improving its process chain for an efficient delivery of services while ensuring fairness, transparency and accountability in its operations. The Company as part of its corporate social responsibility actively contributes to the healthcare, education, women and child welfare and Swachh Bharat initiatives, in many regions across the country. The Company has put in place systems to keep a check and comply with relevant statutory and regulatory norms as required.

On behalf of all our colleagues, I thank Smt. Geetha Muralidhar for her valuable contribution during her tenure as Chairman-cum-Managing Director till October 2019. The Company places on record its appreciation for the contribution of all the Directors on the Board. Shri Shirish Chandra Murmu, Shri David Paul Rasquinha, Shri Devesh Srivastava, Shri Rajnish Kumar, Shri Sharad Kumar Saraf, Shri Prashant Kumar Dalmia joined the Board during the year. Mrs. Uma Shankar, Mrs. Alice Vaidyan, Mrs. Sarnala Malathi Rani, Shri Ganesh Kumar Gupta, Shri Maneck Davar, Shri Prashant Dalmia and Mrs. Geetha Muralidhar ceased to be on the Board during the year. We are grateful to exporters and banks for reposing their trust and placing business with us. We extend our sincere thanks to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, CAG, NITI Aayog, DPE, Reserve Bank of India and IRDAI for their valuable support.

We assure that each and every employee of the Company is committed to serve the export community with our products. The Company would continue to play its vital role in promoting exports and supporting the ambitious goals of the country.

Shri M. Senthilnathan

Chairman-cum-Managing Director

निदेशकों की रिपोर्ट

DIRECTORS' REPORT

प्रिय सदस्यों,

ईसीजीसी लिमिटेड (ईसीजीसी) के निदेशक सहर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ, कंपनी की 62^{वाँ} वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय परिलब्धियाँ

आपकी कंपनी की वित्तीय परिलब्धियाँ, समीक्षाधीन अवधि के लिए निम्नलिखित हैं:

	(₹ लाखों में)	
विवरण	2019-20	2018-19
पण्यवर्त (सकल प्रीमियम)	107547.40	124754.26
वित्तीय शुल्कों, कर, मूल्यहास/परिशोधन से पूर्व लाभ(पीबीआईटीडीए)	40454.24	31875.60
घटाएँ : वित्तीय शुल्क	-	-
मूल्यहास/परिशोधन से पूर्व लाभ(पीबीटीडीए)	40454.24	31875.60
घटाएँ : मूल्यहास	452.35	436.80
कराधान से पूर्व निवल लाभ (पीबीटी)	40001.89	31438.80
कराधान हेतु प्रावधान	7617.92	7000.53
कराधान के पश्चात लाभ/(हानि) (पीएटी)	32383.97	24438.27

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1013.31 करोड़ की तुलना में कम्पनी द्वारा कुल ₹ 408.41 करोड़ के दावों की अदायगी की गई। पुनर्बीमा के हिस्से, वसूलियों और प्रावधानों के समायोजन के उपरांत वहन किए गए दावे, पिछले वर्ष के दौरान ₹1141.16 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में घटकर ₹958.62 करोड़ हो गए। पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 876.47 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निवेश और अन्य आय 0.76% की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए ₹ 883.16 करोड़ हो गई।

पिछले वर्ष के दौरान ₹1247.54 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी ने 13.79% की प्रतिकूल वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 1075.47 करोड़ का सकल प्रीमियम अर्जन किया। पुनर्बीमा अर्पण तथा असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों के समायोजन के उपरांत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अर्जित प्रीमियम (निवल) के आंकड़े गत वर्ष के ₹854.42 करोड़ की तुलना में 2.72% की प्रतिकूल वृद्धि दर्ज करते हुए ₹831.16 करोड़ रहे।

Dear Members,

The Directors of ECGC Limited (ECGC) are pleased to present the 62nd Annual Report of the Company, together with the audited financial statements, for the Financial Year (FY) ended on March 31, 2020.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Your Company's financial highlights for the period under review are given below:

	(₹ In lakh)	
Particulars	2019-20	2018-19
Turnover (Gross Premium)	107547.40	124754.26
Profit Before Finance Charges, Tax, Depreciation / Amortization (PBITDA)	40454.24	31875.60
Less : Finance Charges	-	-
Profit Before Depreciation / Amortization (PBTDA)	40454.24	31875.60
Less : Depreciation	452.35	436.80
Net Profit Before Taxation (PBT)	40001.89	31438.80
Provision for Taxation	7617.92	7000.53
Profit/(Loss) After Taxation (PAT)	32383.97	24438.27

During the FY 2019-20, the total claims paid by the Company amounted to ₹408.41 crore against ₹1013.31 crore in the previous FY. After adjusting for reinsurers share, recoveries and provisions, the incurred claim decreased for the FY 2019-20 to ₹958.62 crore against ₹1141.16 crore for the previous FY. Investment and other income have increased to ₹883.16 crore in FY 2019-20 from ₹876.47 crore in the previous FY reflecting a growth of 0.76%.

The Gross Premium earned by the Company during the FY 2019-20 was ₹1075.47 crore against ₹1247.54 crore during the previous FY registering a negative growth of 13.79%. Post adjustment of Reinsurance Cession and Reserve for un-expired risks, the premium earned (Net) for the FY 2019-20, decreased to ₹831.16 crore, against ₹854.42 crore for the previous FY registering negative growth of 2.72%.


लाभ और विनियोजन

पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1349.84 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रचालन उसी स्तर पर कुल ₹1350.65 करोड़ रहे। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹42.77 करोड़ की

PROFITS AND APPROPRIATIONS

During the FY 2019-20, total income from operations was ₹1350.65 crore which was around the same level of achievement in the previous FY at ₹1349.84 crore. During the FY 2019-20, the Company posted an Operating

क्षेत्रवार प्राप्त सकल प्रीमियम (करोड़ ₹ में)
Segment-wise Gross Premium Received (₹ in Crore)



ईसीआईबी बैंको के लिए निर्यात ऋण बीमा; एम एल टी: मध्यम एवं दीर्घावधि; अ व: अल्पावधि
ECIB: Export Credit Insurance for Banks; MLT: Medium & Long Term; ST: Short Term

प्रचालन हानि की तुलना में, कम्पनी द्वारा ₹86.91 करोड़ की प्रचालन लाभ प्रदर्शित की गयी। पिछले वर्ष के ₹314.39 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹400.02 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पी बी टी) रहा। वर्ष के दौरान ₹76.18 करोड़ के आय कर और पूर्व अवधि समायोजन का प्रावधान करने के बाद पिछले वित्तीय वर्ष के ₹244.38 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में विनियोजन के लिए उपलब्ध करोत्तर लाभ (पी ए टी) ₹323.84 करोड़ रहा।

लाभांश

आई आर डी ए आई के परिपत्र सं IRD/F/CIR/MISC/089/04/2020 दिनांक 13/04/2020 की शर्तों के अनुसार एवं दिनांक - 15.05.2020 को संपन्न निदेशक मंडल की 426 वीं बैठक में अनुमोदित अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं है।

प्रारक्षित निधियाँ

दिनांक 21 अगस्त 2020 को सम्पन्न बोर्ड ने अपनी 427वीं बैठक में ₹323.84 करोड़ रु को सामान्य प्रारक्षित निधि में स्थानांतरित करना प्रस्तावित किया है।

अदावी लाभांश को निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि में अंतरित करना

चूंकि पिछले वर्ष कोई अदत्त/अदावी लाभांश घोषित व अदा नहीं किया गया, अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

शेयर पूंजी

31 मार्च 2020 को कंपनी का निवल मालकियत ₹5214.92 करोड़ (31 मार्च 2019 को ₹4463.41 करोड़) रही, जिसमें ₹2500 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजी में नवीनतम वृद्धि द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त ₹500 करोड़ की राशि सहित) की चुकता पूंजी व ₹2714.92 करोड़ की प्रारक्षित निधियां और अधिशेष शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान इस रिपोर्ट की तारीख तक कम्पनी ने आगे क्रमशः 26 मार्च 2020, 30 जुलाई 2020, एवं 19 अगस्त 2020

Profit of ₹86.91 crore compared to an Operating Loss of ₹42.77 crore during the previous FY. During the FY 2019-20, Profit Before Tax (PBT) was ₹400.02 crore, against ₹314.39 crore in the previous FY. After providing ₹76.18 crore towards income tax and prior period adjustments, Profit After Tax (PAT) available for appropriation in the FY 2019-20 was ₹323.84 crore, against ₹244.38 crore in the previous FY.

DIVIDEND

In terms of the IRDAI circular No. IRDA/F&A/CIR/MISC/089/04/2020 dated 13/04/2020 and the resolution approved by the Board at its 426th meeting held on 15/05/2020, no dividend for the FY 2019-20 is proposed.

RESERVES

The Board, at its 427th Meeting, held on August 21, 2020, proposed to transfer ₹323.84 crore to General Reserve.

TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Since there was no unpaid / unclaimed Dividend declared and paid last year, the provisions of Section 125 of the Companies Act, 2013 do not apply.

SHARE CAPITAL

As of March 31, 2020 the Company's Net Worth was ₹5214.92 crore (₹4463.41 crore as on March 31, 2019), comprising Paid-up Share Capital of ₹2500 crore (including ₹500 crore received from the Central Government by way of fresh infusion of capital during FY 2019-20) and Reserves and Surplus of ₹2714.92 crore. During the FY 2020-21, up to the date of this report, the Company has further issued and allotted 3,60,00,000

को 300,00,00,000 (तीन सौ करोड़ रु केवल), 10,00,00,000 (दस करोड़ रु केवल) एवं 50,00,00,000 (पचास करोड़ केवल) की प्राप्ति पर भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में ₹ 100 प्रति शेयर के हिसाब से 3,60,00,000 (छत्तीस करोड़ साठ लाख रु) के पूर्ण रूप से चुकता इक्विटी जारी एवं आबंटित की है। 21 अगस्त 2020 तक कुल चुकता पूँजी ₹ 2860 (दो हजार आठ सौ साठ करोड़ मात्र) रही।

क. प्रतिभूतियों की वापसी खरीद :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी प्रतिभूति की वापसी खरीद नहीं की है।

ख. स्वेट इक्विटी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई स्वेट इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है।

ग. बोनस शेयर्स

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए हैं।

(Three crore sixty lakh) fully paid-up Equity Shares of ₹100 each for cash at par in favour of the President of India against the receipt of ₹300,00,00,000 (Rupees three hundred crore only), ₹10,00,00,000 (Rupees ten crore only) and ₹50,00,00,000 (Rupees fifty crore only) on March 26, 2020, on July 30, 2020 and August 19, 2020 respectively. The Paid-up Share Capital as of August 21, 2020 is ₹2860 crore (Rupees two thousand eight hundred sixty crore).

a. BUY BACK OF SECURITIES

The Company has not bought back any of its securities during the year under review.


b. SWEAT EQUITY

The Company has not issued any Sweat Equity Shares during the year under review.

c. BONUS SHARES

No Bonus Shares were issued during the year under review.

प्रदत्त सकल दावे (करोड़ ₹ में)
Gross Claims Paid (₹ in Crore)



घ. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प योजना प्रदान नहीं की है।

कंपनी के बहिर्नियम

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के बहिर्नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया।

शोधक्षमता मार्जिन

31 मार्च, 2020 को शोधक्षमता अनुपात, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के 1.5 गुना के मानदंड की तुलना में 15.02 गुना रहा जिसका विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	2019-20	2018-19
विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन(आर.एस.एम.) (₹ करोड़ में)	323.84	377.78
उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन (ए.एस.एम.) (₹ करोड़ में)	4865.09	3929.71
शोधक्षमता अनुपात(कुल ए.एस.एम./ आर.एस.एम.) (गुना)	15.02	10.40

d. EMPLOYEES STOCK OPTION PLAN

The Company has not provided any Stock Option Scheme to the employees.

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

During the FY 2019-20 there was no change in the Memorandum of Association of the Company.

SOLVENCY MARGIN

The Solvency Ratio as on March 31, 2020 is 15.02 times against the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) norm of 1.5 times. The details are as under:

Particulars	2019-20	2018-19
Required Solvency Margin (RSM) under Regulations (₹ in crore)	323.84	377.78
Available Solvency Margin (ASM) (₹ in crore)	4865.09	3929.71
Solvency Ratio (Total ASM / RSM) (Times)	15.02	10.40

अधिकतम देयता

कंपनी की अधिकतम देयता (अ.दे.) वह देयता होती है जिसके अंतर्गत किसी कम्पनी द्वारा, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसार किसी भी समय कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 72(ख) के अंतर्गत, बीमांकन किया जा सकता है, इसी क्रम में 31 मार्च 2020 तक कम्पनी की अधिकतम देयता ₹1,00,000 करोड़ पर अपरिवर्तनीय रही। दिनांक 31 मार्च 2020 को अ.दे. ₹98,601.60 करोड़ थी।

नये उत्पाद का प्रारम्भ

वित्त वर्ष 2019-20 में, कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार का नया उत्पाद लागू नहीं किया गया।

निवेश

कंपनी के निवेश आई आर डी ए के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

प्रबंधन व्यय

संबन्धित नियमों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 ग के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा वहन किए गए प्रबंधन व्यय, आई आर डी ए के 29.24% के मानदंड की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल प्रीमियम आय के प्रतिशत रूप में 27.22% (पिछले वर्ष 21.16%) रहा।

(₹ करोड़ में)

विविध समूह / कॉर्पोरेट			
कुल सकल प्रीमियम का भाग जो बीमाकर्ता द्वारा भारत में बीमांकित किया गया	प्रीमियम	प्रीमियम का प्रतिशत	स्वीकृत व्यय
प्रथम	200.00	35.00%	70.00
अगला	150.00	30.00%	45.00
शेष	725.47	27.50%	199.51
भारत में कुल बीमांकित प्रीमियम	1075.47		314.51
स्वीकृत व्यय का %			29.24

MAXIMUM LIABILITY

The Maximum Liability (ML) that the Company can underwrite at any point of time, as approved by the Government of India under Article 72(b) of the Articles of Association of the Company, remains unchanged at ₹1,00,000 crore as of March 31, 2020. The ML as on March 31, 2020 was ₹98,601.60 Crore.

INTRODUCTION OF NEW PRODUCTS

In the FY 2019-20, no new product was introduced by the Company.

INVESTMENT

The investments of the Company have been in conformity with the guidelines of the IRDAI.


MANAGEMENT EXPENSES

As per the Provisions under Section 40C of the Insurance Act, 1938, read with the relevant Rules, the management expenses incurred by the Company, as a percentage of the Gross Premium Income during the FY 2019-20 stand at 27.22% (previous FY 21.16%) against the IRDAI norm of 29.24%.

(₹ In crore)

Miscellaneous Group / Corporate			
Part of the total Gross Premium of the insurer written in India	Premium	Percentage of Premium	Allowable Expenses
First	200.00	35.00%	70.00
Next	150.00	30.00%	45.00
The Balance	725.47	27.50%	199.51
Total Written Premium in India	1075.47		314.51
% of Allowable Expenses			29.24

चुकता पूँजी एवं प्रारक्षित निधियां (निवल मालियत) (करोड़ ₹ में) Paid-up Capital & Reserves (Net Worth) (₹ in Crore)



राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एन ई आई ए)

भारत सरकार (भा स) द्वारा एन ई आई ए ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित की दृष्टि से, मध्यम एवं दीर्घवधि (एम एल टी) व उच्च मूल्य की परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। 31 मार्च 2020 को ट्रस्ट के पास ₹3,220.39 करोड़ की बीमांकन राशि उपलब्ध रही। ट्रस्ट की क्षमता ₹64,407.80 करोड़ है जिसके 25% अर्थात् ₹16,101.95 करोड़ की राशि कम्पनी द्वारा जारी एम.एल.टी. रक्षाओं हेतु प्रारक्षित की गयी है। वर्तमान में 39 देशों में, एन ई आई ए के साथ साझेदारी में ₹10,687 करोड़ की सीमा तक 151 परियोजनाओं के लिये 248 रक्षाएं प्रभावी हैं। ₹64,407.80 के शेष 75% की ₹48,305.85 करोड़ की राशि का निर्धारण एन ई आई ए ट्रस्ट के खरीदार ऋण योजना के लिए किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2020 तक ट्रस्ट द्वारा श्रीलंका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेनेगल, इरान, मालदीव, कोटे डी आयवोर, घाना, कैमरून, सूरीनाम एवं मॉरिटानिया जैसे 13 देशों में 22 परियोजनाओं के लिए ₹19,464 करोड़ रु की औसत अधिकतम देयता के साथ 22 खरीदार ऋण रक्षाएं जारी की गयीं। भारत सरकार इसकी एक मात्र व्यवस्थापक है एवं ईसीजीसी प्रबंधन एजेंसी है।

निदेशक मण्डल

कंपनी भारत सरकार की 100% के स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी के संचालन, प्रबंधन व निदेशन जैसे सामान्य अधिकार से सम्बंधित सभी अधिकार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल के हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) के अतिरिक्त निदेशक मण्डल के सभी निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) सहित निदेशक मण्डल के सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान छह अंशकालिक निदेशकों यथा श्रीमती उमा शंकर, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्रीमती एलिस जी वैद्यन, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, भारतीय साधारण बीमा निगम; श्री गणेश कुमार गुप्ता, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (फियो) के भूतपूर्व अध्यक्ष; श्री प्रशांत कुमार डालमिया, भागीदार, पी सी एस एंड एसोसिएशन (उन्हें वि व 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल में शामिल किया गया था; श्री माणेक एरुच डावर, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, स्पेंटा मल्टीमिडिया प्रा लि; एवं श्रीमती सरनला मालती रानी, अध्यक्ष; का कम्पनी के निदेशक मंडल में सेवा काल समाप्त हो गया। श्रीमती गीता मुरलीधर की सेवानिवृत्ति के उपरान्त कम्पनी के निदेशक मंडल से उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। छ: गैर कार्यपालक अंशकालिक निदेशक यथा श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री डेविड पॉल रस्कीना, प्रबंध निदेशक, एक्जिम बैंक; श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक; श्री देवेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, भारतीय साधारण बीमा निगम; श्री शरद कुमार सराफ, अध्यक्ष भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (फियो) श्री प्रशांत कुमार डालमिया, भागीदार,

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT TRUST (NEIA)

The NEIA Trust has been established by the Government of India (GOI) with the objective of ensuring availability of credit risk cover for medium and long-term duration (MLT) high-value projects which are desirable from the point of view of national interest. The Trust has an underwriting corpus of ₹3,220.39 crore as of March 31, 2020. The underwriting capacity of the Trust is ₹64,407.80 crore of which 25% amounting to ₹16,101.95 crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by the Company. Risk in respect of 248 covers issued supporting 151 projects in 39 countries has been shared with NEIA to the extent of ₹10,687 crore. Balance 75% of ₹64,407.80 crore amounting to ₹48,305.85 crore is earmarked for the Buyer's Credit scheme of the NEIA Trust (BC-NEIA). As of March 31, 2020, the Trust has issued 22 Buyer's Credit covers with an aggregate Maximum Liability of ₹19,464 crore for 22 projects in 13 countries viz Sri Lanka, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, Senegal, Iran, Maldives, Cote D'Ivoire, Ghana, Cameroon, Suriname and Mauritania. The GOI is the sole settlor of the Trust and ECGC is the managing agency.

BOARD OF DIRECTORS

The Company is 100% owned by the Government of India. The general powers of superintendence, direction and management of the affairs and business of the Company are vested in the Board of Directors, presided over by the Chairman-cum-Managing Director. All the Directors on the Board other than the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director (Policy Matters) are Non-Executive Directors. All Members of the Board including the Chairman-cum-Managing Director (CMD) and Executive Director (Policy Matters) are appointed by the President of India.

During the FY 2019-20, six Part-Time Directors viz. Smt. Uma Shankar, Executive Director, Reserve Bank of India; Smt. Alice G. Vaidyan, Chairman-cum-Managing Director, General Insurance Corporation of India; Shri Ganesh Kumar Gupta, past President, Federation of Indian Export Organisations (FIEO); Shri Prashant Kumar Dalmia, Partner, PCS & Associates (he was inducted on the Board during FY 2019-20); Shri Maneck Eruch Davar, Chairman and Managing Director, Spenta Multimedia Pvt. Ltd.; and Smt. Saranala Malathi Rani, Director ceased to be Directors of the Company. Smt. Geetha Muralidhar, ceased to be the Chairman-cum-Managing Director on her superannuation. Six Non-Executive Part-Time Directors viz. Shri Shirish Chandra Murmu, Executive Director, Reserve Bank of India; Shri David Paul Rasquinha, Managing Director, Exim Bank; Shri Rajnish Kumar, Chairman, State Bank of India; Shri Devesh Srivastava, Chairman-cum-Managing Director, General Insurance Corporation of India; Shri Sharad

पी सी एस एंड एसोसिएट्स (वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल से त्याग पत्र दिया) को निदेशक मंडल में शामिल किया गया।

दिनांक 9 जून 2020 से श्रीमती पद्मावती आर, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) को कार्यकारी निदेशक के रूप में कम्पनी के निदेशक मंडल में शामिल किया गया एवं दिनांक 30 जून 2020 से अपनी सेवा निवृत्ति के उपरान्त उनका सेवाकाल समाप्त हो गया ।

दिनांक 9 जुलाई 2020 से श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) को कार्यकारी निदेशक के रूप में कम्पनी के निदेशक मंडल में शामिल किया गया ।

इस रिपोर्ट की तारीख तक मण्डल में तेरह अंशकालिक निदेशकों में से छः का स्थान रिक्त है (महिला निदेशक के स्थान सहित)। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी निदेशक का पुनर्चयन/पुनर्नियुक्ति नहीं की गयी।

निदेशकों की नियुक्ति , पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके दायित्वों के निर्वाह से संबंधित कंपनी की नीति

नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित धारा 178(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178(3) के अधीन प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान, निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक गुणों, निदेशकों की स्वतन्त्रता तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए किसी भी प्रकार की नीति का निरूपण नहीं किया गया है। मण्डल के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।

वार्षिक प्रतिफल

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक प्रतिफल के उद्घरण अनुबंध ख में उपलब्ध हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणाएँ

पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पर लागू , स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित, धारा 149 के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया गया है सिवाय दिनांक 15 मई 2020 से 08 जून 2020 तक महिला निदेशक की नियुक्ति के।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकें

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के मण्डल की पांच बैठकों का आयोजन किया गया।

लेखापरीक्षा समिति के विन्यास का प्रकटन तथा सतर्कता तंत्र का प्रावधान

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :-

Kumar Saraf, President, Federation of Indian Export Organisations; Shri Prashant Kumar Dalmia, Partner, PCS & Associates (he resigned from the Board during FY 2019-20) were inducted on the Board.

Smt. Padmavathy R., Executive Director (Policy Matters), ECGC Ltd. was inducted as a Functional Director on the Board of the Company w.e.f. June 09, 2020 and ceased to be a Director w.e.f. June 30, 2020 on her superannuation.

Shri Sunil Joshi, Executive Director (Policy Matters), ECGC Ltd. was inducted as a Functional Director on the Board of Directors of the Company w.e.f. July 09, 2020.

As on the date of this report, six of the thirteen positions of Part-Time Directors (including the position of a Woman Director) on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies is being pursued with the Government of India.

There was no Director who got re-elected / re-appointed during the year under review.

COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS' APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES

The provisions of Section 178(1) related to constitution of Nomination and Remuneration Committee are not applicable to the Company and hence the Company has not devised any policy related to appointment of Directors, payment of Managerial remuneration, Directors' qualifications, positive attributes, independence of Directors and other related matters as provided under Section 178(3) of the Companies Act, 2013. All the Directors on the Board of the Company are appointed by the President of India.

ANNUAL RETURN

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 are placed at **Annexure I**.

DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

The provisions of Section 149 pertaining to the appointment of Independent Directors applicable to Public Limited Company are fully complied with except the appointment of Woman Director on the Board from May 15, 2020 to June 08, 2020.

NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company had conducted five Board Meetings during the financial year under review.

DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee consists of the following Members:-

क्रम. सं.	निदेशकों के नाम
1.	श्री बिद्युत बेहारी स्वेन (दि. 20/04/2018 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
2.	श्री के राजारामन (दि. 08/08/2018 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
3.	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू (दि. 10/01/2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
4.	श्री डेविड पॉल रस्कीना (दि. 07/08/2019 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
5.	श्री देवेश श्रीवास्तव (दि. 20/01/2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
6.	श्री शरद कुमार सराफ (दि. 22/07/2019 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
7.	श्री गणेश कुमार गुप्ता (दि. 01/05/2017 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दि. 27/06/2019 से सेवाकाल समाप्त)
8.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन (दि. 11/02/2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दि. 31/07/2019 से सेवाकाल समाप्त)
9.	श्री प्रशांत कुमार डालमिया, एफ सी ए (दि. 07/08/2019 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दि. 16/09/2019 से सेवाकाल समाप्त)
10.	सुश्री उमा शंकर (दि. 03/10/2018 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दि. 31/10/2019 से सेवाकाल समाप्त)
11.	श्री माणेक एरुच डार (दि. 22/03/2017 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दि. 29/01/2020 से सेवाकाल समाप्त)
12.	सुश्री सरनला मालती रानी (दि. 22/03/2017 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दि. 29/01/2020 से सेवाकाल समाप्त)

Sr. No.	Name of the Directors
1.	Shri Bidyut Behari Swain (appointed as a Member since 20/04/2018)
2.	Shri K. Rajaraman (appointed as a Member since 08/08/2018)
3.	Shri Shirish Chandra Murmu (appointed as a Member since 10/01/2020)
4.	Shri David Paul Rasquinha (appointed as a Member since 07/08/2019)
5.	Shri Devesh Srivastava (appointed as a Member since 21/01/2020)
6.	Shri Sharad Kumar Saraf (appointed as a Member since 22/07/2019)
7.	Shri Ganesh Kumar Gupta (appointed as a Member since 01/05/2017) (ceased to be a Member since 27/06/2019)
8.	Smt. Alice G. Vaidyan (appointed as a Member since 11/02/2016) (ceased to be a Member since 31/07/2019)
9.	Shri Prashant Kumar Dalmia, FCA (appointed as a Member since 07/08/2019) (ceased to be a Member since 16/09/2019)
10.	Smt. Uma Shankar (appointed as a Member since 03/10/2018) (ceased to be a Member since 31/10/2019)
11.	Shri Maneck Eruch Davar (appointed as a Member since 22/03/2017) (ceased to be a Member since 29/01/2020)
12.	Smt. Saranala Malathi Rani (appointed as a Member since 22/03/2017) (ceased to be a Member since 29/01/2020)

स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में लेखापरीक्षा समिति की उपरोक्त संरचना में स्वतंत्र निदेशकों यथा यथा श्री डेविड रस्कीना (अध्यक्ष), श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू, श्री देवेश श्रीवास्तव एवं श्री शरद कुमार सराफ का बहुमत है। कंपनी ने सतर्कता तंत्र स्थापित किया है तथा कर्मचारियों व अन्य निदेशकों द्वारा जताई गयी वास्तविक शंकाओं का लेखा परीक्षा समिति द्वारा समाधान किया जाता है शंका जताने वाले कर्मचारियों तथा निदेशकों की उत्पीड़न से रक्षा हेतु कंपनी द्वारा उचित उपाय किए गए हैं। कंपनी ने, सह कर्मचारियों तथा कंपनी के हितों से संबन्धित मामलों की रिपोर्टिंग

The above composition of the Audit Committee headed by an Independent Director consists of Independent Directors viz. Shri David Rasquinha (Chairman), Shri Shirish Chandra Murmu, Shri Devesh Srivastava and Shri Sharad Kumar Saraf, who form the majority.

The Company has established a vigil mechanism and oversees through the Audit Committee, the genuine concerns expressed by the employees and other Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and

पर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क का प्रावधान किया है।

सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनियाँ

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार का जमा न तो स्वीकार किया है न ही नवीकृत किया है।

भारत सरकार (भा स) के साथ समझौता ज्ञापन (स ज्ञा)

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कंपनी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाता है। विभिन्न वित्तीय एवं गैर वित्तीय मापदण्डों के आधार पर कंपनी का निष्पादन वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 अच्छा की श्रेणी में रहा, 2016-17 में यह बहुत अच्छा की श्रेणी में रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, कम्पनी के निष्पादन का अच्छा की श्रेणी में आने की सम्भावना है।

संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2018-19 की ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परिक्षित खाते तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः 11 दिसंबर 2019 एवं 13 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत की गई थी।

कर्मचारियों का विवरण

सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष अथवा वित्तीय वर्ष के किसी भाग के दौरान ऐसे किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है जिनकी औसत परिलब्धि एक करोड़ दो लाख रु. अथवा इससे अधिक अथवा आठ लाख पचास हजार प्रति माह रही हो।

पूर्णकालिक निदेशक द्वारा आहरित परिलब्धियों से अतिरिक्त परिलब्धियां पाने वाले कर्मियों के विवरण निम्नानुसार है :-

Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairman of the Audit Committee for reporting issues concerning the interests of employees and the Company.

SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposit during the year under review.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) WITH THE GOVERNMENT OF INDIA (GOI)

As per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises, every year a Memorandum of Understanding (MOU) is signed with the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Based on the assessment of various financial and non-financial parameters, the Company's performance has been rated as "Good" in FY 2017-18 and FY 2018-19 and "Very Good" in FY 2016-17. The performance of the Company is expected to be rated "Good" for the FY 2019-20."

PLACING OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

Annual Report of the ECGC Limited for the year 2018-19, along with Audited Accounts and Comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, was placed before the Lok Sabha and Rajya Sabha on December 11, 2019 and December 13, 2019 respectively, in compliance with the requirements under Section 394 of the Companies Act, 2013.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

There was no employee who was employed throughout the year or who was employed for part of the year and was in receipt of aggregate remuneration of Rupees one crore two lakh or more for that year or was in receipt of aggregate remuneration of Rupees eight lakh fifty thousand per month for part of the year respectively.

Particulars of the employees who were in receipt of remuneration in excess of remuneration drawn by the Whole -Time Director are provided below:

क्र सं.	विवरण	कर्मियों का नाम
1.	नाम कर्मियों का पदनाम:	सुश्री प्रिसिला सिन्हा नियुक्त बीमांकिक (म प्र की श्रेणी के समकक्ष)
2.	प्राप्त परिलब्धि:	रु. 77,52,234/- वित्तीय वर्ष 2019-20 में
3.	रोज़गार की प्रकृति, संविदा पर अथवा अन्यथा:	संविदा पर, निश्चित अवधि के लिए नियुक्त
4.	कर्मियों की योग्यता एवं अनुभव:	सांख्यिकी में बी एस सी एवं सांख्यिकी में एम एस सी फेलो, इंस्टिट्यूट ऑफ़ एक्चुरिस इन इंडिया डिप्लोमा इन सिस्टम मैनेजमेंट , एन आई आई टी डिप्लोमा इन एक्चुरियल टेक्निक्स, इंस्टिट्यूट ऑफ़ एक्चुरिस, यू के
5.	रोज़गार के आरम्भ की तारीख;	दिनांक 18.04.2019 से संविदा आधार पर रोज़गार का आरम्भ
6.	कर्मियों की आयु;	53
7.	कम्पनी में नियुक्ति के पहले इस प्रकार के कर्मियों का पिछला रोज़गार;	भा सा बी नि
8.	उक्त नियम (2) की धारा (iii) के अर्थ में परिभाषा के भीतर इस प्रकार के कर्मियों द्वारा धारित इक्विटी शेयर; एवं	कुछ नहीं
9.	क्या इस प्रकार का कर्मचारी कम्पनी के किसी निदेशक अथवा प्रबंधक का सम्बन्धी है एवं यदि हाँ तो इस प्रकार के निदेशक अथवा प्रबंधक का नाम दर्शाएँ	नहीं

Sr No.	Details	Name of the Employee
1.	Name Designation of the employee:	Ms. Priscilla Sinha Appointed Actuary (at par with rank of GM)
2.	Remuneration received:	₹ 77,52,234/- in FY 2019-20
3.	Nature of employment, whether contractual or otherwise:	Appointment is contractual on a fixed term basis
4.	Qualifications and experience of the employee:	B.Sc in Statistics and M.Sc in Statistics. Fellow, Institute of Actuaries in India. Diploma in System Management, NIIT. Diploma in Actuarial Techniques, Institute of Actuaries, UK.
5.	Date of commencement of employment;	Commencement of employment on contractual basis on 18.04.2019
6.	The age of such employee;	53
7.	The last employment held by such employee before joining the Company;	GIC
8.	The percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of clause (iii) of sub-rule (2) above; and	NIL
9.	Whether any such employee is a relative of any director or manager of the Company and if so, name of such director or manager:	No

क्र सं.	विवरण	कर्मियों का नाम
1.	नाम कर्मियों का पदनाम:	श्री शशांक वाजपेयी मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी सिसो (उ म प्र श्रेणी के समकक्ष)
2.	प्राप्त परिलब्धि:	वित्तीय वर्ष 2019-20 में 32,00,000/-
3.	रोज़गार की प्रकृति, संविदा पर अथवा अन्यथा:	संविदा पर, निश्चित अवधि के लिए नियुक्त

Sr No.	Details	Name of the Employee
1.	Name Designation of the employee:	Shri Shashank Bajpai Chief Information Security Officer - CISO (at par with the rank of DGM)
2.	Remuneration received:	₹ 32,00,000/- in FY 2019-20
3.	Nature of employment, whether contractual or otherwise:	Appointment is contractual on a fixed term basis

4.	कर्मि की योग्यता एवं अनुभव:	आई एस बी हैदराबाद (वर्ष 2019) इग्जेक्यूटिव मास्टर्स सर्टिफिकेट इन साइबर गवर्नंस सी डी ए सी हैदराबाद से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सिक्युरिटी (वर्ष 2012) पुणे विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बी ई) (2011) प्रमाणन : ईसी काउंसिल से प्रमाणित मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सी सी आई एस ओ) (2018) जी सी एच क्यू यू के से सर्टिफाइड इंसिडेंट प्लानिंग एंड रिस्पॉस (2018) आई सी ए सी ए से सर्टिफाइड इनफार्मेशन सिक्युरिटी मैनेजर (सी आई एस एम्) (2013)
5.	रोज़गार के आरम्भ की तारीख:	दिनांक 01.08.2019 से संविदा आधार पर रोज़गार का आरम्भ
6.	कर्मि की आयु :	33
7.	कम्पनी में नियुक्ति के पहले इस प्रकार के कर्मि का पिछला रोज़गार:	ए सी के ओ जनरल इंश्युरेंस लिमिटेड
8.	उक्त नियम (2) की धारा (iii) के अर्थ में परिभाषा के भीतर इस प्रकार के कर्मि द्वारा धारित इक्विटी शेयर; एवं	कुछ नहीं
9.	क्या इस प्रकार का कर्मचारी कम्पनी के किसी निदेशक अथवा प्रबंधक का सम्बन्धी है एवं यदि हाँ तो इस प्रकार के निदेशक अथवा प्रबंधक का नाम दर्शाये	नहीं

ग्राहक हित रक्षा तंत्र

कंपनी ने अपने ग्राहकों की शिकायत निवारण के लिए महाप्रबंधक के नेतृत्व में मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में ग्राहक देख रेख कक्ष की स्थापना की है। कंपनी की शिकायत निवारण नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नीति के अनुसार, अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय पर उच्च अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है तथा शिकायत पर विभिन्न अधिकारियों/समितियों द्वारा चार बार विचार किया जा सकता है। कंपनी के प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ कार्यपालकों की एक सर्वोच्च ग्राहक शिकायत समिति (ए सी जी सी) स्थापित की गई है, जो कि कंपनी में किसी ग्राहक की शिकायत के लिए अंतिम आंतरिक अपील-प्राधिकारी है। वित्तीय वर्ष

4.	Qualifications and experience of the employee:	Executive Master's Certificate in Cyber Governance from ISB Hyderabad (Year 2019) Post Graduate Diploma in System Software & Security from CDAC Hyderabad (Year 2012) Bachelor of Engineering (B.E.) from University of Pune (Year 2011) Certifications: Certified Chief Information Security Officer (CCISO) from EC-Council (2018) Certified Incident Planning and Response from GCHQ U.K. (2018) Certified Information Security Manager (CISM) from ISACA (2013)
5.	Date of commencement of employment:	Commencement of employment on contractual basis on 01.08.2019
6.	The age of such employee:	33
7.	The last employment held by such employee before joining the Company:	ACKO General Insurance Limited
8.	The percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of clause (iii) of sub-rule (2) above; and	NIL
9.	Whether any such employee is a relative of any director or manager of the Company and if so, name of such director or manager:	No

CUSTOMER CARE MECHANISM

The Company has set up a Customer Care Cell, situated in the Head Office at Mumbai and headed by a General Manager, for redressing grievances of its customers. The Customer Grievance Redressal Policy of the Company is placed on the Company's website. As per the policy, the decisions taken by an official would be reviewed by a higher authority in case this earlier decision is to be reiterated and the complaint can be dealt with four times by different officials / Committees. An Apex Customer Grievance Committee (ACGC), consisting of senior executives at Head Office, is the highest in-house Appellate Authority for any customer complaint against the Company. The Committee met 12 times and

2019-20 के दौरान समिति की 12 बैठकें हुई जिसमें 35 मामलों को निपटाया गया। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, तीन सदस्यीय स्वतंत्र समीक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें न्यायिक, बैंकिंग, तथा ऋण बीमा क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल हैं इसकी वित्तीय वर्ष 2019-20 में तीन बैठकें हुई व 25 मामलों पर निर्णय लिया गया।

कंपनी आई आर डी ए आई के केंद्रीयकृत संघटित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी आई जी एम एस) से जुड़ी है जिसमें ग्राहक सीधे लॉग ऑन कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वर्तमान में ग्राहकों के पास आई.जी.एम.एस. अथवा कंपनी की वैबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने का विकल्प भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कंपनी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा शिकायत पोर्टल के माध्यम अर्थात् केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) द्वारा प्रचालित शिकायत निवारण प्रणाली का भी एक हिस्सा है।

ऊर्जा संरक्षण व प्रौद्योगिकी विलयन का विवरण

कंपनी(लेखा) नियमों, 2014 के नियम 8(3) के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अनुसरण में वांछित सूचना, कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए, कंपनी द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी के विदेशी मुद्रा अर्जन ₹71.55 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹107.28 करोड़ रु) रहे जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय ₹2.31 करोड़ रु (पिछले वित्तीय वर्ष ₹2.30 करोड़ रु)

नियुक्त बीमांकिक

आई आर डी ए आई की निर्देशों के आधार पर कम्पनी ने अप्रैल 2019 के दौरान 29 मई 2019 से 08 नवम्बर 2019 तक की अवधि के लिए संविदा के आधार पर पूर्णकालिक बीमांकिक की नियुक्ति की है जिसे नियुक्त बीमांकिक के रूप में तैनात किया गया है, एवं 27 जनवरी 2020 से प्रभावी नियुक्त बीमांकिक के रूप में उनका कार्यकाल जारी रहेगा।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान एक अलग बीमांकिक विभाग की स्थापना की गयी, जो कि बीमांकिक कार्यों में नियुक्त बीमांकिक ए ए की सहायता करता है जैसे उपगत पर रिपोर्ट न किया गया (आई बी एन आर)/उपगत पर पर्याप्त रिपोर्ट न किया गया (आई बी एन ई आर) दावा अनुमानों, आस्ति देयता प्रबंधन रिपोर्ट, अनुमानित दावा लागत वित्तीय स्थिति मूल्यांकन रिपोर्ट, आर्थिक पूँजी गणना, उत्पाद मूल्य निर्धारण एवं समीक्षा आदि कार्य। ए ए के रिपोर्ट एवं पर्यवेक्षण कम्पनी के समग्र जोखिम प्रबंधन नीति के निर्धारण में सहायक होते हैं। नियुक्त बीमांकिक एवं परामर्शदाता बीमांकिक अपने कार्य आई आर डी ए आई (ए ए) अधिनियम 2017 के अनुसरण में ही कार्य करते हैं।

disposed of 35 cases during the FY 2019-20. A three member Independent Review Committee (IRC) was also constituted during the FY 2013-14, consisting of external experts in the field of Judiciary, Banking and Credit Insurance, which met three times during the FY 2019-20 and disposed of 25 cases.

The Company is linked to the Centralized Integrated Grievance Management System (CIGMS) of the IRDAI, where customers can directly log on and lodge their complaints. Policyholders now have the option of registering their respective complaints either at the CIGMS or through the Company's website. In addition, the Company is also linked to the grievance redressal system operated by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms, Government of India at Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS).

PARTICULARS OF CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

Information pursuant to Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, read with the Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is not required to be given by the Company in view of the nature of the business of the Company.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

The Foreign exchange earnings of the Company during the FY 2019-20 is ₹71.55 crore (₹107.28 crore in the previous Financial Year) while Foreign Exchange outgo during the Financial Year 2019-20 is ₹2.31 crore (₹2.30 crore in the previous Financial Year).

APPOINTED ACTUARY

The Company recruited a full-time Actuary on contract basis in April 2019 who had been designated as Appointed Actuary, with the approval of Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), for the period May 29, 2019 to November 28, 2019 and again with effect from January 27, 2020 and continues to be the Appointed Actuary.

A separate 'Actuarial Department' was set up in the FY 2012-13, which provides support to the Appointed Actuary (AA) in the Actuarial functions such as preparation of Incurred But Not Reported (IBNR) / Incurred But Not Enough Reported (IBNER) Claims estimation, Asset Liability Management Report, Expected Claim Costs Estimation, Financial Condition Assessment Report, Economic Capital Computation, Product pricing and review etc. The reports and observations of the AA contribute towards the overall risk management strategies of the Company. The Appointed Actuary functions in accordance with the "IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017."

सांविधिक लेखा परीक्षक

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा उनके दिनांक 09 अगस्त 2019 के पत्र के जरिये संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा शाखाओं के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गयी, जिसका संज्ञान दिनांक 29 अक्टूबर 2019 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठक में लिया गया तथा लेखा परीक्षा समिति द्वारा किए गए सिफारिश के अनुसार सी एंड ए जी द्वारा नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा शुल्क को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। दिनांक 26 अगस्त 2019 को सम्पन्न 61 वीं वार्षिक साधारण बैठक में पारित संकल्प के जरिये निदेशक मण्डल ने अपने शेयरधारकों को प्राधिकृत किया है कि वे, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालयों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करें व अनुमोदित करें तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अधीन आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का अपना लेखा परीक्षा तंत्र है जिसमें संगामी लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा और निवेश संव्यवहारों की लेखा परीक्षा संबन्धित प्रणालियाँ शामिल हैं, जो व्यवसाय के स्वरूप और इसके प्रचालनों के आकार के अनुरूप हैं। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय व कंपनी की विभिन्न शाखाओं की प्रक्रियाओं के साथ साथ संव्यवहार भी शामिल हैं। लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों की निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है। मेसर्स ए बी एम एंड एसोसिएट्स एल एल पी, सनदी लेखाकार, मुंबई फर्म पंजीकरण संख्या 105016W/W-100015 तथा मेसर्स एस एन के एंड कं सनदी लेखाकार, मुंबई, फर्म पंजीकरण संख्या 109176W भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रधान कार्यालय के लेखों एवं समेकित लेखों की लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक हैं। शेयरधारकों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षकों (सी ए जी) की कंपनी के लेखों पर टिप्पणी

सी ए जी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति निदेशक मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। यह निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी।

कंपनी शासन

कंपनी का कम्पनी शासन दर्शन सभी संबन्धित सांविधिक एवं विनियामक निधारणों का समय पर अनुपालन करना तथा सघन कंपनी शासन प्रचालनों का निर्माण एवं उसका कड़ाई से अनुपालन करना है। आर एस पाडिया एंड एसोसिएट्स, कम्पनी शासन पर पेशेवर कम्पनी सचिव (FCS 6804, COP 7488), की रिपोर्ट के साथ विस्तृत कंपनी शासन रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

STATUTORY AUDITORS

The Joint Statutory Auditors and the Branch Auditors were appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for Audit of Accounts of the Company for the Financial Year (FY) 2019-20 vide their letter dated August 09, 2019, the same was taken on record by the Board at its meeting held on October 29, 2019, and the audit fees for each of the appointed auditors by C&AG were approved by the Board as was recommended by the Audit Committee. The Board was authorized by the Shareholders vide its resolution passed at the 61st AGM held on August 26, 2019 to fix and approve the remuneration of the Joint Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139(5) of the Companies Act, 2013, for the Head Office and Branch Offices of the Company for the FY 2019-20 and necessary certificate from the Joint Statutory Auditors for FY 2019-20 has been obtained as required under Section 141 of the Companies Act, 2013.

AUDITORS' REPORT

The Company has in place an audit mechanism comprising Concurrent Audit, Internal Audit and Audit of Investment transactions and related systems, which is in line with the nature of its business and the size of its operations. The Auditors Report covers the processes as well as transactions at the Head Office and across various branches of the Company. The audit comments are periodically reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors. M/s. abm & associates LLP, Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 105016W/W-100015 and M/s. SNK & Co., Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 109176W, are the Joint Statutory Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India, to audit the Head Office Accounts and the consolidated accounts of the Company for the FY 2019-20. The Report of the Auditors to Shareholders is appended to the Audited Financial Statements

COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (C&AG) ON THE ACCOUNTS OF THE COMPANY

Comments of the C&AG shall be forming part of the Directors' Report as an addendum to the same.

CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance philosophy of the Company is to comply with all the relevant statutory and regulatory prescriptions on time, as also to formulate and adhere to sound Corporate Governance Practices. A detailed Corporate Governance Report (**Annexure II**) along with Certificate from R. S. Padia & Associates, Practicing Company Secretary (FCS 6804, COP 7488), on Corporate Governance (**Annexure III**) is annexed to and forms an integral part of this Directors' Report.

सचिवालय लेखा परीक्षा

वर्ष 2019-20 के लिए मेसर्स अभिषेक लखोटिया एंड कं , सचिवालय लेखा परीक्षक (FCS 9082, COP 10547) की कम्पनी की सचिवालय लेखा परीक्षा (फॉर्म सं एम् आर 3) (अनुबंध IV) में निदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र विभाग (डी पी ई) के दिशानिर्देशों का अनुपालन न किये जाने की रिपोर्ट की गयी है। इस स्थिति को कम्पनी शासन रिपोर्ट (अनुबंध II) में दर्शाया गया है।

इस वित्तीय विवरण के वित्तीय वर्ष के अंत तक तथा इस रिपोर्ट की तारीख के बीच , कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धता

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन व प्रतिबद्धताएं घटित हुई हैं

ख. अंधेरी प्रॉपर्टी का अद्यतन

कार्यालय परिसर

- निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2015 को सम्पन्न अपनी 398वीं बैठक के दौरान कार्यालय भवन के लिए, सीपीडब्ल्यूडी से दिनांक 26 मई 2015 के पत्र में वर्णित 111,24,12,901/- रु. के अनुमानित व्यय को अनुमोदन प्रदान कर दिया था। उक्त हेतु ही ईसीजीसी एवं केन्द्रीय लोक कार्य विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के मध्य दिनांक 06 जून 2016 को हमारे अंधेरी प्लॉट पर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन (स ज्ञा) पर हस्ताक्षर किए गए।
- स.ज्ञा. की शर्त सं 7 अनुसार, सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने विनिर्माण करार के अनुसार किस्तों में जमा राशि मांग की । तदनुसार, कम्पनी द्वारा कार्यालय परिसर हेतु भुतान के 77.80% के रूप में कुल ₹86,54,47,740/- की अदायगी की गई है ।
- मेसर्स सैम इंडिया बिल्टवैल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 30 मार्च 2017 से कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों से प्राप्त दिनांक 22 जुलाई 2020 के मेल के जरिये प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यालय परिसर का 82% कार्य पूर्ण हो चुका है ।
- दिनांक 07 मई 2019 को संपन्न निदेशक मंडल की 422वीं बैठक में, अंधेरी में नए कार्यालय बिल्डिंग के लिए फैक्टरी निर्मित नॉक डाउन कार्यालय मोड्यूलर फर्नीचर की खरीद एवं स्थापना के लिए ₹926.62 लाख रु की प्रारंभिक लागत का अनुमान है। सी पी डब्ल्यू डी को इसकी सूचना दे दी गयी एवं इसके लिए कम्पनी एवं सी पी डब्ल्यू डी के मध्य दिनांक 26 सितम्बर 2019 को समझौता ज्ञापन (स ज्ञा) पर हस्ताक्षर किये गए । सा ज्ञा की धारा बी (3) के अनुसार हमने अनुमानित अनुमोदित ₹926.62 लाख रु के 10% के रूप में प्रथम जमा के रूप में ₹92,66,200 /- (बानवे लाख छियासठ हजार दो सौ) जारी कर दिए हैं ।

SECRETARIAL AUDIT

The Secretarial Audit Report of the Company (Form No. MR-3) for the FY 2019-20 received from M/s Abhishek Lakhotia & Co., Secretarial Auditor (FCS 9082, COP 10547) (Annexure IV) reported non-compliance with DPE Guidelines regarding Directors' Training Policy. The observation has been addressed in the Corporate Governance Report placed at Annexure II.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THIS FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT

The following material changes and commitment occurred during the year under review affecting the financial position of the Company –

I. Update on Andheri Property

Office premises

- The Board of Directors had, at its 398th meeting held on July 15, 2015, approved construction of the office building at a preliminary estimate of ₹111,24,12,901/- as intimated by Central Public Works Department (CPWD) vide their letter dated May 26, 2015. The Memorandum of Understanding (MoU) for the same had been signed between ECGC and CPWD on June 06, 2016 for construction of office building at our Andheri plot.
- As per Clause No. 7 of MoU, CPWD had demanded installments of deposits and accordingly, so far the Company has made a total payment of ₹86,54,47,740/- being 77.80% deposit towards construction of the office building.
- The contractor, Sam India Builtwell Pvt. Ltd., started the construction work for the office building from March 30, 2017. As informed by CPWD officials vide mail dated July 22, 2020, 82% of work has been completed for the office building.
- The Board of Directors, at its 422nd meeting held on August 07, 2019, approved the preliminary cost estimate of ₹926.62 lakh for purchase and installation of factory made knock-down office modular furniture for the new office building at the Andheri site. This was communicated to CPWD and an MOU for the same also was signed by the Company and CPWD on September 26, 2019. As per Clause B (3) of the MOU we have released ₹92,66,200/- (Rupees ninety-two lakh sixty-six thousand two hundred only) being first deposit of 10% of the approved estimate of ₹926.62 lakh.

आवासीय परिसर

1. 7 नवंबर 2016 को आयोजित 405 वीं बैठक में निदेशक मंडल ने ₹73,95,80,728 / - के प्रारंभिक अनुमान पर आवासीय परिसर के निर्माण को मंजूरी दे दी थी।
2. ईसीजीसी और सीपीडब्ल्यूडी ने ईसीजीसी के आवासीय भवन परिसर के निर्माण के लिए 10 जनवरी 2017 को समझौता ज्ञापन (स ज्ञा)पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. कंपनी ने 30 जनवरी 2017 को ₹73,95,80,728 / - की अनुमानित प्रारंभिक लागत के 10% की प्रारंभिक जमा के लिए सीपीडब्ल्यूडी को ₹7,39,58,073 / - का भुगतान किया है।
4. सीपीडब्ल्यूडी ने आवासीय भवन परिसर के निर्माण के लिए निविदा जारी की है। निविदा 28 दिसंबर 2017 को खोली गई।
5. कंपनी को ग्रेटर मुंबई (एमसीजीएम) के नगर निगम से 02 दिसंबर 2017 के पत्र सं CHE/116/BP/(विशेष कक्ष) LOKE/337 प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आरएच 2.1 (अस्पताल), आरओएस 1.1 (सार्वजनिक खुला स्थान) का आरक्षण रद्द कर दिया गया है। हालांकि, 9.15 मीटर की डीपी सड़क (विकास योजना) RDDP 2034 (मई 2016) जो कि हमारे प्लॉट को बीच से काटती है, को अनारक्षित नहीं किया गया है।
6. उक्त को देखते हुए ले आउट के लिए दिया गया पूर्व का अनुमोदन अमान्य हो गया है। इसके फलस्वरूप सी पी डब्ल्यू डी द्वारा प्रदान किये गए पांच आवासीय बिल्डिंग्स के विनिर्माण का अनुमोदन रद्द कर दिया गया।
7. डी पी रोड के लिए आरक्षण अस्पताल एवं सार्वजनिक खुले स्थल में प्रविष्टि के लिए किया गया है। जैसा कि अस्पताल एवं सार्वजनिक खुले स्थल का आरक्षण रद्द कर दिया गया है तो डी पी रोड के आरक्षण का कोई उद्देश्य नहीं है एवं इस भाग के लिए भी अनारक्षण लागू किये जा सकता है। कंपनी ने सम्बंधित डीपी रोड को अनारक्षित करने के लिए पत्र सं ECGC/PDC/245/2017 दिनांक 14 दिसंबर 2017 के ज़रिये शहरी विकास विभाग के ज़रिये महाराष्ट्र सरकार से अपील की है।
8. महाराष्ट्र सरकार ने अपनी अधिसूचना सं TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD - 11 दिनांक 08/05/2018 के ज़रिये डीपी रोड को अनारक्षित कर दिया गया है, एवं गुंडावाली ग्राम के सी एस टी सं 393 के भीतर दर्शाए गए 9.15 मीटर के डी पी रोड के आरक्षण को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।
9. सी पी डब्ल्यू डी के पत्र, के अनुसार डी पी रोड मुद्दे पर संकल्प पारित किये जाने के उपरान्त एम सी जी एम द्वारा लेआउट योजना का पुनः अनुमोदन नहीं हो जाता तब तक निविदा आमंत्रित नहीं किये जाते। परियोजना आर्किटेक्ट्स ने एम सी जी एम के अनुमोदन के लिए ले आउट योजना प्रस्तुत की है एवं उसे अनुमोदित भी किया जा चुका है।
10. डी पी 2034 को निदेशक, शहरी विकास, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुष्टि प्रदान की गयी है एवं तत्पश्चात एम सी जी एम द्वारा ले आउट को मंजूरी दी गयी है।

Residential Premises

1. The Board of Directors had, at its 405th meeting held on November 07, 2016, approved construction of a residential complex at a preliminary estimate of ₹73,95,80,728/-.
2. ECGC and CPWD signed an MOU on January 10, 2017 for construction of the Company's residential buildings complex.
3. The Company made a payment of ₹7,39,58,073/- to CPWD towards initial deposit of 10% of estimated preliminary cost of ₹73,95,80,728/- on January 30, 2017.
4. CPWD had floated a tender for construction of residential building complex. The tender was opened on December 28, 2017.
5. We received Letter No. CHE/116/BP/(Spl.Cell) LOKE/337 dated December 02, 2017 from the Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM), informing de-reservation of RH.2.1 (Hospital), ROS 1.1 (Public Open Space), while retaining the 9.15 meter DP Road (Development Planning) in RDDP-2034 (May 2016) within our plot.
6. In view of the above developments, the approval given for lay-out previously became invalid. Consequently, the bid selected for award of contract for construction of five residential buildings was withdrawn by CPWD.
7. The reservation for the DP road was provided for the general purpose of approach to hospital and public open space. As the reservation for hospital and public open space has been vacated, reservation for DP Road does not serve any purpose and de-reserving should be made applicable rightfully for this portion also. The Company submitted its representation to the Government of Maharashtra through the Urban Development Department vide letter No. ECGC/APDC/245/2017 dated December 14, 2017, for de-reserving the DP Road in question.
8. As per Notification No.TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11 dated May 08, 2018 issued by the Government of Maharashtra, the 9.15 mt. DP Road shown within CTS No.393 of village Gundavali is proposed to be deleted.
9. As per CPWD's letter, tenders will be called again only after re-approval of layout by the MCGM and after the resolution of the DP Road issue. The Project Architects have submitted lay-out plan for the MCGM's approval which has been accepted.
10. The DP 2034 is to be confirmed by the Director, Town Planning, Govt. of Maharashtra, and then the approval for lay-out will be considered by the MCGM.

मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड

- माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री वी सी डागा, एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिनांक 7 जुलाई 2015 को जारी आदेश का पालन करते हुए कम्पनी ने आई सी आई बैंक द्वारा जारी ₹ 4,40,98,369/- करोड़ रु की निष्पादन सुरक्षा बैंक गारंटी को अभिमंत्रित किया। आई सी आई बैंक ने हमें दिनांक 14 जुलाई 2015 को ₹ 4,40,98,369/- करोड़ रु की अदायगी की है। कम्पनी ने कुल ₹ 50 लाख के बयाना राशि एवं सुरक्षा जमा को भी जब्त कर लिया है।
- मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, परियोजना संविदाकार ने दिनांक 30 जून 2015 को हमारे समक्ष ₹ 23,02,81,857 करोड़ का दावा दायर किया है, ई.सी.जी.सी. ने ₹ 31,63,42,930 रु. की प्रतिपूर्ति का दावा किया है।
- मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड नें राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष जून 2017 में दीवालिया होना दायर किया है तथा एनसीएलटी ने 'मोरेटोरियम' का आदेश पारित कर दिया है। इस मामले की पिछली सुनवाई मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड तथा ईसीजीसी के मध्य न्यायाधीश श्री वी. सी. डागा के समक्ष दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को हुई थी। मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर 'मोरेटोरियम' के कारण वर्तमान में वाद पर रोक है।

II. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम का अद्यतन

- मध्यस्थता की कार्यवाही की सुनवाई में ईसीजीसी एवं एच सी एल प्रतिनिधि उपस्थित रहे, एवं दोनों पक्षों के मध्य सबूतों को पूरा किया गया तथा ईसीजीसी एवं एच सी एल के मध्य बहस अंतिम चरण पर पहुंची जिसे जून एवं जुलाई 2020 तक पूरा कर लिया जाना था परन्तु अब इसे कोविड 19 की महामारी के कारण उत्पन्न स्थितियों को देखते हुए सितम्बर एवं अक्टूबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया है।
- मध्यस्थता की घोषणा के आधार पर, कम्पनी, आवश्यकता पड़ने पर, जिस वित्तीय वर्ष के दौरान यह मध्यस्थता प्रदान की गयी है उस वित्तीय वर्ष के लिए उचित लेखा समायोजन करेगी।

कम्पनी की जोखिम प्रबंधन नीति को विकसित एवं कार्यान्वित करने से सम्बंधित विवरण :

कम्पनी निर्यात ऋण जोखिम बीमा कारोबार में है एवं यह आई आर डी ए आई के साथ गैर जीवन बीमा कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। निर्यात ऋण जोखिम का समूहन कारोबार की प्रकृति में ही निहित है। कम्पनी ने, उपक्रम व्यापक सूचना प्रणाली स्थापित कर अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन संरचना के ज़रिये कम्पनी के जोखिम प्रोफाइल का नियमन के लिए अपने जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की। जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में कम्पनी सदैव ही अपने कारोबार के सभी पहलुओं में विवेकपूर्ण सीमा के लिए जोखिम मानदंडों के कार्यान्वयन के अतिरिक्त भारत सरकार से पर्याप्त पुनर्बीमा/सहायता प्राप्त करने के लिए तत्पर है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी) कम्पनी के कारोबार के जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित करने वाली विवेकपूर्ण सीमा एवं विकासों के लिए जोखिम मानदंडों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करती है। कम्पनी द्वारा एक निवेश पोर्टफोलियो बनाया गया है जिसमें शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों की

I. Unity Infraprojects Ltd.

- As per the order issued by Hon'ble Justice (Retd.) Shri V.C. Daga, Sole Arbitrator on July 07, 2015, the Company invoked Performance Security Bank Guarantee of ₹4,40,98,369/- issued by ICICI Bank. ICICI Bank remitted ₹4,40,98,369/- to us on July 14, 2015. The Company has also forfeited the Earnest Money & Security Deposit totaling to ₹ 50 lakh.
- While Unity Infraprojects Limited, Project Contractor have submitted a claim to us to the tune of ₹23,02,81,857/- on June 30, 2015, the Company claimed a compensation of ₹31,63,42,930/-.
- Unity Infraprojects Limited filed for insolvency before the National Company Law Tribunal (NCLT) in June 2017. The NCLT had passed an Order of 'Moratorium'. The last hearing in the arbitration between Unity Infraprojects and the Company before Justice V.C. Daga was held on December 20, 2017. In view of the moratorium imposed by NCLT the arbitration proceeding is currently stayed

II. Update on Information Technology Implementation Program

- During the arbitration proceedings between ECGC and HCL, the evidences on both sides have been completed, and proceedings between ECGC and HCL have reached the stage of final arguments, which were originally scheduled in June and July 2020, now stand postponed to September and October 2020 in view of the recent developments related to Covid-19 pandemic.
- Based on the arbitration award, the Company will make appropriate accounting adjustments, if required, during the relevant FY in which the award is given.

STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The Company is in the export credit risk insurance business and is registered as a non-life insurance company with IRDAI. Aggregation of export credit risks is inherent in the nature of business. The Company has reviewed its Risk Management Policy to establish enterprise-wide information system and regulate the risk profile of the Company, through its internal risk management framework. As part of risk management, the Company endeavours to obtain adequate reinsurance from reinsurers and support from the Government of India in addition to implementing exposure norms for prudential limits in all the lines of business. The Risk Management Committee of Board (RMC) monitors the implementation of exposure norms for prudential limits and developments that affect the risk profile of the business of the Company. The Company manages an

निधियों का विवरण है। निवेश जोखिमों का प्रबंधन विविध उद्योग एवं प्रतिभूतियों में इस प्रकार निवेश के जरिये किया जाता है कि जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेश में अधिकाधिक अर्जन हो एवं नकदी जो-खिम न्यूनतम हो। बोर्ड की निवेश समिति द्वारा इसे मॉनिटर किया जाता है। कम्पनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन (ए एल एम) नीति का पालन किया जाता है मॉनिटर किया जाता है। ए एल एम स्थिति की सूचना तिमाही आधार पर बोर्ड की आर एम् सी को रिपोर्ट की जाती है। कम्पनी ने बाहरी परामर्शदाताओं की सहायता से इसे और अधिक गतिशील बनाने के लिए इसके जोखिम प्रबंधन कार्यों में सुधार करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की है।

कंपनी के निगमित सामाजिक दायित्व उद्यम पर बनी पॉलिसी और उसके कार्यान्वयन का विवरण:

कृपया अनुबंध V देखें

कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा किए गए निवेश का ब्यौरा

शून्य

संबन्धित पक्ष के साथ किए गए समझौते अथवा संविदा का ब्यौरा

सामान्य रूप से कारोबार में उचित दूरी के आधार पर की गयी संविदाओं अथवा समझौते अथवा अंतरण के विवरण :

एनईआईए ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा स्थापित एक पब्लिक ट्रस्ट है। ईसीजीसी इस ट्रस्ट की देखरेख करता है। कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) इस ट्रस्ट के प्रबंधन ट्रस्टी तथा अप्रति इसकी अध्यक्ष हैं। ईसीजीसी प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए 5% प्रीमियम आय का हकदार है। ईसीजीसी वर्ष 2006 से इस ट्रस्ट का प्रबंधन कर रहा है।

निदेशक का दायित्व वक्तव्य

कंपनी एक्ट, 2013 की धारा(5) 134 के अनुसार निदेशकगण निदेशक के दायित्व वक्तव्य का समर्थन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि-

- (क) कंपनी ने आवश्यक तथ्यों से विचलन, यदि कोई हो तो, पर उचित स्पष्टीकरणों के साथ वार्षिक लेखा विवरण तैयार करते समय उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का प्रयोग किया है;
- (ख) दिनांक 31 मार्च, 2020 तक कम्पनी के कार्यों को सही एवं उचित रूप से प्रस्तुत एवं दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ को करने के लिए निदेशकों ने उचित लेखा नीतियों का चयन किया है एवं उन्हें नियमित रूप से लागू किया है तथा तार्किक और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय एवं अनुमान किये हैं;
- (ग) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी कि परिसंपत्तियों के बचाव तथा किसी तरह के धोखे अथवा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, लेखांकन रिकॉर्ड को तैयार करने में निदेशको ने यथेष्ट तथा पर्याप्त सावधानी बरती है

investment portfolio that comprises of shareholders' and policyholders' funds. The investment risks are managed by investing across industry and securities, in such a way that ensures liquidity risks are minimized with optimum return on the investment. It is monitored by the Investment Committee of the Board. The Company also follows the Board approved Asset Liability Management (ALM) policy. The ALM position is reported to the RMC of the Board on a quarterly basis. The Company has initiated action to improve its risk management functions further to make it dynamic with the help of external consultants.

DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES Please Refer Annexure V.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Nil

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES

Details of contracts or arrangements or transactions at arm's length basis in the ordinary course of business:

The NEIA Trust is a Public Trust formed by Government of India. ECGC is administering the Trust. CMD is the Chairman of the Trust and Executive Director (Policy Matters) is the Managing Trustee. ECGC is entitled to 5% of premium income to meet administrative expenditure. ECGC has been managing the Trust since 2006.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors subscribe to the Directors' Responsibility Statement and confirm that –

- (a) the Company had, in the preparation of the annual accounts, followed the applicable accounting standards along with the proper explanations relating to material departures, if any;
- (b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2020 and of the profit of the Company for the FY ended March 31, 2020;
- (c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities;

- (घ) निदेशकों ने वित्तीय वर्ष, जो कि 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ, के लिए लेखांकन लाभकारी कारोबार वाले संस्थानक आधार पर किया;
- (ङ) निदेशकों ने कंपनी के अनुपालन हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्धारण किया है जो कि यथोचित है और प्रभावी रूप से काम कर रहा है; तथा,
- (च) निदेशकों ने सभी संगत कानूनों के अनुपालन हेतु एक समुचित तंत्र कि रचना की है तथा यह तंत्र यथोचित है और प्रभावी रूप से काम कर रहा है।

अभिस्वीकृति

निदेशक मण्डल अभिलिखित रूप से, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग तथा वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, बाह्य मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिज़र्व बैंक, नीति आयोग और विभिन्न देशों में स्थित भारतीय उच्चायोग कार्यालय का, कंपनी के सतत् सहयोग और मार्गदर्शन हेतु तथा कंपनी के मामलों और विकास में विशेष रुचि दिखने के लिये आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण निर्यातकों, बैंकों और पुनर्बीमा कंपनियों के भी आभारी हैं जिन्होंने कंपनी पर अपना सतत् विश्वास बनाए रखा। निदेशकगण रेटिंग एजेंसियों और ऋण वसूलीकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने क्रमशः कंपनी के बीमांकन तथा वसूली के कार्य में कंपनी की सहायता की। साथ ही निदेशकगण एफआईआईओ, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, औद्योगिक संस्थानों, व्यापार मंडलों, व्यापारिक संस्थाओं तथा बीमा ब्रोकरों के प्रति उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक गण अभिलिखित रूप में, लेखापरीक्षकों को समय समय पर उनके द्वारा दी गयी सलाहों और समर्थन के लिए, धन्यवाद देते हैं। निदेशकगण सभी कर्मचारी तथा अधिकारियों के भी आभारी हैं जिन्होंने सतत् निष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और कंपनी को इसके व्यापार में अग्रणी स्थान पर बने रहने के लिए सक्षम बनाया।

कृते निदेशक मण्डल एवं उनकी ओर से

एम सेंथिलनाथन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN 07376766

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 21 अगस्त, 2020

- (d) the Directors had prepared the accounts for the FY ended March 31, 2020, on a 'going concern' basis;
- (e) the Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and
- (f) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its gratitude to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry; Department of Economic Affairs, Department of Expenditure and Department of Financial Services, Ministry of Finance; Ministry of External Affairs, Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy and Public Industries, Government of India; Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI); The Comptroller & Auditor General of India; Reserve Bank of India, NITI Aayog and offices of the Indian High Commissions and Embassies in various countries, for their continued support and guidance to the Company and the keen interest exhibited in the affairs and growth of the Company. The Directors are grateful to exporters, banks and reinsurers for their continued trust reposed in the Company. The Directors thank the rating agencies & debt collection agents who have contributed to the Company's underwriting and recovery efforts respectively. The Directors also, thankfully place on record, the feedback and support received from the FIEO, various Export Promotion Councils, Industrial Organisations, Chambers of Commerce, Trade Organisations and Insurance Brokers. The Directors place on record, their thanks for the valuable advice and support received from time-to-time, from the Auditors. The Directors express their deep sense of appreciation to all the officers and staff who continue to display outstanding dedication and commitment, enabling the Company to retain market leadership in its business operations.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
M. Senthilnathan
Chairman-cum-Managing Director
DIN 07376766

Place: Mumbai
Date: August 21, 2020

फॉर्म सं एम् जी टी 9
वार्षिक विवरणी का सारांश

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

कम्पनी अधिनियम 2013 एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुकरण में

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

- i) सी आई एन : U74999MH1957GOI010918
- ii) पंजीकरण की तारीख : 30.07.1957
- iii) कम्पनी का नाम : ईसीजीसी लिमिटेड
- iv) कम्पनी की श्रेणी/उपश्रेणी: सरकारी कम्पनी/पब्लिक लिमिटेड
- v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण: 10 वीं मंजिल, एक्सप्रेस टॉवर्स नरीमन पॉइंट मुंबई - 400 021.
- vi) क्या सूचीबद्ध है हाँ/नहीं : नहीं
- vii) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हो तो, का नाम व पता: लागू नहीं

II. कम्पनी की मुख्य कारोबार गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं	मुख्य उत्पादों एवं सेवाओं के नाम व विवरण	उत्पाद व सेवा की एन आई सी कोड	कम्पनी के कुल पण्यवर्त का %
1	गैर जीवन बीमा	65120	100%

III. अनुषंगी एवं सहयोगी कंपनियों की धारिता का विवरण

क्रम सं	कम्पनी का नाम व पता	सी आई एन/जी एल एन	अनुषंगी/सहयोगी कम्पनी की धारिता	धारित शेयरों का प्रतिशत % of shares held	लागू धारा
1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IV. शेयर धारिता पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी का विश्लेषण)

Form No. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN

as on the financial year ended on March 31, 2020

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

- i) CIN: U74999MH1957GOI010918
- ii) Registration Date: 30.07.1957
- iii) Name of the Company: ECGC Limited
- iv) Category/Sub-Category of the Company: Government Company/Public Limited
- v) Address of the Registered office and contact details: 10th Floor, Express Towers, Nariman Point, Mumbai - 400021.
- vi) Whether listed Company Yes / No: No
- vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any: N.A

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the Business activities contributing 10% or more of the total turnover of the Company are:-

Sr. No.	Name & Description of main products/ services	NIC Code of the Product / service	% to total turnover of the Company
1	NON-LIFE INSURANCE	65120	100%

III. Particulars of holding, subsidiary and associate Companies

Sr. No.	Name and Address of The Company	CIN/ GLN	Holding/ Subsidiary / Associate	% of shares held	Applicable section
1	NA	NA	NA	NA	NA

IV. Shareholding pattern (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Shareholding

श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरम्भ में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the end of the year				
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	वर्ष के दौरान परिवर्तन का % % Change during the year
क. प्रवर्तक (1) भारतीय A. Promoters (1) Indian	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
क) व्यक्ति/हिं अ प a) Individual/ HUF	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
क) केंद्र सरकार b) Central Govt. I) भारत के राष्ट्रपति I) President of India II) भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत II) Nominee of the President of India	लागू नहीं NA	199999992	199999992	100	लागू नहीं NA	249999992	249999992	100	0
ग) राज्य सरकार(रें) c) State Govt(s)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
घ) निगमित निकाय d) Bodies Corp.	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
च) बैंक/वि सं e) Banks / FI	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
छ) कोई अन्य f) Any Other	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
उप-योग (क) (1) :- Sub-total (A) (1):-	लागू नहीं NA	200000000	200000000	100	NA	250000000	250000000	100	
(2) विदेशी (2) Foreign									
क) अप्रभा-व्यक्ति a) NRIs - Individuals	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ख) अन्य व्यक्ति b) Other Individuals	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरम्भ में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the end of the year				
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	वर्ष के दौरान परिवर्तन का % % Change during the year
ग) निगमित निकाय c) Bodies Corp.	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
घ) बैंक/वि सं d) Banks / FI	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
छ) कोई अन्य e) Any Other	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
उप-योग (क) (2) :- Sub-total (A) (2):-	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता = (क)(1)+(क)(2) Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	NA	200000000	200000000	100	NA	250000000	250000000	100	0
ख. सार्वजनिक शेयर धारण B. Public Shareholding									
1. संस्थान 1. Institutions	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
क) म्यूचुअल फंड a) Mutual Funds	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान b) Banks / FI	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ग) केंद्र सरकार c) Central Govt	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
घ) राज्य सरकार (रें) d) State Govt(s)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ड) वेंचर कैपिटल फंड e) Venture Capital Funds	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरम्भ में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the end of the year				
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	वर्ष के दौरान परिवर्तन का % % Change during the year
च) बीमा कम्पनियाँ f) Insurance Companies	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
छ) विदेशी संस्थागत निवेशक g) FIIs	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड h) Foreign Venture Capital Funds	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
झ) अन्य (स्पष्ट करें) i) Others (specify)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
उप योग (ख) 1):- Sub-total (B) (1):-	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
2. गैर संस्थान 2. Non-Institutions	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
क) निगमित निकाय a) Bodies Corp.	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
i) भारतीय i) Indian	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ii) विदेशी ii) Overseas	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ख) एकल b) Individuals	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
i) 1 लाख तक के सांकेतिक शेयर पूँजी तक की व्यक्तिगत शेयर धारकों की शेयरधारिता i) Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹1 lakh	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के आरम्भ में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं No. of Shares held at the end of the year				
	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमैट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	वर्ष के दौरान परिवर्तन का % % Change during the year
ii) ₹1 लाख से अधिक की सांकेतिक शेयर पूँजी के शेयर धारिता के शेयर धारक ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ग) अन्य (स्पष्ट करें) उप कुल (ख) (2):- c) Others (specify) Sub-total (B) (2):-	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1)+ (ख) (2) Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B) (2)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
ग. संरक्षकों द्वारा धारित जी डी आर एवं ए डी आर C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
कुल योग (क+ख+ग) Grand Total (A+B+C)	NA	200000000	200000000	100	NA	250000000	250000000	100	0

ii) प्रवर्तकों की शेयर धारिता

ii) Shareholding of Promoters

क्र सं Sr. No.	शेयरधारक का नाम Shareholder's Name	वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में शेयरधारिता Shareholding at the end of the year			
		शेयरों की सं No. of Shares	कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the Company	गिरवी रखे गए / भारत शेयरों का कुल % % of Shares Pledged / encumbered to total shares	शेयरों की सं No. of Shares	कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the Company	कुल शेयरों की तुलना में गिरवी रखे गए / भारत शेयरों का % % of Shares Pledged / encumbered to total shares	वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का % % change In shareholding during the year
1.	भारत के राष्ट्रपति President of India	199999992			249999992			
2.	राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत Nominees of the Presi- dent of India	8	100	0	8	100	0	0
	कुल Total	200000000	100	0	250000000	100	0	0

iii) प्रवर्तकों के शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन न हो तो)

iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

क्र सं Sr. No.		वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के शेयरों का कुल % % of total shares of the Company	शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के शेयरों का कुल % % of total shares of the Company
1.	वर्ष के आरम्भ में At the beginning of the year	200000000	100	200000000	100
2.	प्रवर्तकों के शेयर धारण पद्धति में वर्ष के दौरान तारीख वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण स्पष्ट करें (उदा आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) : Date wise Increase/Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc.):			दिनांक 07/08/2019 एवं 29/10/2019 को आबंटित क्रमशः 3,89,17,000 एवं 1,10,83,000 अतिरिक्त शेयर्स Additional Shares of 3,89,17,000 and 1,10,83,000 allotted on 07/08/2019 and 29/10/2019 respectively	
	वर्ष के अंत में At the end of the year			250000000	100

iv) सर्वप्रमुख दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों एवं जी डी आर एवं ए डी आर धारकों) की शेयरधारण पद्धति :

iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

क्र सं. Sr. No.		वर्ष के आरम्भ में शेयरधारण Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारण Cumulative Shareholding during the year	
	प्रत्येक मुख्य 10 शेयरधारकों के लिए For Each of the Top 10 Shareholders	शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company	शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company
1	वर्ष के आरम्भ में At the beginning of the year	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
2.	वर्ष के दौरान शेयर धारण में तारीख वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी (उदा आबंटन/ अंतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) को स्पष्ट करें Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer/ bonus/ sweat equity etc.):	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
	वर्ष के अंत तक (अथवा विभाजन की तारीख तक, यदि विभाजन वर्ष के दौरान हुआ हो तो) At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

v) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन वर्ग के कार्मिकों की शेयर धारिता

v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

क्र सं. Sr. No.		वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
	प्रत्येक निदेशक एवं प्र प्र व के लिए For Each of the Directors and KMP	शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के शेयरों का कुल % % of total shares of the Company	शेयरों की सं No. of shares	कम्पनी के शेयरों का कुल % % of total shares of the Company
1	वर्ष के आरम्भ में At the beginning of the year	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
2.	वर्ष के दौरान शेयर धारण में तारीख वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी (उदा आबंटन/ अंतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) को स्पष्ट करें Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc.):	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
	वर्ष के अंत तक At the End of the year	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

(श्रीमती गीता मुरलीधर अ प्र नि द्वारा धारित एक शेयर दिनांक 21 अगस्त 2020 को श्री एम सेंथिलनथान को स्थानांतरित किया गया। श्री बिद्युत बिहारी स्वेन, निदेशक द्वारा दो शेयर, एवं श्री राजारमन, निदेशक, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत के रूप में एक शेयर धारित)

(One share held by Smt. Geetha Muralidhar, past CMD, has been transferred to Shri M. Senthilnathan, CMD, on August 21, 2020. Two shares are held by Shri Bidyut Behari Swain, Director and one share by Shri K. Rajaraman, Director as nominees of the President of India.)

V. ऋण ग्रस्तता

भुगतान के लिए अदेय बकाया/उपार्जित ब्याज सहित कम्पनी की ऋण ग्रस्तता

V. Indebtedness

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payments

	जमाओं के अलावा सुरक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	असुरक्षित ऋण Unsecured Loans	जमा Deposits	कुल उधार ग्रस्तता Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ऋण ग्रस्तता Indebtedness at the beginning of the financial year	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
i) मूलधन i) Principal Amount	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
ii) देय परन्तु अदत्त ब्याज ii) Interest due but not paid	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
iii) उपार्जित परन्तु अदेय ब्याज iii) Interest accrued but not due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
कुल योग (i+ii+iii) Total (i+ii+iii)	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • जोड़ें • घटाएं Change in Indebtedness during the financial year • Addition • Reduction	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
निवल परिवर्तन Net Change	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता Indebtedness at the end of the financial year	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil

	जमाओं के अलावा सुरक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	असुरक्षित ऋण Unsecured Loans	जमा Deposits	कुल उधार ग्रस्तता Total Indebtedness
i) मूलधन i) Principal Amount	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
ii) देय परन्तु अदत्त ब्याज ii) Interest due but not paid	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
iii) उपार्जित परन्तु अदेय ब्याज iii) Interest accrued but not due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
कुल योग (i+ii+iii) Total (i+ii+iii)	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की परिलब्धियां

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा प्रबंधक

VI. Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

(₹)

क्र सं Sr. No.	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration	प्र नि / पू का नि / प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/ Manager		कुल राशि Total Amount
		श्रीमती गीता मुरलीधर Smt. Geetha Muralidhar	श्री एम सेंथिलनाथन Shri. M. Senthilnathan	
1.	सकल वेतन (₹) Gross salary (₹)			
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	1,646,763.00	2,639,825.00	42,86,588.00
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का कुल मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	402,634.00	624,956.00	10,27,590.00
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प Stock Option	-	-	-
3.	स्वेट इक्विटी Sweat Equity	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य स्पष्ट करें Commission - as % of profit - others, specify	-	-	-

क्र सं Sr. No.	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration	प्र नि / पू का नि / प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/ Manager		कुल राशि Total Amount
		सुश्री गीता मुरलीधर Smt. Geetha Muralidhar	श्री एम सेंथिलनाथन Shri. M. Senthilnathan	
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें Others, please specify	-	1,04,806.82 (अर्जित छुट्टी का नकदीकरण) (EL Encashment)	1,04,806.82
	कुल (क) Total (A)	2,049,397.00	3,369,587.82	54,18,984.82
	अधिनियम के अनुसार सीमा Ceiling as per the Act	ईसीजीसी पर लागू नहीं क्योंकि यह पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनी है Not applicable to ECGC Limited as it is a wholly- owned Government Company		

ख. अन्य निदेशकों की परिलब्धियां

B. Remuneration to other Directors:

(₹)

क्र सं Sr. No.	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration	निदेशकों के नाम Name of Directors				कुल राशि Total Amount
		श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	श्री मानेक एरुच डावर Shri Maneck Eruch Davar	सुश्री सरनला मालती रानी Smt. Saranala Malathi Rani	श्री प्रशांत कुमार डालमिया Shri Prashant Kumar Dalmia	
1.	बोर्ड / समिति की बैठक में उपस्थित रहने के लिए स्वतंत्र निदेशकों का शुल्क / कमीशन / अन्य , कृपया स्पष्ट करें. Independent Directors Fee for attending board / committee meetings Commission Others, please specify	40,000	90,000	1,15,000	25,000	2,70,000
	कुल योग (1) / Total(1)	40,000	90,000	1,15,000	25,000	2,70,000
2.	बोर्ड / समिति की बैठक में उपस्थित रहने के लिए गैर कार्यपालक निद- शकों का शुल्क / कमीशन / अन्य , कृपया स्पष्ट करें. Other Non-Executive Directors Fee for attending board /committee meetings Commission Others, please specify	-	-	-	-	-
	कुल योग (2) / Total(2)	-	-	-	-	-
	कुल योग (ख)=(1+2) Total(B)=(1+2)	40,000	90,000	1,15,000	25,000	2,70,000
	कुल प्रबंधकीय परिलब्धियां Total Managerial Remuneration	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार सीमा Overall Ceiling as per the Act	ईसीजीसी लिमिटेड पर यह लागू नहीं है क्योंकि यह पूर्ण रूप से भारत सरकार की स्वामित्व वाली कम्पनी है. Not applicable to ECGC Limited as it is a wholly-owned Government Company				

ग. प्र नि / प्रबंधक / पू का नि के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए परिलब्धियां

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager / WTD

₹ में / in ₹

क्र सं Sr. No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration						कुल राशि Total Amount	
		सकल वेतन Gross Salary			स्टॉक विकल्प Stock Option	स्वेट ईक्विटी Sweat Equity	लाभ के % के रूप में कमीशन अन्य Com- mission - as % of profit- other, specify		अन्य, कृपया स्पष्ट करें Others, please specify
		आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के प्रावधानों के अनुसार मूल्य Value of perquisites u/s 17(2) Income- Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभ Profits in lieu of salary u/s 17 (3) Income Tax Act, 1961					अ छू का नकदीकरण/ नियोक्ता का अंशदान एन पी एस, चालू वर्ष EL Encashment/ Employer Contribution- NPS Current Year
1	श्री वी धर्मराजन कार्यपालक निदेशक (परिचालन) (30.06.2019 तक) Shri V. Dharmarajan Executive Director (Operations) upto 30.06.2019	648,962.00	166,026.00				2,432,437.43	3,247,425.43	
2	श्रीमती पद्मावती आर, कार्यपालक निदेशक (परिचालन) (01.07.2019 से) महाप्रबंधक, मुख्य बीमांकन अधिकारी (म व दी अ) 30.06.2019 तक Smt.Padmavathy R. Executive Director (Operations) Since 01.07.2019 General Manager, Chief Underwriting Officer (MLT) upto 30.06.2019	2,548,456.00	613,579.00				108,028.62	3,270,063.62	

क्र सं Sr. No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration						कुल राशि Total Amount	
		सकल वेतन Gross Salary			स्टॉक विकल्प Stock Option	स्वेट ईक्विटी Sweat Equity	लाभ के % के रूप में कमीशन अन्य Commission - as % of profit-other, specify		अन्य, कृपया स्पष्ट करें Others, please specify
		आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के प्रावधानों के अनुसार मूल्य Value of perquisites u/s 17(2) Income- Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभ Profits in lieu of salary u/s 17 (3) Income Tax Act, 1961					अ सू का नकदीकरण/ नियोजित का अंशदान एन पी एस, चालू वर्ष EL Encashment/ Employer Contribution- NPS Current Year
3	श्री सुनील जोशी, महाप्रबंधक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, लेखा परीक्षा प्रमुख Shri Sunil Joshi , General Manager, Chief Vigilance Officer, Chief of Internal Audit	2,484,355.00	615,937.00					99,411.26	3,199,703.26
4	श्री सी एन ए अम्बरसन, महाप्रबंधक, मुख्य बीमांकन अधिकारी (ईसीआईबी अ व) Shri C.N.A Anbarasan General Manager , Chief Underwriting Officer (ECIB-ST)	2,469,695.00	861,176.00						3,330,871.00
5	श्री पी एल ठाकुर महाप्रबंधक मुख्य बीमांकन अधिकारी पॉलिसी अ व Shri P. L. Thakur General Manager, Chief Underwriting Officer-Policy-ST	2,397,656.00	594,351.00					99,013.71	3,091,020.71
6	श्री शिवाजी नार्वेकर, महाप्रबंधक, मुख्य विपणन एवं पारदर्शिता अधिकारी Shri Shivaji Narvekar, General Manager, Chief Marketing Officer and Transparency Officer	2,334,139.00	565,989.00						2,900,128.00

क्र सं Sr. No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration						कुल राशि Total Amount	
		सकल वेतन Gross Salary			स्टॉक विकल्प Stock Option	स्वेट ईक्विटी Sweat Equity	लाभ के % के रूप में कमीशन अन्य Com- mission - as % of profit- other, specify		अन्य, कृपया स्पष्ट करें Others, please specify
		आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के प्रावधानों के अनुसार मूल्य Value of perquisites u/s 17(2) Income- Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभ Profits in lieu of salary u/s 17 (3) Income Tax Act, 1961					अ छू का नकदीकरण/ नियोक्ता का अंशदान एन पी एस, चालू वर्ष EL Encashment/ Employer Contribution- NPS Current Year
7	श्री ईशनाथ झा, महाप्रबंधक, मुख्य वित्त अधिकारी, दिनांक 08.05.2019 से Shri Ishnath Jha General Manager, Chief Financial Officer Since 08.05.2019	2,175,420.00	536,656.00				87,764.42	2,799,840.42	
8	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ, महाप्रबंधक (मा सं वि) Shri Sristiraj Ambastha, General Manager (HRD)	2,110,053.00	822,970.00					2,933,023.00	
9	श्री निर्दोष चोपड़ा, मुख्य जोखिम अधिकारी, 02.05.2019 से Shri Nirdosh Chopra Chief Risk Officer Since 02.05.2019	2,199,306.00	598,521.00				90,576.52	2,888,403.52	
10	श्रीमती स्मिता वी पंडित, मुख्य अनुपालन अधिकारी Smt. Smita V. Pandit, Chief Compliance Officer	2,167,086.00	533,171.00				85,363.90	2,785,620.90	
11	श्री आर के पांडियन, मुख्य निवेश अधिकारी, 26.11.2019 तक Shri R. K. Pandian Chief Investment Officer upto 26.11.2019	1,976,097.00	840,199.00					2,816,296.00	

क्र सं Sr. No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel	परिलब्धियों के विवरण Particulars of Remuneration						कुल राशि Total Amount	
		सकल वेतन Gross Salary			स्टॉक विकल्प Stock Option	स्वेट ईक्विटी Sweat Equity	लाभ के % के रूप में कमीशन अन्य Com- mission - as % of profit- other, specify		अन्य, कृपया स्पष्ट करें Others, please specify
		आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के प्रावधानों के अनुसार मूल्य Value of perquisites u/s 17(2) Income- Tax Act, 1961	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभ Profits in lieu of salary u/s 17 (3) Income Tax Act, 1961					अ छू का नकदीकरण/ नियोक्ता का अंशदान एन पी एस, चालू वर्ष EL Encashment/ Employer Contribution- NPS Current Year
12	श्रीमती अर्पिता सेन, मुख्य निवेश अधिकारी, 26.11.2019 से Smt. Arpita Sen Chief Investment Officer since 26.11.2019	1,923,244.00	561,913.00					2,485,157.00	
13	श्रीमती योगिता अरोरा, 16.04.2019 तक Smt. Yogita Arora upto 16.04.2019	2,51,733.00						2,51,733.00	
14	श्रीमती प्रिसिला सिन्हा, नियुक्त बिमांकित Smt. Priscilla Sinha, Appointed Actuary	7,752,234.00						7,752,234.00	
15	श्री राजीव मानवी, महाप्रबंधक, मुख्य वित्तीय अधिकारी 30.04.2019 तक Shri Rajiv P. Manavi, General Manager, Chief Financial Officer upto 30.04.2019	185,844.00	72,865.00				1,914,169.20	2,172,878.20	
16	श्री सुबीर कुमार दास, महाप्रबंधक, मुख्य बीमांकन अधिकारी (म व दी अ) दिनांक 01.07.2019 से Shri Subir Kumar Das General Manager, Chief Underwriting Officer (MLT) Since 01.07.2019	2,096,727.00	578,600.00				80,888.28	2,756,215.28	

नोट:- सकल वेतन एवं परिलब्धियों को पूर्ण वर्ष के लिए दर्शाया गया है भले ही अधिकारी वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ समय के लिए ही मु प्र का के रूप में रहा हो.

Note: Gross Salary and perquisites have been given for full year though the officer may be a KMP for part of the financial year.

VII. अपराधों की भरपाई के लिए जुर्माना / दंड

VII. Penalties/ Punishment/ Compounding of offences

प्रकार Type	कम्पनी अधिनियम की धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	लगाए गए शुल्क की भरपाई में लगाया गया जुर्माना/दंड Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	प्राधिकारी (आर डी/एन सी एल टी /न्यायलय) Authority [RD / NCLT/ COURT]	किये गए अपील , यदि कोई हो तो (विवरण दें) Appeal made, if any (give details)
जुर्माना Penalty	-	-	-	-	-
दंड Punishment	-	-	-	-	-
समग्र Compounding	-	-	-	-	-
चूकधीन अन्य अधिकारी / Other officers in default					
जुर्माना Penalty	-	-	-	-	-
दंड Punishment	-	-	-	-	-
समग्र Compounding	-	-	-	-	-

कृते निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
एम सेंथिलनाथन
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
M. Senthilnathan
Chairman-cum-Managing Director
DIN 07376766

स्थान : मुंबई
दिनांक : 21 अगस्त 2020
Place : Mumbai
Date : August 21, 2020

कंपनी शासन पर ईसीजीसी का दर्शन

कंपनी सम्प्रेषण में पारदर्शिता व ईमानदारी रखते हुए सभी हित धारकों के लिए पूर्ण, सही व स्पष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए संगत तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं कंपनी शासन की श्रेष्ठ पद्धतियों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है।

कंपनी स्वयं को अपने हितधारकों का ट्रस्टी मानती है और हितधारकों की संपत्ति के सृजन, उनकी सुरक्षा तथा हितों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम कंपनी नीतियों, विशिष्ट कारोबार योजनाओं, हमीदारी पॉलिसी/प्रक्रियाओं, विवेकशील जोखिम प्रबंधन, पॉलिसियों/प्रथाओं व लेखा पॉलिसियों को बनाते एवं कार्यान्वित करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रही है। सभी पॉलिसियाँ/प्रक्रियाएँ वैधानिक व नीतिगत दायित्वों का पालन करते हुए बनाई गई है।

निदेशक मण्डल

निदेशक मण्डल रणनीतियाँ व पॉलिसी बनाते हैं व समय समय पर कंपनी के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कंपनी के संघ के अनुच्छेद 63 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 57 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 57 व 63 निदेशक मण्डल में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (जहां अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है), एक कार्यपालक निदेशक/कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/कार्यपालक निदेशक (परिचालन)/वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक व तीन से अधिक तथा तेरह से कम अन्य निदेशक जो कि भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय आयात-निर्यात बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, निर्यात संवर्धन परिषद व निर्यात से जुड़े व्यक्ति शामिल होते हैं। सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान स्थिति के अनुसार अंशकालिक निदेशकों के लिए कुल तेरह में से छः पद रिक्त हैं। उक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

निदेशक मण्डल में कार्यपालक/कार्यकारी निदेशकों एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का अनुकूलतम समायोजन है। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने (अंशकालिक गैर सरकारी गैर कार्यकारी निदेशक यथा डी पी ई के निर्देशानुसार अनौपचारिक निदेशक) बोर्ड के सामने यह प्रकटन प्रस्तुत किया है कि वे कंपनी 2013 के नियमों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं।

ECGC'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company ensures transparency and integrity in communication and makes complete, accurate and precise information available to all its stakeholders. The Company is committed to and is continuously striving to ensure compliance with international standards and best practices of Corporate Governance, as relevant to the Government of India-owned entities.

The Company considers itself as a Trustee of its stakeholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding the stakeholders' wealth and interests. During the year under review, the Company continued its pursuit of achieving its objectives through formulation and execution of corporate strategies, specific business plans, underwriting policies/procedures, prudent risk management policies/practices and accounting policies. All policies/procedures are framed conforming to legal and ethical responsibilities.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors formulates strategies, policies and reviews the performance of the Company periodically. The composition of the Board of Directors of the Company is governed by Article 57 read with Article 63 of the Articles of Association of the Company. Articles 57 and 63 provide that the Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director or a Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), an Executive Director/ Executive Director (Policy Matters)/ Executive Director (Operations)/ Senior-most Executive Director and not less than three and not more than thirteen other directors representing the Government of India, Reserve Bank of India, Export Import Bank of India, General Insurance Corporation of India, Public Sector Banks, Federation of Indian Export Organizations, Export Promotion Councils and individuals connected with exports. The Company being a Government Company, the appointment of Directors are being done by the Government of India. As of date, six of the thirteen positions for Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies has already been initiated.

The Board of Directors has an optimum combination of Executive/ Functional Directors and Non-Executive Directors. The Independent Directors (Non-Executive Part-Time Non-Government Directors i.e. Non-Official Directors as per the DPE Guidelines) have submitted their

बोर्ड द्वारा अनुमोदित संबन्धित पक्ष अंतरण (आरपीटी) यह सुनिश्चित करती है कि सामान्य एवं साधारण व्यापार में किए जाने वाले सभी संबन्धित पक्ष अंतरण लेखा समिति एवं/अथवा बोर्ड की सूचना/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। बोर्ड के सदस्य एवं मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों (केएमपी) द्वारा किसी भी संविदा में, जिससे वह संबन्धित हैं, अपने रुझान का प्रकटन आवश्यक है।

बोर्ड द्वारा समय समय पर जोखिम प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन से संबन्धित कार्यों का निरीक्षण किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत निदेशक मण्डल में सम्मिलित निदेशकों के नाम उनकी योग्यता, नियुक्ति की तारीख व श्रेणी के आधार पर **सारणी क्रमांक 1** में दिये गए हैं:

disclosure to the Board that they fulfil all the requirements so as to qualify for their appointment as an Independent Director under the provision of the Companies Act, 2013.

The Board approved Related Party Transactions (RPT) Policy of the Company ensures that all related party transactions in the normal and ordinary course of business are brought to the notice/approval of the Audit Committee and/or Board. The Board Members as well as Key Managerial Personnel (KMP) are required to declare their interest in all the contracts in which they are interested.

The Board periodically reviews and takes remedial action to implement the risk management plan.

The names of Directors on the Board during the Financial Year 2019-20 along with their qualification, dates of appointment and categories under which they were appointed, are furnished in **Table 1** below:

सारणी 1 / Table 1

क्र स Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	योग्यता Qualification	निदेशक मण्डल में नियुक्ति की तिथि Date of Appointment on Board	श्रेणी Category
1.	श्री एम सेंथिलनाथन, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड Shri M. Senthilnathan Chairman-cum-Managing Director, ECGC Ltd.	बी एससी, एमबीए B.Sc., MBA	29/04/2020 (दिनांक 30/12/2015 को निदेशक के रूप में नियुक्त तथा दिनांक 01/11/2019 से 28/04/2020 तक अ प्र नि के अतिरिक्त पदभार के रूप में नियुक्ति 29/04/2020 (Appointed as a Director w.e.f. 30/12/2015 and assigned Additional Charge of CMD w.e.f. 01/11/2019 to 28/04/2020)	कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole-Time Director)
2	श्री बिद्युत बिहारी स्वेन, भा प्र से Shri Bidyut Behari Swain, IAS	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कला (राजनैतिक शास्त्र) में परास्नातक एवं इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीस से लोक नीति एवं प्रबंधन Master's Degrees in Arts (Political Studies) from Jawaharlal Nehru University and in Public Policy & Management from the Institute of Social Studies	20/04/2018	गैर कार्यकारी अंशकालिक, सरकारी निदेशक (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GOI)
3	श्री के राजारमन, भा प्र से Shri K. Rajaraman, IAS	बी टेक., म बी ए (वित्त प्रबंधन)। एम ए (अर्थशास्त्र) B.Tech, M.B.A (Fin Mgt.), M.A (Economics)	08/08/2018	गैर कार्यकारी अंशकालिक, सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GOI)

क्र स Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	योग्यता Qualification	निदेशक मण्डल में नियुक्ति की तिथि Date of Appointment on Board	श्रेणी Category
*4	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू, कार्यपालक निदेशक, भा रि बैंक Shri Shirish Chandra Murmu, Executive Director, RBI	एम एस सी, सी ए आई आई बी M.Sc., CAIB	10/01/2020	गैर कार्यकारी अंशकालिक, गैर सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non- Government Director
*5	श्री डेविड पॉल रस्कीना, प्रबंध निदेशक, एक्जिम बैंक Shri David Paul Rasquinha, MD, Exim Bank	व्यापार प्रबंधन में स्नातक Post Graduate in Business Management	22/07/2019	पदेन, गैर कार्यकारी, अंश- कालिक गैर सरकारी निदेशक Ex-Officio Non- Executive Part-Time Non-Government Director
*6	श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष, एस बी आई Shri Rajnish Kumar, Chairman, SBI	एम. एससी. (भौतिकी) M.Sc. (Physics)	29/05/2019	गैर कार्यकारी, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non- Government Director
*7	श्री देवेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, जी आई सी Shri Devesh Srivastava, Chairman, GIC	एम. एससी. (भौतिकी), पी जी डी बी एम M.Sc.(Physics), PGDBM	21/01/2020	पदेन, गैर कार्यकारी, अंशकालिक, गैर सरकारी निदेशक Ex-Officio Non- Executive Part-Time Non-Government Director
*8	श्री शरद कुमार सराफ, अध्यक्ष, एफ आई ई ओ Shri Sharad Kumar Saraf, President, FIEO	आई आई टी बॉम्बे से इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी B.Tech in Electronics Engineering from IIT Bombay	22/07/2019	पदेन, गैर कार्यकारी, अंश कालिक, गैर सरकारी निदेशक Ex-Officio Non- Executive Part-Time Non-Government Director
*9	श्री गणेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष एफ आई ई ओ Shri Ganesh Kumar Gupta, President, FIEO	इंटर विज्ञान Inter Science	01/05/2017 (दिनांक 27/06/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 01/05/2017 (Ceased to be a Director w.e.f. 27/06/2019)	पदेन, गैर कार्यकारी, अंश कालिक, गैर सरकारी निदेशक Ex-Officio Non- Executive Part- Time Non- Government Director
*10	श्रीमती एलिस जी.वैधन, अ प्र नि, जी आई सी Smt. Alice G. Vaidyan, CMD, GIC	एम. ए. (अंग्रेज़ी साहित्य), एफ आई आई आई M.A. (Engl. Lit.), FIII	08/02/2016 (दिनांक 31/07/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 08/02/2016 (Ceased to be a Director w.e.f. 31/07/2019)	पदेन, गैर कार्यकारी, अंश कालिक, गैर सरकारी निदेशक Ex-Officio Non- Executive Part- Time Non- Government Director

क्र स Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	योग्यता Qualification	निदेशक मण्डल में नियुक्ति की तिथि Date of Appointment on Board	श्रेणी Category
*11	श्री प्रशांत कुमार डालमिया, में. पी सी एस एंड एसोसिएट्स में भागीदार Shri Prashant Kumar Dalmia, Partner M/s PCS & Associates	बी कॉम, एफ सी ए B.Com., FCA	24/07/2019 (दिनांक 16/09/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 24/07/2019 (Ceased to be a Director w.e.f. 16/09/2019)	गैर कार्यकारी, अंशकालिक, गैर सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
12	श्रीमती गीता मुरलीधर, अ प्र नि, ईसीजीसी लिमिटेड Smt. Geetha Muralidhar, CMD, ECGC Ltd.	बीएससी, एम. कॉम (बैंकिंग तथा बीमा), मानव संसाधन प्रबंधन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिचालन में पीजी डिप्लोमा B. Sc., M.Com. (Banking and Insurance), PG Diploma in Human Resource Management and International Business Operations	23/06/2015 (दिनांक 31/10/2019 को निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 23/06/2015 (Ceased to be CMD and Director w.e.f. 31/10/2019)	कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole-Time Director)
*13	श्रीमती उमा शंकर, कार्यपालक निदेशक, आर बी आई Smt. Uma Shankar, ED, RBI	एम ए, सी ए आई आई बी MA, CAIIB	03/10/2018 (दिनांक 31/10/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 03/10/2018 (Ceased to be a Director w.e.f. 31/10/2019)	गैर कार्यकारी, अंशकालिक, गैर सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*14	श्री मानेक एरुच डार, अ प्र नि, स्पेन्टा मल्टीमीडिया प्रा. लि. Shri Maneck Eruch Davar, CMD, Spenta Multimedia Pvt. Ltd.	बी ए (ऑनर्स) B.A. (Hons)	30/01/2017 (दिनांक 29/01/2020 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 30/01/2017 (Ceased to be a Director w.e.f. 29/01/2020)	गैर कार्यकारी, अंशकालिक, गैर सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*15	श्रीमती सरनला मालती रानी Smt. Saranala Malathi Rani	बी एससी. (बी जेड सी), बी एल (बैचलर ऑफ लॉ), आई आर पी एम B.Sc.(BZC), B.L.(Bachelor of Law), IRPM	16/02/2017 (दिनांक 29/01/2020 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 16/02/2017 (Ceased to be a Director w.e.f. 29/01/2020)	गैर कार्यकारी, अंशकालिक, गैर सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director

* गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

* Non-Official (Independent) Directors

नए निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

1. श्री एम. सेंथिलनाथन

श्री एम. सेंथिलनाथन दिनांक 29/04/2020 से कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक है। अ प्र नि का पद ग्रहण से पूर्व वे कंपनी में कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) रहे हैं। इसके साथ ही भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के अध्यक्ष ट्रस्टी के पद पर कार्यरत हैं। वह नवंबर 2019 से भारतीय निर्यात आयात बैंक के बोर्ड में निदेशक मण्डल में शामिल हैं। वह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत एक बहु-पार्श्व इकाई अफ्रीकी व्यापार बीमा एजेंसी (TI) के निदेशक मंडल में नामांकित निदेशक हैं।

BRIEF DESCRIPTION OF NEW DIRECTORS:-

1. Shri M. Senthilnathan –

Shri M. Senthilnathan is the Chairman-cum-Managing Director (CMD) of the Company since April 29, 2020. Prior to his elevation as CMD, he was the Executive Director (Policy Matters) of the Company. He is also the Chairman Trustee of the National Export Insurance Account (NEIA) Trust set up by the Government of India to promote project exports from India. He is a Director on the Board of Export Import Bank of India from November, 2019. He is the nominee director on the Board of African Trade Insurance Agency (ATI) a multi-lateral entity registered under the Charter of United Nations.

श्री एम सेंथिलनाथन ने 1988 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कंपनी में कार्यग्रहण किया व उसके पश्चात कंपनी के परिचालन व विभिन्न कंपनी कार्यों में कार्य किया। उन्होने कंपनी की इंदौर शाखा एवं उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यालय प्रमुख का कार्यभार संभाला एवं उन्होने प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों जैसे कि पॉलिसी योजना, वित्त एवं लेखा, पुनर्बीमा, जोखिम प्रबंधन, ईसीआईबी एवं सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य किया। वर्ष 2006-07 के दौरान उन्होने अंतर अरब निवेश गारंटी कंपनी, जो कि कुवैत की एक बहु-पार्श्व निर्यात बीमा एजेंसी है, में परामर्शदाता के रूप में कार्य किया है।

उन्होंने व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। वह कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वक्ता रहें हैं। वह बर्न यूनिवर्सिटी के प्रबंधन के सदस्य हैं (निवेश एवं बीमाकर्ता का अंतर्राष्ट्रीय संघ)

वह 30 दिसंबर 2015 को कंपनी के बोर्ड में एक कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) के रूप में शामिल हुए।

2. श्री रजनीश कुमार

श्री रजनीश कुमार दिनांक 07/10/2017 से एस बी आई के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष पद ग्रहण करने से पूर्व श्री कुमार भारतीय स्टेट बैंक में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह (एनबीजी) में प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

उन्होंने एसबीआई में प्रबंध निदेशक बनने से पहले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (भारतीय स्टेट बैंक के मर्चेन्ट बैंकिंग शाखा) का नेतृत्व किया है। एक्जिम बैंक, राष्ट्रीय बीमा गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, के वाई सी के निदेशक मण्डल में निदेशक के अतिरिक्त वह एसबीआई की विभिन्न सहयोगी जैसे कि एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड, एसबीआई कार्ड व पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि., एसबीआई साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड, एसबीआई फ़ाइंडेशन इत्यादि के अध्यक्ष हैं। वह आई आई बी एफ़ के शासक परिषद् सदस्य व भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं।

श्री रजनीश कुमार भौतिकी में स्नातकोत्तर हैं एवं 1980 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण करने के पश्चात तीन दशकों से एसबीआई में कार्यरत हैं। उन्होने बैंक के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे मिड-कॉर्पोरेट ग्रुप और प्रोजेक्ट फ़ाइनेंस में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उन्होने एसबीआई के उत्तर पूर्वी भागों के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया है। उन्होने एसबीआई कनाडा और बाद में एसबीआई के यूके परिचालन के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में भी काम किया है। उन्हे बड़े क्रेडिट, परियोजना वित्त, विदेशी विनिमय तथा खुदरा बैंकिंग संभालने में बड़ा अनुभव है।

वह 29 मई, 2019 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुए।

3. श्री डेविड पॉल रस्कीना

श्री डेविड पॉल रस्कीना भारतीय निर्यात-आयात बैंक में प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2014 में एक्जिम बैंक के मण्डल में उप प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए थे तथा 2017 में प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए। श्री डेविड ने वर्ष

Shri M. Senthilnathan joined the Company as a Probationary Officer in 1988, and since then has had a wide ranging exposure in all operational and corporate functions of the Company. He has headed the Indore Branch and Northern Regional Office of the Company. He has also headed various departments at the Head Office viz. Policy Planning, Finance & Accounts, Reinsurance, Risk Management, ECIB and Information Technology. During 2006-07, he served as a Consultant for Inter-Arab Investment Guarantee Company, a multi-lateral export credit agency in Kuwait.

He holds a Master's degree in Business Administration. He has been a speaker at many international conferences. He is a member of the Management of committee of the Berne Union (The International Union of Credit & Investment Insurers).

He joined as a Functional Director (Whole-Time Director) on the Board of the Company on December 30, 2015.

2. Shri Rajnish Kumar-

Shri Rajnish Kumar, is the Chairman of State Bank of India since October 07, 2017. Prior to his elevation as Chairman, Shri Kumar was the Managing Director of the National Banking Group (NBG) at State Bank of India. He has headed SBI Capital Markets Limited (the Merchant Banking arm of State Bank of India) as Managing Director & Chief Executive Officer, prior to becoming MD in SBI. He is also the Chairman of SBI's subsidiaries viz., SBI Life Insurance Co. Ltd., SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd., SBI General Insurance Co Ltd., SBI Foundation etc., besides being a director on the Board of EXIM Bank, National Credit Guarantee Trustee Co. Ltd., KVIC, etc. He is a Governing Council Member of the IIBF and Chairman of the Indian Bank's Association.

Shri Rajnish Kumar is a post-graduate in Physics and has been with SBI for over three decades, having joined the Bank as a Probationary Officer in 1980. He has held several key positions across various business verticals of the Bank like Mid-Corporate Group and Project Finance. He has also served as the Chief General Manager of North Eastern Circle of SBI. He has also served in SBI Canada and later as Regional Head of SBI's UK Operations. He has vast experience in handling Large Credit, Project Finance, Foreign Exchange and Retail Banking.

He joined as a Director on the Board of the Company on May 29, 2019.

3. Shri David Paul Rasquinha-

Shri David Rasquinha is the Managing Director and Chief Executive Officer of the Export-Import Bank of India. In 2014, he was appointed on the Board of the Exim Bank as the Deputy Managing Director, and moved up as the Managing Director in 2017. Shri David joined

1984-85 में एक्जिम बैंक में कार्य ग्रहण किया था व उसके पश्चात निर्यात बीमा के कई क्षेत्रों में कार्य का अनुभव प्राप्त किया जैसे कि राज्य कोष, बहुपक्षीय एजेंसी वित्त पोषित परियोजनाएं, योजना और अनुसंधान, जोखिम प्रबंधन, वित्त व्यापार, परियोजना वित्त तथा परियोजना निर्यात आदि। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सॉफ्टवेयर इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी वित्त, निर्यातकों के लिए सुविधा उपायों आदि के लिए स्थापित कई कार्य समूहों में एक सदस्य के रूप में कार्य किया है। 1999-2004 के दौरान, उन्होंने बैंक के वाशिंगटन डीसी प्रतिनिधि कार्यालय में निवासी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया।

श्री डेविड ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में अर्थशास्त्र में स्नातक किया व उसके पश्चात एक्सएलआरआई, जमशेदपुर से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर किया जहां उन्हें अर्थशास्त्र में गोल्ड मैडल से सम्मानित किया गया। श्री डेविड ने निर्यात वित्त से संबन्धित विभिन्न विषयों पर विभिन्न संस्थाओं जैसे कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकर्स प्रशिक्षण कॉलेज, जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट बैंकिंग तथा साथ ही भारत व अमेरिका के विभिन्न बैंक प्रशिक्षण कॉलेज, अकादमी संस्थान तथा उद्योग निकायों में व्याख्यान दिया है। वह एक्जिम अवार्ड फॉर बिज़नेस एक्सिलेंस, जो कि गुणवत्ता प्रबंधन के लिए यूरोपीय फ़ाउंडेशन की टी क्यू एम मॉडल आधारित गुणवत्ता आधारित अवार्ड है, के ज्यूसी सदस्य हैं। श्री डेविड 4 भारतीय कंपनियों के बोर्ड में निदेशक भी रहे हैं। निर्यात ऋण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनकी अंतर्दृष्टि अक्सर पैनल चर्चा और सेमिनारों में मांगी जाती है।

वे 22 जुलाई 2019 में कंपनी के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप शामिल हुए।

4. श्री शरद कुमार सराफ़

श्री शरद कुमार सराफ़ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गृह टेक्नोक्राफ़्ट इंडस्ट्रीज़ (इंडिया) लिमिटेड, जो कि जो मचान सिस्टम, झ्र क्लोजर, सूती धागे, बुना हुआ कपड़ा और वस्त्र बनाती है, के संस्थापक एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने जर्मनी व अमेरिका में हाई-टेक आईटी पार्क व कार्यालय स्थापित किए। उन्होंने आईआईटी मुंबई से वर्ष 1969 में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बी टेक किया। श्री सराफ वर्तमान में बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, निर्यात इकाइयों का संघ, इंडो-रोमानियाई चैंबर ऑफ कॉमर्स तथा भारतीय निर्यात संगठनों के संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में, वह एनएसईएल निवेशक फोरम के अध्यक्ष हैं। श्री सराफ आईआईटी-बॉम्बे के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य एवं राजस्थानी सम्मेलन के ट्रस्टी के अलावा भारतीय कपास संघ के निदेशक, भारतीय कपड़ा उद्योग परिषद और टेक्सप्रोसिल के प्रबंध समिति के सदस्य हैं। श्री सराफ 17 भारतीय कंपनियों (सार्वजनिक और निजी) के बोर्ड में हैं।

वह 22 जुलाई, 2019 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुए।

the Exim Bank in 1984-85, and since then had a wide ranging exposure to the broad field of export credit, having worked in the areas of Treasury, Multilateral Agency Funded Projects, Planning & Research, Risk Management, Trade Finance, Project Finance and Project Exports. He has served as a member on several Working Groups set up by Reserve Bank of India for working capital finance to software units, facilitation measures for exporters, etc. During 1999-2004, he served as the Resident Representative at the Bank's Washington DC Representative Office.

Shri David secured a first-class graduate degree in Economics from Bombay University and followed it up with a post-graduate qualification in Business Management from the XLRI, Jamshedpur where he was awarded the Gold Medal in Economics. Shri David has lectured on various aspects of export financing at the National Institute of Bank Management, the Reserve Bank of India's Bankers Training College, the Jawaharlal Nehru Institute for Development Banking, as well as various bank training colleges, academic institutions and industry bodies in India and the U.S.A. He is a Member of the National Jury for the CII - Exim Award for Business Excellence, a Total Quality Management Award based on the TQM model of the European Foundation for Quality Management. Shri David had also been a Director on the Boards of four Indian companies. His insights on export credit and the Indian economy are often sought in panel discussions and seminars.

He joined as a Director on the Board of the Company on July 22, 2019.

4. Shri Sharad Kumar Saraf-

Shri Sharad Kumar Saraf, Founder Chairman and Managing Director of Technocraft Industries (India) Ltd., a government-recognized International Trading House, which manufactures Scaffolding systems, drum closures, cotton yarn, knitted fabrics and garments. He established Hi-Tech Park with offices in Germany and USA. He is a B. Tech, 1969, Electronics Engineering, IIT Mumbai. Shri Saraf is serving as the President of the Bombay Textile Research Association, the Confederation of Exporting Units, the Indo-Romanian Chamber of Commerce, and the Federation of Indian Export Organisations. Currently, he is the Chairman of the NSEL Investors Forum. Shri Saraf is a Director of the Cotton Association of India and a Managing Committee Member of the Confederation of Indian Textile Industry, Texprocil apart from a Trustee of Rajasthan Sammelan, and a Member of the Board of Governors of IIT- Bombay. Shri Saraf is on the Board of 17 Indian Companies (Public and Private).

He joined as a Director on the Board of the Company on July 22, 2019.

5. श्री प्रशांत कुमार डालमिया, एफ़सीए

श्री प्रशांत कुमार डालमिया, एफ़सीए पिछले 19 वर्षों से पी सी एस एंड एसोसिएट्स (एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी) में वरिष्ठ सहभागी हैं। वह वर्ष 1995 से चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत हैं। श्री डालमिया को सरकारी और निजी कंपनियों के ऑडिट और कराधान का अनुभव है। उन्हें परियोजना रिपोर्ट तैयार करना व परियोजना का वित्तपोषण का भी अनुभव है।

वह 24 जुलाई, 2019 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुए और 16 सितंबर, 2019 को अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया।

6. श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू

श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू पिछले 28 वर्षों से भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यरत हैं। वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में थे यथा मार्च 2016 से मार्च 2019 तक देना बैंक और अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 तक बैंक ऑफ़ इंडिया।

श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एम एस सी किया और वह भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान से भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट है। वह वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

वह 10 जनवरी, 2020 को कंपनी के बोर्ड में भा रि बै के नामांकित निदेशक के रूप में शामिल हुए।

7. श्री देवेश श्रीवास्तव

श्री देवेश श्रीवास्तव वर्तमान में भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं। उन्होंने जुलाई 1987 में ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में कार्य प्रारम्भ किया था। इसके बाद 1999 में उनकी सेवाओं को जनरल इश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने भारत और विदेशों में विभिन्न पदों पर काम किया। वह सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से भौतिकी में स्नातकोत्तर हैं। बाद में उन्होंने वर्ष 2008 में मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एमडीआई), गुडगांव प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की व स्वर्ण पदक प्राप्त किया। श्री श्रीवास्तव वर्ष 2013 में यू.के., यूरोप, कैरिबियन और तीन लैटिन अमेरिकी देशों यानी अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको के क्षेत्रों की देखरेख करने के लिए लंदन शाखा के प्रमुख नियुक्त किए जाने से पूर्व पुनर्बीमा विभाग में पदासीन थे तथा मोटर, मरीन, लायबिलिटी, ऑयल एंड एनर्जी, एविएशन और विविध की संधि लाइनों को संधि और संकाय प्लेसमेंट के संबंध में संभाल रहे थे तथा आवक व्यवसाय और बाहरी संरक्षण की स्वीकृति का कार्यभार संभाल रहे थे। श्री श्रीवास्तव ने मानव संसाधन और प्रशिक्षण, पुनः बीमा वर्ल्डवाइड, स्वास्थ्य, कॉर्पोरेट संचार, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सचिवालय, नवाचार केंद्र, मंत्रालय और आईआरडीएआई के विभागों को जीआईसी के अप्रनि के रूप में उनके उत्थान से पहले संभाला।

वह 21 जनवरी, 2020 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुए।

5. Shri Prashant Kumar Dalmia, FCA -

Shri Prashant Kumar Dalmia, FCA is a Senior Partner in PCS & Associates (a Chartered Accountant Firm) from last 19 years. He is a Practicing Chartered Accountant since July 1995. Shri Dalmia is having experience of audit and taxation of government and private companies. He has also experience in Project Report Preparation and Project Financing.

He joined as a Director on the Board of the Company on July 24, 2019 and resigned due to his health issue on September 16, 2019.

6. Shri Shirish Chandra Murmu-

Shri Shirish Chandra Murmu has been serving the Reserve Bank of India since last 28 years. He was on the Board of Public Sector Banks i.e. Dena Bank from March 2016 to March 2019 and Bank of India from April 2019 to July 2019.

Shri Shirish Chandra Murmu is an M.Sc. from Jawaharlal Nehru University, New Delhi and is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers from Indian Institute of Banking & Finance. He is currently working as an Executive Director in the Reserve Bank of India.

He joined as a Nominee Director of RBI on the Board of the Company on January 10, 2020.

7. Shri Devesh Srivastava-

Shri Devesh Srivastava is currently the Chairman-cum-Managing Director (CMD) of General Insurance Corporation of India (GIC). He joined Oriental Insurance Co. Ltd. in July 1987. Subsequently in 1999 his services were transferred to General Insurance Corporation of India. He worked in various positions in India and abroad. He is a post-graduate in Physics from St. Stephen's College Delhi. He subsequently obtained a post-graduate degree in Management, majoring in Marketing with a Gold Medal from the Management Development Institute (MDI), Gurgaon in 2008. Shri Srivastava was posted in the Reinsurance Department and was handling the specialty lines of Motor, Marine, Liability, Oil & Energy, Aviation and Miscellaneous in respect of both Treaty and Facultative Placements and Acceptances of Inward business and Outwards protection till he was selected to head the London Branch of GIC in 2013 to oversee the territories of U.K., Europe, Caribbean and the three Latin American Countries i.e. Argentina, Brazil, and Mexico. Shri Srivastava handled the departments of Human Resource & Training, Re-Insurance Worldwide, Health, Corporate Communications, CMDs Secretariat, Innovation Centre, Ministry & IRDAI matters prior to his elevation as CMD of GIC.

He joined as a Director on the Board of the Company on January 21, 2020.

8. श्रीमती पद्मावती आर.

श्रीमती पद्मावती राजशेखरन ने लगभग 38 वर्षों तक ईसीजीसी लिमिटेड में अपनी सेवाएँ दी व कंपनी में कार्यपालक निदेशक का पद प्राप्त किया साथ ही वह ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक मण्डल में निदेशक का पद ग्रहण किया। उन्होंने मुख्य व्यापार में परिचालन व गैर परिचालन में अत्यंत विस्तृत रूप से कार्य किया व मुख्य व्यावसायिक कार्यालय में जाने से पूर्व शाखा प्रबन्धक, क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर कार्य किया। उन्होंने मुख्य व्यावसायिक कार्यालय में मा सं वि, राष्ट्रीय विपणन, निवेश, पॉलिसी योजना, आईआरडीएआई, शिकायत व कंपनी निगमित दायित्व तथा अन्य कई विभागों में प्रतिनिधित्व किया। अपने अनुभव व ज्ञान के आधार पर उन्होंने ईसीजीसी लिमिटेड की ओर से दिनांक 07 जून 2017 से 09 जून 2019 तक निर्यात बीमा के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी समूह का प्रतिनिधित्व किया।

बैंगलूर में वाणिज्य से स्नातक होने के तुरंत पश्चात व वर्ष 1982 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में ईसीजीसी में कार्यग्रहण करने से पूर्व श्रीमती पद्मावती ने वाणिज्यिक बैंक के साथ कार्य किया था।

वह 09 जून, 2020 को कंपनी के बोर्ड में एक कार्यात्मक निदेशक (संपूर्ण-समय निदेशक) के रूप में शामिल हुईं व दिनांक 30 जून, 2020 को उनकी सेवानिवृत्ति पर उनका कार्यकाल समाप्त हुआ।

9. श्री सुनील जोशी

श्री सुनील जोशी कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 15/05/2020 को कार्यपालक निदेशक का पद ग्रहण करने से पूर्व वह ईसीजीसी में मुख्य सतर्कता अधिकारी रहें हैं। वे कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक एवं भारत में परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किए गए राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) के प्रबन्धक न्यासी हैं।

श्री जोशी को निर्यात बीमा में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने वर्ष 1988 में कंपनी में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्य ग्रहण किया था। उन्होंने कंपनी में जयपुर, दिल्ली, परियोजना निर्यात शाखा तथा बैंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने प्रधान कार्यालय में भी विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व किया यथा मानव संसाधन, प्रशिक्षण, देश बीमा, पॉलिसी योजना, आंतरिक लेखा, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि।

उन्होंने भौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। वह कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वक्ता रहें हैं तथा ऋण बीमा व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके कई लेख प्रकाशित हुए हैं।

उन्होंने दिनांक 09 जुलाई 2020 से कंपनी के निदेशक मण्डल में कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) के रूप में पदभार संभाला।

निदेशकों हेतु परिचयक व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

नए निदेशक को उनके आगमन पर स्वागत पत्र के साथ कंपनी अधिनियम 2013 तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा भारतीय बीमा विनियामक एवं

8. Smt. Padmavathy R. –

Smt. Padmavathy Rajasekaran served ECGC Ltd for nearly 38 years that was marked by her rise to the position of the Executive Director in the Company and also her appointment as a Director on the Board of Directors of ECGC Ltd. She acquired wide exposure in the core business operations and non-operational functions and held the positions of Branch Manager and Regional Manager, before moving to the Corporate Office. She was head of HRD, National Marketing, Investment, Policy Planning, IRDA, Grievances, CSR etc., at the Corporate Office. By virtue of her knowledge and experience, she was the appointed representative of ECGC Ltd to the International Working Group on Export Credits for the period from June 07, 2017 to June 09, 2019.

Prior to joining ECGC as a Probationary Officer in 1982, Smt. Padmavathy had had a stint with a commercial bank immediately after her graduation in Commerce, in Bangalore.

She joined as a Functional Director (Whole-Time Director) on the Board of the Company on June 09, 2020 and ceased to be a Functional Director w.e.f. June 30, 2020 on her superannuation.

9. Shri Sunil Joshi-

Shri Sunil Joshi is the Executive Director of ECGC Limited. Prior to taking over as the Executive Director on May 15, 2020, he was the Chief Vigilance Officer of ECGC. He is a Whole-Time Director of the Company and also the Managing Trustee of the National Export Insurance Account (NEIA) Trust set up by the Government of India to promote project exports from India.

Shri Joshi has over three decades of experience in credit insurance. He joined the Company as a Probationary Officer in 1988. He has headed the Jaipur, Delhi and Project Exports Branch Offices and the Bangalore Regional Office of the Company. He has also headed various departments at the Head Office viz. Human Resources, Training, Country Underwriting, Policy Planning, Internal Audit, Information Technology, International Relations etc.

He holds a Master's degree in Physics. He has been a speaker at many international conferences and also published articles on various aspects of credit insurance and international trade.

He joined as a Functional Director (Whole-Time Director) on the Board of the Company on July 09, 2020.

DETAILS OF FAMILIARISATION & TRAINING PROGRAMMES FOR DIRECTORS

At the time of induction of a new Director, a welcome letter is addressed to the new Director along with details of duties and responsibilities required to be performed as a Director in addition to the compliances required

विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों सहित अन्य लागू नियम/ विनियमों के अधीन निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों एवं दायित्वों के विवरण सौंपे जाते हैं।

निदेशक से सभी संगत प्रकटन प्राप्त किए जाते हैं। कंपनी के प्रबंधन द्वारा नए निदेशक को उनके कर्तव्यों एवं दायित्व, शासन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं व कंपनी से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ ही कंपनी के परिचालन, आवश्यक पॉलिसियाँ व कंपनी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों/ विभागों में अपनाई जाने वाली पद्धतियों से अवगत कराया जाता है।

निदेशकों को नियमित रूप से बोर्ड से विभिन्न संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय बीमा संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स व सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा संबंधित प्रथाओं और अभिविन्यास कार्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और प्रायोजित किया जाता है।

कंपनी के निदेशकों के लिए जारी आंतरिक प्रशिक्षण पॉलिसी के अंतर्गत सभी निदेशकों को बोर्ड / समिति की बैठकों के दौरान नियमित रूप से कंपनी शासन व नियमों व विनियमों से अवगत करवाया जाता है।

समय-समय पर विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण की तारीखों पर निदेशकों के व्यस्त कार्यक्रम के कारण वर्ष 2019-20 में निम्न सारणी में दर्शाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त कंपनी द्वारा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका।

क्र. सं.	पद	निदेशकों के नाम	प्राप्त किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी (विषय एवं दिनांक)
1.	गैर कार्यकारी (स्वतंत्र निदेशक)	1. श्री डेविड पॉल रस्कीना, प्रबंध निदेशक, एक्विजि बैंक	दिनांक 20 व 21 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में आईआरडीएआई द्वारा आयोजित बीमा कंपनियों के स्वतंत्र निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम
		2. श्रीमती सरनला मालती रानी, निदेशक	1. दिनांक 02 व 03 अगस्त 2019 को मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा संचालित स्वतंत्र निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम 2. दिनांक 20 व 21 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय बीमा अकादमी में आईआरडीएआई द्वारा आयोजित बीमा कंपनियों के स्वतंत्र निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम

from him/her under the Companies Act, 2013 and other applicable statutes/rules/regulations including the Department of Public Enterprises (DPE) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) applicable Guidelines. Relevant Disclosures are taken from the Director. The Management of the Company familiarises the new Director about the Company, its operations, important policies and processes followed by various sectors/departments of the Company, including their roles and responsibilities, the governance and internal control processes and other relevant important information concerning the Company. Directors are also regularly encouraged and sponsored for attending important training programmes relating to Board-related practices and orientation programmes etc. conducted by various institutes of repute like National Insurance Academy, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE), Indian Institute of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises etc.

All the Directors are regularly updated on the various provisions related to corporate governance and other applicable rules and regulations of the Company during Board/Committee meetings as per the internal training policy for Directors of the Company.

Due to pre-occupation/busy schedule of Directors on the dates of training organised by various Institutions from time-to-time, the Company could not impart training to all the Directors till date except to the following Directors during FY 2019-20 as follows:-

Sr. No.	DESIGNATION	NAME OF THE DIRECTORS	DETAILS OF TRAINING IMPARTED (SUBJECT AND DATE)
1.	Non-Official (Independent Directors)	1. Shri David Paul Rasquinha, Managing Director, Exim Bank	1. Orientation Programme for Independent Directors of Insurance Companies conducted by IRDAI at National Insurance Academy, Pune on 20th and 21st January, 2020.
		2. Smt. Saranala Malathi Rani, Director	1. Orientation Programme for Independent Directors conducted by Indian Institute of Corporate Affairs on 02nd and 03rd August, 2019 at Mumbai. 2. Orientation Programme for Independent Directors of Insurance Companies conducted by IRDAI at National Insurance Academy, Pune on 20th and 21st January, 2020.

वर्ष 2019-20 हेतु निदेशक मण्डल हेतु की गई मीटिंग की जानकारी

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के अनुसार कंपनी के निदेशकों को वर्ष में 4 बार इस प्रकार बैठक करनी होती है कि दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतर ना हो। कंपनी भारत के संस्थान सचिवों द्वारा जारी बोर्ड मीटिंग में सचिवीय मानकों के अनुपालन में सभी निदेशकों को प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए नोटिस, एजेंडा और नोट्स भेजता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 174 के अनुसार यदि निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में बोर्ड/ समिति बैठकों में शामिल हों चाहें तो कंपनी यह सुविधा उपलब्ध करवाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल पाँच बैठकें आयोजित की गईं। सारणी क्रमांक 2 में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित की गई निदेशक मण्डल की बैठकों की जानकारी दर्शाई गई है।

DETAILS OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR FY 2019-20

The Board of Directors is required to meet at least four times every year in such a manner that not more than 120 days shall intervene between two consecutive meetings of the Board, pursuant to the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013. The Company sends notices, agenda and notes to agenda which are exhaustive in nature to all the Directors in compliance with Secretarial Standards on Board Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India. Pursuant to Section 174 of the Companies Act, 2013, the Company provides video conferencing facility to the Directors to enable them to participate in the Board/ Committee meetings if they desire. There were five Meetings held during the FY 2019-20. Details of the meetings of the Board of Directors held during the FY 2019-20 are furnished below in **Table 2:**

सारणी - 2 / Table 2:

क्रम संख्या Sr. No.	बैठक संख्या Meeting Number	बैठक की तारीख Date of the Meeting	बोर्ड संख्या Board Strength	उपस्थित निदेशकों की संख्या No. of Directors present
1.	421	31/05/2019	10	5
2.	422	07/08/2019	11	10
3.	423	26/08/2019	11	6
4.	424	29/10/2019	10	7
5.	425	28/01/2020	10	7

31 मार्च, 2020 (तालिका 3) के अनुसार, बोर्ड बैठक, वार्षिक जनगणना और अन्य दस्तावेजों की संख्या के आधार पर निदेशकों के विवरण का विवरण

DETAILS OF ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THE BOARD MEETINGS, ANNUAL GENERAL MEETING AND THE NUMBER OF OTHER DIRECTORSHIPS HELD BY THEM AS OF MARCH 31, 2020 (Table 3)

सारणी - 3 / Table 3

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों का नाम Name of the Directors	बैठक की संख्या में भाग लिया / कुल सं। उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure	26 अगस्त 2019 को आयोजित 61 वें एजीएम में उपस्थिति Attendance at the 61st AGM held on August 26, 2019	आयोजित अन्य निदेशकों की संख्या * No. of other Directorships held *
1.	श्री एम सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	5/5	हाँ Yes	0
2.	श्री बिद्युत बिहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	3/5	हाँ Yes	0
3.	श्री के राजारमन Shri K. Rajaraman	2/5	नहीं No	1
4.	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मु Shri Shirish Chandra Murmu	0/1	लागू नहीं NA	0
5.	श्री डेविड पॉल रस्कीना Shri David Paul Rasquinha	4/4	हाँ Yes	0

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों का नाम Name of the Directors	बैठक की संख्या में भाग लिया / कुल सं। उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure	26 अगस्त 2019 को आयोजित 61 वें एजीएम में उपस्थिति Attendance at the 61st AGM held on August 26, 2019	आयोजित अन्य निदेशकों की संख्या * No. of other Directorships held *
6.	श्री रजनीश कुमार Shri Rajnish Kumar	1/5	नहीं No	3
7.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	1/1	लागू नहीं NA	2
8.	श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	3/4	नहीं No	4
9.	श्री गणेश कुमार गुप्ता Shri Ganesh Kumar Gupta	0/1	लागू नहीं NA	2
10.	श्रीमती एलिस जी वैद्यन Smt. Alice G. Vaidyan	0/1	लागू नहीं NA	4
11.	श्री प्रशांत कुमार डालमिया Shri Prashant Kumar Dalmia	2/2	हाँ Yes	0
12.	श्रीमती गीता मुरलीधर Smt. Geetha Muralidhar	4/4	हाँ Yes	0
13.	श्रीमती उमा शंकर Smt. Uma Shankar	1/4	नहीं No	0
14.	श्री माणेक एरुच डार Shri Maneck Eruch Davar	4/5	हाँ Yes	0
15.	श्रीमती सरनला मालती रानी Smt. Saranala Malathi Rani	5/5	हाँ Yes	0

*निजी कंपनी, विदेशी कंपनी व कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के अंतर्गत आने वाली सभी कंपनियों को छोड़कर कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित अन्य कंपनियों में निदेशक पद

*Directorship in companies registered under the Companies Act, 2013, excluding directorships in private companies, foreign companies and companies under Section 8 of the Companies Act, 2013.

लेखा समिति: संरचना तथा उपस्थिति

ऑडिट कमेटी का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी की ऑडिट कमेटी को 22/07/2019, 07/08/2019, 10/01/2020 और 21/01/2020 पुनर्गठित किया गया। 31/03/2020 तक, कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में छह गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। श्री माणेक इरुच डार 29 जनवरी, 2020 तक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे। नियमित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, श्रीमती 29/10/2019 को सम्पन्न हुई बैठक में श्रीमती सरनला मालती रानी ने लेखा समिति की अध्यक्षता की। श्री डेविड पॉल रस्कीना को दिनांक 15 मई, 2020 से लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती स्मिता वी. पंडित, कंपनी की कंपनी सचिव, को लेखा समिति की सचिव हैं।

लेखा समिति का उद्देश्य कंपनी के सम्पूर्ण लेखा कार्य यथा कंपनी के अंतर्गत आंतरिक लेखा का निरीक्षण व निगरानी करना एवं कंपनी के वैधानिक / बाहरी लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक और महालेखा

AUDIT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The constitution of the Audit Committee meets with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. The Audit Committee of the Company has been re-constituted on 22/07/2019, 07/08/2019, 10/01/2020, and 21/01/2020 during the FY 2019-20. As of 31/03/2020, the Audit Committee of the Company comprises of six Non-Executive Directors. Shri Maneck Eruch Davar was the Chairman of the Audit Committee till January 29, 2020. In the absence of regular Chairman, Smt. Saranala Malathi Rani was the Chairman of the Audit Committee for the meeting held on 29/10/2019. Shri David Paul Rasquinha appointed as the Chairman of the Audit Committee w.e.f. May 15, 2020. Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary of the Audit Committee.

The objective of the Audit Committee is to oversee and provide direction to the total audit functions of the

परीक्षक द्वारा चिन्हित किए गए बिन्दुओं पर की गई कारवाई की जांच करना सम्मिलित हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत निर्दिष्ट सभी मामलों में बोर्ड ने ऑडिट कमेटी के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 31/05/2019, 07/08/2019, 26/08/2019, 29/10/2019 एवं 28/01/2020 को लेखा समिति की पाँच बैठकें हुईं। सारणी क्रमांक 4 में सम्पन्न की गई सभी लेखा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति की जानकारी दी गई है:

Company i.e. supervision of internal audit and inspection within the Company and follow up action taken on points raised by the statutory / external auditors of the Company and C&AG of India. The Board approved terms of reference of the Audit Committee covers all matters specified under Section 177 of the Companies Act, 2013.

The Audit Committee met five times on 31/05/2019, 07/08/2019, 26/08/2019, 29/10/2019 and 28/01/2020 during the FY 2019-20. The details of the attendance of the Members at the Audit Committee meetings are furnished below in **Table 4:**

सारणी -4 / Table 4

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	सदस्यों के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें No. of Meetings attended/Total no. of Meetings held during his/ her tenure
1.	श्री बिद्युत बिहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018	3/5
2.	श्री के. राजारमन Shri K. Rajaraman	08/08/2018	2/5
3.	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	0/1
4.	श्री डेविड पॉल रस्कीना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019	3/3
5.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	1/1
6.	श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	22/07/2019	2/4
7.	श्री गणेश कुमार गुप्ता Shri Ganesh Kumar Gupta	01/05/2017 (दिनांक 27/06/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 01/05/2017 (Ceased to be a Member w.e.f. 27/06/2019)	0/1
8.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016 (दिनांक 31/07/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 11/02/2016 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2019)	0/1
9.	श्री प्रशांत कुमार डालमिया Shri Prashant Kumar Dalmia, FCA	07/08/2019 (दिनांक 16/09/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 07/08/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 16/09/2019)	1/1
10.	श्रीमती उमा शंकर Smt. Uma Shankar	03/10/2018 (दिनांक 31/10/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 03/10/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/10/2019)	1/4
11.	श्री माणेक एरुच डार Shri Maneck Eruch Davar	22/03/2017 (दिनांक 29/01/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/03/2017 (Ceased to be a Member w.e.f. 29/01/2020)	4/5
12.	श्रीमती सरनला मालती रानी Smt. Saranala Malathi Rani	22/03/2017 (दिनांक 29/01/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/03/2017 (Ceased to be a Member w.e.f. 29/01/2020)	5/5

निवेश समिति: संरचना एवं उपस्थिति

वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी की निवेश समिति 02/05/2019, 08/05/2019, 28/05/2019, 07/08/2019, 26/11/2019, 10/01/2020 एवं 21/01/2020 को पुनर्गठित की गई। वर्ष 2019-20 के दौरान निवेश समिति की 31/05/2019, 07/08/2019, 29/10/2019 एवं 28/01/2020 को कुल चार बैठकें हुईं। सारणी क्रमांक 5 में सम्पन्न की गई सभी लेखा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति की जानकारी दी गई है:

INVESTMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Investment Committee of the Company has been re-constituted on 02/05/2019, 08/05/2019, 28/05/2019, 07/08/2019, 26/11/2019, 10/01/2020 and 21/01/2020 during the FY 2019-20. The Investment Committee met four times, on 31/05/2019, 07/08/2019, 29/10/2019 and 28/01/2020 during the FY 2019-20. The details of the attendance of the Members of the Investment Committee Meetings are furnished below in Table 5:

सारणी -5 / Table 5

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	सदस्यों के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या / निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें No. of Meetings attended/Total no. of Meetings held during his/ her tenure
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	11/02/2016	4/4
2.	श्री बिद्युत बिहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018	2/4
3.	श्री के. राजारमन Shri K. Rajaraman	08/08/2018	2/4
4.	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	0/1
5.	श्री डेविड पॉल रस्कीना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019	2/2
6.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	1/1
7.	श्री निर्दोष चोपड़ा Shri Nirdosh Chopra	दिनांक 02/05/2019 से सीआरओ के पद पर , व दिनांक 21/05/2020 से सीएफओ के पद पर As CRO w.e.f. 02/05/2019, as CRO and CFO w.e.f. 21/05/2020	4/4
8.	श्रीमती प्रिसिल्ला सिन्हा Smt. Priscilla Sinha	दिनांक 27/01/2020 से नियुक्त बीमांकिक के पद पर (नियुक्त बीमांकिक के पद पर 18/04/2019 ई 27/05/2019, नियुक्त बीमांकिक दिनांक 28/05/2019 से 27/11/2019 तक , बीमांकिक 28/11/2019 से 26/01/2020 तक) AA w.e.f. 27/01/2020 (As AA Designate from 18/04/2019 to 27/05/2019, AA w.e.f. 28/05/2019 to 27/11/2019, Actuary from 28/11/2019 to 26/01/2020)	4/4
9.	श्रीमती अर्पिता सेन Smt. Arpita Sen	दिनांक 26/11/2019 से सीआईओ के पद पर As CIO w.e.f.26/11/2019	1/1
10.	श्रीमती योगिता अरोरा Smt. Yogita Arora	दिनांक 2017/07/02 से परामर्श बीमांकिक के रूप में (दिनांक 16/04/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) As Consulting Actuary w.e.f. 07/02/2017 (ceased to be a Member w.e.f. 16/04/2019)	0/0

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	सदस्यों के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/ निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें No. of Meetings attended/Total no. of Meetings held during his/ her tenure
11.	श्री राजीव मानवी Shri Rajiv Manavi	दिनांक 05/10/2017 से सीएफओ के रूप में (दिनांक 30/04/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) As CFO w.e.f. 05/10/2017 (Ceased to be a Member w.e.f. 30/04/2019)	0/0
12.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016 (दिनांक 31/07/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 11/02/2016 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2019)	0/1
13.	श्रीमती गीता मुरलीधर Smt. Geetha Muralidhar	23/06/2015 (दिनांक 31/07/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 23/06/2015 (Ceased to be the Chairman and Member w.e.f. 31/10/2019)	3/3
14.	श्रीमती उमा शंकर Smt. Uma Shankar	03/10/2018 (दिनांक 31/10/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 03/10/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/10/2019)	1/3
15.	श्री आर. के. पांडियन Shri R. K. Pandian	दिनांक 05/07/2018 से सीआईओ के रूप में नियुक्ति (दिनांक 26/11/2019 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) As CIO w.e.f. 05/07/2018 (Ceased to be Member w.e.f. 26/11/2019)	3/3
16.	श्री ईशनाथ झा Shri Ishnath Jha	दिनांक 04/05/2018 से सीआरओ के रूप में नियुक्ति (दिनांक 02/05/2019 को सीआरओ के रूप में कार्यकाल की समाप्ति), दिनांक 08/05/2019 से सीएफओ के रूप में नियुक्ति (दिनांक 21/05/2020 को सीएफओ के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) As CRO - 04/05/2018 (Ceased to be CRO w.e.f. 02/05/2019), As CFO - 08/05/2019 (Ceased to be CFO w.e.f. 21/05/2020)	4/4

सी आर ओ- मुख्य जोखिम अधिकारी, सी एफ ओ-मुख्य वित्तीय अधिकारी, सी आई ओ- मुख्य निवेश अधिकारी, ए ए-नियुक्त बीमांकिक CRO – Chief Risk Officer, CFO – Chief Financial Officer, CIO – Chief Investment Officer, AA – Appointed Actuary

पॉलिसीधारक हित सुरक्षा समिति

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की पॉलिसीधारक हित सुरक्षा समिति 22/07/2019, 07/08/2019, 10/01/2020 एवं 21/01/2020 पुनर्गठित की गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिनांक 31/05/2019, 07/08/2019, 29/10/2019 एवं 28/01/2020 को कुल चार पॉलिसीधारक हित सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सारणी क्रमांक 6 में सम्पन्न की गई सभी लेखा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति की जानकारी दी गई है:

POLICYHOLDERS' INTEREST PROTECTION COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Policyholders' Interest Protection Committee of the Company has been re-constituted on 22/07/2019, 07/08/2019, 10/01/2020 and 21/01/2020 for the FY 2019-20. The Policyholders' Interest Protection Committee met four times, on 31/05/2019, 07/08/2019, 29/10/2019 and 28/01/2020 during the FY 2019-20. The details of the attendance of the Members at the Policyholders' Interest Protection Committee Meetings are furnished below in Table 6:

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	सदस्यों के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as Member	बैठकों में उपस्थिती की संख्या/ निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें No. of Meetings attended/Total no. of Meetings held during his/ her tenure
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	4/4
2.	श्री बिद्युत बिहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018	1/4
3.	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	0/1
4.	श्री डेविड पॉल रस्कीना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019	2/2
5.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	1/1
6.	श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	22/07/2019	0/3
7.	श्री गणेश कुमार गुप्ता Shri Ganesh Kumar Gupta	01/05/2017 (दिनांक 27/06/2019 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 01/05/2017 (Ceased to be a Member w.e.f. 27/06/2019)	0/1
8.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016 (दिनांक 31/10/2019 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 11/02/2016 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2019)	0/1
9.	श्रीमती गीता मुरलीधर Smt. Geetha Muralidhar	23/06/2015 (दिनांक 31/10/2019 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 23/06/2015 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/10/2019)	3/3
10.	श्रीमती उमा शंकर Smt. Uma Shankar	03/10/2018 (दिनांक 31/10/2019 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 03/10/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/10/2019)	1/3
11.	श्री माणेक एरुच डावर Shri Maneck Eruch Davar	22/03/2017 (दिनांक 29/01/2019 से अध्यक्ष व सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/03/2017 (Ceased to be the Chairman and Member w.e.f. 29/01/2020)	3/4
12.	श्रीमती सरनला मालती रानी Smt. Saranala Malathi Rani	22/03/2017 (दिनांक 29/01/2019 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/03/2017 (Ceased to be a Member w.e.f. 29/01/2020)	4/4

जोखिम प्रबंधन समिति संरचना एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति दिनांक 07/08/2019, 10/01/2020 एवं 21/01/2020 को पुनर्गठित की गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दिनांक 31/05/2019, 07/08/2019, 29/10/2019 एवं 28/01/2020 तक कुल चार बैठकें आयोजित की गईं। सारणी क्रमांक 7 में सम्पन्न की गई सभी लेखा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति की जानकारी दी गई है

RISK MANAGEMENT COMMITTEE – COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Risk Management Committee of the Company has been re-constituted on 07/08/2019, 10/01/2020 and 21/01/2020 during the FY 2019-20. The Risk Management Committee met four times, on 31/05/2019, 07/08/2019, 29/10/2019 and 28/01/2020 during the FY 2019-20. The details of the attendance of the Members at Risk Management Committee Meetings are furnished below in Table 7:

सारणी 7 / Table 7

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	सदस्यों के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/ निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें No. of Meetings attended/Total no. of Meetings held during his/ her tenure
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	4/4
2.	श्री बिद्युत बिहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018	1/4
3.	श्री के. राजारमन Shri K. Rajaraman	08/08/2018	2/4
4.	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	0/1
5.	श्री डेविड पॉल रस्कीना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019	2/2
6.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	1/1
7.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016 (दिनांक 31/07/2019 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 11/02/2016 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2019)	0/1
8.	श्रीमती गीता मुरलीधर Smt. Geetha Muralidhar	23/06/2015 (दिनांक 31/10/2019 से अध्यक्ष व सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 23/06/2015 (Ceased to be the Chairman and Member w.e.f. 31/10/2019)	3/3
9.	श्रीमती उमा शंकर Smt. Uma Shankar	03/10/2018 (दिनांक 31/10/2019 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 03/10/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/10/2019)	1/3

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

सरकारी कंपनी होने के कारण ईसीजीसी लिमिटेड पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति व नियुक्ति से जुड़े नियम व शर्तें (पारिश्रमिक सहित) भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। हालाँकि, बोर्ड द्वारा एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 22/07/2019, 07/08/2019, 10/01/2020 व 21/01/2020 को पुनर्गठित की गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एनआरसी की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। **सारणी क्रमांक 8 में** एनआरसी के सभी सदस्यों की जानकारी दी गई है।

सारणी 8

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	सदस्यों के नियुक्ति की तारीख
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन	13/04/2016
2.	श्री बिद्युत बिहारी स्वेन	20/04/2018
3.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू	10/01/2020
4.	श्री डेविड पॉल रस्कीना	07/08/2019
5.	श्री देवेश श्रीवास्तव	21/01/2020
6.	श्री शरद कुमार सरफ	22/07/2019
7.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	11/02/2016 (दिनांक 31/07/2019 से कार्यकाल की समाप्ति)
8.	श्रीमती उमा शंकर	03/10/2018 (दिनांक 31/10/2019 से कार्यकाल की समाप्ति)

ईसीजीसी 100% भारत सरकार के भारत सरकार के अधिकार वाली कंपनी है। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति वाणिज्य विभाग, वाणिज्य मंत्रालय एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के आधार पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुमोदन पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बोर्ड ऐसे सभी नियुक्तियों को रिकॉर्ड में लेता है और आवश्यक फॉर्म आरओसी के साथ दायर किए जाते हैं जिन्हें आईआरडीएआई को सूचित किया जाता है। पूर्णकालिक समय निदेशक का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।

सभी सरकारी नामांकित निदेशक (गैर कार्यकारी अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा वे किसी भी परिलब्धियों/ उपस्थिती शुल्क के पात्र नहीं होते हैं। गैर कार्यकारी अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (ii) एक्विजि बैंक के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक (iii) सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीय बैंकों के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और (iv) अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक भारतीय साधारण बीमा निगम की श्रेणी में नियुक्त किए गए निदेशकों को छोड़कर) एवं वे भारत सरकार के निर्देशों/सांविधिक नियमों विनियमों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड/समितियों की बैठक में उपस्थिती के लिए उपस्थिती शुल्क के लिए पात्र होंगे (वर्तमान में कंपनी रु. 10000/- प्रति बोर्ड

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:

ECGC Ltd. being a Government Company, the appointment and the terms and conditions of appointment (including remuneration), of the Whole-time Directors are decided by the Government of India. However, the Board has constituted a Nomination and Remuneration Committee and it has been re-constituted on 22/07/2019, 07/08/2019, 10/01/2020 and 21/01/2020 during the FY 2019-20. No meeting of the NRC was held during the FY 2019-20. The details of the Members of the NRC are furnished below in **Table 8**.

Table 8

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member
1.	Shri M. Senthilnathan	13/04/2016
2.	Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018
3.	Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020
4.	Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019
5.	Shri Devesh Srivastava	21/01/2020
6.	Shri Sharad Kumar Saraf	22/07/2019
7.	Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2019)
8.	Smt. Uma Shankar	03/10/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/10/2019)

ECGC is a 100% Government of India (GOI)-owned Company. Appointment of all Directors including Chairman-cum-Managing Director is done by the President of India as per the recommendation of the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry in compliance of the Department of Public Enterprises guidelines. The Board takes on record all such appointments and necessary forms are filed with the ROC including informing IRDAI. Remuneration of Whole Time Director is fixed by the GOI.

The Government Nominee Directors are appointed (as Non-Executive Part-Time Government Directors) by the Ministry of Commerce & Industry and they are not entitled to any remuneration/ sitting fees. The Non-Executive Part-Time Non-Government Directors (Independent Directors) are appointed by the GOI and they (excluding Directors appointed under the category of (i) Reserve Bank of India (ii) Chairman/ Managing Director of EXIM Bank (iii) Chairman/Managing Director of Nationalised banks to be nominated by the Government and (iv) Chairman/ Managing Director of General Insurance Corporation of India are entitled to sitting fees for attending the Board / Committee Meetings as prescribed by the

बैठक एवं रु. 5000/- समिति बैठक के प्रत्येक सदस्य को भुगतान करती है।)। कंपनी ने किसी निदेशक को कोई भी कमीशन का भुगतान नहीं किया है। कंपनी ने किसी भी निदेशक को कोई स्टॉक ऑप्शन जारी नहीं किया है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों में से किसी का भी कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं था। वेतनमान और ईसीजीसी लिमिटेड के कर्मचारियों और अधिकारियों के भत्ते को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

निगमित सामाजिक दायित्व (सी एसआर) एवं धारणीय विकास(एसडी) परियोजनाओं पर बोर्ड की समिति:

कंपनी द्वारा सी एस आर और एस डी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए सीएसआर और एसडी हेतु एक समिति का गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 22/07/2019, 07/08/2019, 10/01/2020 व 21/01/2020 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया। श्रीमती गीता मुरलीधर 31 अक्टूबर 2019 तक समिति की अध्यक्ष थीं उनके बाद दिनांक 01/11/2019 से 28/04/2020 तक श्री एम सेंथिलनाथन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार धारण करते हुए तथा दिनांक 29/04/2020 से उनकी पदोन्नति से सीएसआर और एसडी पर समिति के अध्यक्ष हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सी एस आर व एस समिति की दिनांक 31/05/2019, 07/08/2019, 29/10/2019 तथा 28/01/2020 को चार बार बैठकें आयोजित की गयीं। सी एस आर व एस डी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति संबंधी विवरण सारणी 9 में दर्शाए गए हैं:

Board in adherence with the Government directives/ statutory rules and regulations (presently the Company is paying ₹10,000 per Board Meeting and ₹5000 for each Committee Meeting per Member). The Company has not paid any commission to its Directors. The Company has not issued any stock options to its Directors. None of the Non-Executive Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Company during the FY 2019-20. The Pay Scales and allowances of officers and staff of ECGC Ltd. are approved by the GOI.

COMMITTEE OF BOARD ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) & SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD):

A Committee on CSR & SD of the Company has been constituted for monitoring the Company's CSR & SD Projects/Activities. It was re-constituted on 22/07/2019, 07/08/2019, 10/01/2020 and 21/01/2020 during the FY 2019-20. Smt. Geetha Muralidhar was the Chairman of the Committee on CSR & SD up to October 31, 2019 after which Shri M. Senthilnathan became the Chairman of the Committee while holding the additional charge of Chairman-cum-Managing Director from 01/11/2019 to 28/04/2020. Consequent to his promotion as CMD, Shri M. Senthilnathan has become the Chairman of the Committee w.e.f. 29/04/2020.

The Committee on CSR & SD met four times, on 31/05/2019, 07/08/2019, 29/10/2019 and 28/01/2020 during the FY 2019-20. The details of the attendance of the Members at the Meetings of the Committee on CSR & SD are furnished below in Table 9.

सारणी 9 / Table 9

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	सदस्यों के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/ निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें No. of Meetings attended/Total no. of Meetings held during his/ her tenure
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	13/04/2016	4/4
2.	श्री बिद्युत बिहारी स्वेन Shri Bidyut Behari Swain	20/04/2018	1/4
3.	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू Shri Shirish Chandra Murmu	10/01/2020	0/1
4.	श्री डेविड पॉल रस्कीना Shri David Paul Rasquinha	07/08/2019	2/2
5.	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	21/01/2020	1/1
6.	श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	22/07/2019	0/3
7.	श्री गणेश कुमार गुप्ता Shri Ganesh Kumar Gupta	01/05/2017 (27/06/2019 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 01/05/2017 (Ceased to be a Member w.e.f. 27/06/2019)	0/1

क्र. सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	सदस्यों के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as Member	बैठकों में उपस्थिति की संख्या/ निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें No. of Meetings attended/Total no. of Meetings held during his/ her tenure
8.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन Smt. Alice G. Vaidyan	11/02/2016 (31/07/2019 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 11/02/2016 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2019)	0/1
9.	श्रीमती गीता मुरलीधर Smt. Geetha Muralidhar	15/07/2015 (31/10/2019 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 15/07/2015 (Ceased to be the Chairman and Member w.e.f. 31/10/2019)	3/3
10.	श्रीमती उमा शंकर Smt. Uma Shankar	03/10/2018 (31/10/2019 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 03/10/2018 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/10/2019)	1/3
11.	श्री माणेक एरुच डार Shri Maneck Eruch Davar	23/03/2017 (29/01/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 23/03/2017 (Ceased to be a Member w.e.f. 29/01/2020)	3/4
12.	श्रीमती सरनला मालती रानी Smt. Saranala Malathi Rani	23/03/2017 (29/01/2020 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 23/03/2017 (Ceased to be a Member w.e.f. 29/01/2020)	4/4

निदेशकों तथा बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन तथा स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के जरिये सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178(2) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है। 134(3)(P) अधिसूचना के अनुसार निदेशक मण्डल तथा उसकी समितियों तथा स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन उन सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा जहां निदेशकों का मूल्यांकन प्राधिकारी मंत्रालय द्वारा किया जाता हो। हमारे मामले में मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग (भा स) के साथ किए गए स ज्ञा के जरिये वित्तीय तथा गैर वित्तीय लक्ष्यों के लिए प्रदान किए जाने वाले अंकों/मान के आधार पर किया जाता है। हमारी उत्पादकता आधारित एकमुश्त प्रोत्साहन (पी एल एल आई) हमारे संबंधित मंत्रालय द्वारा किए गए इस प्रकार के मूल्यांकन में पाये गए अंकों / ग्रेड पर आधारित होती है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ल उ वि द्वारा दिनांक 20.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन के जरिये जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 07.11.2017 को स्वतंत्र निदेशकों की बैठक हुई जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कंपनी प्रबंधन तथा बोर्ड के बीच आदान प्रदान की जाने वाली जानकारी की गुणवत्ता, मात्रा तथा लिए जाने वाले समय का भी मूल्यांकन किया गया जो कि बोर्ड द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक है।

PERFORMANCE EVALUATION OF THE DIRECTORS AND THE BOARD AND MEETING OF INDEPENDENT DIRECTORS

The requirement relating to performance evaluation of Board Members under Section 178(2) of the Companies Act, 2013 is exempted for Government Companies vide circular dated 05/06/2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). The provisions of Section 134(3)(p) which requires mentioning the manner of formal evaluation of the Board, Committees and individual Directors, in the Board Report is also exempted for Government Companies, if Directors are evaluated by the Administrative Ministry. The evaluation of the performance of the Company is done through annual MOU with the Department of Public Enterprises (DPE) with marks/ weightage for financial and non-financial targets. The Company's Productivity-Linked Lumpsum Incentive (PLLI) for employees including Whole-Time Directors is based on mark/ grade obtained under the MOU, confirmed after evaluation by the respective Ministry.

DPE vide OM dated 20/06/2013 has withdrawn review of the performance of the Chairperson of the Company after taking into account the views of all the Directors,

डीपीई ने दिनांक 20/06/2013 को जारी का.ज्ञा. द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक के दायरे से सभी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा वापस ले ली है। एमसीए के दिनांक 05 जुलाई, 2017 को जारी परिपत्र ने गैर-स्वतंत्र निदेशकों और सरकारी कंपनियों के अध्यक्षों के मूल्यांकन तंत्र को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 में निर्दिष्ट किया है।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, स्वतंत्र निदेशक दिनांक 29/10/2019 को डीपीई दिशानिर्देशों (कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20/06/2013) की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के मध्य परस्पर सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन करने के लिए मिले थे जो कि प्रभावी एवं यथोचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने में बोर्ड के लिए आवश्यक है।

साधारण बैठकें

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित साधारण बैठकों के विवरण निम्न सारणी 10 में उल्लिखित है :

from the purview of separate meeting of Independent Directors. MCA vide circular dated July 05, 2017 has also exempted evaluation mechanism of Non-Independent Directors and Chairperson of Government Companies as specified in Schedule IV to the Companies Act, 2013.

During the FY 2019-20, the Independent Directors met on 29/10/2019 as per requirement of DPE guidelines (Office Memorandum dated 20/06/2013), inter alia, to assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Company Management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform its duties.

GENERAL MEETINGS

The details of the General Meetings held during the last three years are furnished below in **Table 10**:

सारणी 10 / Table 10

क्र. सं. Sr. No.	वित्तीय वर्ष Financial Year	वा सा बैठकों की सं No. of AGM	दिनांक व समय Date & Time	स्थान Venue	पारित विशेष संकल्पों की सं, यदि कोई हो तो No. of Special Resolutions passed, if any
1	2016-17	59	10 अगस्त, 2017 1700 बजे August 10, 2017 1700 Hrs	उद्योग भवन, नई दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi	कुछ नहीं NIL
2	2017-18	60	17 जुलाई, 2018 1400 बजे July 17, 2018 1400 Hrs	उद्योग भवन, नई दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi	कुछ नहीं NIL
3	2018-19	ईजीएम EGM	07 दिसंबर, 2018 1500 बजे December 07, 2018 1500 Hrs	उद्योग भवन, नई दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi	10
4	2018-19	61	26 अगस्त, 2019 1500 बजे August 26, 2019 1500 Hrs	उद्योग भवन, नई दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi	कुछ नहीं NIL

कारोबार आचार संहिता और नीति

निदेशक मण्डल ने बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबार आचरण संहिता और नीति बनाई है जो कंपनी की वेबसाइट (www.ecgc.in) पर उपलब्ध है।

प्रकटन

सामान्य कारोबारी लेनदेन के अलावा, किसी ऐसी निजी फर्म, कंपनियों अथवा संस्थाओं को कोई अंतरण नहीं किया गया है जिसमें कंपनी के निदेशकों अथवा प्रबंधन वर्ग अथवा उनके संबंधियों का प्रत्यक्ष हित सन्निहित हो। 28/03/2019 को बोर्ड ने संबंधित पार्टी अंतरण नाम

CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors has laid down a Code of Business Conduct and Ethics for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Company, which has been posted on the website of the Company (www.ecgc.in).

DISCLOSURE

The Company has not entered into any material financial or commercial transactions with the Directors or the Management or their relatives or the companies and firms, etc., in which they are either directly or through

की संशोधित आरपीटी नीति को अपनाया। कंपनी ने संबंधित पक्ष प्रकटन पर भारतीय लेखा मानक-24 और सरकारी कंपनियों को दी गई छूट पर प्रकटन की आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के विवरण को प्रत्यक्ष किया है।

सामान्य कारोबारी लेनदेन के अलावा, किसी ऐसी निजी फर्म, कंपनियों अथवा संस्थाओं को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जिसमें कंपनी के निदेशकों का हित सन्निहित हो।

कंपनी ने जोखिम के मूल्यांकन और उसे कम करने के बारे में बोर्ड के सदस्यों को सूचित करने के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण किया है, जिनका बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन होता है ताकि प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम नियन्त्रण सुनिश्चित किया जा सके।

बोर्ड द्वारा समय-समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है और साथ ही कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के मामलों को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की भी समीक्षा होती है।

कंपनी द्वारा व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को अंगीकृत किया गया है जिससे कंपनी के किसी कर्मचारी के सज्ञान में किसी भी स्तर पर अस्वीकार्य/अनैतिक /अथवा कदाचार का कोई कार्य आए तो वह कर्मचारी बिना किसी परिणामी भय के उस विषय में सूचना देते हुए सुरक्षित महसूस करें।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सांविधिक अथवा नियामक प्राधिकरण द्वारा देश की विभिन्न संविधि से संबंधित किसी मामले में, कोई दंड आरोपित नहीं किया गया है, केवल निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त:

1. स्टाम्प कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य ने यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ दिनांक 07.04.2012 को निर्माण संविदा करार हेतु 7,20,500 रुपए के देय स्टैम्प शुल्क का भुगतान ना कर पाने के कारण दिनांक 06.01.2015 के पत्र के तहत 4,46,710 (चार लाख छियालीस हजार सात सौ दस) रुपए का दंड लगाया था।

तथापि, दिनांक 22.01.2015 को उप महानिरीक्षक पंजीकरण के समक्ष हमने दंड हटाने के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत किया है और जल्दी फैसला प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से लगातार संपर्क किया जा रहा है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 - ईसीजीसी द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- ख द्वारा दिनांक 9.8.2016 के आदेश तथा दिनांक 18.11.2016 को क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर (उ ठ), मुंबई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आदेश के अनुपालन में अस्थायी कर्मचारियों का पी एफ अंशदान सितंबर 2010 से जुलाई 2017 तक की अवधि के लिए ईसीजीसी के कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट से ईपीएफओ हस्तांतरित किया गया (अगस्त 2017 से शुरू होने वाले अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफओ का नियमित पी एफ योगदान) एवं यह पीएफ के दोनों भाग अर्थात् नियोक्ता और सदस्य का

their relatives interested as Directors and/ or Partners except transactions carried out in the ordinary course of business. On 28/03/2019 the Board adopted the revised policy on RPT under the nomenclature 'Policy on Related Party Transactions'. The Company has disclosed details of transactions with related parties as per the disclosure requirements of Indian Accounting Standard – 24 on Related Party disclosures and the exemption granted to Government companies.

There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested, except transactions carried out in the ordinary course of business.

The Company has laid down procedures to inform Board Members about the risk assessment and its minimization, which is periodically reviewed by the Risk Management Committee of the Board, to ensure that effective risk control is exercised by the Management.

The Board periodically reviews compliance report in respect of all laws applicable to the Company as well as steps taken by the Company to rectify instances of non-compliances.

The Company has adopted a Whistle Blower Policy enabling each employee to feel safe in raising concerns about any unacceptable/unethical practice and/or any event of misconduct, at any level, that comes to his/her notice, without fear of consequences thereof.

No penalty was imposed on the Company, by any statutory or regulatory authority, on any matter related to various statutes of the land, during the last three years, except the following:

1. The Maharashtra Stamp Act, 1958: Stamp Office, Mumbai, Maharashtra State, vide its letter dated 06/01/2015, has imposed a penalty of ₹4,46,710/- (Rupees four lakh forty six thousand seven hundred ten only), for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500/- payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, Unity Infraprojects Limited on 07/04/2012.

However, the Company has represented its case on January 22, 2015 to the Deputy Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision.

2. Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 - ECGC while executing the order dated 9.8.2016 by Regional Provident Fund Commissioner-I and further order dated 18.11.2016 by Regional PF Commissioner (C&R), Mumbai Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) had transferred the PF Contribution in respect of Casual

अंशदान, अस्थायी कर्मचारियों की ओर से उनके कार्य आरंभ की तारीख से अगस्त, 2010 तक का योगदान है।

सहायक पी एफआयुक्त, ई पी एफ ओ द्वारा ई पी एफ एम पी अधिनियम की धारा 7Q के तहत दिनांक 10.04.2017 को समन जारी किया गया जो कि ₹ 24,27,917/- और ₹ 43,18,042/- के लिए पीएफ अंशदान पर धारा 14B के तहत 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए ब्याज की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए था। ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ के समक्ष अंतिम सुनवाई 07 जून, 2019 को आयोजित की गई थी, जिसमें एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। आगे की सुनवाई 07 जून, 2019 को संपन्न हुई और आदेश सुरक्षित रखे गए।

3. कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ द्वारा अधिनियम की धारा 14बी के तहत (एवं धारा 7क्यू के तहत ब्याज के भुगतान हेतु आदेश) दिनांक 12.03.2019 को 3 नोटिस जारी किए गए (जिसमें दिनांक 10.04.2017 का ब्याज पेनल्टी हेतु समन भी शामिल है) जो कि निम्न अवधि के दौरान देरी से किए गए भुगतानों से संबंधित थे :

- (i) 01 जुलाई 1989 से फरवरी 1996 जुलाई 1989 से फरवरी 1996 तक कुल राशि (क्षतिपूर्ति व ब्याज सहित) ₹1,94,395/- है।
- (ii) मार्च 1996 से अगस्त 2010 - मार्च 1996 से अगस्त 2010 तक कुल राशि (क्षतिपूर्ति व ब्याज सहित) ₹1,32,20,020/- है।
- (iii) सितंबर 2010 से अगस्त 2016 तक कुल राशि (क्षतिपूर्ति व ब्याज सहित) ₹ 81,69,947/- है।
- नोटिसों की कुल राशि (क्षतिपूर्ति व ब्याज सहित) ₹ 2,15,84,362/- है।

ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ के समक्ष अंतिम सुनवाई 07 जून, 2019 को आयोजित की गई थी, जिसमें एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। आगे की सुनवाई 07 जून, 2019 को संपन्न हुई और आदेश सुरक्षित रखे गए।

लेखा परीक्षित खातों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना

कंपनी के 100% इक्विटी शेयर भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति और सात अन्य नामित व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते हैं इस लिए इस संबंध में सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित लेखों को संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखा जाता है।

शेयरधारकों की जानकारी

(क) वार्षिक साधारण बैठक: 62 वीं वार्षिक साधारण बैठक दि 24 नवम्बर 2020 को 1600 बजे होगी।

workers from ECGC Employees' Provident Fund Trust to EPFO for the period from September 2010 to July 2017 (with regular PF Contribution with EPFO in respect of casual workers started from August 2017 onwards) and remitted both the shares of PF Contribution i.e. Employer and Member contribution on behalf of casual workers from the date of their respective engagements to August, 2010.

A Summons dated 10.04.2017 issued by the Asst. PF Commissioner, EPFO u/s.7Q under EPF & MP Act for payment of interest on PF Contribution for ₹24,27,917/- and ₹43,18,042/- being damages u/s.14B for damages for the period from 01.04.2016 to 31.03.2017 were issued to the Company. The last hearing before APFC, EPFO was conducted on June 07, 2019 in which a detailed submission was made. The hearing was concluded on June 07, 2019 and the orders are reserved.

3. Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976 - APFC, EPFO has issued three notices dated 12.03.2019 (which also includes the interest and Penalty towards Summons dated 10.04.2017) Under Section 14B of the Act (and order of payment of Interest under Section 7Q) for belated remittances made during the following period were issued to the Company:

- (i) 1 July 1989 to February 1996 - Total Amount (including damages and interest) for the period July 1989 to February 1996 is ₹1,94,395/-
- (ii) March 1996 to August 2010 - Total Amount (including damages and interest) for the period March 1996 to August 2010 is ₹1,32,20,020/-
- (iii) September 2010 to August 2016 - Total Amount (including damages and interest) for the period March 1996 to August 2010 is ₹81,69,947/-

Total amount (including damages and interest) of the notices received is ₹ 2,15,84,362/-.

The last hearing before the APFC, EPFO was conducted on June 07, 2019 in which a detailed submission was made. The hearing was concluded on June 07, 2019 and the orders are reserved.

PLACING OF AUDITED ACCOUNTS BEFORE THE PARLIAMENT

The audited accounts of the Company are being tabled before both the Houses of Parliament, in compliance with the statutory requirements in that regard, as 100% Equity Shares are held by the President of India and seven other nominees, on behalf of Government of India.

SHAREHOLDERS' INFORMATION

(a) Annual General Meeting: The 62nd Annual General

- (ख) 31 मार्च 2019 को शेयर धारण का स्वरूप: कंपनी का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। भारत के राष्ट्रपति 100 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से 25,00,00,000 शेयर भारत सरकार की ओर से धारण करते हैं इनमे कंपनी के वह शेयर भी संयुक्त हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित आठ अन्य व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते हैं।
- (ग) पत्राचार का पता: श्रीमती स्मिता वी पंडित, कंपनी सचिव, ईसीजीसी लिमिटेड(पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) एक्सप्रेस टॉवर्स, 10वीं मंज़िल, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021. Email-cs@ecgc.in

संपर्क के माध्यम

- वेबसाइट: कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in पर “हमारे बारे में” खंड के अंतर्गत वित्तीय परिणाम पर एक सेक्शन है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी यूजर फ्रेंडली और डाउनलोड हो सके इस रूप में उपलब्ध है।
- वित्तीय परिणाम: वार्षिक, अर्धवार्षिक और तिमाही परिणाम नियमित रूप से कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in पर पोस्ट किए जाते हैं।
- वार्षिक रिपोर्ट: वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं, सदस्यों तथा अन्य अधिकारिता प्राप्त व्यक्तियों को संचारित कर दी गई हैं। प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण अनुलग्नक त में स्थापित निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग है।

कृते निदेशक मण्डल

एम. सेंथिलनाथन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डी आई एन 07376766

स्थान: मुंबई

दिनांक : 21 अगस्त 2020

Meeting is scheduled to be held on November 24, 2020 at 1600 hours.

- (b) Shareholding Pattern as of March 31, 2020: The Company is fully owned by the Government of India. The President of India holds the entire lot of 25,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each fully paid up, issued by the Company including eight of those shares which are held by the nominees of the President of India, on behalf of the Government of India.
- (c) Address for Correspondence: Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary, ECGC Limited, Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai-400021. [Email: cs@ecgc.in](mailto:Email:cs@ecgc.in)

MEANS OF COMMUNICATION

- Website: The Company's website viz., www.ecgc.in contains a separate dedicated section on financial results under Section "About Us". The full Annual Report is also available on the website in user friendly and downloadable form.
- Financial Results: The annual, half-yearly and quarterly results are regularly posted by the Company on its website www.ecgc.in.
- Annual Report: The Annual Report, containing, inter alia, Audited Annual Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, and other important information, is circulated to the Members and others entitled there to. The Management's Discussion and Analysis (MD&A) Report placed at **Annexure VI** forms part of the Directors' Report.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

M. Senthilnathan

Chairman-cum-Managing Director

DIN 07376766

Place: Mumbai

Date: August 21, 2020

घोषणा

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा निदेशक मण्डल एवं वरिष्ठ प्रबन्धक हेतु निर्धारित आचार संहिता का अनुपालन किया गया है।

एम. सेंथिलनाथन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डी आई एन 07376766

स्थान: मुंबई
दिनांक : 21 अगस्त 2020

कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रमाणपत्र

मैं स्मिता वी पंडित एतद्वारा प्रमाणित करती हूँ कि कंपनी ने सामान्य रूप से बीमा कंपनियों के लिए लागू तथा समय-समय पर संशोधित कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है तथा कुछ भी छुपाया अथवा गुप्त नहीं रखा है।

स्मिता वी. पंडित
कम्पनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक : 21 अगस्त 2020

Declaration

The Members of the Board and Senior Management Personnel have affirmed compliance of the Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel for the Financial Year ended on March 31, 2019.

Sd/-
M. Senthilnathan
Chairman-cum-Managing Director
DIN 07376766

Place: Mumbai
Date: August 21, 2020

CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

I, Smita V. Pandit hereby certify that the Company has generally complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Company as amended from time-to-time and nothing has been concealed or suppressed.

Sd/-
Smita V. Pandit
(Company Secretary)

Place: Mumbai
Date: August 21, 2020

R.S. PADIA & ASSOCIATES

COMPANY SECRETARIES

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE FOR F.Y. 2019-20

To,
The Members
ECGC Limited,
10th Floor, Express Towers,
Nariman Point,
Mumbai – 400021.

1. I have examined the compliance conditions of Corporate Governance by **ECGC Limited (the “Company”)** *CIN. U74999MH1957GO1010918* in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 read with Guidelines issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Undertakings on May 14, 2010 for the Financial Year 2019-20. The Company is a Government of India Enterprise with full equity participation from Government of India.
2. The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. My examination was limited to procedures and implementations thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Company.
3. On the basis of my examination of the records produced and the explanations and information furnished, I certify that the Company has maintained proper records and complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the DPE Guidelines 2010 on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises for the Financial Year Ended 31st March 2020.
4. I further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Place: Mumbai
Date: 19.08.2020
UDIN: F006804B000594655

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries

Rajshree
Swadhin Padia

CS Rajshree Padia
FCS: 6804. COP: 7488

AL&Co

ABHISHEK LAKHOTIA & Co

COMPANY SECRETARIES
Form MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
ECGC LIMITED
Express Towers, 10th Floor, Nariman point,
Mumbai 400021

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **ECGC LIMITED** (hereinafter called "the Company") bearing CIN: U74999MH1957GOI010918. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, I hereby report that in my opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March, 2020** ('Audit Period') has complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the Financial Year ended on 31st March 2020 according to the provision of:

- i. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder **(not applicable as the Company is unlisted)**;
- iii. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;



Address : 202, 2nd Floor, Hallmark Business Centre, L.B.S. Road, Mulund (W) – 400 080
Tel : +91 22 2593 3179 / 4970 7762 ; M : +91 90042 03179 / 93224 20337 ;
Email : info@alandco.in ; Website : www.alandco.in

- iv. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder **(not applicable)**;
- v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') :-
 - a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011**(not applicable as the Company is unlisted)**;
 - b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading Regulations, 2015**(not applicable as the Company is unlisted)**;
 - c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009**(not applicable as the Company is unlisted)**;
 - d. The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999**(not applicable as the Company is unlisted)**;
 - e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008**(not applicable as the Company is unlisted)**;
 - f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client **(not applicable as the Company is unlisted)**;
 - g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 **(not applicable as the Company is unlisted)**; and
 - h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 **(not applicable as the Company is unlisted)**
- vi. We have relied on the representation made by the Company and its Officers for systems and mechanism formed by the Company for compliance under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Company.

We are of the opinion that management has complied with the following laws specifically applicable to the Company:

- a) Insurance Act 1938 and Insurance (Amendment) Act, 2015;
- b) IRDA Act, 1999 and Rules made thereunder;
- c) Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines, 2010;
- d) The Sexual Harassment of Woman at Workplace Act, 2013;

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- (ii) The Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Listing Agreements entered by the Company with Stock Exchanges **(Not applicable to the Company)**.



During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above except not complied with DPE Guidelines regarding Directors Training.

I further report that,

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and in certain events at shorter notice and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the Meeting and for meaningful participation at the Meeting

Majority decision is carried through unanimous resolution while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the Minutes.

Based on the representation and explanation given to me I further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations & guidelines.

I further report that during the reporting period, following changes took place in the Management:

1. Cessation of Smt. Yogita Arora as Consulting Actuary of the Company with effect from 16th April 2019.
2. Cessation of Shri Rajiv P. Manavi as Chief Financial Officer of the Company with effect from 30th April 2019.
3. Appointment of Shri Nirdosh Chopra as Chief Risk officer of the Company with effect from 02nd May 2019.
4. Cessation of Shri Ishnath Jha as Chief Risk officer of the Company with effect from 02nd May 2019.
5. Appointment of Shri Ishnath Jha as General Manager-Chief Financial Officer of the Company with effect from 08th May 2019.
6. Appointment of Shri Sristiraj Ambastha as General Manager of the Company with effect from 08th May 2019.
7. Appointment of Shri Rajnish Kumar as Non-Executive, Part-Time Director of the Company with effect from 29th May 2019.
8. Cessation of Shri Ganesh Kumar Gupta as Non-Official Director of the Company with effect from 27th June 2019.
9. Cessation of Shri V. Dharmarajan as Executive Director (Operations) and Key Managerial Person of the Company with effect from 30th June 2019.
10. Appointment of Shri Subir Kumar Das as Key Managerial Person of the Company with effect from 01st July 2019.
11. Change in Designation of Smt. Padmavathy R. from General Manager to Executive Director (Operations) of the Company with effect from 01st July 2019.
12. Appointment of Shri Sharad Kumar Saraf as Non-Official Director of the Company



- effect from 22nd July 2019.
13. Appointment of Shri David Paul Rasquinha as Non-Executive, Part-Time Director of the Company with effect from 22nd July 2019.
 14. Appointment of Shri Prashant Kumar Dalmia as Non-official, Part-Time Director of the Company with effect from 24th July 2019.
 15. Cessation of Directorship of Smt. Alice G Vaidyan as Non-Official Director of the Company with effect from 31st July 2019.
 16. Cessation of Directorship of Shri Prashant Kumar Dalmia, Non-Executive, Independent Director of the Company with effect from 16th September 2019.
 17. Retirement of Smt. Geetha Muralidhar as Chairman-cum-Managing Director of the Company with effect from 31st October 2019.
 18. Retirement of Smt. Uma Shankar as Non-Executive Part-Time Director of the Company with effect from 31st October 2019.
 19. Additional charge assigned to Shri Senthilnathan Muthukumarasamy of Chairman-cum-Managing Director of the Company with effect from 01st November 2019.
 20. Cessation of Shri Kulasekhara Pandian as Chief Investment Officer and KMP of the Company with effect from 26th November 2019.
 21. Appointment of Smt. Arpita Sen as Chief Investment Officer and KMP of the Company with effect from 26th November 2019.
 22. Appointment of Smt. Priscilla Sinha as Appointed Actuary of the Company with effect from 27th January 2020 and designation of Smt. Priscilla Sinha from 28th November 2019 to 26th January 2020 treated as Actuary.
 23. Appointment of Shri Shirish Chandra Murmu as Non-Executive Part-Time Director of the Company with effect from 10th January 2020.
 24. Appointment of Shri Devesh Srivastava as Ex-Officio Non-Executive Part-Time Director of the Company with effect from 21st January 2020.
 25. Cessation of Directorship of Shri Maneck Eruch Davar as Non-Executive Part-Time Director of the Company with effect from 29th January 2020.
 26. Cessation of Directorship of Smt. Malathi Rani Saranala as Non-Executive Part-Time Director of the Company with effect from 29th January 2020.

Date: 12.08.2020
Place: Mumbai



For Abhishek Lakhota & Co.

Abhishek Lakhota
Abhishek Lakhota
M.No.9082
F.No.10547
UDIN: F009082B000572249

Note: This report is to be read with my Annexure 'A' of even date which are annexed and forms an integral part of this report.

'ANNEXURE - A'

My Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter:

Management Responsibility:

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on my audit.

Auditors Responsibility:

2. I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records and other Legal compliances as declared by the Company. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the processes and practices, I followed provide a reasonable basis for my opinion.

3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.

4. Wherever required, I have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

Disclaimer :

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedures.

6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Date: 12.08.2020

Place: Mumbai



For Abhishek Lakhota & Co.

Abhishek Lakhota

Abhishek Lakhota

M.No.9082

F.No.10547

UDIN: F009082B000572249

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Annexure V

कंपनी द्वारा अपने निगमित सामाजिक दायित्व अभिक्रमों पर विकसित एवं कार्यान्वित नीति का विवरण

कंपनी द्वारा आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों की समीक्षा सहित निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति तथा परियोजनाओं के संदर्भ में कंपनी के सीएसआर नीति कि संक्षिप्त रूपरेखा तथा सी.एस.आर. पॉलिसी एवं प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम हेतु वेब-लिंक का संदर्भ।

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) के सीएसआर पर संशोधित दिशानिर्देशों को 2014 में अपनाया है और कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति है। कंपनी में सीएसआर गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर लगभग ₹ 11.82 करोड़ का व्यय किया गया।

कंपनी द्वारा टी आई एस एस के सहयोग से पाँच सामुदायिक अध्ययन केंद्र की स्थापना एम-वार्ड, वाशी नाका, माहुल गाँव में की गई तथा देवनार में अध्यक्ष केंद्र एवं स्कॉलरशिप कार्यक्रम को जारी रखा। सामुदायिक अध्ययन केन्द्रों का लक्ष्य वंचित वर्ग के छात्रों को पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा उपलब्ध करने के साथ-साथ उनके सम्पूर्ण विकास के लिए पाठ्येतर गतिविधियों भी उपलब्ध कराना है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान श्रवणहीन युवाओं के लिए हॉस्पिटलिटी एवं खुदरा व्यापार में दो परियोजनाएं डेवलपमेंट एडुकेशन एम्पवार्मेंट ऑफ डिसेबलवांटेज इन सोसाइटी (डीइस) के माध्यम से एवं कंसर्न इंडिया फाउंडेशन के जरिए बाड़मेर जिले, राजस्थान की महिला कारीगरों के लिए कौशल विकास पर एक और परियोजना का कार्यान्वयन किया गया। कंपनी द्वारा संमित्र ट्रस्ट के जरिए एच आई वी/एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने एवं एच आई वी/एड्स से ग्रस्त लोगों को चिकित्सा मदद, न्यूट्रिशन, परामर्श शिक्षा एवं आत्मविश्वास बढ़ाने की गतिविधियों के जरिए सहायता पहुंचाने के कार्यक्रम कार्यान्वित किए। कंपनी द्वारा गुवाहाटी आसाम के एस ओ एस गाँव में दस बच्चों के एक परिवार को सहायता प्रदान की गई। कंपनी द्वारा स्वच्छ कार्य योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के ठाणे एवं पालघर जिलों में शापुर तालुका में तीन आदिवासी आवसीय स्कूलों में सौधा (सोशल अप्लीफ़मेंट अंड डेवलपमेंट ऑफ़ ह्यूमन) के जरिए टॉइलेट/बाथरूम का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत अभियान के सहयोग हेतु स्वच्छ भारत कोश में 50 लाख रु का अंशदान भी किया गया है। कंपनी द्वारा किसी भी आपातकालीन एवं मुश्किल समय जैसे कोविड 19 से निपटने के मूल उद्देश्य से प्रधान मंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत निधि (पी एम केयर्स) में 400 लाख रु का योगदान दिया गया।

कंपनी द्वारा चयन की गई परियोजनाओं के प्रभाव की समीक्षा के लिए एक तीसरे पक्ष में सोलएस कंसल्टिंग प्रा लि के जरिए अध्ययन भी कराया

DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES

A BRIEF OUTLINE OF THE COMPANY'S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) POLICY, INCLUDING OVERVIEW OF PROJECTS OR PROGRAMS PROPOSED TO BE UNDERTAKEN AND A REFERENCE TO THE WEB-LINK TO THE CSR POLICY AND PROJECTS OR PROGRAMS.

The Company has adopted the revised guideline issued by the Department of Public Enterprise (DPE) on CSR in 2014 and has a Board approved CSR policy. A CSR Committee of Board has been constituted to monitor the CSR initiatives of the Company. An aggregate amount of ₹11.82 crore was spent on CSR Activities of the Company during FY 2019-20.

The Company has continued to support five Community Study Centres in Mumbai, M-Ward, Vashi Naka, Mahul Village, Study Centre at Deonar and Scholarship programme through Tata Institute of Social Sciences. The Community study centre aims at providing curriculum based education as well as extracurricular activities for the overall development of the under-privileged students. Two projects on skill development, training of deaf youth in hospitality and retail trade, implemented by Development Education Empowerment of Disadvantage in Society (DEEDS) in Mumbai (Development) and another project of upgradation of skills of Artisan women of Barmer district, Rajasthan, implemented by Concern India Foundation were completed during the FY 2019-20. The Company also initiated a programme with its partner Sanmitra Trust to create awareness of HIV/AIDS and to assist people living with HIV/AIDS by providing medical support, nutrition, counseling, education and confidence-building activities. The Company supported a family of ten children in the SOS village India project in Guwahati, Assam. The Company along with the implementing partner SUADHA (Social Upliftment and Development of Human), constructed toilets/bathrooms in three tribal residential school in Shapur Taluka, Thane district and Palghar District, in Maharashtra under Swachh Action Plan activity of the Company. Further, a contribution of ₹50 lakh was made to the Swachh Bharat Kosh in support of the Swachh Bharat Abhiyan during the year. The Company made a contribution of ₹400 lakh to the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund (PM CARES Fund) with the primary objective of dealing with

गया है जिसका परिणाम संतोषजनक है।

सीएसआर समिति की संरचना :

बोर्ड की सीएसआर समिति में श्री एम सेंथिलनाथन, अ. प्र. नि., ईसीजीसी, श्री बिद्युत बिहारी स्वेन, विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, का.नि., आर. बी. आई.; श्री देवेश श्रीवास्तव, अ.प्र.नि., जीआईसी; श्री शरद कुमार सराफ, अध्यक्ष, एफआईआईओ; तथा श्री सुनील जोशी, का.नि., ईसीजीसी, सदस्य रूप में डीपीई के 01.04.2014 से प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं।

सीएसआर पॉलिसी के तहत का नि की अध्यक्षता में वरिष्ठ कार्यपालकों की एक आंतरिक समिति का भी गठन किया गया है।

कंपनी की अधिनियम की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ

वित्तीय वर्ष	निवल लाभ (₹ करोड़ में)
2016-17	407.49
2017-18	129.78
2018-19	314.39
औसत लाभ	283.89

विहित सीएसआर व्यय

(उपरोक्त के बिन्दु संख्या 3 का 2 प्रतिशत)

वित्तीय वर्ष	बजट का आवंटन (₹ करोड़ में)
2017-18	7.00
2018-19	7.00
2019-20	7.00

वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर पर हुए खर्च का विवरण

(क) वित्तीय वर्ष में कुल खर्च की जाने वाली राशि

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान खर्च की जाने वाली राशि ₹ 7.00 करोड़

(ख) खर्च न की गयी राशि, यदि कोई हो;

वित्तीय वर्ष 2019-20 तक खर्च न की गयी राशि (प्रतिबद्ध राशि को छोड़कर) शून्य

सी एस आर वक्तव्य

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग(डी पी ई) के सीएसआर पर जारी दिशानिर्देशों को अपनाया है और कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति है। कंपनी की सी एस आर गतिविधियाँ स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका, पर्यावरण, संधारणीय विकास, महिला सशक्तीकरण, दिव्यांगों के लिए सेवाओं को मजबूत बनाने और आदिवासी समुदाय को सहायता प्रदान करने हेतु हैं। सी एस आर गतिविधियों का कार्यान्वयन और निगरानी सी एस आर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है।

एम. सेंथिलनाथन

सी ई ओ एवं सी एस आर समिति के अध्यक्ष
डी आई एन 07376766

स्थान : मुंबई

दिनांक : 21 अगस्त 2020

any kind of emergency or distress situation such as those posed by Covid-19 pandemic.

THE COMPOSITION OF CSR COMMITTEE :

CSR Committee of Board comprises of Shri M. Senthilnathan, CMD, ECGC, Shri Bidyut Bihari Swain, Special Secretary, MOC &I, Shri Shirish Chandra Murmu, ED, RBI, Shri Devesh Srivastava, CMD, GIC, Shri Sharad Kumar Saraf, President, FIEO, and Shri Sunil Joshi, ED, ECGC as members for monitoring of the Company's activities/initiatives as per the DPE's revised guidelines effective from April 01, 2014.

As per the CSR policy a committee consisting of internal executives with CMD as the Chairman is also in place.

NET PROFIT OF THE COMPANY FOR LAST THREE FINANCIAL YEARS AS PER SECTION 198 OF THE COMPANY'S ACT.

Financial Year	Net Profit (₹ in crore)
2016-17	407.49
2017-18	129.78
2018-19	314.39
Average Profit	283.89

PRESCRIBED CSR EXPENDITURE

(Two per cent of the amount as in item 3 above)

Financial Year	Allocation of Budget (₹ in crore)
2017-18	7.00
2018-19	7.00
2019-20	7.00

DETAILS OF CSR SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR

(a) Total amount to be spent for FY 2019-20 = ₹ 7 crore

(b) Amount unspent if any:

Amount unspent (Excludes committed amount) up to FY 2019-20 = NIL

CSR STATEMENT

The Company has adopted CSR Policy as per the Guidelines issued by the Department of Public Enterprises and has a Board approved CSR Policy. The Company's CSR activities relates to health, primary education, skill development, ensuring livelihood, environment, sustainable development, women empowerment, strengthening services for the differently-abled and support to Scheduled Tribe community. The implementation and monitoring of the CSR activities is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

Sd/-

Shri M. Senthilnathan
CEO & Chairman of the CSR Committee
DIN 07376766

Place: Mumbai

Date: August 21, 2020



ईसीजीसी द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के अधीन
कूपर अस्पताल, मुंबई को श्रेडर एवं कम्पोस्ट बास्केट
का वितरण

ECGC provided Shredder and distributed Home
Compost Basket at Cooper Hospital, Mumbai under
Corporate Social Responsibility

ईसीजीसी द्वारा अक्टूबर 2019 को लेप्रसी मिशन
अस्पताल, नई दिल्ली में लेप्रसी के मरीजों को सुरक्षात्मक
जूतों का वितरण
Distribution of protective shoes to Leprosy patients
by ECGC at Leprosy Mission India Hospital, New
Delhi in October 2019



निगमित सामाजिक दायित्व के अधीन ठाणे जिला,
महाराष्ट्र में ईसीजीसी द्वारा शौचालय एवं स्नानागार के
निर्माण का प्रायोजन

ECGC sponsored construction of toilets and
bathrooms under Corporate Social Responsibility
activity at Thane district, Maharashtra

स्वच्छ भारत योजना के अधीन ईसीजीसी के
तूतिकोरिन शाखा द्वारा मौखिक स्वच्छता जागरूकता
कैंप का आयोजन

Oral Hygiene Awareness camp organized on
19.10.2019 by ECGC Tuticorin Branch under
Swachh Bharat scheme



(ग) वित्त वर्ष के दौरान किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(c) MANNER IN WHICH THE AMOUNT SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR IS DETAILED BELOW:

(लाख ₹ में) / (₹ in lakh)

क्र. सं. Sr. No.	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि CSR Project or Activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना रक्षित है Sector in which the Project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम 1 स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2 राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना लगाई गयी है। Projects or programs (1) Local Areas or other (2) Specify the State and district where projects and programs were undertaken	परियोजना या कार्यक्रम जिस जिले में परियोजना या कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया Projects or programs - Specify the district where projects or programs was undertaken	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार Amount outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्ष: 1.परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2.ओवरहेड Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय Cumulative Expenditure upto the reporting period	खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से Amount spent: Direct or through implementing agency.
1	वंचित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति (2018-19) Scholarship to underprivileged children (2018-19)	शिक्षा Education	प्रोजेक्ट- महाराष्ट्र Project-Maharashtra	मुंबई Mumbai		72.49	315.73	सामाजिक विज्ञान संस्थान कि जरिए Through :Tata Institute of Social Sciences
2	वंचित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति (2019-20) Scholarship to underprivileged children (2019-20)	शिक्षा Education	प्रोजेक्ट- महाराष्ट्र Project-Maharashtra	मुंबई Mumbai		33.44		सामाजिक विज्ञान संस्थान कि जरिए Through :Tata Institute of Social Sciences
3	सक्षम- सामुदायिक अध्ययन केंद्र Saksham-Community Study Centre	शिक्षा Education	प्रोजेक्ट- महाराष्ट्र Project-Maharashtra	मुंबई Mumbai		113.22	356.09	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान कि जरिए Through :Tata Institute of Social Sciences
4	एम पावर लाइब्रेरी एवं अध्ययन केंद्र M-'Power' library and study Centre	शिक्षा Education	प्रोजेक्ट- महाराष्ट्र Project-Maharashtra	मुंबई Mumbai		63.99	116.87	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान कि जरिए Through :Tata Institute of Social Sciences
5	स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना एवं 3000 शिक्षा छोड़ चुकी छात्राओं को द्वितीयक शिक्षा प्रदान करने हेतु Establishment of Smart classes and support to 3000 drop out girl students to complete their secondary education	शिक्षा Education	परियोजना- मध्यप्रदेश project- Madhya Pradesh	राजगढ़ Rajgarh		150.00	250.00	जिलाधिकारी के जरिए Through: District Collector
6	चेन्नई म्यूनिसिपल कार्पोरेशन में कक्षा सामग्री प्रदान करना Providing classroom item at Middle school Chennai Municipality Corporation	शिक्षा Education	नैर परियोजना- तमिल नाडु Non-Project -Tamil Nadu	चेन्नई Chennai		1.30	1.30	ईसीजीसी ECGC

क्र. सं. Sr. No.	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि CSR Project or Activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना रक्षित है Sector in which the Project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम 1 स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2 राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना लगाई गयी है। Projects or programs (1) Local Areas or other (2) Specify the State and district where projects and programs were undertaken	परियोजना या कार्यक्रम जिस जिले में परियोजना या कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया Projects or programs - Specify the district where projects or programs was undertaken	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार Amount outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्षः 1.परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2.ओवरहेड Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय Cumulative Expenditure upto the reporting period	खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से Amount spent: Direct or through implementing agency.
7	आनंदालय आसाम एवं अरुणाचल प्रदेश में विवेकानंद आश्रम का संचालन (2019-20) Running of Anandalayas Vivekananda Kendra, Assam & Arunachal Pradesh(2019-20)	शिक्षा Education	प्रोजेक्ट आसाम Project- Assam	विभिन्न जिले Multiple districts		42.20		विवेकानंद केंद्र के जरिए Through: Vivekananda Kendra
8	आनंदालय आसाम एवं अरुणाचल प्रदेश में विवेकानंद आश्रम का संचालन (2018-19) Running of Anandalayas Vivekananda Kendra, Assam & Arunachal Pradesh(2018-19)	शिक्षा Education	प्रोजेक्ट आसाम Project- Assam	विभिन्न जिले Multiple districts		10.20	97.57	विवेकानंद केंद्र के जरिए Through: Vivekananda Kendra
9	वेसांग में कक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता Classroom infrastructure support to school, Wessang	शिक्षा Education	गैर परियोजना अरुणाचल प्रदेश Non- Project- Arunachal Pradesh	पूर्व केमंग East Kameng		20.27	27.02	विवेकानंद केंद्र के जरिए Through: Vivekananda Kendra
10	ओड़ीशा में आनंदालय में विवेकानंद आश्रम का संचालन (2018-19) Running of Anandalayas Vivekananda Kendra, Odisha	शिक्षा Education	प्रोजेक्ट ओड़ीशा Project- Odisha	ओड़ीशा Odisha		4.29	4.29	विवेकानंद केंद्र के जरिए Through: Vivekananda Kendra
11	सामुदायिक कंप्यूटर केंद्र, विवेकानंद ओड़ीशा Community Computer Centre Vivekananda Kendra, Odisha	शिक्षा Education	प्रोजेक्ट ओड़ीशा Project- Odisha	ओड़ीशा Odisha		1.31	8.49	विवेकानंद केंद्र के जरिए Through: Vivekananda Kendra
12	एस ओ एस विलेज इंडिया द्वारा संचालित बच्चों के एक घर को स्कूल शिक्षा Providing school education to a home consisting of children run by SOS Village India	शिक्षा Education	प्रोजेक्ट आसाम Project- Assam	गुवाहाटी Guwahati		9.07	9.07	विवेकानंद केंद्र के जरिए Through: Vivekananda Kendra

क्र. सं. Sr. No.	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि CSR Project or Activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना रक्षित है Sector in which the Project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम 1 स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2 राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना लगाई गयी है। Projects or programs (1) Local Areas or other (2) Specify the State and district where projects and programs were undertaken	परियोजना या कार्यक्रम जिस जिले में परियोजना या कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया Projects or programs - Specify the district where projects or programs was undertaken	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार Amount outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्षः 1.परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2.ओवरहेड Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय Cumulative Expenditure upto the reporting period	खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से Amount spent: Direct or through implementing agency.
13	मोबाइल लाइब्रेरी सहित ऑडियो विजुयल वैन विवेकानंद केंद्र ओड़ीशा Mobile Library cum Audio visual van Vivekananda Kendra, Odisha	शिक्षा Education	प्रोजेक्ट ओड़ीशा Project- Odisha	संभलपुर Sambalpur		1.10	11.66	विवेकानंद केंद्र के जरिए Through: Vivekananda Kendra
14	सोलर लैंप प्रदान करना Providing of Solar Lamps	शिक्षा Education	तमिलनाडू परियोजना Project-Tamil Nadu	कोल्लि हिल्स के सेत्तूर गाँव Settur Village of Kolli Hills		10.00	10.00	अभिनवग्राम सोसाइटी के जरिए Through: Abhinavgram Society
15	पीएम केयर फंड PM CARES Fund	स्वास्थ्य Healthcare	गैर परियोजना दिल्ली Non-Project-Delhi	दिल्ली Delhi		400.00	400.00	सीधे Direct
16	मुफ्त प्राथमिक सहायता प्रदान करने वाली मोबाइल मेडिकेयर यूनिट Mobile Medicare Unit- provide free primary medical assistance	स्वास्थ्य Healthcare	प्रोजेक्ट ओड़ीशा Project- Odisha	संभलपुर Sambalpur		12.61	12.61	विवेकानंद केंद्र के जरिए Through: Vivekananda Kendra
17	सेव ए चाइल्ड परियोजना Save a Child Project	स्वास्थ्य Healthcare	तमिलनाडू परियोजना Project-Tamil Nadu	चेन्नई Chennai		2.02	53.01	एकम फाउंडेशन के जरिए Through Ekam Foundation
18	मूल प्राथमिक चिकित्सा सहायता Providing of basic primary medical Assistance	स्वास्थ्य Healthcare	प्रोजेक्ट महाराष्ट्र Project- Maharashtra	पुणे Pune		15.12	15.12	वनवासी आश्रम कल्याण के जरिए Through: Vanvasi Ashram Kalyan
19	चिकित्सा सर्जरी केंद्र Medical surgery camps	स्वास्थ्य Healthcare	प्रोजेक्ट आसाम Project- Assam	डिब्रुगढ़ Dibrugarh		8.47	30.97	विवेकानंद केंद्र के जरिए Through: Vivekananda Kendra

क्र. सं. Sr. No.	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि CSR Project or Activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना रक्षित है Sector in which the Project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम 1 स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2 राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना लगाई गयी है। Projects or programs (1) Local Areas or other (2) Specify the State and district where projects and programs were undertaken	परियोजना या कार्यक्रम जिस जिले में परियोजना या कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया Projects or programs - Specify the district where projects or programs was undertaken	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार Amount outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्षः 1.परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2.ओवरहेड Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय Cumulative Expenditure upto the reporting period	खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से Amount spent: Direct or through implementing agency.
20	लेप्रोसी मरीजों को सुरक्षा जूते प्रदान करना Providing protective shoes to Leprosy patients	स्वास्थ्य Healthcare	नई दिल्ली New Delhi	दिल्ली Delhi		10.00	10.00	लेप्रोसी ट्रस्ट मिशन के जरिए Through: Leprosy Trust Mission India
21	एच आई वी/एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने एवं एच आई वी/एड्स से ग्रस्त लोगों को चिकित्सा मदद, न्यूट्रिशन, परामर्श शिक्षा एवं आत्मविश्वास बढ़ाने की गतिविधियों के जरिए सहायता Creating Awareness of HIV/Aids and Support to people living with Aids -Sanmitra Trust	स्वास्थ्य Healthcare	प्रोजेक्ट महाराष्ट्र Project-Maharashtra	मुंबई Mumbai		10.00	10.00	संमित्र ट्रस्ट के जरिए Through :Sanmitra Trust
22	कृत्रिम अंगों का वितरण - एलिमको Distribution of artificial limbs -ALIMCO	स्वास्थ्य Healthcare	प्रोजेक्ट आसाम Project- Assam	गुवाहाटी Guwahati		5.96	5.96	एलिमको के जरिए Through Alimco
23	टी बी से पीड़ित 400 मरीजों की सहायता Assistance for treatment of 400 patients suffering from Tuberculosis	स्वास्थ्य Healthcare	प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश Project- Uttar Pradesh	वाराणसी Varanasi		10.00	30.00	संकल्प फाउंडेशन के जरिए Through: Sankalp Foundation
24	बैंगलोर में ओल्ड एज होम में दो कमरों का निर्माण Contribution to construction of two rooms at Old Age Home, Bangalore	वरिष्ठ नागरिकों हेतु सहायता Support to Senior Citizens	प्रोजेक्ट कर्नाटक Project-Karnataka	बैंगलोर Bangalore		5.00	5.00	वनप्रस्थ आश्रम के जरिए Through: Vanprastha Ashram

क्र. सं. Sr. No.	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि CSR Project or Activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना रक्षित है Sector in which the Project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम 1 स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2 राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना लगाई गयी है। Projects or programs (1) Local Areas or other (2) Specify the State and district where projects and programs were undertaken	परियोजना या कार्यक्रम जिस जिले में परियोजना या कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया Projects or programs - Specify the district where projects or programs was undertaken	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार Amount outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्षः 1.परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2.ओवरहेड Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय Cumulative Expenditure upto the reporting period	खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से Amount spent: Direct or through implementing agency.
25	दृष्टि बाधित लोगों के लिए मुड़ने वाली छड़ी का वितरण Distribution of folding canes to persons with visually impaired	दिव्यांगों हेतु सहायता Support to differently abled	गैर परियोजना- महाराष्ट्र Non-Project -Maharashtra	मुंबई Mumbai		1.18	1.18	ब्लाइंड ओर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया Blind Organisation of India
26	स्वच्छ भारत कोश में योगदान Contribution to Swachh Bharat Kosh	स्वच्छता Sanitation	गैर परियोजना दिल्ली Non-Project - Delhi	दिल्ली Delhi		50.00	50.00	सीधे Direct
27	आदिवासी छात्रावास में टॉइलेट एवं बाथरूम का निर्माण Construction of Toilets and bathrooms at tribal girl's Hostel	स्वच्छता Sanitation	प्रोजेक्ट महाराष्ट्र Project- Maharashtra	ठाणे Thane		26.51	26.51	सौधा के जरिए Through: SUADHA
28	स्वच्छता पखवाड़ा Swachhta Pakhawada	स्वच्छता Sanitation	गैर परियोजना- अखिल भारत Non-Project- All India	अखिल भारत All India		9.63	9.63	सीधे Direct
29	स्थापना दिवस पर सी एस आर गतिविधि CSR Activity on Foundation day	शिक्षा, स्वच्छता, वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य Education, Sanitation, Old age, Healthcare	गैर परियोजना- अखिल भारत Non- Project- All India	अखिल भारत All India		5.55	5.55	सीधे Direct
30	प्रशासनिक व्यय Administrative Expenses		गैर परियोजना- अखिल भारत Non-Project- All India	अखिल भारत All India		0.97	0.97	सीधे Direct
31	हॉस्पिटलेटी एवं रिटेल उद्योग में श्रवणहीन युवाओं को प्रशिक्षण - डीड्स Training to deaf youth on Hospitality and Retail Industry- DEEDS	कौशल विकास Skill Development	प्रोजेक्ट महाराष्ट्र Project- Maharashtra	मुंबई Mumbai		11.00	22.00	डीड्स के जरिए Through: DEEDS

क्र. सं. Sr. No.	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि CSR Project or Activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना रक्षित है Sector in which the Project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम 1 स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2 राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना लगाई गयी है। Projects or programs (1) Local Areas or other (2) Specify the State and district where projects and programs were undertaken	परियोजना या कार्यक्रम जिस जिले में परियोजना या कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया Projects or programs - Specify the district where projects or programs was undertaken	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार Amount outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्षः 1.परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2.ओवरहेड Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय Cumulative Expenditure upto the reporting period	खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से Amount spent: Direct or through implementing agency.
32	बाड़मेर में महिला कारीगरों का कौशल विकास Upgradation of skills to artisan women of Barmer	कौशल विकास Skill Development	प्रोजेक्ट राजस्थान Project - Rajasthan	बाड़मेर Barmer		10.83	25.00	कंसर्न इंडिया फाउंडेशन के जरिए Through: Concern India Foundation
33	किसानों के लिए क्षमता निर्माण Capacity Building of farmers	कौशल विकास Skill Development	प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश Project- Uttar Pradesh	फतेहपुर Fatehpur		8.37	25.00	बायोवेड के जरिए Through: Bioved
34	कौशल विकास पर बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण Training of unemployed youth on skill development	कौशल विकास Skill Development	प्रोजेक्ट महाराष्ट्र Project- Maharashtra	मुंबई Mumbai		46.41	89.01	शेड के जरिए Through: SHED
35	अक्टूबर 2019 के दौरान चिकित्सा सर्जरी कैंप आयोजित करना Organizing medical surgery camp during October 2019							
				कुल TOTAL		1182.51	2035.61	

एम. सेंथिलनाथन
सी ई ओ एवं सी एस आर समिति के अध्यक्ष
डी आई एन 07376766
Sd/-
M. Senthilnathan
CEO & Chairman of the CSR Committee
DIN 07376766

स्थान : मुंबई
दिनांक : 21 अगस्त 2020
Place: Mumbai
Date: August 21, 2020

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

वर्ष 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय विवादों, भू-राजनीतिक तनाव, टैरिफ युद्धों और नीतिगत अनिश्चितताओं के कारण गिरावट जारी रही, जो उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई), जिनकी वैश्विक विकास में 2018 में 3% तक बड़ी हिस्सेदारी रही, के अंतर्निहित जोखिमों के चलते और बढ़ गई। समायोजनकारी मौद्रिक नीति और मरिस्क-ऑन/रिस्क-ऑफ स्थिति से वापसी करने वाली विश्व विकास दर, 2019 के उत्तरार्ध में सबसे निचले स्तर पर पहुंचने के बाद ठीक होने की उम्मीद थी। हालांकि, यह कोविड 19 की शुरुआत से पहले और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर इसके आर्थिक प्रभाव, उपभोग और व्यय के स्तर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अनुमान था।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (जीई) की जीडीपी विकास दर 2018 में 2.2% से धीमी होकर 2019 में 1.7% हो गई। धीमा निवेश और निर्यात अमेरिकी विकास दर ने पिछले वर्ष के 2.9% से 2019 में 2.3% तक सीमित कर दिया। यूरो क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि विकास दर 2018 में 1.9% से गिरकर 1.3% हो जाने के कारण काफी बिगड़ गई। क्षेत्र की कई अर्थव्यवस्थाएँ 2019 में, विशेष रूप से जर्मन औद्योगिक क्षेत्र में कमजोरी, मांग में गिरावट, ऑटोमोबाइल में व्यावधान और ब्रेक्सिट अनिश्चितता के कारण कुछ हद तक मंदी के कगार पर चली गई।

उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) की जीडीपी वृद्धि भी 2018 के 4.3% से धीमी होकर 2019 में औद्योगिक उत्पादन, व्यापार प्रवाह और निवेश मंदी में काफी कमजोर होकर 3.7 प्रतिशत रही। कुल मिलाकर, लगभग 60% ईएमडीई में वृद्धि पिछले साल धीमी होने का अनुमान रहा। बाहरी मांग में नरमी, कमजोर वस्तु प्रक्रिया और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से कम आय वाले देशों में वसूली को बाधित किया, जहां 2019 में वृद्धि अनुमानित 5.4% तक गिर गई।

वैश्विक व्यापार (वस्तुओं और सेवाओं) की मात्रा में वृद्धि पिछले वर्ष में 3.9% की तुलना में वर्ष 2019 में 0.3% तक गिर गई। जबकि जी 20 देशों में विनिर्माण क्षेत्र में भारी गिरावट हुई, इन देशों द्वारा अकेले संरक्षणवादी उपायों को लागू किया गया जिसके कारण वर्ष 2018 में ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के व्यापार प्रवाह के प्रभावित होने का अनुमान है। मूल्य के संदर्भ में, माल निर्यात वर्ष 2019 में 3% घटकर 18.89 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मात्रा के लिहाज से यह गिरावट 0.1% थी। इसके विपरीत, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात के मूल्य में 2% की वृद्धि हुई और 2019 में 6.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रही। निर्यात के साथ, माल आयात भी 2019 में (-) 2.9% से घटकर 19.23 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। कुल मिलाकर वर्ष 2019 में ईएमडीई के साथ तुलना में ईई का व्यापार प्रदर्शन बेहतर था। वार्षिक आधार पर ईएमडीई से निर्यात की मात्रा में 3.3% से 0.8% की गिरावट आई, जबकि ईईएस 2.1% घटकर 1.2% हो गया। ईएमडीई और ईई से आयात की मात्रा क्रमशः -0.8% (5.1% से) और 1.5% (3.3% से) तक गिर गई।

GLOBAL ECONOMY AND TRADE

The global economy in 2019 continued to be weighed down by regional disputes, geopolitical tensions, tariff wars, and policy uncertainties, further compounded by the inherent risks of the Emerging Market Economies (EMEs), that had a large share in the 3% global growth rate of 2018. The world growth rate, underpinned by accommodative monetary policy and the retreat from the 'risk-on / risk-off' situation, was expected to recover after reaching the lowest level in the later half of 2019. This was, however, before the onset of the COVID-19 pandemic and its economic ramifications on supply chains, the levels of consumption and spending and international trade.

The GDP growth rate of the Advanced Economies (AEs) slowed markedly from 2.2% in 2018 to 1.7% in 2019. Slow investment and exports narrowed the US growth rate from 2.9% in the previous year to 2.3% in 2019. Economic activity of the Euro area significantly deteriorated with the growth rate falling from 1.9% in 2018 to 1.3%. Several economies of the area were pushed to the verge of a recession at some point in 2019, with particular weakness witnessed in the German industrial sector due to fall in demand, disruptions in automobiles, and Brexit uncertainty.

The GDP growth of Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) also significantly slowed down from 4.3% in 2018 to 3.7% in 2019 with substantial weakness in industrial production, trade flows and investment deceleration. In all, growth in about 60% of EMDEs is estimated to have slowed last year. Softening external demand, weaker commodity process and political instability stalled recovery in low-income countries where the growth fell to an estimated 5.4% in 2019.

The growth in volume of global trade (goods and services) witnessed a steep fall to 0.3% in 2019 from 3.9% in the previous year. While there was a severe decline in the manufacturing sector in G20 countries, the protectionist measures implemented by these countries alone, since 2018 is also estimated to have affected over USD one trillion worth of trade flows. In value terms, the merchandise exports dropped by 3% to USD 18.89 trillion in 2019. In volume terms, the fall was by 0.1%. In contrast, the value of commercial services exports grew by 2% and stood at USD 6.03 trillion in 2019. In tandem with the exports performance, the merchandise import also dropped by (-) 2.9% to USD 19.23 trillion in 2019. Overall, the trade performance of the AEs was better in comparison with the EMDEs in 2019. The volume of exports from the EMDEs declined y-o-y by 3.3% to 0.8% while that of the AEs declined by 2.1% to 1.2%. The

पहले से ही सुस्त वैश्विक व्यापार प्रदर्शन में चुनौतियों ने कोविड-19 महामारी के साथ कई गुना वृद्धि की है जिसने मांग और आपूर्ति को झटका दिया है। दुनिया लंबे समय तक मंदी, उपभोग के स्तर, गिरते कर्ज के बोझ, और महामारी के परिणामस्वरूप कम होते निर्यात मांग का सामना कर रही है।

परिदृश्य

कोविड 19 के कारण आर्थिक गिरावट का अभूतपूर्व प्रभाव है। अधिकांश देश पहले से ही आर्थिक गतिविधियों के गंभीर संकुचन का अनुभव कर रहे हैं। लंबे समय तक अस्थायी बंद होने और लोगों और माल की मुक्त आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण सीमित व्यावसायिक संचालन ने कंपनियों की अपनी व्यापार प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है।

वर्ष 2008-09 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद हुई गिरावट की तुलना में विभिन्न भविष्यवाणियां कोविड से होने वाले वित्तीय घाटे के पैमाने को उससे बदतर मानती हैं। सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने और रिवर्स स्प्लाइ चैन संलयन के जोखिम से जुड़ी अनिश्चितताओं के स्तर को विश्व आर्थिक उत्पादन के संकुचन का कारण माना जा रहा है और ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और एयरलाइंस जैसी जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले क्षेत्रों में अधिक जोखिम होगा। आई एम एफ द्वारा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं पर (-) 8%, और उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पर (-) 3% के साथ 4.9% के संकुचन का अनुमान है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कम से कम 13% की गिरावट और सबसे खराब 32% की गिरावट का अनुमान लगाया है। तथापि लगभग सभी क्षेत्रों में दोहरे अंकों में गिरावट देखी जाएगी, उत्तरी अमेरिका और एशिया से निर्यात सबसे कठिन होगा।

निर्यातान्मुखी अर्थव्यवस्थाओं के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि घटती आय और उपभोग के स्तर के कारण माल की घटती आवाजाही मांग के लिए हानिकारक होगी। व्यापार वित्त और क्रेडिट बीमा को एक प्रमुख भूमिका निभानी होगी। वर्ष 2018 में, क्रेडिट बीमाकर्ताओं ने 2.5 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक निर्यात को रक्षा प्रदान की। यह वी-आकार की रिकवरी सुनिश्चित करते हुए लगभग पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होना अनुमानित है।

जैसा कि महामारी ने परिदृश्य को बदलते हुए अर्थव्यवस्थाओं के लचीलेपन का परीक्षण किया है, भविष्य में विकास की गति को बढ़ाने के लिए उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकता होगी। एमएसएमई उद्योगों और उनकी तरलता व्यवस्था पर एक बड़ा ध्यान केंद्रित किया जाएगा क्योंकि यह सबसे कठिन क्षेत्र है। राजकोषीय नीति बनाकर अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय बैंकों की रहेगी जो तरलता और वित्तीय बाजार स्थिरता सुनिश्चित करें, पहले से ही दबे हुए ऋण स्तरों के पुनर्गठन और प्रबंधन की व्यवस्था करें।

भारत के निर्यात

वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान भारत के निर्यातों (वस्तु एवं सेवा दोनों) का मूल्य 538.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹37,63,940 करोड़) की तुलना में वर्ष प्रति वर्ष पर डॉलर मूल्य में 7.97% की तथा रूपया मूल्य में (-) 1.9% की प्रतिकूल वृद्धि दर्ज करते हुए \$527.84

import volume from the EMDEs and the AEs fell to -0.8% (from 5.1%) and to 1.5% (from 3.3%) respectively.

Adding to the already sluggish global trade performance, the challenges have increased manifold with the COVID-19 pandemic that has aggravated demand and supply shocks. The world is staring at a prolonged slowdown, falling consumption levels, arduous debt burden, and contracting export orders as a result of the pandemic.

OUTLOOK

The impact of the economic fallout due to the COVID-19 is unprecedented. Most countries are already witnessing severe contraction of economic activities. Limited business operations due to prolonged temporary closures and restrictions on the free movement of people and goods have severely limited the companies' ability to meet their trade commitments.

Various predictions place the scale of financial losses arising from COVID-19 to be worse than the decline seen in the aftermath of the Global Financial Crisis in FY 2008-09. The level of uncertainties associated with the resumption of normal activities and the risk of "reverse supply chain contagion" is estimated to cause a contraction of world economic output and the sectors with complex supply chains like the automobile, textile and airlines will have a significant exposure to risk. The IMF places this contraction at 4.9% with the advanced economies contracting at (-) 8% and the EMDEs at (-) 3%. The WTO has forecast a drop in international trade by between 13% at best and 32% at worst in 2020. While a double-digit decline will be witnessed by almost all the regions, exports from North America and Asia will be the hardest hit.

Export-oriented economies are likely to be hit the most as declining income and consumption levels will be detrimental to demand leading to curtailed movement of goods. Trade finance and credit insurance will be required to play a major role. In 2018, the credit insurers covered USD 2.5 trillion of global exports. A higher support of nearly USD five trillion is estimated to ensure a V-shaped recovery.

As the pandemic tests the resilience of the economies while altering the landscape significantly, a broad range of measures will be required to bolster the growth stimulus in future. A major focus would be on the MSME industries and their liquidity arrangement as this is the hardest hit sector. An important role will be played by the Central Banks of countries in the revival of the economies by creating a fiscal space that ensures liquidity and financial market stability, supporting restructuring and managing the already burgeoning debt levels.

INDIA'S EXPORTS

During the FY 2019-20, India's Merchandise and Services exports stood at US \$527.84 billion (₹37,40,881 crore), reflecting a negative growth of (-) 1.9 per cent over the

बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹37,40,881 करोड़) रहा।

अप्रैल-मार्च 2019-20 के दौरान समग्र आयात 605.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहे (₹42,88,706 करोड़) जो कि पिछले वर्ष समान अवधि की तुलना में (-) 5.4 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाते हैं।

वित्त वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए भारत के वस्तु निर्यात का मूल्य 313.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹22,18,942 करोड़) रहा जो कि पिछले साल की समान अवधि में 330.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹23,07,663 करोड़) था। यह डॉलर के संदर्भ में (-) 5.1 प्रतिशत और रुपये के संदर्भ में (-) 3.9 की प्रतिकूल वृद्धि को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए भारत के वस्तु आयात का मूल्य 473.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹33,55,725 करोड़) रहा जो कि पिछले साल की समान अवधि में 514.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹35,94,373 करोड़) था। यह डॉलर के संदर्भ में (-) 7.8 प्रतिशत और रुपये के संदर्भ में (-) 6.6 की प्रतिकूल वृद्धि को दर्शाता है। निर्यात में गिरावट मुख्य रूप से वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण रही, जो कोविड -19 के कारण होने वाले स्वास्थ्य संकट से और बढ़ गई थी। इससे आपूर्ति श्रृंखलाओं में बड़े पैमाने पर व्यावधान पैदा हुआ है और मांग को रद्द करने का कारण बने।


तथापि वित्तीय वर्ष 2018-19 में सेवा व्यापार (निर्यात-आयात) शेष 83.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹5,88,958 करोड़) परिलक्षित हुआ, जबकि वस्तु व्यापार में \$160.75 बिलियन (₹11,36,783 करोड़) आयात घाटा प्रतिबिंबित हुआ। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान समग्र व्यापार हानि 77.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹5,47,825 करोड़) रही।

कंपनी के परिचालनों की समीक्षा

अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ

ईसीजीसी के फोल्ड में निर्यात प्राप्य (अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ) पर कंपनी की रक्षा प्राप्त करने वाले निर्यातकों की संख्या दिनांक 31 मार्च 2020 को पिछले वर्ष 31 मार्च 2019 के 8449 की तुलना में 7843 निर्यातक थी। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान जारी 13487 की तुलना में 12673 अल्पावधि (आ व) निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियां जारी तथा नवीकृत की गयीं। दिनांक 31 मार्च 2020 को दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹44,077.51 रु की कुल अधिकतम देयता के साथ प्रभावी 12325 पॉलिसियों की तुलना में ₹43,432.40 करोड़ रु की अधिकतम देयता के साथ कुल 11598 पॉलिसियां प्रभावी रहीं, जो कि प्रभावी पॉलिसियों में 5.89% की कमी तथा

प्रदत्त सकल दावों की प्रवृत्तियाँ - पॉलिसी-अल्पावधि (करोड़ ₹ में)
Trends in Gross Claims Paid-Policy Short Term (₹ in Crore)



total exports of USD 538.07 billion (₹37,63,940 crore) in FY 2018-19. Overall imports in April-March 2019-20 were US \$605.55 billion (₹42,88,706 crore), reflecting a negative growth of (-) 5.4 per cent over the same period last year.

The value of India's Merchandise exports for the FY 2019-20 was US\$313.23 billion (₹22,18,942 crore) as against US \$330.07 billion (₹23,07,663 crore) over the same period last year, registering a negative growth of (-) 5.1% in Dollar terms and (-) 3.9% in Rupee terms.

The total value of merchandise imports for the period April-March 2019-20 was USD 473.99 billion (₹33,55,725 crore), as against USD 514.03 billion (₹35,94,373 crore) during the same period in 2018-19, registering a negative growth of (-) 7.8 per cent and (-) 6.6 per cent in Dollar and Rupee terms respectively. The decline in exports is mainly due to the global economic slowdown, which was further aggravated by the health crisis caused by Covid-19. This has resulted in large-scale disruptions in supply chains and demand leading to order cancellations.

While the service trade balance (i.e., Exports - Imports) reflected a surplus of US\$ 83.05 billion (₹5,88,958 crore) in the FY 2019-20, the Merchandise trade balance reflected a deficit of US\$160.75 billion (₹11,36,783 crore). The overall Trade deficit for the FY 2019-20 stands at USD 77.70 billion (₹5,47,825 crore).

OVERVIEW OF COMPANY'S OPERATIONS

SHORT-TERM EXPORT CREDIT INSURANCE POLICIES

The number of distinct exporters availing themselves of the Company's cover for export receivables (Short-Term Export Credit Insurance Policies) was 7843 as of 31st March, 2020 as against 8449 as of 31st March, 2019. During the FY 2019-20, the total number of Short-Term (ST) Export Credit Insurance Policies issued and renewed was 12673 as against 13487 issued during previous FY 2018-19. The number of ST Policies in force as of 31st March, 2020 was 11598 with a total Maximum Liability (ML) of ₹43,432.40 crore as against 12325 policies in

force with a total ML of ₹44,077.51 crore as of 31st March, 2019, showing a decrease of 5.89% in the number of policies in force and a negative growth of 1.46% in the total ML in force. The total number of fresh policies issued during the year was 4956 out of which 1231 were WT policies.

The share of distinct exporters belonging

प्रभावी अधिकतम देयता में 1.46% की कमी को दर्शाता है. वर्ष के दौरान कुल 4956 पॉलिसियां जारी की गयीं जिसमें 1231 सम्पूर्ण पण्यवर्त पॉलिसियां हैं।

31 मार्च 2019 को कंपनी के पॉलिसी उत्पादधारक सुक्ष्म लघु व मध्यम निर्यातक (एम एस एम ई) क्षेत्र से सम्बंधित 98.11% महत्वपूर्ण निर्यातकों की तुलना में 31 मार्च 2020 को 98.20% सुक्ष्म, लघु व मध्यम निर्यातक (एम एस एम ई) निर्यातक रहे. (एम एस एम ई वे निर्यातक हैं जिन पर 40 करोड़ रु तक अथवा उससे कम की अधिकतम देयता के साथ पॉलिसी रक्षा जारी की जाती है.)

घोषणा आधारित पॉलिसियां जैसे पोतलदान व्यापक जोखिम पॉलिसी (एस सी आर), निर्यात पण्यवर्त पॉलिसी (ई टी पी), सेवा पॉलिसी, लघु निर्यातक पॉलिसी (एस ई पी), खरीदारवार पॉलिसी, परेषण पॉलिसियों आदि का हिस्सा वित्त वर्ष 2019-20 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रभावी पॉलिसियों में 54.79% पर सबसे अधिक रहा। वित्त वर्ष 2019-20 को समाप्त वर्ष के दौरान जोखिम आधारित पॉलिसियां जैसे एम् बी ई पी, एस बी ई पी, एम् आई टी ई एस (बहु ग्राहक), एस आई टी ई एस (विशिष्ट रक्षा) आदि का हिस्सा 45.21% रहा। दिनांक 31 मार्च 2020 तक प्रभावी जोखिम आधारित पॉलिसियों की संख्या यथा बहु खरीदार जोखिम पॉलिसी (एम् बी ई पी), एकल खरीदार जोखिम पॉलिसी (एस बी ई पी), एम् आई टी ई एस, एस आई टी ई एस आदि दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 5333 की तुलना में 5244 रहीं, जो कि 89 पॉलिसियों की कमी को दर्शाता है।


वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अधिक कुल संरक्षित कारोबार 8.15% की वृद्धि दर्ज करते हुए, पिछले वर्ष ₹ 198817 करोड़ की तुलना में ₹ 2,15,021.77 करोड़ रहा। अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन प्रीमियम आय 2.19% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वित्त वर्ष के दौरान ₹ 412.26 करोड़ की तुलना में ₹ 403.24 करोड़ रही। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन पिछले वर्ष 2018-19 के कुल ₹ 168.13 करोड़ के 541 दावों की तुलना में कुल ₹ 147.02 करोड़ के 463 दावों की अदायगी की गयी।

एस टी पॉलिसी के अधिन पिछले वर्ष ₹ 21.47 करोड़ की वसूली की तुलना में 52.25% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 10.25 करोड़ की वसूली की गयी।

ग्राहक विशिष्ट रक्षाएं

ईसीजीसी, द्वारा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) के अनुमोदन से पॉलिसीधारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहक विशिष्ट रक्षाएँ (सी एस सी) प्रारम्भ की

to the Micro, Small and Medium Exporters (MSME) sector, holding the Company's policy products in the total no. of distinct exporter clients was 98.20% as of 31st March, 2020 as against 98.11% as of 31st March 2019 (MSME are those exporters with policy covers with ML less than or equal to ₹40 crore).



Declaration-based policies viz. Shipment (Comprehensive Risks) (SCR) Policies, Export Turnover Policies (ETP), Services Policies, Small Exporter's Policies (SEP), Buyer-Wise Policies, Consignment Policies etc. continued to maintain the larger share at 54.79% of the policies in force as at the end of FY 2019-20. Exposure-

based policies like Multi-Buyer Exposure Policy, Single Buyer Exposure Policy, IT-Enabled Services Policy (Multi-Customer), IT-Enabled Services Policy (Specific Customer) etc. had a share of 45.21% of the policies in force as at the end of FY 2019-20. As of March 31, 2020, the total number of exposure-based shipment policies in force viz. MBEP, SBEP, MITES, SITES etc. was 5244 as against 5333 as of 31st March, 2019, indicating a decrease of 89 in number.

Total business covered under the ST Policies during the FY 2019-20 was ₹2,15,021.77 crore, as against ₹1,98,817 crore during the previous year, thereby registering a growth of 8.15%. The premium income under ST Policies was ₹403.24 crore as against ₹412.26 crore in the previous FY, registering a negative growth of 2.19%. The total number of claims paid under ST Policies during FY 2019-20 was 463 amounting to ₹147.02 crore as against 541 claims amounting to ₹168.13 crore during the previous FY 2018-19.

Recovery under ST Policy was ₹10.25 crore as against ₹21.47 crore during the previous year, showing a negative growth of 52.25%.

CUSTOMER SPECIFIC COVERS

The Company had, with the approval of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), introduced Customer Specific Covers (CSC) which are tailor-made to suit specific requirements of the policyholders where none of the existing standard products are found suitable. The CSC Policies are structured by combining certain features of two or more standard products approved by the IRDAI, while having the predominant features of one product which is considered to be the base policy.



ईसीजीसी के अंधेरी शाखा द्वारा मेसर्स
रेनेसांस ग्लोबल लि को दावा भुगतान

Claim payment to M/s Renaissance
Global Ltd by ECGC Andheri Branch

ईसीजीसी के मदुरै शाखा द्वारा यूनियन बैंक
ऑफ़ इंडिया को ईसीआईबी दावा भुगतान

ECIB Claim payment to Union Bank
of India by ECGC Madurai Branch



ईसीजीसी के बेंगलूरु बैंक कारोबार शाखा द्वारा आई डी बी आई बैंक, बेंगलूरु को ईसीआईबी दावा भुगतान
ECIB Claim payment to IDBI Bank, Bangalore by ECGC Bangalore Bank Business Branch

जो कि वर्तमान उत्पादों के ग्राहकों के अनुकूल न होने पर विशेष रूप से डिजाइन की जाती हैं। सी एस सी पॉलिसियाँ आई आर डी ए द्वारा दो अनुमोदित अथवा अधिक मानक उत्पादों की निश्चित विशेषताओं को मिलाकर तैयार की जाती हैं। जिसमें किसी एक उत्पाद के विशेष लक्षण समाहित होते हैं जिसे आधार पॉलिसी माना जाता है।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹7310.17 करोड़ की अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 290 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियों की तुलना में ₹6666.19 करोड़ अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 272 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियाँ जारी की गईं। 31 मार्च 2020 तक, पिछले वर्ष के ₹4643.61 करोड़ अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 148 सी एस सी पॉलिसियों की तुलना में ₹3,493.87 करोड़ अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 112 सी एस सी पॉलिसियाँ सक्रिय रहीं। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, सी एस सी पॉलिसियों के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹93.39 करोड़ की तुलना में ₹ 89.36 करोड़ रही। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष के ₹ 21.69 करोड़ की तुलना में कुल ₹20.61 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।

बैंकों हेतु अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा(ईसीआईबी) रक्षाएं

वित्त वर्ष 2019-20 हेतु अल्पावधि ईसीआईबी के अंतर्गत जमा प्रीमियम पिछले वर्ष से 20.08% की कमी दर्ज करते हुए ₹644.79 (पिछले वर्ष ₹806.83 करोड़) करोड़ रहा। ईसीआईबी से प्राप्त प्रीमियम वर्ष 2019-20 हेतु सभी क्षेत्रों से प्राप्त सकल प्रीमियम का 59.95% रहा। पिछले वित्तीय वर्ष में अदा किये गए कुल 184 दावों की तुलना में

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान दावों के भुगतान की संख्या घट कर 91 हो गई है तथा वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भुगतान किए गए दावों के मूल्य में भी पिछले वर्ष के ₹813.39 करोड़ के मुकाबले कमी दर्ज की गई है और ये घटकर वर्ष 2019-20 में ₹261.65 करोड़ रह गया है। इसी प्रकार चालू वर्ष के दौरान वसूलियाँ, पिछले वर्ष के ₹129.36 करोड़

के मुकाबले ₹156.17 करोड़ रहीं। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान दावों की अदायगी में लगने वाला औसत समय पिछले वर्ष के 60.10 दिनों की तुलना में सुधर कर 58.62 दिन हो गया है। जारी की गई विभिन्न ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन कंपनी द्वारा रक्षित कुल जोखिम मूल्य, जिसकी गणना सम्पूर्ण पण्यवर्त (डब्ल्यू टी) के लिए औसत दैनिक उत्पाद (ए डी पी) तथा एकल रक्षाओं के लिए बैंकों द्वारा सूचित अनुसार उच्चतम

During the FY 2019-20, 272 customized policies were issued/renewed with a total Maximum Liability/Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹6,666.19 crore as against 290 customized policies issued with total Maximum Liability/Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹7,310.17 crore during the previous year. As of March 31st, 2020, 112 CSC policies were in force with a total ML/ALL of ₹3,493.87 crore as against 148 CSC policies in force with ML/ALL of ₹4,643.61 crore as of 31st March, 2019. Annual premium income under CSC policies was ₹89.36 crore as against ₹93.39 crore during the previous year. During the period April 2019 to March 2020, claims paid under customized policies decreased to ₹20.61 crore from ₹21.69 crore during the previous year.


SHORT-TERM EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS (ECIB) COVERS

The premium earned under ST ECIB for the FY 2019-20 was ₹644.79 crore (previous year ₹806.83 crore), registering a decline of 20.08% over the previous year. ECIB premium accounted for 59.95% of the aggregate premium for the FY 2019-20, from all sectors. The number of claims paid declined to 91 in FY 2019-20 from 184 in the previous FY, the value of claims paid during FY 2019-20 also decreased significantly to ₹261.65 crore as against ₹813.39 crore in the previous year. The recovery made in the current year was at ₹156.17 crore as against ₹129.36 crore during last year. Average number of days taken for claim payment improved to 58.62 days in FY 2019-20 from 60.10 days in the previous FY. The total outstanding covered by the Company under the various ECIB covers issued, taken as the Average Daily Products (ADP) for the Whole Turnover (WT) covers and the Highest Amount

Outstanding (HAO) under individual covers, reported by banks to ECGC, aggregated to ₹85,456.68 crore compared to ₹1,13,816.79 crore in the previous year (FY).

The number of accounts covered under

the schemes during the year as of March 31, 2020 is 16,248 compared to 19,181 as of March 31, 2019. A total of 10,621 (PY-11,925) distinct exporters of which more than 93.17% are MSMEs (i.e. Exporter accounts with sanctioned credit limit less than or equal to ₹ 50 crore) have been supported through the covers. It is estimated that export credit advances worth ₹3,41,827 crore has



बकाया राशि (एच ए ओ) के आधार पर की जाती है, पिछले वित्त वर्ष के ₹ 1,13,816.79 करोड़ की तुलना में औसतन ₹85,456.68 करोड़ रहा। 31 मार्च, 2020 को इस योजना के अंतर्गत कुल रक्षित खातों की संख्या 31 मार्च, 2019 के 19,181 के मुकाबले 16,248 रही। कुल 10,621 (गत वर्ष - 11,925) भिन्न निर्यातक जिनमें से 93.17% से अधिक एमएसएमई (यथा निर्यातक खाते जिनकी अनुमोदित ऋण सीमा 50 करोड़ अथवा उससे कम है) हैं, को रक्षाओं द्वारा समर्थित किया गया है। ऐसा अनुमान है कि पिछले वर्ष के कुल ₹4,31,988 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹3,41,827 करोड़ मूल्य के निर्यात ऋण अग्रिमों को समर्थन प्रदान किया गया है।

उक्त अनुमान आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में किया गया है। उक्त अनुमान आरबीआई से प्राप्त डाटा पर आधारित है तथा इस बात को संज्ञान में लेता है कि अल्पावधि निर्यातों के अंतर्गत व्यापार चक्र करीबन 90 दिनों का होता है। इसके अनुसार जोखिम मूल्य प्राप्त करने के लिये कम्पनी द्वारा रक्षित बकाया निर्यात ऋण को 4 से गुणा किया गया है।

संपूर्ण पण्यवर्त ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन प्रीमियम दरों को तीन वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर तथा रक्षा के प्रतिशत को छह वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर निश्चित किया गया। बैंकों एवं ई सी जी सी के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, रत्न, आभूषण एवं हीरे जैसे उच्च दावा अनुपात वाले क्षेत्रों के संबंध में जोखिम कम करने वाले उपाए जारी रखे गए।

मध्यम एवं दीर्घावधि कारोबार

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी) कारोबार से अर्जित प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹28.45 करोड़ की तुलना में ₹25.52 करोड़ रही। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी दावे की अदायगी नहीं हुई। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान वह मुख्य 5 देश जिसमें कम्पनी द्वारा बड़े व्यापारों को बीमांकित किया गया वह हैं बांग्लादेश, ईथोपिया, कोट दि आइवोर, अफगानिस्तान तथा नेपाल।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 30 एम एल टी परियोजनाओं के निर्यातकों द्वारा प्राप्त की गयी विभिन्न परियोजनाओं पर राजनितिक / व्यापक जोखिमों पर रक्षा प्रदान करते हुए, इस वर्ष जारी की गई पॉलिसियों की संख्या पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान जारी की गई रक्षाओं के बराबर रहीं। संरक्षित प्रमुख क्षेत्रों में पावर ट्रांसमिशन एवं वितरण, जल विद्युत् उपकरण तथा पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति आदि शामिल है। कोट दि आइवोर में एक सीमेंट प्लांट प्रोजेक्ट हेतु भारतीय एग्जिम बैंक को एक खरीदार ऋण रक्षा भी जारी की गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंकों (ईसीआईबी) को निर्यात ऋण बीमा के अंतर्गत जारी रक्षाओं की संख्या पिछले वर्ष के दौरान जारी 110 की तुलना में 89 रही। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कोई भी

been supported during this year compared to ₹4,31,988 crore in the previous year. The estimation has been done in compliance of the instruction of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that business cycle under short-term exports is around 90 days. Accordingly the outstanding export credit covered by the Company is multiplied by a factor of four to arrive at the risk value. The premium rates under Whole Turnover (WT) ECIB covers were fixed based on the three year claim premium ratio and percentages of cover were determined on the six-year claim-premium ratio. Appropriate risk mitigation measures were continued in respect of Gems, Jewellery and Diamond sector in view of high claim-premium ratio with an objective of protecting the interest of ECGC as well as that of banks.

MEDIUM-AND LONG-TERM BUSINESS

The premium income from the Medium-and Long-Term (MLT) business for the FY 2019-20 stood at ₹25.52 crore as against ₹28.45 crore in the previous year. No claim was paid during the FY 2019-20. The top five countries in which the Company has underwritten major business during the FY 2019-20 are Bangladesh, Ethiopia, Cote D'Ivoire, Afghanistan and Nepal.

During the FY 2019-20, 30 credit insurance policies were issued to MLT projects exporters which were similar to the number of policies issued in the FY 2018-19, covering political risks and comprehensive risks on various projects undertaken by them. Major sectors covered are Power Transmission & Distribution, Hydro Power Equipment and Supply of Capital Goods etc. One Buyer's Credit cover was also issued to Exim Bank of India for a cement plant project in Cote D'Ivoire. The number of covers issued under Export Credit Insurance to Banks (ECIB) during the FY 2019-20 was 89 as against 110 in the previous year. There was no Overseas Investment


Insurance (OII) cover issued during the FY 2019-20.

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT (NEIA)

The NEIA Trust has been established by the Government of India (GOI) with the objective of ensuring availability of necessary credit risk cover for Medium-and Long-Term (MLT) high-value projects which are desirable from the point of view of national interest.

The Trust has an underwriting corpus of ₹3,220.39 crore as of March 31, 2020. The underwriting capacity of the Trust is ₹64,407.80 crore of which 25% amounting to

वर्ष 2019-20 के दौरान संरक्षित जोखिम का मूल्य
Value of Risk Covered during 2019-20



समुद्रपारीय निवेश बीमा (ओआईआई) जारी नहीं किया गया।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए)

एन ई आई ए ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मध्यम एवं दीर्घावधि तथा उच्च मूल्य की परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य की गई है। 31 मार्च, 2020 तक, ट्रस्ट के पास कुल ₹3220.39 करोड़ की बीमांकन राशि उपलब्ध थी। ट्रस्ट की बीमांकन क्षमता ₹64,407.80 करोड़ है जिसमें से ₹13,721.85 करोड़ की 25% राशि को कम्पनी द्वारा जारी एम एल टी रक्षाओं के लिए संरक्षित किया गया है। 39 देशों में 151 परियोजनाओं के सहयोग में जारी 248 रक्षाओं के संबंध में जोखिम के साथ ₹10,687 करोड़ तक की सीमा की राशि का एन ई आई ए के साथ साझा किया गया है। एन ई आई ए ट्रस्ट (बी सी-एन ई आई ए) के खरीदार ऋण योजना के लिए ₹64,407.80 करोड़ के 75% शेष राशि ₹48,305.85 करोड़ निर्धारित किया गया है। 31 मार्च, 2019 तक, ट्रस्ट द्वारा श्रीलंका, ज़ाम्बिया, ज़िम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, सेनेगल, ईरान, मालदीव, कोट दि आइवोर, घाना, कैमरून, सूरीनाम और मॉरिटानिया में 22 परियोजनाओं के लिए ₹19,464 करोड़ की अधिकतम देयता के साथ 22 खरीदार ऋण रक्षाएं जारी की गई हैं।

ट्रस्ट का प्रबंधन कंपनी द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट के प्रीमियम आय का 5% प्रबंधन शुल्क के रूप में कम्पनी को प्राप्त होता है। वर्ष के दौरान कम्पनी को आय के रूप में ₹3.87 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

फैक्टरिंग

पूर्ण विकसित फैक्टरिंग योजना (एफएफएफएस)

दिनांक 13 मई 2014 को संपन्न निदेशक मंडल की बैठक में मुख्य रूप से एमएसएमई निर्यातकों के लिए पूर्ण विकसित फैक्टरिंग योजना (एफएफएफएस) को अनुमोदित किया गया। वर्तमान वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2020 तक कम्पनी द्वारा दो निर्यातकों के 3 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त अवधि के दौरान अमेरिकी डॉलर 303,880.00 (₹2,14,44,430) मूल्य के 9 बिलों की फैक्टरिंग की गई।

फैक्टरिंग प्रदाताओं

को रक्षा

भारत में फैक्टरिंग कम्पनियों ने उनके द्वारा संचालित निर्यात प्राप्तियों के सम्बन्ध में निर्यात ऋण बीमा रक्षा जारी करने के लिए ईसीजीसी लिमिटेड से संपर्क किया है क्योंकि कई बार किसी आयात फैक्टर उपलब्ध नहीं होता है अथवा बहुत अधिक महंगा होता है।

₹16,101.95 crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by the Company. The insured risks in respect of 248 covers issued supporting 151 projects in 39 countries has been shared with the NEIA to the extent of ₹10,687 crore. The balance 75% of ₹64,407.80 crore amounting to ₹48,305.85 crore is earmarked for the Buyer's Credit scheme of the NEIA Trust (BC-NEIA). As of March 31, 2020, the Trust has issued 22 Buyer's Credit covers with a Maximum Liability of ₹19,464 crore for 22 projects in Sri Lanka, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, Senegal, Iran, Maldives, Cote D'Ivoire, Ghana, Cameroon, Suriname and Mauritania.

The Trust is managed by the Company. The Company receives 5% of guarantee fee income earned by the Trust as the management fee and during the year the Company received ₹3.87 crore as its income from the Trust.

FACTORING

Full-Fledged Factoring Scheme (FFFS)

The Board of Directors had at its meeting held on 13th May 2014 approved the Full-Fledged Factoring Scheme (FFFS) primarily for MSME exporters. During the current year, the Company has approved three proposals as at March 31, 2020 to two exporters. During the period, nine bills have been factored amounting to USD 303,880.00 (₹2,14,44,430).


Cover to Factors

Factoring Companies in India have approached ECGC Limited for issuance of credit insurance cover in respect of export receivables handled by them due to the reason that import factor is sometimes not available or is expensive.

With the due approvals of the Board of Directors and the IRDAI, the Company has introduced Export Receivables (Factor's Risks) Insurance Agreement Cover to be issued to Factors /Financial Institutions / Banks for the export

bills factored by them pertaining to their MSME exporter-clients.

The product, Export Receivables (Factor's Risk) Insurance Agreement is meant to protect Factors / Financial Institutions / Banks wherein the finance extended by them to the exporters by way of 'Factoring' the bill, remains unrealized owing to buyer's risks and political risks.



तदनुसार निदेशक मंडल तथा आई आर डी ए आई के अनुमोदनों के साथ कम्पनी ने फैक्टरों/वित्तीय संस्थानों/ बैंकों के लिए उनके द्वारा उनके एमएसएमई ग्राहकों के लिए फैक्टर किये गए निर्यात बिलों के लिए जारी की जाने वाले निर्यात प्राप्ति (फैक्टर जोखिमों) बीमा समझौता रक्षा आरम्भ किया है।

निर्यात प्राप्य (फैक्टर जोखिम) उत्पाद बीमा करार, फैक्टर्स/वित्तीय संस्थानों/बैंकों की सुरक्षा के लिए होता है, जिसमें विस्तारित फैक्टरिंग बिल के माध्यम से निर्यातकों को उनके द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है, जिनका भुगतान खरीदार के जोखिम और राजनीतिक जोखिमों के कारण नहीं किया जाता है।

निवेश

31 मार्च 2020 तक सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बांडों, इक्विटी शेयरों, मियादी जमा आदि निवेशों के साथ निवेश पोर्टफोलियो में, 31 मार्च 2019

को ₹10,344.99 करोड़ की तुलना में, ₹12241.59 करोड़ रहा जो कि ₹1,896.60 करोड़ था, 18.33% की वृद्धि दर्शाता है। निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि अतिरिक्त पूंजी के निवेश एवं निवेश से उत्पन्न अधिशेष के कारण हुई।

कंपनी ने, निवेश संबंधी सभी विनियामक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा आईआरडीएआई द्वारा अनिवार्य श्रेणी के लिए निर्धारित 45% के मानदंड की तुलना में 67.03% का निवेश किया।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, निवेश प्रचालनों से प्राप्त आय में (निवेशों की बिक्री पर लाभ सहित) वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹782.67 करोड़ की तुलना में ₹876.70 करोड़ के साथ ₹94.03 करोड़ रु यथा 12.01% की वृद्धि दर्ज की गई। निवेश आय में वृद्धि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मुख्यतः निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि के कारण हुई। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, निवेश परिचालनों से प्राप्त आय पिछले वर्ष के लिए 9.08% की तुलना में 8.76% रही। कंपनी के निवेश परिचालन मुख्यतः दावा भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने तथा जोखिम एवं आय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किए जाते हैं।

खरीदार बीमा


प्रधान कार्यालय में खरीदार बीमा विभाग (बी यू डी) की भूमिका विभिन्न बीमा मानदंडों के आधार पर खरीदारों पर समग्र साख सीमा का निर्धारण

INVESTMENTS

As of March 31, 2020, the investment portfolio comprising of investments in Government Securities, Corporate Bonds, Equity Shares, Fixed Deposits etc. stood at ₹12241.59 crore as against ₹10,344.99 crore as of March 31, 2019, showing an increase of ₹1,896.60 crore, i.e. increase of 18.33%. The growth in Investment Portfolio was on account of infusion of additional capital and surplus generated from investments.

The Company has complied with all regulatory requirements in respect of investments and investment under mandatory category stood at 67.03% as against 45% prescribed by IRDAI.

मुख्य देशवार जोखिम मूल्य (% हिस्सा)
Major Country Wise Risk Value (% Share)



Income generated from investment operations (including profit on sale of investments) increased to ₹876.70 crore in FY 2019-20 from ₹782.67 crore in FY 2018-19, recording an increase of ₹94.03 crore i.e. increase of 12.01%. Increase in the investment income during the year is mainly

due to increase in the Investment portfolio as mentioned above. The yield on investment for the year FY 2019-20 was 8.29% as against 8.76% for the previous year. The Company's investment operations are conducted mainly to ensure adequate liquidity to meet claim payments and to strike a trade-off between risk and return.

BUYER UNDERWRITING

The role of the Buyer Underwriting Department (BUD) at Head Office is to make sound underwriting decisions on buyers by fixing overall credit limits on the basis of various underwriting parameters and taking into account the business requirements. The department obtains and analyses the latest credit information reports from various credit information agencies. Based on the reports and review of the transactional behavior of buyers on the basis of system-generated data and the scorecard rating, suggested overall credit limits are fixed on overseas buyers with the scorecard-based suggested limits serving as a guiding post.

Reports received on buyers from different credit information agencies, as mentioned above, are digitalized to make them accessible in the system to the officials for the underwriting purpose.

During the FY2019-20, in line with the developments in international trade, certain minor modifications were made

करते हुए उपयुक्त बीमा निर्णय लेना तथा व्यापार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। यह विभिन्न कारोबार सूचना एजेंसियों से अद्यतित कारोबार सूचना रिपोर्ट प्राप्त कर उनका विश्लेषण करता है, विदेशी खरीदारों पर निर्धारित समग्र साख सीमाओं के आधार पर सिस्टम निर्मित आंकड़ों पर आधारित खरीदारों के लेनदेन व्यवहारों की समीक्षा करता है। सुझाए गए समग्र सीमाएं विदेशी खरीदारों पर एक मार्गदर्शक पद के रूप में कार्य करने वाली सुझाई गई सीमा के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभिन्न व्यावसायिक सूचना एजेंसियों से खरीदारों पर प्राप्त रिपोर्टों को डिजिटलाइज्ड भी किया गया है ताकि सभी संबंधित अधिकारी इसे सिस्टम में देख सकें।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास के क्रम में खरीदार की स्कोर कार्ड आधारित सीमा के निर्धारण के लिए एच यू सी के अनुमोदन से स्कोर कार्ड मॉडल में संशोधन किये गए हैं। इन संशोधनों ने ईसीजीसी को पॉलिसी धारकों की ऋण सीमा आवश्यकता को पूरा करने के लिए सक्षम किया है।

पिछले वित्तीय वर्ष में, सॉफ्टवेयर में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जिससे ठोस एवं समय पर निर्णय लेने हेतु स्कोर कार्ड तैयार करने में और तेजी आए।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त साख सीमा आवेदन पत्रों की संख्या पिछले वर्ष के 36,259 की तुलना में 33,424 रही। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी द्वारा विदेशी खरीदारों पर समग्र सीमा के निर्धारण के जरिए बीमित औसत जोखिम राशि पिछले वर्ष ₹43,829 करोड़ की तुलना में ₹51,981 करोड़ रही। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी के डेटाबेस में शामिल नए खरीदारों की संख्या पिछले वर्ष के 17,699 की तुलना में 19,068 रही।

देश बीमा

देश बीमा में राजनैतिक

एवं आर्थिक जोखिम स्तर

की पहचान, मूल्यांकन

एवं मापन शामिल है।

देश बीमा गंतव्य देशों में

व्यापार जोखिम स्तर की

निगरानी हेतु बहुत ही

महत्वपूर्ण तंत्र होता है।

देश बीमा विभाग द्वारा देश

जोखिमों के मूल्यांकन

क्रियाकलाप किये जाते हैं।

कम्पनी ने उद्देश्यपरक

स्कोरिंग प्रणाली स्थापित

की है जो कि जोखिम

के स्वरूप के आधार

पर देशों के जोखिम

प्रोफाइल की समीक्षा ए1

(महत्वहीन जोखिम),


ए2 (निम्न जोखिम),

बी1(सीमित निम्न जोखिम), बी2 (सीमित जोखिम) तथा डी (अति उच्च

31.03.2020 तक देश जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा

Summary of Country Risk Classification as on 31.03.2020

	ए/ A 1	ए/ A 2	बी / B 1	बी / B 2	सी / C 1	सी / C 2	डी
अल्पावधि ST	67	46	40	53	18	8	8
मध्यम व दीर्घावधि* MLT*	67	54	53	40	14	5	6



in the Scorecard model, with the approval of the Head Office Underwriting Committee (HUC), for determination of scorecard based overall limit on a buyer. The changes enabled ECGC to meet the credit limit requirement of the policyholders.

In the last financial year, a few changes were made in the Application Software, which facilitated quicker and timely preparation of scorecards of the buyers.

The number of credit limit applications received in FY 2019-20 was 33,424 as against 36,259 in the previous year. During the FY 2019-20, the aggregate Overall Limits fixed on foreign buyers was ₹51,981 crore as against ₹43,829 crore in the previous year. The number of new buyers added to the Company's database during FY 2019-20 was 19,068 as against 17,699 in the previous year.

COUNTRY UNDERWRITING

Country Underwriting deals with identification, evaluation and measurement of political and economic risks. It is an important tool for monitoring of business exposure levels in destination countries. The assessment and evaluation of the country risk is carried out by the Country Underwriting Department.

The Company has an in-house objective scoring system that reviews and maps the risk profile of countries on a seven-fold classification of 'A1' (Insignificant risk), 'A2' (Low Risk), 'B1' (Moderately Low Risk), 'B2' (Moderate Risk), 'C1' (Moderately High Risk), 'C2' (High Risk) and 'D' (Very High Risk). The scoring system evaluates countries based on a host of parameters, including

political, economic

and trade risks.

The country

rating so arrived

at has an impact

on calculation

of premium,

determination of

type and terms

of cover, and

measurement

of the capacity

to underwrite

transactions on

export destinations.

Separate scoring

models, with

distinct factors

and their relative

relevance, are in

place for rating of

countries under

short-term (ST)

and medium-and-

long term (MLT). These models are reviewed as and

जोखिम) के सात स्तरीय वर्गीकरण में वर्गीकृत करती है। स्कोरिंग प्रणाली से कई मानदंडों के आधार पर राजनितिक, आर्थिक तथा व्यापार जोखिमों में शामिल घटकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है तथा प्रीमियम की गणना, रक्षा के प्रकार व शर्तों का निर्धारण तथा कई निर्यात गंतव्यों के लिए संव्यवहारों के बीमांकन की क्षमता के निर्धारण में सहायता मिलती है। अल्पावधि (अ व) तथा दीर्घावधि (एम एल टी) के अधीन देशों की रेटिंग के लिए विशेष कारक तथा उनके संबंधित सन्दर्भों के लिए अलग अलग स्कोरिंग मॉडल निर्धारित हैं। इन मॉडलों की आवधिक समीक्षा की जाती है, मई 2019 में नवीनतम समीक्षा की गई है।

(देशों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और, यदि आवश्यक हो, तो नवीनतम आर्थिक और राजनीतिक विकास को ध्यान में रखते हुए तदर्थ आधार पर की जाती है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान:

- क) कंपनी द्वारा दक्षिणी सूडान को उसकी देश जोखिम वर्गीकरण सूची में शामिल किया गया।
- ख) कंपनी ने तदर्थ समीक्षा के आधार पर पाकिस्तान पर अपनी रक्षा अस्थायी रूप से ऑफ-कवर श्रेणी के तहत वापस ले ली है। हालाँकि, केवल अल्पावधि निर्यातों के अंतर्गत चिकित्सीय उत्पादों के लिए पाकिस्तान पर एक कमोडिटी विशिष्ट रक्षा को दिनांक 01.12.2019 से ऐसी दवाओं के लिये बहाल किया गया है जिसे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान द्वारा विनियमित किया गया।

देश रक्षा

आगे, प्रभावी जोखिम मॉनिटर करने के लिए वर्गीकरण सूची में से 240 देशों को खुली रक्षा की श्रेणी, प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी ख (जहां रिवोल्विंग सीमाएं सामान्य रूप से एक वर्ष के लिए मान्य होती हैं) तथा प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी खख (जहां मामले के आधार पर विशिष्ट स्वीकृति दी जाती है) में रखा गया है। दिनांक 31.03.2020 तक वर्गीकरण सूची में से 217 देशों को खुली रक्षा की श्रेणी जबकि 15 देशों को प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी तथा 8 देशों को प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी "ख" में रखा गया है।

कारोबार मात्रा, अनुभव तथा अनुमानित कारोबार के आधार पर सभी 240 देशों में से खुली रक्षा श्रेणी वाले देशों की जोखिम सीमाएं (सी ई एल) निर्धारित की गई हैं।

पुनर्बीमा

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, कंपनी ने एम एल टी रक्षाओं सहित सम्पूर्ण कारोबार के लिए जी आई सी आर ई से 5% की अनिवार्य पुनर्बीमा (क्यू एस) रक्षा सहित भारतीय एवं विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ अल्पावधि पॉलिसी कारोबार के लिए 26% की (स्विस आर ई 8%, एस सी ओ आर 5%, जी आई सी आर ई 8.00%, पार्टनर री 2%, हैनोवर आर ई 3%) तथा 14.50% की अल्पावधिक ईसीआईबी (स्विस री

when necessary. The latest such review was carried out in May 2019.

A review of risk classification of countries is carried out on an yearly, half-yearly and, if necessary, on an ad-hoc basis taking into account the latest economic and political developments. During the FY 2019-20:

- a) South Sudan was added by the Company to its country risk classification list.
- b) The Company withdrew its cover on Pakistan temporarily by placing it under the 'Off-Cover' category based on an ad-hoc review. However, a commodity specific cover has been reinstated on Pakistan, under Short-Term only, w.e.f. 01.12.2019 for 'therapeutic products', regulated by the Drug Regulatory Authority of Pakistan.

The total number of countries reviewed by the Company as of 31.03.2020 stood at 240.

COUNTRY COVER

Further, the 240 countries are placed under Open Cover Category, Restricted Cover Category-I (where revolving limits are approved normally valid for a year) and Restricted Cover Category-II (where Specific Approval is given on a case-to-case basis) for effective monitoring of exposures in these countries. As of 31.03.2020, 217 Countries are placed in Open Cover, 15 countries in Restricted Cover Category-I and 8 countries in Restricted Cover Category-II.

The Country Exposure Limits (CEL) for all 240 countries have been fixed based on the business volume, experience and anticipated business.


REINSURANCE

For the FY 2019-20 the Company had a Proportional (Quota Share – QS) Reinsurance treaty to the extent of 26% for Short-Term Policy (Swiss Re 8%, SCOR 5%, GIC Re 8%, Partner Re 2%, and Hannover Re 3%) and 14.50% for Short-Term ECIB (Swiss Re 4%, SCOR 2.5%, GIC Re 4%, Partner Re 1%, and Hannover Re 3%) from Indian and Cross-Border Reinsurers along with obligatory 5% reinsurance (QS) cover from GIC

Re for the entire business including MLT covers. Additionally, Excess of Loss covers for large risks under Short-Term Policy and ECIB covers were also arranged with the same reinsurers.

RISK MANAGEMENT

The scope of Risk management includes identification, measurement, monitoring, control and transfer of the overall level of risks undertaken by it so as



4%, एस सी ओ आर 2.5%, जीआईसी री 4%, पार्टनर री 1%, हैनोवर री 3%) समानुपाती (कोटा शेयर-क्यू एस) पुनर्बीमा संधि की। इसके अतिरिक्त अल्पावधि पॉलिसी एवं ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन बड़े जोखिमों के लिए इन्हें पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ हानि की अधिकता रक्षा भी ली गई हैं।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन के सीमाक्षेत्र में इसके द्वारा धारित जोखिमों के समग्र स्तर की पहचान, मापन, निगरानी, नियंत्रण तथा अंतरण आदि शामिल है ताकि यह जोखिम मूल्यांकन के आधार पर अपने बीमांकन नीति, इसकी रक्षाओं की शर्तों, विनियामक आवश्यकताओं, वित्तीय व्यवहार्यता तथा दीर्घावधिक स्थिरता का निर्धारण किया जा

सके। छह दशकों से अधिक की अवधि के दौरान विकसित वर्तमान संरचनात्मक विन्यास तथा प्रथाओं को मूलभूत संरचनाओं में शामिल कर उन्हें जोखिम कार्य के रूप में विकसित किया जा सकता है। कंपनी ने 2011 से विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन मानदंड लागू किए हैं एवं किसी एकल निर्यातक, निर्यातक समूह, खरीदार, उद्योग और देश के लिए जोखिम सीमाएं निर्धारित की हैं। किसी पोर्टफोलियो के जोखिम संकेन्द्रण का प्रबंधन एक सतत् प्रक्रिया है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंकों को जारी किए गए कवर के तहत रत्न, आभूषण और डायमंड क्षेत्र को नए निर्यात ऋण सीमा के अस्थायी निलंबन की शुरुआत करके एक्सपोजर मानदंड संशोधित किए गए थे और साथ ही देश की एक्सपोजर सीमा को तय करने के लिए मानदंड भी शुरू किए गए थे। इन मानदंडों के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी द्वारा अल्पावधि पॉलिसी के अंतर्गत खरीदार/सा.प. खोलने वाली बैंक पर, अल्पावधि ईसीआईबी योजना के अंतर्गत एकल निर्यातक/समूह निर्यातक पर, उद्योग क्षेत्र के लिए जोखिम मानदंडों एवं मध्यम व दीर्घावधि निर्यात संव्यवहारों पर विवेकपूर्ण मानदंडों को पुनः संशोधित किया गया।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी ने जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की ताकि संगठन व्यापक सूचना प्रणाली स्थापित की जा सके तथा इसके आंतरिक जोखिम प्रबंधन रूपरेखा के जरिये कंपनी के जोखिम प्रोफाइल को नियमित किया जा सके।

परिचालन तथा वित्तीय जोखिमों के आलावा कम्पनी अब सूचना व साइबर सुरक्षा जोखिमों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कम्पनी द्वारा सूचना व साइबर सुरक्षा जोखिम ऑडिट किया गया है।

to decide its underwriting policy and the terms of its cover, based on risk assessment, regulatory requirements, financial viability and long-term sustainability. The existing organization structure and practices that have evolved over more than six decades, incorporate fundamental structures that can be built upon in the risk function. The Company introduced prudential risk management norms

in 2011 and has fixed limits for exposure for a single exporter, an exporter group, a buyer, an industry and a country. Managing the concentration risk of a portfolio is a continuous process.

During FY 2014-15, the exposure norms were modified by introducing temporary suspension of fresh export credit limits to Gems, Jewellery and Diamond Sector under WT covers issued to banks and

also by introducing criteria for fixing Country Exposure Limits. In addition to these norms, during FY 2015-16, the Company further modified the prudential norms for Exposure Limits on buyer/LC opening banks under short-term policies, individual exporter/group exporter under short-term ECIB Schemes, exposure norms for industry sector and Medium- and Long- Term export transactions.

During FY 2019-20, the Company has reviewed its Risk Management Policy to establish enterprise-wide information system and regulate risk profile through its internal risk management framework.


Besides operational and financial risks, the Company is also dedicated to focus on Information & Cyber Security risks. The Company has conducted the Information & Cyber Security Risk Audit. Steps have been initiated to achieve higher maturity level in terms of risk management framework.

Currently, the Company is under process of setting up a full-fledged Enterprise wide Risk Management (ERM) framework in order to create a more robust risk management framework & cultivate a risk aware culture.

RECOVERIES

ST ECIB: During the FY 2019-20, a sum of ₹155.47 crore was recovered against claims paid and pending for recovery compared to ₹129.36 crore, for the same period, in the previous FY.

ST Policy: A sum of ₹10.21 crore was recovered from claims paid and pending for recovery under Short-Term Policies during the FY 2019-20 compared to ₹21.47 crore



कम्पनी ने जोखिम प्रबंधन क्रिया कलापों में और अधिक गतिशील बनाने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

वर्तमान में, कंपनी एक और अधिक मजबूत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क तैयार करने और एक जोखिम जागरूक संस्कृति को विकसित करने के लिए एक पूर्ण उद्यम व्यापक जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे की स्थापना की प्रक्रिया में है।

वसूलियां

एस.टी. ई.सी.आई.बी. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए बकाया दावों से पिछले वित्त वर्ष में समान अवधि के लिए ₹129.36 करोड़ की तुलना में ₹155.47 करोड़ की वसूली की गई।

एस.टी. पॉलिसी: वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए बकाया दावों से पिछले वित्त वर्ष में समान अवधि के लिए अल्पावधि

पॉलिसियों के अंतर्गत ₹21.47 करोड़ की तुलना में ₹10.21 करोड़ की वसूली की गई।

एमएलटी ईसीआईबी: वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए बकाया दावों से पिछले वित्त वर्ष में समान अवधि की तुलना में ₹5.82 लाख की वसूली की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी (सू प्रौ)

कंपनी ने सफलतापूर्वक अपने सभी स्थानों पर फ़ाल्ट-टोलरेंट, स्केलबल, सुरक्षित नेटवर्क और अपने कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी शुरू की है। कंपनी एंड पॉइंट सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी बुनियादी ढांचे और सूचना सुरक्षा समाधानों में निवेश कर रही है। ईसीजीसी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) परियोजना सी-डैक द्वारा चलाई जा रही है तथा इसके विकास और कार्यान्वयन चरण में प्रगति हो रही है, कोविड-19 के प्रभाव के कारण, 2020 के मध्य की मूल समय-सीमा को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके विलंब को कम करने और वर्तमान वित्तीय वर्ष में ईआरपी परियोजना को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी ग्राहकों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की भी तैयारी में है।

विपणन एवं जनसम्पर्क

राष्ट्रीय विपणन विभाग (एनएमडी) कंपनी की विपणन, विज्ञापन एवं प्रचार व इससे संबंधी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है।

विभाग की ज़िम्मेदारी में शाखाओं व क्षेत्रों के लिए कारोबार लक्ष्यों का निर्धारण शामिल है तथा यह विभिन्न मानदंडों के अधीन निर्धारित

for the same period in the previous FY.

MLT ECIB: During the FY 2019-20, there was a recovery of ₹5.82 lakh against claims paid and pending for recovery in continuation the same trend, in the previous FY.

INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

The Company has successfully rolled out a fault-tolerant, scalable, secure network for all its locations and better connectivity for its employees as well as clients. The Company continues to invest in IT infrastructure and information security solutions to ensure endpoint security as well as to increase the client satisfaction. The ECGC Enterprise Resource Planning (ERP) revamp project being undertaken by C-DAC is progressing to Development and Implementation stage. The original timelines of mid-2020 would be pushed forward due to

the impact of Covid-19, but all efforts are being made to mitigate the delays thereof and to complete the ERP project as early as possible. The Company is also in the process of launching a new mobile application for clients.

MARKETING AND PUBLICITY


The National Marketing Division (NMD) is responsible for marketing, advertising and publicity activities of the Company and related activities.

The Division bears the responsibility of fixing business targets for branches and monitoring the performance vis-à-vis the target fixed under various parameters. The Division holds reviews of business performance of the Company with the Regional/Branch/Department heads which is presided over by the CMD.

The Company, besides focussing on its core business of export credit risk insurance works in close co-ordination with export promotion bodies like Export Promotion Councils (EPCs), Commodity Boards (CBs), Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), Confederation of Indian Industry (CII), etc.

As part of the Company's marketing efforts, besides organizing insurance education/awareness programmes for the benefit of exporters and bankers, skill development programmes, personal visits to clients are undertaken.

The Covid-19 pandemic has resulted in disruption of trade across the globe with a trickle-down effect on Indian exporters. The Company undertook various





ईसीजीसी के वाराणसी शाखा द्वारा मेसर्स समारा कारपेट्स को दावा भुगतान
Claim payment to M/s Samara Carpets by ECGC Varanasi Branch



ईसीजीसी के जयपुर शाखा द्वारा मेसर्स नाईस एक्सपोर्ट्स इंक को दावा भुगतान
Claim payment to M/s Nice Exports Inc, by ECGC Jaipur Branch

लक्ष्यों के साथ साथ निष्पादन को भी मॉनिटर करता है। प्रभाग/ क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों/ विभागों के साथ कंपनी के कारोबार निष्पादन की समीक्षा भी करता है जिसकी अध्यक्षता अप्रनि द्वारा की जाती है।

कंपनी द्वारा अपने मूल कारोबार पर ध्यान देते हुए, कई निर्यात संवर्धन निकायों जैसे निर्यात संवर्धन परिषदें(ईपीसी), कॉमोडिटी बोर्ड(सीबी), फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशन (एफआईओ), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) इत्यादि के साथ निर्यात ऋण जोखिम बीमा गतिविधियों को भी जारी रखा है।

विपणन प्रयासों में विस्तार हेतु, निर्यातकों एवं बैंकरों के लिए बीमा शिक्षा/ जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा क्षमता निर्माण कार्यक्रम एवं ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से भेंट भी की जाती है।

कोविड- 19 महामारी के परिणामस्वरूप पूरे विश्व में व्यापार प्रभावित हुआ है जिसका अधोगामी निर्यात(ट्रिकल डाउन) प्रभाव भारतीय निर्यात पर भी पड़ा है। कंपनी द्वारा इसके ग्राहकों के सहायताार्थ कई कदम उठाए गए हैं। कंपनी के निर्यातक ग्राहकों को निम्नलिखित छूटें उपलब्ध कराई गई थीं:

- 31 अगस्त, 2020 तक रिटर्न फाइलिंग तथा दावे/प्रतिउत्तरों की फाइलिंग में समय की छूट।
- 31 अगस्त, 2020 तक ऋण सीमा आवेदन का शुल्क हटा दिया गया था तथा पॉलिसी प्रस्ताव शुल्क में 50% की छूट प्रदान की गई थी ।
- विशेष पोतलदान पॉलिसी पर रक्षा को स्वतः ही जून 2020 तक बढ़ा दिया गया था ।
- निर्यातकों को भुगतान की शर्तों को डीपी से डीए में परिवर्तित करने और खरीदारों द्वारा, पूर्व में स्वीकार किए गए पोतलदान के लिए भुगतान की देय तिथि बढ़ाने के लिए दिया गया विवेकाधिकार। इसके अलावा, निर्यातकों को ऐसे पोतलदान (यानी पुनर्विक्रय/पुनः आयात/या परित्याग) के बारे में निर्णय लेने के लिए विवेकाधिकार प्रदान किया गया था जो गंतव्य तक पहुंच गया लेकिन गंतव्य देशों में लॉकडाउन के कारण विदेशी खरीदारों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका हो ।
- बीमा रक्षा के अंतर्गत दावा पात्रता अवधि (प्रतीक्षा अवधि) को वर्तमान 4 महीने से घटाकर 1 महीने कर दिया गया था।

बैंक ग्राहकों हेतु कंपनी द्वारा निम्नलिखित छूटें उपलब्ध कराए गए थीं:

- अग्रिमों के लिए नियत तारीख में विस्तार करने की समय सीमा, जो पैकिंग ऋण के तहत 360 दिन और पोतलदान पश्चात् अग्रिमों के लिए 180 दिन (स्टेटस होल्डर्स के लिए 360 दिन) तथा बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा(ईसीआईबी) रक्षाओं के तहत डिफॉल्ट की रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को मई 2020 तक बढ़ाया गया था।
- इसके अलावा मार्च, 2020 के महीने के लिए मासिक घोषणा पत्र दाखिल करने का समय मई 2020 तक बढ़ा दिया गया था।

steps to provide support to its customers. The following relaxations were provided to the exporter-customers of the Company:

- Relaxing time for filing returns and filing claim / replies up to 31st August 2020.
- Credit limit application fee was waived off and policy proposal fee was reduced by 50% till 31st August 2020.
- Cover for Specific Shipment Policy was extended automatically up to June 2020.
- Discretion given to exporters to convert the terms of payment from DP to DA and extend due date for payment by buyers for shipments accepted earlier. Also, discretion was provided to exporters to decide about shipments (i.e. resale / reimport / or abandon) that reached destination but not cleared by overseas buyers due to lockdown in the destination countries.
- Claim eligibility period (waiting period) under insurance cover was reduced from the present four months to one month.

For customer - banks, the Company provided the following relaxations:

- The time limit for filing of extension in due date for the advances which had crossed 360 days under Packing Credit and 180 days under Post-Shipment advances (360 days for status holders) and filing of Report of default under the Export Credit Insurance for Banks (ECIB) covers was extended up to May 2020.
- Further, time for filing of monthly declaration for the month of March 2020, was extended up to May, 2020.
- Time for filing claim/ replies was extended up to 31/08/2020.
- Discretion to Banks given to extend the due dates advances that were granted up to 31/07/2020 by a maximum period of 15 months from the date of shipment.

In additions to the operational relaxations, the following steps were undertaken for the employees and stakeholders:

- The Company donated an amount of Rs. four crore to the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM CARES) fund.
- Helpline numbers were provided at Corporate website.
- Customer meets were conducted online and webinars were conducted to guide the exporters and create awareness about the Company.
- Sanitization of all the office premises were undertaken on a continuous basis.
- Face masks and sanitizers were distributed monthly to all the employees.

- iii. दावा/जवाब दाखिल करने की समयसीमा को 31/08/2020 तक बढ़ाया गया था।
- iv. बैंकों को ऐसे अग्रिमों की नियत तारीखों की तारीख को पोतलदान की तारीख से 15 महीने की अधिकतम अवधि तक विस्तारित करने के लिए विवेकाधिकार दिए गए जो कि 31/07/2020 तक प्रदान किए गए थे।

परिचालन छूटों के अतिरिक्त, कर्मचारियों और हितधारकों के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- i. कंपनी ने प्रधान मंत्री आपातकालीन स्थिति में नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर) निधि में के लिए ₹ 4 करोड़ का अनुदान दिया।
- ii. कॉर्पोरेट वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए।
- iii. निर्यातकों का मार्गदर्शन करने और कंपनी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन ग्राहक बैठकें और वेबिनार आयोजित किए गए।
- iv. सभी कार्यालय परिसरों का सेनिटाइजेशन नियमित रूप से कराया गया।
- v. मासिक आधार पर सभी कर्मचारियों को फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरित किए गए। कर्मचारियों को कार्यालय जाने के लिए बस सुविधा की व्यवस्था की गई थी।
- vi सभी दैनिक वेतन अर्जकों और सेवा प्रदाताओं को वेतनों का भुगतान बिना किसी व्यावधान के किया गया था।

कॉर्पोरेट योजना

कॉर्पोरेट योजना की अवधारणा को संसाधनों वित्तीय, जनशक्ति और प्रबंधकीय को योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से उपयोग करने हेतु निर्देशित करना है। राष्ट्रीय विपणन प्रभाग द्वारा 2019-20 से 2023-24 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए कॉर्पोरेट योजना की समीक्षा तथा अद्यतन किया गया।

कॉर्पोरेट योजना कंपनी के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान उसके लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति की रूपरेखा है। इसमें योजना में कम्पनी का स्वात विश्लेषण एवं कंपनी के निष्पादन की समीक्षा, विदेशी समकक्षों से तुलना, कारोबार प्रवृत्तियाँ एवं अगले पाँच वर्षों के लिए वैश्विक एवं राष्ट्रीय अनुमान शामिल हैं। अनुमानों में मुख्य रूप से कंपनी की प्रीमियम आय में वृद्धि, जोखिम मूल्य कवरेज, दावे के भुगतान और कंपनी के विभिन्न व्यवसाय खंडों में वसूली और तदनुसार वित्तीय परिणाम शामिल हैं। वार्षिक उपलब्धियां साथ ही साथ रूपरेखा कंपनी को अपनी रणनीति की पुनरीक्षा तथा तैयार करने में सहायता प्रदान करती है।

वैकल्पिक विपणन तथा वितरण चैनल

साख बीमा उत्पादों के विपणन और वितरण को मजबूत करने और भारत में साख बीमा की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय विपणन विभाग (एनएमडी) द्वारा 31 मार्च, 2020 तक 151 ब्रोकरों को पैनलबद्ध किया गया है। इस चैनल को मजबूत करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने के लिए प्रयास जारी हैं। एनएमडी, क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा वर्ष के दौरान ब्रोकरों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है। ये कार्यशालाएं हमारी पॉलिसियों की जानकारी देने, उन्हें बाजार में

vi. Bus facilities were arranged for employees to commute to office.

vii. Payment of wages to all casual workers and services providers were made without disruption.

CORPORATE PLAN

The concept of a Corporate Plan was introduced to direct the resources- financial, manpower and managerial in a planned and systematic manner. National Marketing Division reviewed and updated the Corporate Plan for the five year period 2019-20 to 2023-24.

The Corporate Plan is a road map of the Company for the next five years and spells the strategies to achieve its goal. The plan also outlines the Company's SWOT analysis and discusses the performance of the organization, comparison with the overseas counterpart, business trends, global and national environment and projections for the next five-year period. The projections broadly encompass the Company's growth in premium income, risk value coverage, claims pay out and recoveries anticipated under its different business segments and the resultant projection of financial results. Annual achievement vis-à-vis the plan helps the Company in reviewing and improving the business strategies.

ALTERNATE MARKETING & DISTRIBUTION CHANNELS

In order to strengthen the marketing and distribution of credit insurance products and to increase the penetration of credit insurance in India, the National Marketing Division (NMD) has empanelled 151 brokers and one Corporate Agent (Bank) as of March 31, 2020. Continuous efforts are being made to strengthen and expand this channel further. The NMD and the Regional/Branch offices conduct workshops for brokers which help in educating them about the features of various policies, to enable them to effectively market ECGC covers, thereby protecting and promoting India's exports on credit terms.

During FY 2019-20, the premium earned under the business procured through the brokers was ₹85.18 crore which constitutes 21.03% of the Short-Term policy premium income of ₹405.11 crore. The premium earned under the business procured through Corporate Agent (Bank) was ₹1.05 crore for FY 2019-20.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD)

The Company has adopted CSR Policy as per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE). Accordingly, it requires to spend at least two percent of its last three years' average net profit, every year for various activities under CSR as per Section 135 of the Companies Act, 2013. The Company's CSR activities relate to health, primary education, skill development, ensuring livelihood, environment,

ईसीजीसी की रक्षाओं के प्रभावी विपणन में सक्षम बनाती हैं जिससे ये निर्यातों के प्रभावपूर्ण संवर्धन में सहायक होती हैं जो कि अंततः ऋण शर्तों पर भारत के निर्यात को संरक्षित एवं सम्वर्धित करता है।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ब्रोकरों द्वारा लाये गए कारोबार के ज़रिये कुल ₹85.18 करोड़ का प्रीमियम अर्जन किया गया जो कि ₹405.11 करोड़ के अल्पावधि पॉलिसी प्रीमियम आय का 21.03% है। कॉर्पोरेट एजेंट(बैंक) द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल प्रीमियम आय ₹1.05 करोड़ थी।

निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) पहले तथा संधारणीय विकास (एस डी)

कम्पनी द्वारा सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सी एस आर नीति अपनाई गई है। तदनुसार, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार सी एस आर के अधीन प्रत्येक वर्ष का, पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ के कम से कम 2% का व्यय विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाना अनिवार्य है। कम्पनी के सी एस आर गतिविधियों में स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका सुनिश्चियन, पर्यावरण, संधारणीय विकास, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगों के लिए सेवाओं की मजबूती तथा आदिवासी समुदाय को सहायता शामिल है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी की सी एस आर गतिविधियों हेतु लगभग ₹11.82 करोड़ व्यय किये गए। पहले ही आरंभ की गई परियोजनाओं के लिए ₹1.31 करोड़ का आबंटन किया गया है।

सी एस आर गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन भागीदारों में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टी आई एस एस); साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क (एस टी पी) पुणे; विवेकानंद केंद्र, मुंबई; एक फाउंडेशन, चेन्नई; सोसायटी फॉर ह्यूमन एंड एनवायरनमेंटल डेवलपमेंट (एस एच ई डी); विकास शिक्षा सशक्तिकरण डेवलपमेंट एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज इन सोसाइटी (डीइस) तथा कंसर्न इंडिया फाउंडेशन शामिल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, दिव्यांगों को सहायता, स्वच्छ भारत कोश खाते में अनुदान तथा आपात स्थिति यथा कोविड-19 महामारी से जूझने हेतु पीएम-केयर्स फंड में अनुदान आदि क्षेत्रों में कई सी एस आर पहल की गई। कम्पनी द्वारा छात्रवृत्ति के वितरण तथा बृहन्नमुंबई नगरनिगम के एम-वॉर्ड क्षेत्र में सामुदायिक शिक्षा केंद्रों के संचालन हेतु टिस को दिये जा रहे अपने सहयोग को जारी रखा है। चाय बागान कर्मियों के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान के उद्देश्य से असम एवं अरुणाचल प्रदेश में आनंदालय को चलाने के लिए विवेकानंद केंद्र को भी समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

ईसीजीसी लिमिटेड भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए काफी सक्रिय है। कम्पनी ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों प्राप्ति की है। कम्पनी के प्रधान कार्यालय को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कम्पनी को मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास)(उपक्रम) द्वारा भी राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

sustainable development, women empowerment, strengthening services for the differently-abled and support to the Scheduled Tribe community. An aggregate amount of ₹11.82 crore was spent on CSR activities of the Company during FY 2019-20. Further, allocation of ₹1.31 crore has been made for projects already initiated.

The implementation partners for CSR activities are the Tata Institute of Social Sciences (TISS); Science & Technology Park (STP), Pune; Vivekananda Kendra, Mumbai; Ekam Foundation, Chennai; Society for Human and Environment Development (SHED), Development Education Empowerment of Disadvantage in Society (DEEDS) and Concern India Foundation. A number of initiatives have been undertaken in the field of education, health care, skill development, support to differently-abled, Contribution to the Swachh Bharat Kosh account and support to the PM CARES Fund to deal with distress situation such as those posed by the Covid-19 pandemic. The Company continued to support the TISS for distribution of scholarships and running of community study centres in M-Ward area of the Municipal Corporation of Greater Mumbai. Support is also provided to Vivekananda Kendra in Assam, Arunachal Pradesh and Odisha in running of Anandalayas to provide informal education to school going children of tea garden workers.

IMPLEMENTATION OF THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY

ECGC Ltd. is proactive in the implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The Company has achieved all the targets laid down in the Annual Rajbhasha Programme for the FY 2019-20 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. Company's Head Office was conferred with the third prize of the Rajbhasha Keerti Puraskaar, by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. The Company was also awarded the first prize by the first Mumbai Town Official Language Implementation committee (TOLIC), (Undertaking) for effective implementation of the official language policy.

During the FY 2019-20, the third sub-committee of the Parliamentary Committee on Official Language had inspected the Company's Bandra SME Branch, Mumbai on January 20, 2020.

The Company continued its progress in the implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The branch and regional offices of ECGC Ltd. celebrated the Hindi Fortnight from September 13, 2019 to September 27, 2019. During the Hindi Fortnight, various competitions were held and officers at all level participated enthusiastically.

All India Hindi Officers' Conference was organized at Kasauli on November 20-21, 2019 to discuss the achievements and problems faced by the Rajbhasha Officers at Regional / Branch / HO(Dept.) level. At the conference, Rajbhasha Officers of various regional and



डॉ अनूप वाधवान द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर 2019 को संपन्न बर्न यूनियन वार्षिक साधारण बैठक (बी यु ए जी एम्) पूर्ण सत्र का आधार व्याख्यान देते हुए

Dr. Anup Wadhawan delivering the keynote address during the Plenary session of Berne Union Annual General Meeting (BU AGM) on 24th October 2019

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, दिनांक 20 जनवरी, 2020 को कम्पनी की बांद्रा स्थित ल.व.म.नि. शाखा, मुंबई का राजभाषा पर गठित माननीय संसदीय समिति की तृतीय उपसमिति द्वारा निरीक्षण किया गया। दिनांक 09.10.2019 को नराकास (उपक्रम), मुंबई के तत्वावधान में राजभाषा एवं रोजगार नामक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के मुंबई स्थित तीनों कार्यालयों यथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, हिन्दी शिक्षण संस्थान एवं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रभारी अधिकारी उपस्थिति थे। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं राजभाषा अधिकारियों व कंपनी के प्रधान कार्यालय तथा राजभाषा विभाग द्वारा इस संगोष्ठी में भाग लिया गया।

कम्पनी में कार्यरत अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गयी हैं। अपने

branch offices and departments of Head Offices of ECGC Ltd. participated. During the conference the chief guest and officers of Rajbhasha Department made suggestions to solve the problems in implementation of the Official Language Policy, faced by the Rajbhasha officers posted at branches and regional offices.

A workshop on "Rajbhasha and Employment" was conducted under the aegis of the TOLIC (undertaking) Mumbai on 09.10.2019, in which Heads of all the three offices of the Ministry of Home Affairs, i.e. Regional Implementation Office, the Central Translation Bureau and the Institute of Hindi Teaching were present. Senior officers and Official Language officers from various PSUs and officers from the Company's Head Office and Rajbhasha department participated in the conference.

Various incentives are given by the Company to encourage



दिनांक 20 -24 अक्टूबर 2019 को संपन्न बर्न यूनियन की साधारण बैठक 2019 के प्रतिभागी
Participants at the Berne Union Annual General Meeting 2019 during 20-24 October 2019

दैनिक कार्यालयी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये शाखा स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर तथा प्रधान कार्यालय के विभागों में तैनात अधिकारियों को प्रतिवर्ष अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार में प्रतियोगिता करने हेतु प्रेरित किया जाता है जो कि उनके सम्बंधित कार्यालयों द्वारा वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु प्रदान किया जाता है।

कम्पनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किये जाने वाले पत्राचार में निरंतर वृद्धि हो रही है। कंपनी के सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड फॉन्ट इंस्टाल कर दिए जाने के बाद से सभी शाखाओं द्वारा अपने ग्राहकों यथा निर्यातकों व बैंकों को द्विभाषी में ईमेल भेजे जाते हैं। कंपनी की वेबसाईट द्विभाषी में उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2019-20, के दौरान सबस्टाफ हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जो कि सभी द्विभाषी में सम्पन्न हुई हैं। कम्पनी द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा नीति पर अलग से एक सेशन आयोजित किया गया है।

कंपनी की सभी शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है तथा उसमें तिमाही के दौरान विस्तृत रूप से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा की जाती है।

कम्पनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में लगातार प्रगति कर रही है। ईसीजीसी लिमिटेड की शाखा व क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सितंबर माह के दौरान दिनांक 13 सितंबर, 2019 से 27 सितंबर, 2019 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। दिनांक 20-21 नवम्बर, 2019 के दौरान उपलब्धियों तथा क्षेत्रीय/शाखा/प्रका(विभाग) स्तर पर राजभाषा अधिकारियों को आने वाली समस्याओं पर चर्चा हेतु कसौली में अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारियों के सम्मलेन का आयोजन किया गया जिसमें ईसीजीसी के प्रधान कार्यालय के विभागों, शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालय में नामित हिंदी अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता तथा अतिथि के द्वारा अधिकारियों के समक्ष राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं का समाधान किया गया।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

आपसी समझ बढ़ाने, निर्यात ऋण बीमा में मूल सिद्धांतों को विकसित करने और उत्पाद ज्ञान, तकनीकी सहित अन्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने में सदस्यों के बीच बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपसी समझ बढ़ाने, निर्यात ऋण बीमा में मूल सिद्धांतों को विकसित करने और उत्पाद ज्ञान, तकनीकी सहित अन्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने में सदस्यों के बीच सतत् विचार-विमर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संयुक्त रूप से, सदस्य संस्थाओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक सीमापारीय व्यापार के करीबन 13% को भुगतान जोखिम रक्षा प्रदान की जाती है। ईसीजीसी अल्पावधि(एसटी), मध्यम/दीर्घ अवधि (एमएलटी) तथा बीयू की निवेश बीमा समितियों (आईएनवी) एवं बीयू की एक

and motivate the employees, for furtherance of the use of Hindi, in their daily office work. To encourage employees to use Hindi in their day-to-day official work, employees at the Branch Offices, Regional Offices and Head Office departments are encouraged to compete every year for the "Chairman and Managing Director's Official Language Award" for the excellent implementation of the official language in their respective offices.

The Company's correspondence in Hindi, with its customers, has been showing steady growth. With the installation of Unicode software in all the computers of the Company, branches have started sending mails in Hindi to exporters and bankers. The website of the Company is available in bilingual.

During the FY 2019-20, various training programs, including a training program for the sub-staff, were conducted by the Company, in which training was provided bilingually. In all the training programs conducted by the Company, a separate slot is kept for the Official Language Policy.

Quarterly Review meetings of the Official Language Implementation Committee were held regularly in all the Branch offices, Regional Offices and Head Office of the Company wherein detailed discussions were held with regard to implementation of the official language during the quarter.

INTERNATIONAL RELATIONS

ECGC is an active member of the Berne Union (BU), the International Union of Credit and Investment Insurers, a leading global association of the export credit and investment insurance industry, and is closely associated with its activities. The Company was the first Asian member to join the BU in 1957. The members benefit by continual interaction, which has been instrumental in enhancing common understanding and developing sound principles in export credit insurance. Collectively, members provide payment risk protection for approximately 13% of the global cross-border merchandise and service trade.

ECGC is a member of the Short-term (ST), Medium/Long-term (MLT) and Investment Insurance (INV) Committees of the BU and the Regional Co-operation Group (RCG), a special forum of the BU members from the Asia-Pacific region. Shri M. Senthilnathan, Chairman-cum-Managing Director (CMD), presently represents ECGC in the Management Committee (MC) of the BU as a member of the ST committee. ECGC actively participated in the Berne Union Spring Meeting held at Singapore in April, 2019, the MC meetings held in April, July and October 2019 and in the Strategy session of the MC which was held in December 2019 in Spain.

Berne Union Annual General Meeting 2019

During October 20-24, 2019, ECGC hosted the Annual General Meeting (AGM) of the Berne Union (BU) at the Hyderabad International Convention Centre. This

विशेष फोरम क्षेत्रीय सहयोग समूह(आरसीजी) का एशिया प्रशांत क्षेत्र से सदस्य है। श्री एम सेंथिलनाथन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, वर्तमान में बीयू की एसटी समिति के सदस्य के रूप में प्रबंधन समिति में ईसीजीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ईसीजीसी ने अप्रैल, 2019 में सिंगापुर में आयोजित बर्न यूनिन स्पिंग मीटिंग, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर 2019 में आयोजित हुई प्रबंधन समिति की बैठकों तथा दिसंबर 2019 में स्पेन में हुए प्रबंधन समिति के रणनीति सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया।

बर्न यूनिन वार्षिक सामान्य बैठक 2019

20-24 अक्टूबर, 2019 के दौरान, ईसीजीसी ने हैदराबाद इंटरनेशनल

coincided with the 85th anniversary of the BU. The meeting was attended by 206 delegates from 59 countries who represented government-backed export credit agencies (ECAs), private credit and political risk insurers and multilateral institutions such as International Finance Corporation, and Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). The ECGC delegation led by Shri M. Senthilnathan attended the committee meetings, in addition to the all-member plenary meeting and the open workshop on Psychology of Decision Making. During these meetings, the members shared their business performance and participated in technical sessions on underwriting, claims, project exports, regulatory issues, etc.



**अक्टूबर 2019 को सम्पन्न द्विपक्षीय बैठक में ईसीजीसी एवं नेक्सी (जापान) के अधिकारी
ECGC and NEXI (Japan) officials at the bilateral meeting in October 2019**

कन्वेंशन सेंटर में बर्न यूनिन (बीयू) की वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) की मेजबानी की। यह बीयू की 85 वीं वर्षगांठ के साथ सन्निपतित हुआ है। बैठक में 59 देशों के 206 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्होंने सरकार समर्थित निर्यात ऋण एजेंसियों (ईसीए), निजी ऋण और राजनीतिक जोखिम बीमाकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) जैसे बहुपक्षीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व किया। श्री सेंथिलनाथन के नेतृत्व में ईसीजीसी प्रतिनिधिमंडल ने समस्त सदस्यीय समग्र बैठक और निर्णय लेने के मनोविज्ञान पर खुली कार्यशाला के अलावा समिति की बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों के दौरान, सदस्यों ने अपने व्यवसाय निष्पादनों को साझा किया और हामीदारी, दावे, परियोजना निर्यात, नियामक मुद्दे आदि पर आयोजित तकनीकी सत्रों में भाग लिया। 23 अक्टूबर, 2019 को आयोजित ए.जी.एम. के पूर्ण सत्र के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. अनूप वाधवन, वाणिज्य सचिव, भारत सरकार को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बढ़ते तनाव और दुनिया की समृद्धि पर खतरा उत्पन्न करने

Dr. Anup Wadhawan, Commerce Secretary, Government of India was invited to present the keynote address during the Plenary session of the AGM held on October 23, 2019. He shared the global concern of rising international trade tensions and geopolitical disputes threatening the prosperity of the world and emphasised on the vital role played by the ECAs in complementing trade and investment, filling the market gap of inadequate capital flows, providing risk management tools and promoting international commerce and the flow of credit. In her welcome and introductory remark, Smt. Geetha Muralidhar, the then CMD, ECGC Ltd., highlighted the performance and importance of ECGC in promoting Indian exports.

In order to showcase India's rich cultural diversification, various social events were also organized. All meetings and events were well-attended and well-



21 अक्टूबर 2019 को ईसीजीसी एवं युके ई एफ (यू के) द्वारा स ज्ञा पर हस्ताक्षर

ECGC and UKEF (UK) signing the MoU on 21st October 2019

वाले भू-राजनीतिक विवादों की वैश्विक चिंता को साझा किया और व्यापार और निवेश के पूरक के रूप में अपर्याप्त पूंजी प्रवाह के बाजार अंतराल को भरना, जोखिम प्रबंधन उपकरण प्रदान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और ऋण का प्रवाह को बढ़ावा देने में ईसीजीसी द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। अपने स्वागत और परिचयात्मक टिप्पणी में, श्रीमती गीता मुरलीधर, तत्कालीन अप्रनि, ईसीजीसी लिमिटेड, ने भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने में ईसीजीसी के प्रदर्शन और महत्व पर प्रकाश डाला।

भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सभी बैठकें और कार्यक्रमों में प्रतिनिधियों की काफी उपस्थिति थी तथा उनके द्वारा इसे सराहा गया साथ ही उन्होंने बैठक द्वारा प्रदान किए गए अवसरों पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की, जो व्यापार और ऋण बीमा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

बीयू ने अपनी गतिविधियों में युवा पेशेवरों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से "नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम" शुरू किया है जो कि युवा बीयू सदस्यों के बीच संचार और नेटवर्किंग के अवसरों में वृद्धि करेगा। ईसीजीसी, श्री विवेक तिवारी, वरिष्ठ प्रबंधक के प्रतिनिधित्व में कोर ग्रुप के सदस्यों में से एक है।

बीयू एजीएम के अतिरिक्त, निप्पाँन एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस (एनईएक्सआई), जापान के साथ एक द्विपक्षीय बैठक हुई। ईसीजी के संबंधित प्रमुखों के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने दोनों संगठनों के बीच पुनर्बीमा व्यवस्था की संभावनाओं, अफ्रीकी बाजार में संयुक्त परियोजनाओं के अवसर और विमान पट्टे क्षेत्र में उपलब्ध रास्ते के बारे में चर्चा की।

आपसी सहयोग को बढ़ाने और व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करके व्यापार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से,



29 मई 2019 को ईसीजीसी एवं क्रेडिट ओमान (ओमान) द्वारा स ज्ञा पर हस्ताक्षर

MoU between ECGC and Credit Oman (Oman) on 29th May 2019

received by the delegates who expressed their satisfaction on the opportunities provided by the meeting in highlighting matters critical to trade and credit insurance.

The BU has initiated the 'Next Generation Programme' with the objective to increase the engagement of young professionals in the activities of BU; enhance the communication and networking opportunities among young BU members. ECGC, represented by Shri Vivek Tiwari, Senior Manager, is one of the members of the core group.

On the sidelines of the BU AGM, a bilateral meeting was held with Nippon Export Investment Insurance (NEXI), Japan. The delegation led by the respective Heads of ECAs discussed the possibilities of reinsurance arrangement between the two organisations, opportunities for joint projects in the African market and the avenues available in the aircraft leasing sector.

With a view to enhancing mutual cooperation and facilitating business opportunities by stimulating trade and investment, ECGC signed a Memorandum of Understanding (MoU) with UKEF (UK) during the BU AGM 2019.

During the FY 2019-20, ECGC also signed MoUs with Agri Re (Mongolia) and Credit Oman (Oman). These agreements define the framework of co-operation in the areas of exchange of information, risk underwriting, reinsurance and risk management.

In furtherance of MoU objectives, ECGC has also been chosen by Credit Oman for a consultancy project which involves

ईसीजीसी ने बीयू एजीएम 2019 के दौरान यूकेईएफ (यूके) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, ईसीजीसी ने एग्री री (मंगोलिया) और क्रेडिट ओमान (ओमान) के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। ये समझौते सूचनाओं के आदान-प्रदान, जोखिम हामीदारी, पुनर्बीमा और जोखिम प्रबंधन के क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा को परिभाषित करते हैं।

एमओयू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ईसीजीसी को क्रेडिट ओमान द्वारा एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के लिए भी चुना गया है जिसमें उनके संचालन के सभी पहलुओं की समीक्षा करना और भविष्य के लिए कार्य योजना का सुझाव देना शामिल है।

भारत सरकार की ओर से, ईसीजीसी ने पैन-अफ्रीकी और बहुपक्षीय निवेश और ऋण बीमाकर्ता, अफ्रीकी ट्रेड इंश्योरेंस एजेंसी (एटीआई) में 11.7 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया और जून 2019 में 100 'वी' मक्लास शेयर प्राप्त किए। भारतीय गणतंत्र पहला गैर-अफ्रीकी सदस्य राष्ट्र है, जिसका प्रतिनिधित्व एटीआई के निदेशक मंडल में ईसीजीसी द्वारा किया जाता है। ईसीजीसी को बेनिन के कोटोनोउ में 03-05 जुलाई 2019 के दौरान 19 वीं एजीएम और एटीआई के 66 वें निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। अग्रनि, ईसीजीसी ने 6 वें गोलमेज़ इवेंट के दौरान एक सम्बोधन दिया और यह नए अवसरों के पुनर्परिभाषित हेतु सममन्न हुर डोनर-गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स से संबंधित एक पैनल सदस्य था। अक्टूबर 2019 में क्रमशः एटीआई के निदेशक मंडल की 68 वीं बैठक और अक्टूबर 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नैरोबी, केन्या और वाशिंगटन डी सी में आयोजित एटीआई की चौथी असाधारण आम बैठक में कंपनी द्वारा विधिवत रूप से भाग लिया गया।

ईसीजीसी वैश्विक स्तर पर ईसीए के साथ निकटता से काम करता है। चीन में 13-14 मई 2019 और ब्रिक्स बैठक 10-11 नवंबर 2019 के दौरान चीन में आयोजित जी-12 बैठक ने ईसीए के प्रमुखों को व्यापार से संबंधित परियोजनाओं पर सहयोग करने और साझा रुचि के मुद्दों पर गहन चर्चा करने के अवसर प्रदान किए।

ईसीजीसी के अधिकारियों ने निर्यात ऋण पर अंतरराष्ट्रीय वर्किंग ग्रुप (IWG) की 19 वीं और 20 वीं बैठकों में भाग लिया। ईसीजीसी आईडब्ल्यूजी के तहत सात कार्य समूहों का सदस्य है और अंतर-वर्गीय चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

राष्ट्रमंडल (यूके), मीगा (यूएसए), यूलर हेमीज़, केएफडब्लूआईपीईएक्स और हनोवर रे (जर्मनी) और टर्कएक्सिम बैंक (तुर्की) के साथ द्विपक्षीय बैठकें आम हित के विषयों पर चर्चा करने के लिए हुईं, जिनमें भारतीय वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की भूमिका, पुनर्बीमा की संभावनाएं, एमएलटी परियोजनाओं के लिए संयुक्त समर्थन शामिल हैं। व्यापार को बढ़ावा देने और समग्र कारोबारी माहौल का समर्थन करने के उद्देश्य से, ईसीजीसी ने बीयू द्वारा दावों और वसूली, पुनर्बीमा, देश जोखिम, एसएमई विशेषज्ञ विपणन पर आयोजित विशेषज्ञ बैठकों और कार्यशाला में भाग लिया। एससीओआर क्रेडिट और श्योरटी कैम्पस सेमिनार 2019 और आईसीआईएसए एशिया समिति की बैठक में ईसीजीसी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। उपरोक्त बैठकों और कार्यशालाओं में हामीदारी, दावों और वसूलियों पर तकनीकी चर्चा ने

reviewing all aspects of their operations and suggest a plan of action for future.

On behalf of the Government of India, ECGC invested USD 11.7 mn in the African Trade Insurance Agency (ATI), a pan-African and multilateral investment and credit insurer, and subscribed to 100 Class 'B' shares in June 2019. The Republic of India is the first non-African member nation represented by ECGC on the Board of Directors of ATI. ECGC was invited to attend the 19th AGM and the 66th Board of Directors meeting of the ATI during 03 – 05 July 2019 in Cotonou, Benin. CMD, ECGC delivered an address during the 6th Roundtable Event and was a panel member on the topic of 'New Opportunities Emerging from Redefined Donor-Government Partnerships'. The subsequent 68th Meeting of Board of Directors of ATI and the Fourth Extraordinary General meeting of ATI held in Nairobi, Kenya and Washington D C, USA respectively in October 2019, were duly attended by the Company.

ECGC works in close association with ECAs globally. The G-12 meeting held in China during 13-14 May 2019 and BRICS meeting held in Brazil during 10-11 November 2019 provided opportunities to the Heads of the ECAs to collaborate on trade-related projects and have in-depth discussion on issues of common interest.

The officials of ECGC attended the 19th and 20th meetings of the International Working Group (IWG) on Export Credit. ECGC is a member of the seven Working Groups under the IWG and actively participates in the inter-sessional discussions.

Bilateral meetings were also held with the Commonwealth (UK), MIGA (USA), Euler Hermes, KfW Ipe and Hannover Re (Germany) and Turkexim Bank (Turkey) to discuss topics of common interest including the role of Insolvency and Bankruptcy Code in strengthening the Indian financial system, scope for re-insurance, joint support for MLT projects.

With a view to fostering trade and supporting the overall business environment, ECGC participated in Specialist meetings and workshop organised by the BU on Claims and Recoveries, Reinsurance, Country Risk, SME Specialist Marketing. SCOR Credit & Surety Campus Seminar 2019 and ICISA Asia Committee meeting were also attended by the delegates from ECGC. The technical discussions on underwriting, claims and recoveries in the above meetings and workshops have enabled the participants to share and take back home the best global practices.

Shri M. Senthilnathan was invited by TXF at its global conference held in Berlin, Germany during 12-14 June 2019 where he spoke on the most topical issues facing agency finance during the session 'ECA CEO forum'. ECGC officials were also invited as panel speakers by TXF in its Africa and Asia Conferences, and by GTR in its West Africa Conference.



**दिनांक 24.10.2019 को तिरुपुर शाखा द्वारा संगोष्ठी
Tirupur Branch Commemorative on 24.10.2019**

प्रतिभागियों को सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को साझा करने और सीखने में सक्षम बनाया है।

श्री सेंथिलनाथन को 12-14 जून 2019 के दौरान बर्लिन, जर्मनी में आयोजित अपने वैश्विक सम्मेलन में टीएक्सएफ द्वारा आमंत्रित किया गया था, जहाँ उन्होंने ईसीए सीईओ फोरम में एक सत्र के दौरान एजेंसी वित्त संबंधी सबसे सामयिक मुद्दों पर बात की। ईसीजीसी के अधिकारियों को इसके अफ्रीका और एशिया सम्मेलनों में टीएक्सएफ द्वारा और इसके पश्चिम अफ्रीका सम्मेलन में जीटीआर द्वारा पैनल स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया गया था।

मानव संसाधन व औद्योगिक सम्बन्ध

दिनांक 31मार्च,2020 को कंपनी में कुल 571 कार्मिक कार्यरत थे जिनमें 549 कार्यपालक तथा 22 गैर कार्यपालक शामिल हैं। इसमें 163 महिला कर्मचारी शामिल हैं जो कि कुल कार्यबल का लगभग 29% हिस्सा हैं।

वित्त वर्ष के दौरान उपलब्ध रिक्रियों के आधार पर विभिन्न संवर्गों में कुल 77 कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। सतर्कता दिशानिर्देशों के अनुपालन तथा कंपनी की आवश्यकता के अनुसार कुल 145 अधिकारियों को शाखा कार्यालयों/विभागों में स्थानांतरित किया गया। औद्योगिक संबंध और श्रम कानूनों से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों का वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अनुपालन किया गया है। कम्पनी में वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बने रहे। कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कंपनी ने नई व्यापक कल्याण सुविधाओं की शुरुआत की तथा अपने कर्मियों के लिए उनके स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति सम्बन्धी वर्तमान सुविधाएँ जारी रखी गईं।

वित्त वर्ष 2019-20 में, कंपनी के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कम्पनी में सदाशय से कार्य करने पर उस कार्य हेतु लाए गए वाद हेतु विधिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना, वरिष्ठ अधिकारियों हेतु सम्पुर्ण आधारित बिजली के बिल का पुनर्भुगतान, समूह क तथा ख के अधिकारियों हेतु फर्निशिंग व्यय का पुनर्भुगतान, घरेलू सहायता हेतु समूह आधारित पुनर्भुगतान तथा महिला अधिकारियों हेतु सफाई व्यय तथा पहल जिससे कि वे कार्यालयी-व्यक्तिगत जीवन में संतुलन स्थापित करने तथा नेतृत्व क्षमता विकास सहित विभिन्न

HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATIONS

The employee strength of the Company as of March 31, 2020 was 571 which consisted of 549 executive and 22 non-executive employees. This includes 163 women employees who constitute almost twenty nine percent of the total work force.

A total number of 77 employees were promoted during the financial year in the various ranks based on the vacancies available. As per the requirement of the Company and in compliance with the vigilance guidelines, 145 officers were rotated among Branch Offices/Departments. All statutory provisions pertaining to industrial relations and labour laws were complied with in the FY 2019-20. Harmonious and cordial industrial relations were maintained throughout the year in the Company. Quarterly meetings were conducted with the employees' representatives.

During the year, the Company introduced new comprehensive welfare facilities and also continued the existing facilities for its employees to take care of their health, economic wellbeing, etc.

In FY 2019-20, various welfare schemes were introduced including a scheme for extending legal and financial support to the Company's serving/retired employees, against cases arising out of bona fide execution of the Company's work, cadre-wise reimbursement of electricity expenses of senior officers, reimbursement of furnishing expenses of Group A and Group B officers, cadre-wise reimbursement of household help and cleaning expenses, and initiatives for women employees to achieve work life balance and leadership development.

In accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and ECGC's Policy on prevention of sexual harassment of women at the workplace, Internal Complaints Committees (ICC) have been functioning in all the branches / offices, employing at least 10 employees. One ICC is functioning at HO which includes all the departments at the Head Office and Mumbai - based branches wherever employee strength is fewer than

कल्याणकारी योजनाए प्रारम्भ की गई हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर ईसीजीसी की नीति के अनुसार, आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) उन सभी शाखाओं/कार्यालयों में कार्य कर रही हैं जहाँ कम से कम 10 कर्मचारी कार्यरत हैं। एक आईसीसी प्रका में कार्य कर रहा है जिसमें प्रधान कार्यालय तथा मुंबई स्थित वे सभी शाखाएँ शामिल हैं जहाँ कर्मचारी की संख्या 10 से कम है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, इस अधिनियम के तहत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया।

प्रशिक्षण :

प्रशिक्षण की भूमिका ने आज के प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में अपनी भूमिकाओं में कुशल प्रदर्शन के लिए अधिकारियों के कौशल निर्माण करने और उन्हें उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान , सभी स्तरों के कर्मचारियों को विभिन्न इन हाउस तथा बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नामित किया गया। वित्त वर्ष के दौरान, दावा तथा बीमांकन कार्यशालाओं का अलग अलग आयोजन, दोनो ही पॉलिसी तथा ईसीआईबी क्षेत्र के लिये, अखिल भारतीय स्तर पर मुम्बई में किया गया। साथ ही कम्पनी के क्षेत्र अधिकारियों हेतु पुद्दुचेरी तथा भुवनेश्वर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशाखापत्तनम में वर्ग ग एवं घ के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

साथ ही वित्त वर्ष 2019-20 में, 17 ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुओं को कम्पनी में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए गए। उक्त के अतिरिक्त, अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के आधार पर प्रायोजित प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया है। वर्ष के दौरान, कुल 396 अधिकारियों को विभिन्न इन-हाउस तथा प्रायोजित प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया।

दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध करने हेतु प्रयासरत है। दिनांक 31 मार्च, 2020 को कंपनी में 15 दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत थे। कम्पनी में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों का विवरण, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में, अनुलग्नक VII में उपलब्ध है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी में अनु .जा./अ.ज.जा. की नियुक्ति तथा आंतरिक पदोन्नति में आरक्षण से संबन्धित सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। भारत सरकार की ओर से प्राप्त संबन्धित निर्देशों के अनुसार कंपनी ने पद-आधारित रोस्टर प्रणाली अपनाई गयी है। अनु .जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.जा. हेतु आरक्षण के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा भरी गयी आरक्षित रिक्तियों का विवरण अनुलग्नक VIII में उल्लिखित है। 31 मार्च, 2020 को विभिन्न सम्वर्गों में कुल श्रमशक्ति के अंतर्गत अनु .जा./ अ.ज.जा. तथा अ.पि.जा. के प्रतिनिधित्व का विवरण अनुलग्नक IX में उल्लिखित है।

सामान्य प्रशासन

1. कंपनी का राजस्व और पूंजी व्यय निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित

10. During the FY 2019-20, no cases were filed under this Act.

TRAINING:

The role of training has assumed critical importance in today's competitive environment in strengthening and upgrading the skills of officers for efficient performance in their roles. During the FY 2019-20, employees at all levels were nominated to various in-house and sponsored training programs. During the financial year, Claims and Underwriting workshops were separately organised for both Policy and ECIB sectors at all-India level in Mumbai. Further, training programmes were conducted for the benefit of field officers of the Company at Pondicherry and Bhubaneshwar. Training was also given to group C and D employees at Visakhapatnam.

Also, in FY 2019-20, 17 summer trainees were given an opportunity to intern with the Company. Apart from this, employees were sponsored for training as per their functional areas. During the year, a total of 396 officers were nominated to various in-house and sponsored training programs.

REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY:

The Company endeavours to provide employment to Persons with Disabilities. As of March 31, 2020, the Company had 15 employees on its roll belonging to the category of Persons with Disabilities. Details of Persons with Disabilities in the service of Company, in pursuance of the relevant provisions under The Rights of Persons with Disabilities, 2016, are furnished in **Annexure VII**.

REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES:

The Company strictly adheres to relevant rules relating to Reservation of SCs/STs in recruitment and in internal promotions. In adherence to the relevant instructions from the Government of India, the Company adopted a 'Post-based Roster system'. Details of 'Reserved vacancies filled in by direct recruitment at different level under reservation for SC, ST and OBC are furnished in **Annexure VIII**. Representation of SCs, STs, and OBCs in the total manpower in various cadres as of March 31, 2020 is furnished in **Annexure IX**.

GENERAL ADMINISTRATION

1. Revenue and Capital expenditure of the Company are properly controlled and incurred within the Annual Budget approved by the Board of Directors.
2. All the Branch Offices / Regional Offices have been advised to take necessary steps to implement Government of India's Policy regarding procurement through Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Government of India Public Procurement Policy framed in April 2012, for all MSME's mandates that 25% of procurement of

वार्षिक बजट से नियंत्रित और संचालित हुआ है।

2. सभी शाखा कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों को भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों(एमएसएमई) से खरीद की पॉलिसी को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं। भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद पॉलिसी जो अप्रैल, 2012 में समस्त एमएसएमई के लिए बनाई गयी है, कहा जाता है कि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकता के 25% की खरीद सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसएमई) से करना आवश्यक है। सरकार ने इस संदर्भ में 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों तथा 05% अ.जा. और अ.ज.जा. के स्वामित्व वाली एमएसई से खरीद का उप-लक्ष्य निर्धारित किया है।
3. कंपनी द्वारा ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं की एक सूची तैयार की गई है जो आवश्यकता पड़ने पर एमएसएमई से खरीदी जा सकती हैं। एमएसएमई को भुगतान में देरी की कोई भी मामला नहीं है।
4. कंपनी ने ई-प्रकाशन पॉलिसी का भी अनुपालन किया है जो कि भारत सरकार की ई-अधिप्राप्ति पॉलिसी 2012 का एक भाग है।
5. शासकीय ई बाजार (जीईएम) के जरिए खरीद के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कंपनी द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद हेतु जीईएम पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है।

भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन

आईआरडीएआई ने उनके दिनांक 21 जनवरी, 2020 को जारी परिपत्र संदर्भ संख्या IRDI/F/CIR/CTS/023/01/2020 द्वारा यह सूचित किया है कि बीमाकर्ता को सभी प्रचलित भारतीय लेखांकन मानकों के साथ-साथ इंड एस 109 तथा आईएफआरएस17 के अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक इंड एस को साथ में लागू करना होगा। उक्त कार्यान्वयन के प्रभावी होने की तिथि अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड(आईबीएसए) द्वारा आईएफआरएस 17 के पूर्ण होने के उपरांत निर्धारित की जाएगी तथा दिनांक 28 जून, 2017 को जारी परिपत्र के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में कार्यान्वयन हेतु प्रभावी तिथि को वापस ले लिया गया है साथ ही समीक्षाधीन परिपत्र में निर्देशित तिमाही आधार पर इंड एस प्रारूप में वित्तीय विवरण प्रस्तुत की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है। आईआरडीए के निर्देशों के अनुपालन में, इंड एस के प्रारूप को तिमाही आधार पर तैयार करने तथा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति को, वित्त वर्ष 2019-2020 की तीसरी तिमाही से स्थगित कर दिया गया है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

एम. सेंथिलनाथन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डी आई एन 07376766

स्थान: मुंबई

दिनांक: 21 अगस्त, 2020

annual requirement of goods and services by Public Sector Undertaking will be from Micro and Small Enterprise (MSEs). The Government of India has also prescribed a sub-target of 3% procurement of goods and services from women enterprises and 5% from SC/ST entrepreneurs.

3. The Company has identified a list of goods and services which may be procured from MSMEs as and when need arises. There have been no reported cases of delayed payment to MSMEs.
4. The Company has also complied with e-publishing policy which is part of e-procurement policy of 2012 of the Government of India.
5. As per the directions received from the Ministry of Commerce & Industry regarding procurement through the Government e-Marketplace (GeM), the Company has registered with the GeM portal for online procurement of commodities and services.

IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

The IRDAI has vide its circular reference No.IRDAI/F&A/CIR/ACTS/023/01/2020 dated 21st January 2020, informed that insurers should implement Ind AS 109 and Ind AS equivalent of IFRS 17 simultaneously along with all other applicable Ind AS. The effective date of implementation shall be decided after the finalization of IFRS 17 by the International Accounting Standards Board (IASB) and that the circular dated 28th June 2017 deferring effective date of implementation to FY 2020-21 hereby stands withdrawn, additionally the requirement of Proforma Ind AS financial statements being submitted on a quarterly basis as directed in the circular under reference stands dispensed with.

In accordance with the directions from the IRDAI, preparation and submission of Proforma Ind AS to the Board on quarterly basis has been discontinued from the third quarter of the FY 2019-20

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

M. Senthilnathan

Chairman-cum-Managing Director

DIN 07376766

Place: Mumbai

Date: August 21, 2020

दिनांक 31.03.2020 को कम्पनी में सेवारत दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

Representation of Persons with Disabilities in the Services of the Company as on 31.03.2020

संवर्ग	दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या			कुल दृ.दि.+ श्र.दि.+ शा.दि
	दृ.दि.	श्र.दि.	शा.दि.	
क	3	1	5	9
ख	2	1	2	5
ग	0	0	0	0
घ	1	0	0	1
कुल	6	2	7	15

दृ.दि. दृश्य दिव्यांग
श्र.दि. श्रव्य दिव्यांग
शा.दि. शारीरिक दिव्यांग

Group	No. of Disabled Persons			Total VI+ HI+OC
	VI	HI	OC	
A	3	1	5	9
B	2	1	2	5
C	0	0	0	0
D	1	0	0	1
Total	6	2	7	15

VI Visually Impaired
HI Hearing Impaired
OC Orthopedically Challenged

अनुलग्नक - VIII / Annexure VIII

वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व
Representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes pertaining to recruitment in the Company FY 2019-20

ईसीजीसी लिमिटेड समूह ECGC Ltd Group	कर्मचारियों की कुल संख्या Total Number of Employees	अ.जा. वर्ग के नियुक्त कर्मचारियों की संख्या No. of SC Employees recruited	अ.ज.जा. वर्ग के नियुक्त कर्मचारियों की संख्या No. of ST Employees recruited	अ.पि.जा. वर्ग के नियुक्त कर्मचारियों की संख्या No. of OBC Employees recruited
समूह क Group A	254	कोई नहीं NIL	कोई नहीं NIL	कोई नहीं NIL
समूह ख Group B	295	कोई नहीं NIL	कोई नहीं NIL	कोई नहीं NIL
समूह ग Group C	16	कोई नहीं NIL	कोई नहीं NIL	कोई नहीं NIL
समूह घ Group D	6	कोई नहीं NIL	कोई नहीं NIL	कोई नहीं NIL
कुल TOTAL	571	कोई नहीं NIL	कोई नहीं NIL	कोई नहीं NIL

नोट- 2019-20 के दौरान कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

Note - No recruitment was conducted in FY 2019-20

अनुलग्नक IX / Annexure IX

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ी जातियों का दिनांक 31.03.2020 को कम्पनी की सेवा में श्रमशक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व
Representation of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes in the services of the Company's workforce as on 31.03.2020

ईसीजीसी लिमिटेड संवर्ग ECGC Ltd Group	कर्मचारियों की कुल संख्या Total No. of Employees	अ.जा. के कर्मचारियों की संख्या No. of SC Employees	अ.जा. के कर्मचारियों का % % of SC employees	अ.ज.जा. के कर्मचारियों की संख्या No. of ST Employees	अ.ज.जा. के कर्मचारियों का % % of ST employees	अ.पि.जा. के कर्मचारियों की संख्या No. of OBC Employees	अ.पि.जा. के कर्मचारियों का % % of OBC employees
समूह क Group A	254	46	18.11%	17	6.69%	49	19.29%
समूह ख Group B	295	54	18.31%	24	8.14%	73	24.75%
समूह ग Group C	16	4	25.00%	3	18.75%	1	6.25%
समूह घ Group D	6	1	16.67%	0	0.00%	1	16.67%
कुल TOTAL	571	105	18.39%	44	7.71%	124	21.72%

फॉर्म बी- आर ए /FORM B-RA

ईसीजीसी लिमिटेड /ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 /CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

पंजीकरण संख्या 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002

Registration No. 124

Date of Registration : 27th September, 2002

Sr. No.	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) /Premiums earned (Net)	1	831,15,51.19	854,42,28.04
2	निवेश की बिक्री/शोधन से लाभ Profit on Sale/Redemption of Investment		40,53,64.86	38,42,17.56
3	निवेश की बिक्री/शोधन से हानि Loss on Sale/Redemption of Investment		(14,63,54.48)	(11,99,71.39)
4	अन्य /Others			
	- शुल्क/Fee		1,41,58.78	1,50,32.06
	- दावों एवं प्रीमियम पर ब्याज/Interest on Claims & Premium		20,51.21	59,93.74
	- विविध आय/Miscellaneous Income		61,72.30	15,93.45
	- संपत्ति की बिक्री से लाभ/Profit on Sale of Asset		76.10	8,19.65
5	ब्याज एवं लाभांश- सकल/Interest & Dividend - Gross		491,35,19.69	466,64,80.95
	कुल (क) / TOTAL (A)		1350,65,39.65	1349,83,94.06
1	उपगत दावे (शुद्ध) /Claims Incurred (Net)	2	958,62,03.99	1141,16,19.58
2	कमीशन / Commission	3	(37,15,68.81)	(51,56,04.98)
3	बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय / Operating Expenses related to Insurance Business	4	267,63,23.61	243,04,84.57
4	अन्य /Others			
	-प्रीमियम की कमी / Premium Deficiency		18,92,00.00	28,33,00.00
	- निवेश पर व्यय / Expenses towards Investments		9,27,83.51	8,73,36.16
	- प्रावधान, निवेशों पर बट्टे खाते में डाली गई राशि/Provision, Write Off towards Investments		46,44,89.65	22,89,22.03
	कुल (ख) / TOTAL (B)		1263,74,31.95	1392,60,57.36
	विविध कारोबार परिचालन से लाभ/(हानि) ग = (क-ख) Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous C =(A-B)		86,91,07.70	(42,76,63.30)
	विनियोजन / APPROPRIATIONS			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholder's Account		86,91,07.70	(42,76,63.30)

आकस्मिक प्रारक्षित निधि में अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve		-	-
अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves		-	-
कुल (ग) / TOTAL (C)		86,91,07.70	(42,76,63.30)

मुख्य लेखा नीतियाँ तथा लेखों के नोट राजस्व खाते के अविभाज्य अंग बनते हैं।

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts form integral part of the Revenue Account.

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 ग(2) की आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जाँच से यह ज्ञात होता है कि निर्यात ऋण बीमा कारोबार के संबंध में प्रबंधन के सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष व्ययों को जब भी व जहाँ भी आवश्यक हुआ, व्ययों के रूप में राजस्व खाते में डाला गया है।

As required by section 40C(2) of the Insurance Act 1938, we certify that, to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, and as far as it appears from our examination of Company's books of account, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly in respect of the Export Credit Insurance Business have been fully debited to the Revenue Account as expenses.

(**एम्. सेंथिलनाथन**)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(**M. SENTHILNATHAN**)
Chairman-cum-Managing Director
DIN - 07376766

(**डेविड रस्कीना**)
निदेशक
(**DAVID RASQUINHA**)
Director
DIN - 01172654

(**सुनील जोशी**)
कार्यपालक निदेशक
(**SUNIL JOSHI**)
Executive Director
DIN - 08778530

(**निर्दोष चोपड़ा**)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(**NIRDOSH CHOPRA**)
Chief Financial Officer

(**स्मिता पंडित**)
कम्पनी सचिव
(**SMITA PANDIT**)
Company Secretary

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

कृते ए बी एम एंड एसोसिएट्स एल एल पी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 105016W/W-100015
For abm & associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 109176W
For SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

(**अनिल चिकोडी**)
भागीदार-M.No. 107659
कोल्हापुर
(**ANIL CHIKODI**)
Partner - M.No. 107659
Kolhapur

(**संजय कपाडिया**)
भागीदार-M.No. 38292
(**SANJAY KAPADIA**)
Partner - M.No. 38292

स्थान : मुंबई

दिनांक: 21 अगस्त 2020

Place : Mumbai

Dated : 21st August, 2020

फॉर्म बी- पी एल / FORM B-PL
ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 /CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का लेखा

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

पंजीकरण संख्या 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002

Registration No. 124

Date of Registration : 27th September, 2002

Sr. No.	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	परिचालन लाभ/(हानि) /OPERATING PROFIT/(LOSS)			
	(क) अग्नि बीमा / (a) Fire Insurance		-	-
	(ख) मरीन बीमा / (b) Marine Insurance		-	-
	(ग) विविध बीमा / (c) Miscellaneous Insurance		86,91,07.70	(42,76,63.30)
2	निवेशों से आय / INCOME FROM INVESTMENTS			
	(क) ब्याज व लाभांश- सकल (a) Interest & Dividends-Gross		341,44,79.79	274,06,31.67
	(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ (b) Profit on Sale of Investments		28,16,94.23	22,56,51.58
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments		(10,17,03.96)	(7,04,59.39)
3	अन्य आय / OTHER INCOME			
	(क) एन ई आई ए आय / (a) NEIA Income		2,48,68.09	2,95,01.51
	(ख) किराया व अन्य व्याज आय / (b) Rent & Other receipts		11,55.33	5,67.92
	(ग) अन्य व्याज आय / (c) Other Interest Income		1,57,15.99	88,46,29.94
	(घ) विविध आय एवं फैक्ट्रिंग आय/ (d) Other Miscellaneous Income and Factoring Income		3,78.82	5.34
	कुल (क) / TOTAL (A)		450,56,95.99	338,28,65.27
4	प्रावधान (कराधान के अलावा) PROVISIONS (Other than Taxation)			
	(क) निवेशों के मूल्य हास के लिए (a) For diminution in the value of investments		-	-
	(ख) प्रावधान, निवेशों पर बट्टे खाते में डालना (b) Provision, Write Off - Investments			
	- मानक आस्ति / Standard Asset		-	-
	- निम्न मानक आस्ति / Sub Standard Asset		-	13,44,46.27
	-संदिग्ध आस्ति / Doubtful Asset		32,27,80.95	-
	- हानि संपत्ति / Loss Assets		-	-
	(ग) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (c) Provision for Doubtful Debts		50.37	-
5	अन्य व्यय / OTHER EXPENSES			
	(क) बीमा कारोबार के अलावा अन्य व्यय (a) Expenses other than those related to Insurance Business			

- निवेशों के लिए किए गए व्यय / - Expenses towards Investments		6,44,76.68	5,12,92.67
- निगमित सामाजिक दायित्व के लिए व्यय / - Expenses towards Corporate Social Responsibility		11,82,01.07	5,32,36.89
- विविध व्यय / - Miscellaneous Expense		(2.29)	9.54
कुल (ख) / TOTAL (B)		50,55,06.78	23,89,85.37
कर पूर्व लाभ (क - ख) / Profit Before Tax (A - B)		400,01,89.21	314,38,79.90
घटाएँ / Less:			
(क) कराधान के लिए प्रावधान / (a) Provision for Taxation			
- आस्थगित कर / - Deferred Tax		(10,59,28.58)	(8,76,70.87)
- वर्तमान कर / - Current Tax		87,00,00.00	84,00,00.00
(ख) पूर्व अवधि समायोजन / (b) Prior Period Adjustments		4,72.34	1,19,29.30
(ग) कर समायोजन - पूर्व वर्ष		(27,51.96)	(6,42,05.66)
(c) Tax Adjustments - Earlier years			
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		323,83,97.41	244,38,27.13
Profit available for appropriation			
विनियोजन / APPROPRIATIONS			
(क) वर्ष के दौरान अदा किया गया अंतरिम लाभांश		-	-
(a) Interim Dividends Paid During the Year		-	-
(ख) अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर		-	-
(b) Dividend Distribution Tax on Interim Dividend		-	-
(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश		-	-
(c) Proposed Final Dividend		-	-
(घ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर		-	-
(d) Dividend Distribution Tax on Proposed Dividend		-	-
(इ) फ़ैक्टरिंग योजना के लिए रिजर्व में अंतरण		-	-
(e) Transfer to Reserve for Factoring Scheme		-	-
(च) सामान्य निधियों में अंतरण		323,83,97.41	172,04,95.37
(f) Transfer to General Reserve		-	-
पिछले वर्ष से आगे लाए गए लाभ/हानि शेष		-	-
Balance of profit/loss brought forward from last year		-	-
तुलन पत्र में आगे लाए गए शेष		-	72,33,31.76
Balance carried forward to Balance Sheet		-	72,33,31.76

(एम्. सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(M. SENTHILNATHAN)
Chairman-cum-Managing Director
DIN - 07376766

(डेविड रस्कीना)
निदेशक
(DAVID RASQUINHA)
Director
DIN - 01172654

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
(SUNIL JOSHI)
Executive Director
DIN - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(NIRDOSH CHOPRA)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कम्पनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार /As per our report of even date attached

कृते ए बी एम एंड एसोसिएट्स एल एल पी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 105016W/W-100015
For abm & associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 109176W
For SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

(अनिल चिकोडी)
भागीदार-M.No. 107659
कोल्हापुर
(ANIL CHIKODI)
Partner - M.No. 107659
Kolhapur

(संजय कपाडिया)
भागीदार-M.No. 38292
(SANJAY KAPADIA)
Partner - M.No. 38292

स्थान : मुंबई
दिनांक : 21 अगस्त 2020
Place : Mumbai
Dated : 21st August, 2020

फॉर्म बी-बी एस /FORM B - BS
ईसीजीसी लिमिटेड/ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 /CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2020 तक का तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2020

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited (₹'000)
I. SOURCES OF FUNDS			
शेयर पूंजी /Share Capital	5	2500,00,00.00	2000,00,00.00
प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष /Reserves and Surplus	6	2714,91,80.31	2463,41,14.66
शेयर पूंजी पर अग्रिम /Advance Against Share Capital		300,00,00.00	-
उचित मूल्य परिवर्तन खाता /Fair Value Change Account		-	333,71,71.35
ऋण/Borrowings	7	-	-
आस्थगित कर देयता /Deferred Tax Liability		-	-
कुल /Total		5514,91,80.31	4797,12,86.01
II. निधियों का प्रयोग /APPLICATION OF FUNDS			
निवेश /Investments	8 & 8A	11044,63,36.65	10033,05,42.14
ऋण / Loans	9	-	-
अचल संपत्ति /Fixed Assets	10	293,49,15.15	243,32,93.23
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ /Deferred Tax Assets		41,28,81.21	30,69,52.63
वर्तमान परिसंपत्तियाँ /Current Assets			
नकद व बैंक शेष /Cash and Bank Balances	11	1100,83,30.75	651,99,97.87
अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ /Advances and Other Assets	12	942,73,27.81	881,41,45.66
उप कुल (क) /Sub Total (A)		2043,56,58.56	1533,41,43.53
वर्तमान देयताएँ /Current Liabilities	13	7187,18,57.81	6296,49,35.90
प्रावधान /Provisions	14	818,92,89.57	746,87,09.62
उप कुल (ख) / Sub Total (B)		8006,11,47.38	7043,36,45.52
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (ग)= (क-ख) Net Current Assets (C)= (A-B)		(5962,54,88.82)	(5509,95,01.99)
उचित मूल्य परिवर्तन खाता /Fair Value Change Account		98,05,36.12	-
विविध व्यय /Miscellaneous Expenditure	15	-	-
(उस सीमा तक जिसे बड़े खाते में न डाला गया हो अथवा समायोजित न किया गया हो) (to the extent not written off or adjusted)			
लाभ और हानि खाते में नामे शेष Debit Balance in Profit & Loss Account		-	-
कुल / TOTAL		5514,91,80.31	4797,12,86.01
महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	16		
लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS	17		

(एम्. सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(M. SENTHILNATHAN)
Chairman-cum-Managing Director
DIN - 07376766

(डेविड रस्कीना)
निदेशक
(DAVID RASQUINHA)
Director
DIN - 01172654

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
(SUNIL JOSHI)
Executive Director
DIN - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(NIRDOSH CHOPRA)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कम्पनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार /As per our report of even date attached

कृते ए बी एम एंड एसोसिएट्स एल एल पी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 105016W/W-100015
For abm & associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 109176W
For SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

(अनिल चिकोडी)
भागीदार-M. No. 107659
कोल्हापुर
(ANIL CHIKODI)
Partner - M. No. 107659
Kolhapur

(संजय कपाडिया)
भागीदार-M. No. 38292
(SANJAY KAPADIA)
Partner - M. No. 38292

स्थान : मुंबई
दिनांक : 21 अगस्त 2020
Place : Mumbai
Dated : 21st August, 2020

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 1 / SCHEDULE - 1

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / PREMIUM EARNED (NET)

Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	सीधे कारोबार से प्रीमियम Premium from Direct Business Written	1075,47,39.68	1247,54,25.98
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add : Premium on Reinsurance Accepted	-	-
	घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on Reinsurance Ceded	283,18,44.44	377,52,18.84
	शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	792,28,95.24	870,02,07.14
	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for change in Reserve for Unexpired Risks	38,86,55.95	(15,59,79.10)
	कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Total Premium Earned (Net)	831,15,51.19	854,42,28.04

अनुसूची - 2 / SCHEDULE - 2

उपगत दावे (शुद्ध) / CLAIMS INCURRED (NET)

Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	प्रदत्त दावे / Claims Paid		
	सीधे / Direct	408,41,21.62	1013,30,71.71
	जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add : Reinsurance accepted	-	-
	घटाएँ : सौंपा गया पुनर्बीमा Less : Reinsurance ceded	118,09,13.69	292,70,68.13
	घटाएँ : / Less :		
	वर्ष के दौरान वसूल किए गए Recovered during the year	166,43,65.31	150,82,70.98
	घटाएँ : पुनर्बीमाकर्ता को लौटाए गए Less : Share of reinsurer	38,29,53.70	39,55,68.37
	128,14,11.61	128,14,11.61	111,27,02.61
	शुद्ध प्रदत्त दावे (क) / Net Claims paid (A)	162,17,96.32	609,33,00.97
	जोड़ें : वर्ष के अंत तक बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Add : Claims Outstanding at the end of the year (net of reinsurance)	6674,15,73.27	5877,71,65.60
	घटाएँ : वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus provision for recovery (net of reinsurance)	-	-
	(ख) / (B)	6674,15,73.27	5877,71,65.60

Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Less : Claims Outstanding at the beginning (net of reinsurance)	5877,71,65.60	5345,88,46.99
	वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus Provision for recovery (net of reinsurance)	-	-
	(ग) / (C)	5877,71,65.60	5345,88,46.99
	कुल उपगत दावे (क + ख + ग) Total Claims Incurred (A + B - C)	958,62,03.99	1141,16,19.58

अनुसूची - 3 / SCHEDULE - 3

कमीशन / COMMISSION

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
प्रदत्त कमीशन / Commission Paid		
सीधे / Direct	9,39,09.98	7,08,15.74
कुल (क) / TOTAL (A)	9,39,09.98	7,08,15.74
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add : Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन Less: Commission on Re-insurance Ceded	46,54,78.79	58,64,20.72
शुद्ध कमीशन / Net Commission	(37,15,68.81)	(51,56,04.98)
<p>नोट : लाभ/कमीशन, यदि कोई है तो स्वीकृत पुनर्बीमा या सौंपे गए पुनर्बीमा के आंकड़ों में शामिल किया जाए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कारोबार के उपार्जन के लिए किए गए व्यय (सकल) का ब्रेक अप. Note: The profit/commission, if any are to be combined with the Re-insurance accepted or Re-insurance ceded figures. Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:</p>		
एजेंट / Agents	-	-
ब्रोकर / Brokers	9,24,44.28	7,07,74.43
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	14,65.70	41.31
अन्य (कृपया विवरण दें) / Others (pl. specify)	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	9,39,09.98	7,08,15.74
<p>नोट: उपरोक्त (क) व (ख) के जोड़ का मिलान होना चाहिए Note: Total (A) and (B) above should tally.</p>		

अनुसूची - 4 / SCHEDULE - 4

बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय/OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएं Employees' Remuneration and Welfare benefits	164,25,23.35	143,82,29.34
2	यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय Travel, Conveyance and Vehicle running expenses	11,55,45.02	11,31,20.38
3	प्रशिक्षण व्यय / Training expenses	88,28.23	1,83,96.43
4	किराया, दर व कर / Rent, Rates & Taxes	26,56,86.07	25,31,88.55
5	मरम्मत / Repairs	22,26,70.57	18,97,21.20
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी / Printing & Stationery	1,71,67.52	1,59,04.48
7	सूचना व्यय / Communication expenses	1,30,89.75	2,28,10.55
8	कानूनी व व्यवसायिक प्रभार / Legal & Professional charges	5,15,38.64	4,08,21.45
9	लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि / Auditors' fees, expenses etc.		
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में / (a) As auditor	67,47.18	67,80.53
	(ख) निम्न के संबंध में परामर्शदाता या किसी अन्य सेवा के रूप में (b) As adviser or in any other capacity, in respect of		
	(i) कराधान मामले / (i) Taxation matters	14,42.08	18,27.44
	(ii) बीमा मामले / (ii) Insurance matters	-	-
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ / (iii) Management services	-	-
	(ग) किसी अन्य सेवा के लिए / (c) In any other capacity	75,89.95	66,48.20
10	विज्ञापन व प्रचार / Advertisement and Publicity	6,54,85.78	6,52,89.84
11	ब्याज व बैंक प्रभार / Interest and Bank Charges	6,22.36	6,45.13
12	अन्य - विविध व्यय व अन्य व्यय Others - Miscellaneous Expenses and Other Expenses	21,21,52.44	21,34,21.26
13	मूल्यहास / Depreciation	4,52,34.67	4,36,79.79
	कुल / TOTAL	267,63,23.61	243,04,84.57

अनुसूची - 5 / SCHEDULE -5
शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital 100 रु प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर 50,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 50,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each)	5000,00,00.00	5000,00,00.00
2	निर्गमित पूंजी / Issued Capital 100 रु प्रत्येक के 25,00,00,000 इक्विटी शेयर 25,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 20,00,00,000 Equity Shares of Rs 100 each)	2500,00,00.00	2000,00,00.00
3	अभिदत्त पूंजी / Subscribed Capital 100 रु प्रत्येक के 25,00,00,000 इक्विटी शेयर 25,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 20,00,00,000 Equity Shares of Rs 100 each)	2500,00,00.00	2000,00,00.00
4	मांगी गई व प्रदत्त पूंजी / Called up & Paid up Capital 100 रु प्रत्येक के 25,00,00,000 इक्विटी शेयर 25,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 20,00,00,000 Equity Shares of Rs 100 each) जोड़ें : जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि) - - Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up) घटाएँ : पुनः खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सं मूल्य - - Less : Par Value of Equity Shares bought back घटाएँ : आरंभिक व्यय / Less : Preliminary Expenses - - शेयरों के बीमांकन अथवा अभिदान पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज सहित व्यय - - Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares - -	2500,00,00.00	2000,00,00.00
	कुल / TOTAL	2500,00,00.00	2000,00,00.00

अनुसूची - 5 क / SCHEDULE - 5 A

शेयर धारण का नमूना / PATTERN OF SHAREHOLDING

(प्रबंधन द्वारा प्रमाणन के अनुसार) / (As Certified by the Management)

शेयरधारक Shareholder	वर्तमान अवधि Current Period		पिछली अवधि Previous Period	
	शेयरों की संख्या No.of Shares	धारिता का % % of holding	शेयरों की संख्या No.of Shares	धारिता का % % of holding
प्रवर्तक / Promoters				
भारतीय / Indian				
भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामित President of India & His Nominees	250,000,000.00	100.00	200,000,000.00	100.00
विदेशी / Foreign	-	-	-	-
अन्य / Others	-	-	-	-
कुल / Total	250,000,000.00	100.00	200,000,000.00	100.00

अनुसूची 6 / SCHEDULE - 6

प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	पूंजीगत प्रारक्षित निधि / Capital Reserve	-	-
2	पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि / Capital Redemption Reserve	-	-
3	शेयर प्रीमियम / Share Premium	-	-
4	सामान्य प्रारक्षित निधि - प्रारंभिक जमा General Reserve - Opening Balance	2331,07,82.90	2177,11,20.47
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during year	323,83,97.41	172,04,95.37
		2654,91,80.31	2349,16,15.84
	वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during year	-	18,08,32.94
		2654,91,80.31	2331,07,82.90
5	आकस्मिक प्रारक्षित निधि / Catastrophe Reserve	-	-
6	फैक्टरिंग योजना प्रारक्षित निधि / Factoring Scheme Reserve	60,00,00.00	60,00,00.00
7	अन्य प्रारक्षित निधियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य) Other Reserves (to be specified)	-	-
8	लाभ व हानि खाता में शेष / Balance in Profit & Loss Account	-	72,33,31.76
	कुल TOTAL	2714,91,80.31	2463,41,14.66

अनुसूची 7 / SCHEDULE - 7

उधार / BORROWINGS

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	डिबेंचर/ बॉन्ड / Debentures / Bonds	-	-
2	बैंक (असंरक्षित - 12 महीनों से कम में वापस लौटाने योग्य) Banks (unsecured - repayable in less than 12 months)	-	-
3	वित्तीय संस्थान / Financial Institutions	-	-
4	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	-	-

अनुसूची 8 / SCHEDULE - 8

निवेश (शेयर धारक) / INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	दीर्घवधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including		
	राजकोषीय बिल / Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	950,27,98.64	752,45,79.37
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	457,01,20.44	459,05,25.73
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other approved Securities	100,42,88.02	35,16,96.36
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments		
	क. शेयर		
	a. Shares		
	कक. इक्विटी / aa. Equity	475,55,00.59	527,89,02.82
	खख. अधिमानित शेयर / bb. Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचल फंड	-	-
	b. Mutual Funds	-	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	c. Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	-	-
	d. Debentures / Bonds		
	ख. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश I. Investment in housing sector Bonds	346,96,60.50	364,91,79.31
	खख. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड II. Market sector Bonds	277,97,03.87	126,11,00.77
	इ. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य)	-	-
	e. Other Securities (to be specified)	-	-
	च. गौण मद	-	-
	f. Subsidiaries	-	-

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन g. Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	1137,57,42.39	954,88,65.19
5	अन्य निवेश / Other Investments	61,57,08.07	103,51,22.60
	कुल (क) / Total (A)	3807,35,22.52	3323,99,72.15
	अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including		
	राजकोषीय बिल / Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	68,13,12.57	52,29,44.65
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	51,54,65.35	126,53,43.21
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	-	-
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments		
	क. निवेश / a. Shares		
	कक. इक्विटी / aa. Equity	-	-
	खख. अधिमानित bb. Preference	-	-
	ख. म्यूचुअल फंड / b. Mutual Funds	328,53,21.66	29,26,96.58
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र / c. Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड / d. Debentures/Bonds	-	-
	ख. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश I. Investment in housing sector Bonds	169,86,33.80	81,36,42.49
	खख. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड II. Market sector Bonds	34,85,34.12	19,62,55.34
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ e. Other Securities	-	-
	च. गौण मद f. Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन g. Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	37,32,54.14	56,96,31.12
5	अन्य निवेश / Other Investments	30,69,53.87	22,18,15.05
	कुल (ख) / Total (B)	720,94,75.51	388,23,28.44
	कुल (क + ख) / TOTAL (A + B)	4528,29,98.03	3712,23,00.59
	नोट : अनुसूची 8 एवं 8 अ की परिसंपत्तियों के लिए अनुसूची 14 के अंतर्गत दर्शाए गए सदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Note: Provision made for Doubtful Assets shown under Schedule 14 against Assets in Schedule 8 and Schedule 8A	109,97,70.60	31,25,00.00

अनुसूची - 8 अ / SCHEDULE - 8A

निवेश (पॉलिसीधारक) / INVESTMENTS (POLICYHOLDER)

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	दीर्घवधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including		
	राजकोषीय बिल / Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	1367,47,59.03	1281,21,21.63
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	657,65,14.78	781,63,00.57
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other approved Securities	144,51,94.96	59,88,34.35
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments		
	क. शेयर		
	a. Shares		
	कक. इक्विटी / aa. Equity	684,32,81.33	898,84,02.11
	खख. अधिमानित शेयर / bb. Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचुअल फंड	-	-
	b. Mutual Funds		
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	c. Derivative Instruments		
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	-	-
	d. Debentures/Bonds		
	ख. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश	499,29,26.09	621,34,67.47
	I. Investment in housing sector Bonds		
	खख. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड	400,00,61.66	214,72,79.70
	II . Market sector Bonds		
	ड. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
	e. Other Securities (to be specified)		
	च. गौण मद	-	-
	f. Subsidiaries		
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
	g. Investment Properties-Real Estate		
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	1636,99,70.76	1625,88,78.58
5	अन्य निवेश / Other Investments	88,60,18.93	176,25,06.05
	कुल (क) / Total (A)	5478,87,27.54	5659,77,90.46

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including		
	राजकोषीय बिल / Treasury Bills	-	-
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	98,04,25.40	89,04,19.26
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	74,17,67.21	215,45,03.29
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	-	-
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments		
	क. शेयर		
	a. Shares		
	कक. इक्विटी / aa. Equity	-	-
	खख. अधिमानित शेयर / bb. Preference	-	-
	ख. म्यूचुअल फंड	472,76,57.99	49,83,75.25
	b. Mutual Funds		
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	c. Derivative Instruments		
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	-	-
	d. Debentures/Bonds		
	ख. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश	244,43,75.46	138,53,91.26
	I. Investment in housing sector Bonds		
	खख. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड	50,15,49.10	33,41,64.51
	II. Market sector Bonds		
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
	e. Other Securities		
	च. गौण मद	-	-
	f. Subsidiaries		
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
	g. Investment Properties-Real Estate		
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	53,71,21.82	96,99,12.44
5	अन्य निवेश / Other Investments	44,17,14.10	37,76,85.08
	कुल (ख) / Total (B)	1037,46,11.08	661,04,51.09
	कुल (क + ख) / TOTAL (A + B)	6516,33,38.62	6320,82,41.55

अनुसूची - 9 / SCHEDULE - 9

ऋण / LOANS

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	प्रतिभूतिवार वर्गीकरण / SECURITY - WISE CLASSIFICATION जमानती / Secured (क) संपत्ति के बंधक रखने पर (a) On mortgage of property भारत में / In India भारत के बाहर / Outside India घटाएँ : अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान Less : Provision for doubtful debts (ख) शेयरों, बॉन्डों, सरकारी प्रतिभूतियों पर (b) On Shares, Bonds, Government Securities (ग) अन्य (c) Others गैर जमानती / Unsecured कुल / TOTAL	- - - - - - - - -	- - - - - - - -
2	लेनदारवार वर्गीकरण / BORROWER-WISE CLASSIFICATION (क) केंद्र व राज्य सरकार (a) Central and State Governments (ख) बैंक व वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions (ग) अनुषंगी (c) Subsidiaries (घ) औद्योगिक उपक्रम (d) Industrial Undertakings (इ) अन्य (e) Others कुल / TOTAL	- - - - - - -	- - - - - -
3	निष्पादनवार वर्गीकरण / PERFORMANCE - WISE CLASSIFICATION (क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण (a) Loans classified as standard		

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
4	भारत में / In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India	-	-
	(ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण		
	(b) Non-performing loans less provisions		
	भारत में / In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India	-	-
	कुल / TOTAL	-	-
	परिपक्वता आधारित वर्गीकरण		
	MATURITY -WISE CLASSIFICATION		
	(क) अल्पावधि	-	-
(a) Short Term			
(ख) दीर्घावधि	-	-	
(b) Long Term			
कुल / TOTAL	-	-	

अनुसूची-10 / SCHEDULE -10
अचल संपत्तिया / FIXED ASSETS

राशि ₹ '000 में / Figures in ₹ '000

क्र. सं. / Sr. No.	विवरण / Particulars	सकल ब्लॉक / Gross Block				मूयह्रास / Depreciation				परिसंपत्तियों का अनर्जन / Impairment of Assets				शुद्ध ब्लॉक / Net Block			
		प्रारंभिक / Opening	समायोजन / Adjust-ment	परिवर्धन / Additions	कटौतियाँ / Deduc-tions	अंतिम / Closing	प्रारंभिक / Opening	समायोजन / Adjust-ment	वर्ष के लिए / For the Year	विक्री पर / On Sale / Adjust-ments	द्विनांक तक / To date	प्रारंभिक / Open-ing	अतिरिक्त अनर्जन / Addi-tional Impair-ment	उत्क्रमण / Re-versal	दिनांक तक / To date	31.03.2020 तक / As at 31.03.2020	31.03.2019 तक / As at 31.03.2019
1	साख / Good Will	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	अमूर्त / Intangibles	6,36,16.64	-	5,72.58	-	6,41,89.22	4,65,50.12	50,33.19	-	5,15,83.31	-	-	-	-	1,26,05.91	1,70,66.52	-
3	भूमि पूर्ण स्वामित्व वाला / Land - Free Hold	74,81,52.33	-	-	-	74,81,52.33	-	-	-	-	-	-	-	-	74,81,52.33	74,81,52.33	-
4	पट्टे पर ली गई संपत्ति / Lease-hold Property	6,89,31.54	-	-	-	6,89,31.54	1,44,55.49	8,16.82	-	1,52,72.31	-	-	-	-	5,36,59.23	5,44,76.05	-
5	भवन / Building	43,61,13.69	-	-	-	43,61,13.69	14,45,42.94	72,80.16	-	15,18,23.10	-	-	-	-	28,42,90.59	29,15,70.75	-
6	फर्निचर तथा फिटिंग / Furniture and Fittings	18,06,80.19	-	31,59.77	24,65.18	18,13,74.78	14,49,53.90	59,42.25	19,43.48	14,89,52.67	-	-	-	-	3,24,22.11	3,57,26.29	-
7	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण / Information Technology Equipment	17,98,37.31	-	12,83.70	35,19.26	17,76,01.75	14,03,42.35	1,74,93.05	35,19.26	15,43,16.14	-	-	-	-	2,32,85.61	3,94,94.96	-
8	वाहन / Vehicles	7,25,73.06	-	-	-	7,25,73.06	6,90,15.22	15,80.01	-	7,05,95.23	-	-	-	-	19,77.83	35,57.84	-
9	कार्यालयी उपकरण / Office Equip-ment	8,21,96.65	-	41,62.45	33,72.81	8,29,86.29	6,49,09.04	70,89.19	32,81.14	6,87,17.09	-	-	-	-	1,42,69.20	1,72,87.61	-
कुल / Total		183,21,01.41	-	91,78.50	93,57.25	183,19,22.66	62,47,69.06	4,52,34.67	87,43.88	66,12,59.85	-	-	-	-	117,06,62.81	120,73,32.35	-
प्रगतिरत कार्य / Work in Progress															176,42,52.34	122,59,60.88	
कुल योग / Grand Total		183,21,01.41	-	91,78.50	93,57.25	183,19,22.66	62,47,69.06	4,52,34.67	87,43.88	66,12,59.85	-	-	-	-	293,49,15.15	243,32,93.23	-
पिछले वर्ष / Previous Year		179,86,55.18	-	6,87,39.99	3,52,93.76	183,21,01.41	61,72,43.26	4,36,79.79	3,61,53.99	62,47,69.06	-	-	-	-	243,32,93.23	231,06,34.26	-

अनुसूची - 11 / SCHEDULE - 11

नकदी व बैंक शेष / CASH AND BANK BALANCES

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	14,35.91	40,41.79
2	बैंक शेष / Bank Balances		
	(क) जमा खाते (a) Deposit Accounts		
	अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय): Short Term (due within 12 months):		
	बैंकों के पास / With Banks	363,36,00.00	289,00,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास / With Financial Institutions	701,89,10.00	349,00,00.00
	अन्य / Others		
	बैंकों के पास / With Banks	25,00,00.00	-
	वित्तीय संस्थानों के पास / With Financial Institution	-	-
	(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	10,42,84.84	13,58,56.08
	(ग) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष (c) Others - Balance with Reserve Bank of India	1,00.00	1,00.00
	कुल / TOTAL	1100,83,30.75	651,99,97.87

अनुसूची - 12 / SCHEDULE - 12

अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	अग्रिम / ADVANCES		
1	सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ Reserve deposits with ceding companies	-	-
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि Application money for investments	-	-
3	समय पूर्व भुगतान / Prepayments	12,96,34.01	6,77,67.02
4	पूंजी व्ययों के लिए अग्रिम / Advance to Directors	-	-
5	प्रदत्त अग्रिम कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान) Advance Tax paid (Net of provision for taxation)	234,74,85.14	163,74,33.16
6	बैंकों को लेखागत दावा अदायगी On account claim payment to Banks	-	-
	घटाएँ : सदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	-	-

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
7	कर्मचारियों को अग्रिम / Advances to Employees	28,55,84.37	26,70,34.04
8	व्ययों के लिए अग्रिम / Advance for Expenses	18,59,03.06	30,11,22.83
	कुल (क) / TOTAL (A)	294,86,06.58	227,33,57.05
	अन्य परिसंपत्तियाँ / OTHER ASSETS		
1	निवेशों पर प्रौद्भूत आय Income accrued on Investments	303,08,74.95	268,11,35.18
2	बकाया प्रीमियम / Outstanding Premiums	-	-
3	एजेंटों के शेष / Agents' Balances	-	-
4	विदेशी एजेंसियों के शेष / Foreign Agencies Balances	-	-
5	बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) इकाइयों से प्राप्य Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	197,39,90.54	326,02,85.13
6	गौण/धारक इकाइयों से प्राप्य / Due from subsidiaries / holding	-	-
7	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप) Deposit with Reserve Bank of India (Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938)	-	-
8	आवास ऋण पर प्रौद्भूत ब्याज Interest accrued on Housing Loan	2,15,49.75	2,58,85.22
9	विविध देनदार- / Sundry Debtors-		
	मानक परिसंपत्तियाँ / Standard Asset	1,25,91.20	-
	घटाएँ : मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Standard Asset	50.37	-
	(क) (I)	1,25,40.83	-
	निम्न मानक परिसंपत्तियाँ / Sub - Standard Asset	-	-
	घटाएँ : सदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Sub - Standard Asset	-	-
	(ख) / (II)	-	-
	सदिग्ध परिसंपत्तियाँ / Doubtful Asset	7,04,26.80	7,04,26.80
	घटाएँ : सदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Asset	7,04,26.80	7,04,26.80
	(ग) / (III)	-	-
	(क + ख + ग) / (I + II + III)	1,25,40.83	-
10	अन्यों से वसूली योग्य राशि Amount Recoverable from others	23,74,52.93	24,08,11.52
	घटाएँ : सदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	94,71.30	94,71.30
		22,79,81.63	23,13,40.22

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
11	विविध जमाएँ / Sundry Deposits घटाएँ : सदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	38,22,28.24 - 38,22,28.24	32,55,99.20 - 32,55,99.20
12	पॉलिसीधारकों की परिसंपत्तियों हेतु अदावित राशि Unclaimed Amount for Policyholder Assets	1,72,24.29	1,65,43.66
13	ATI Participation on behalf of Govt. of India	81,23,31.00	-
	कुल (ख) / TOTAL (B)	647,87,21.23	654,07,88.61
	कुल (क+ख) / TOTAL (A+B)	942,73,27.81	881,41,45.66

अनुसूची -13 / SCHEDULE -13
वर्तमान देयता / CURRENT LIABILITIES

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	एजेंटों का शेष / Agent's Balances	-	-
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष Balances due to other Insurance Companies	93,54,19.25	120,27,13.25
3	सौंपे गए पुनर्बीमा पर जमा / Deposits held on re-insurance ceded	-	-
4	प्राप्त अग्रिम प्रीमियम / Premiums received in advance	217,16,08.73	193,68,36.58
5	अनाबंटिल प्रीमियम / Unallocated Premium	48,63,80.92	34,54,37.58
6	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि Unclaimed Amount of Policyholders	1,83,24.89	1,66,34.60
7	विविध लेनदार / Sundry Creditors	81,59,85.26	28,13,06.53
8	अनुषंगी/धारक कंपनी को देय/Due to subsidiaries/holding company	-	-
9	बकाया दावे / Claims outstanding	6674,15,73.27	5877,71,65.59
10	कर्मचारियों को देय / Due to Employees	27,22,30.99	18,13,74.55
11	अन्य / Others		
	- एन ई आई ए / - NEIA	18,21,36.04	17,10,70.36
	- फ़ैक्टoring / - Factoring	26,61.13	-
	- विविध / - Miscellaneous	2,75,51.24	4,20,44.25
	- जी एस टी/ - GST Liability	1,02,26.39	1,03,52.61
12	कोविड - 19 के कारण बैंक की बिना रिकॉर्ड वाली रसीद Unrecorded Receipt in Bank due to Covid 19	20,77,59.70	-
	कुल / TOTAL	7187,18,57.81	6296,49,35.90

अनुसूची -14 / SCHEDULE -14

प्रावधान / PROVISIONS

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित Reserve for Unexpired Risk	396,14,47.62	435,01,03.57
2	प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित Reserve for Premium Deficiency	210,30,00.00	191,38,00.00
3	निगमित सामाजिक दायित्व के लिए प्रारक्षित Reserve for Corporate Social Responsibility	-	-
4	कराधान के लिए For Taxation - आय कर (अग्रिम कर को घटा कर) - Income Tax (Net of Advance Tax)	-	-
5	प्रस्तावित लाभांशों के लिए For Proposed Dividends	-	-
6	लाभांश वितरण कर के लिए For Dividend distribution Tax	-	-
7	सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए For Retirement Benefits - छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा - Leave Encashment & Long Service - उपादान / - Gratuity - पेंशन / - Pension	49,50,72.55 2,81,49.26 50,18,49.54	45,12,51.38 1,51,39.00 32,50,47.37
8	कम कारोबार के शेयरों के लिए For Thinly Traded Shares	-	-
9	संदिग्ध परिसंपत्तियां-निवेश हेतु For Doubtful Assets - Investment	109,97,70.60	41,33,68.30
	कुल / TOTAL	818,92,89.57	746,87,09.62

अनुसूची -15 / SCHEDULE -15

विविध व्यय / MISCELLANEOUS EXPENDITURE

क्र स Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	शेयर/डिबेंचरों को जारी करने के लिए मंजूर छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures	-	-
2	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	-	-

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. लेखा प्रणाली

2013 के प्रावधानों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अधीन गठित विनियम; बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1) के विनियामक प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा दर्शाया न गया हो, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने) विनियमन 2002 के अनुपालन में प्रचलित लागत प्रथा तथा उपचयित आधार तथा ये कम्पनी (लेखा) नियमों 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखामानकों की आवश्यकताओं के अनुकरण में तथा ऋण बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप पर तैयार किए गए हैं

1.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमान व पूर्वानुमान करने होते हैं जिनका प्रभाव, रिपोर्ट की गयी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक देयताओं से संबन्धित प्रकटनों व रिपोर्ट अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए राजस्व व व्ययों की राशि पर पड़ेगा। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर का पता तब चलेगा जब इनका परिणाम ज्ञात होंगे/सामने आयेंगे।

2. अचल संपत्ति तथा मूल्य हास

- 2.1 अचल सम्पत्तियों का अंकन अधिग्रहण के मूल्य में से संचित मूल्य हास को घटा कर किया गया है।
- 2.2 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची खख के अनुसार प्रासंगिक दरों पर सीधी रेखा पद्धति आधार पर मूल्य हास की गणना की गयी है। वर्ष के दौरान शामिल/निपटाई गयी परिसंपत्तियों का मूल्य हास उन्हें शामिल किए जाने/निपटाने की तारीख के संदर्भ में यथानुपातिक आधार पर गणना की गयी है। परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्य हास उनका उपयोग की गयी अवधि के दौरान हुआ है।
- 2.3 पट्टे पर ली गयी परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है।
- 2.4 हार्डवेयर का अभिन्न अंग बनाने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले से लोड किया गया सॉफ्टवेयर तथा नए खरीदे गए हार्डवेयर को लोड करने के लिए खरीदा गया सॉफ्टवेयर शामिल है, को हार्डवेयर के साथ पूंजीकृत कर दिया गया है।
- 2.5 सॉफ्टवेयर विकास तथा अधिग्रहण मूल्य जो कंपनी लेखामानक नियम 2006 द्वारा जारी AS26 अमूर्त परिसंपत्तियों के मान्यता प्राप्त मानदंडों को पूरा करते हैं, को अमूर्त शीर्ष के अधीन पूंजीकृत किया गया है तथा 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अधीन

1. ACCOUNTING CONVENTION

1.1 The financial statements are drawn up in accordance with the Regulatory provisions of section 11(1) of the Insurance Act, 1938; regulations framed under Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, read with the applicable provisions of the Companies Act, 2013. These financial statements prepared under the historical cost convention and on accrual basis, comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation 2002 and are in conformity with the requirements of Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and conform to practices prevailing in the credit insurance industry unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. Difference between the actual result and estimates are recognized in periods in which the results are known / materialised.

2. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

- 2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition less depreciation.
- 2.2 Depreciation is provided on straight-line method at the relevant rates as per Schedule II to the Companies Act, 2013. Assets added/disposed off during the year are depreciated on a pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal. Assets are depreciated fully during the course of its useful life.
- 2.3 Leased Assets are amortised over the period of lease.
- 2.4 The computer software forming integral part of hardware which comprises pre-loaded software and the software procured for loading in the newly bought-out hardware is capitalized along with the hardware.
- 2.5 The Software development and acquisition costs which meet the recognition criteria of AS 26 Intangible Assets issued by Companies Accounting

परिसंपत्तियों के उपयोग किए गए समय के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है।

- 2.6 परियोजनाएं जो आरंभ की जा चुकी हैं को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (CWIP) के रूप में मूल्य पर आगे लाया गया है तथा यह अग्रिमों व सीधे प्रदान करने योग्य लागत सहित ठेकेदारों को की गयी अदायगियों को प्रदर्शित करता है।

3. हानि

आगे लायी जाने वाली परिसंपत्तियों की राशियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार की हानि का संकेत तो नहीं है। यदि हानि के कोई आसार दिखाई देते हैं तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान किया गया है। जहां कहीं भी परिसंपत्ति की आगे बढ़ाई जाने वाली राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि को माना गया है।

4. निवेश

- 4.1 अल्पावधि मुद्रा बाजार उपकरण जैसे वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाण पत्रों को छूट प्राप्त मूल्य में दर्शाया गया है तथा अधिग्रहण मूल्य और ऋणमुक्ति मूल्य के बीच के अंतर को समय आधार पर विभाजित किया गया व उपचित आय के रूप में उसकी पहचान की गयी।
- 4.2 शेयर, बॉन्ड, तथा डिबेंचरों आदि की खरीद व बिक्री के ठेकों को संव्यवहार की तारीख को निवेश के रूप में स्वीकार किया गया है।
- 4.3 निवेश मूल्य में अधिग्रहण पर प्रीमियम, व्यय जैसे ब्रोकरेज, अंतरण स्टैम्प, अंतरण शुल्क आदि के व्यय तथा यह, उस पर प्राप्त प्रोत्साहन/शुल्क, यदि कोई हो तो, का निवल है।
- 4.4 लाभांश को घोषणा वर्ष में आय में शामिल किया गया है। वसूली पर आपत्ति/सुपुर्दगी के लिए लंबित शेयर्स पर लाभांश/ डिबेंचरों पर ब्याज की गणना की गयी है। अन्तरिम लाभांश की गणना 31 मार्च अथवा उससे पहले के वारंटों के लिए की गयी है।
- 4.5 निवेशों की आय पर लाभ/हानि का आंकलन, सरकार की प्रतिभूतियों, जिन्हें परिपक्वता अवधि तक रखा जाता है उसके अलावा उन निवेशों के मूल्य को भारित औसत बही मूल्य के आधार पर किया गया है तथा इस प्रकार के निवेशों पर लाभ/हानि की गणना क्रय क्रम मूल्यन विधि (FIFO) पर की गयी है।
- 4.6 सरकार की प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमान शेयर्स को परिपक्वता तक रखने योग्य माना गया है व उनकी गणना मूल्य लागत तक आँका गया है। तथापि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों की शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय अदा किए गए प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि के लिए किया गया है।
- 4.7 क) म्युचुअल फंडों में निवेशों की गणना वर्ष के अंत तक निवल आस्ति मूल्य (NAV) पर की गयी है तथा मूल्य/बही मूल्य तथा NAV के बीच के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गयी है। तथापि यदि मूल्य में किसी प्रकार की हानि पायी गयी तो उसे राजस्व से प्रभारित किया गया है तथा निवेश के बही मूल्य को तदनुसार घटाया गया है। यदि पहले पाई गई हानि में किसी

Standard Rules, 2006 are capitalised under the head "Intangibles" and amortised on a straight-line basis over the useful life of the Asset subject to a maximum period of 5 years.

- 2.6 Projects under commissioning are carried forward at cost as Capital Work-in-Progress (CWIP) and represents payments made to contractors including advances and directly attributable cost.

3. IMPAIRMENTS

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any indications exist, the assets recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

4. INVESTMENTS

- 4.1 Short Term Money Market Instruments such as Commercial Papers and Certificate of Deposit, are shown at their discounted value and the difference between the acquisition cost and the redemption value is apportioned on time basis and recognised as accrued income.
- 4.2 Contracts for purchase and sale of shares, bonds, debentures, etc., are accounted for as "Investments" as on date of Transaction.
- 4.3 The cost of investments include premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges, etc., and is net of incentive/fee if any, received thereon.
- 4.4 Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend on shares/interest on debentures under objection/pending delivery is accounted for, on realisation. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.
- 4.5 Profit/Loss on realisation of investments is computed by taking Weighted Average Book Value as cost of investments except Government Securities which are held to maturity and profit/loss on such investments are worked out on First In First Out Basis (FIFO).
- 4.6 Investment in Government Securities, debt securities and redeemable preference shares are considered as held till maturity and valued at cost. However, in terms of Insurance Regulatory and Development Authority Regulations the premium paid at the time of acquisition of securities is amortised over the residual period of maturity.
- 4.7 a) Investments in Mutual Fund/s are valued at Net Asset Value (NAV) at the year-end and the difference between cost / book value and NAV is accounted in Fair Value Change Account. However, if there is

प्रकार का प्रत्यावर्तन पाया गया तो उसे पहले पाई गई हानि में कटौती की सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा।

ख) तुलन पत्र की तारीख तक यदि NAV उपलब्ध न हो तो निवेश को लागत मूल्य तक दर्शाया गया है।

4.8 क) इक्विटी/इक्विटी संबन्धित साधनों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार वृद्धिशील व्यापारित और अल्प व्यापारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। NSE तथा BSE दोनों में मार्च माह के दौरान किए गए समव्यवहारों के आधार पर शेयरों को अल्प व्यापारित माना गया है।

ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी/इक्विटी संबन्धित साधनों के मूल्य का अंकन IRDA के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इक्विटी निवेशों के मूल्यांकन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) जोकि प्राथमिक एक्सचेंज माना गया है, पर अंतिम मूल्य कोट के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी साधन को NSE में कोट नहीं किया गया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)(गौण एक्सचेंज) में लगे अंतिम कोट को मूल्यांकन के लिए आधार लिया जाएगा। भारत औसत मूल्य तथा कोट किए गए मूल्य के बीच के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया गया है।

4.9 अल्प व्यापारित इक्विटियों तथा असूचीबद्ध इक्विटियों में किए गए निवेशों को लागत मूल्य में दर्शाया गया है। तथापि लागत व विश्लेषित लागत के अंतर का प्रावधान मूल्य में कमी किया गया है। यह भी कि पिछले तीन लेखा वर्षों के लिए अल्प व्यापारित/ असूचीबद्ध शेयरों के लिए प्रावधान करने की तारीख के तत्काल पहले असूचीबद्ध कंपनियों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं अथवा विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो सम्पूर्ण मूल्य के लिए प्रावधान किया गया है।

4.10 सूचीबद्ध इक्विटियों/इक्विटी संबन्धित साधनों/अधिमानित शेयरों के रूप में उन कंपनियों में निवेश किया गया है जिन्हें पिछले तीन वर्षों से लगातार हानि हो रही हो तथा जहां पूंजी हास हो रहा हो तो ऐसे निवेशों को मूल्य में हानि माना गया है। यदि लगातार पिछले तीन लेखा वर्षों की समाप्ति पर अथवा मूल्य में हानि के मूल्यांकन की तारीख के तत्काल पहले के लिए कंपनी के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं है तो यह माना गया कि निवेशों के मूल्य की पूर्ण हानि हुई है तथा 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य पर उसे बड़े खाते में डाला गया है।

4.11 अ) निवेशों के मूल्यांकन को मूल्य में हानियुक्त मानते हुए उनकी निम्नानुसार गणना की गयी:

क) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के संबंध में:- लागत मूल्य की न्यूनतम राशि, बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य बशर्ते की विश्लेषित मूल्य धनात्मक है। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया है।

ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में : लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र

impairment in value, the same is charged to Revenue and the book value of investment is reduced accordingly. Any reversal of impairment loss earlier recognised, shall be taken to revenue to the extent of reduction in impairment recognised earlier.

b) In case of non-availability of NAV as at the Balance Sheet date, investment is shown at cost.

4.8 a) Investment Portfolio in respect of Equity/Equity related instruments are segregated into Actively Traded and Thinly Traded as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority Regulations. The shares are treated as thinly traded by taking into consideration transactions in the month of March on both NSE and BSE.

b) Actively Traded Equity/Equity related instruments will be valued as per IRDA guidelines. The equity investments will be valued at the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE) which will be the primary exchange. If any of the instruments is not quoted on NSE, then the last quoted closing price on the Bombay Stock Exchange (BSE) (as secondary exchange) will be taken for valuation. The difference between weighted average cost and quoted value is accounted in Fair Value Change Account.

4.9 Investment in thinly traded Equity shares and unlisted equity shares are shown at cost. However, difference between cost and break-up value is provided for as diminution in value. Further, if the published accounts of an unlisted Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out provision for thinly/unlisted shares or if the break-up value is negative then the provision is made for the entire cost.

4.10 Investment in Listed Equity/Equity related instruments / Preference shares made in those Companies, which are making losses continuously for last three years and where capital is Eroded, are considered to have Impairment in value. Further, if the published accounts of a Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out Impairment in value, it is presumed that the value of Investments is fully impaired and is written off to a nominal value of Re 1/- per Company.

4.11 A) Valuation of investments considered to have impairment in value is done as under:

a) In respect of Actively Traded Equity shares: - Least of Cost Price, Market Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if the Break-up Value is negative the nominal value is taken

- मूल्य 1/-रु लिया गया ।
- ग) अधिमानित शेयर्स के मामले में, यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश प्राप्त नहीं हुआ हो तो :- अधिमानित शेयर्स के मूल्य हास की गणना उनके अंकित मूल्य के आधार उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में इक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य के आधार पर मूल्य की गणना की गयी/इक्विटी शेयर्स के मूल्यहास के मूल्य की गणना की जाती। तथापि यदि इक्विटी शेयर्स को 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से बड़े खाते में डाला गया है तो अधिमानित शेयर्स को भी 1/-रु प्रति कंपनी के हिसाब से बड़े खाते में डाला जाएगा।
- ब) एक बार जब ऊपर उल्लिखित नीति के अनुसार सूचीबद्ध शेयर/ईक्विटी संबन्धित साधनों/अधिमानित शेयर्स में निवेशों के मूल्य हानि की गणना की गयी है, इस प्रकार की हानियों के प्रत्यावर्तन को केवल तब राजस्व/लाभ व हानि खाते में शामिल किया गया जब निवेश की गयी कंपनियों की हानियाँ पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं व उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित लेखों के अनुसार अथवा प्रत्यावर्तन के तत्काल पहले की तारीख को उसकी पूंजी पुनः स्थापित की गई थी।
- 4.12 प्रतिवर्ती पुनर्खरीद संव्यवहारों को सुरक्षित ऋण संव्यवहार माना जाता है तथा तदनुसार वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया गया है। संव्यवहारों के पहले व दुसरे चरण के कुल आगम के अंतर को आय माना गया है।
- 4.13 भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार, त्रिपक्षीय पुनर्खरीद प्रणाली (TREPS), जो कि अंकित मूल्य पर रियायत के रूप में जारी किया जाता है, को मुद्रा बाज़ार उपकरण के रूप में जाना जाता है। TREPS के ज़रिये जारी किये जाने वाले ऋण पर अर्जित रियायत को आय के रूप में दर्शाया गया है जिसे सामयिक आधार पर प्रभाजित किया गया है।
- 4.14 क) अप्राप्त लाभ, सूचीबद्ध ईक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हानि को अंकित मूल्य परिवर्तन खाता शीर्ष में लिया गया है तथा उसकी उगाही पर उसे लाभ व हानि खाते में रिपोर्ट किया गया है।
- ख) उगाही के लिए लंबित, अंकित मूल्य परिवर्तन खाता में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।
- 4.15 शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों की निधियों में निवेशों का आबंटन :- महत्वपूर्ण लेखा नीति (पैरा सं) 10.2 में उल्लिखित अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में कंपनी के निवेशों को अनुसूची 8 व 8क में क्रमशः शेयरधारकों की निधियाँ व पॉलिसीधारकों की निधियाँ शीर्ष शेयरधारकों व पॉलिसीधारकों की निधि में आबंटित किया गया है।
- 4.16 आस्ति वर्गीकरण, आय की मान्यता तथा ऋणों/अग्रिमों/डिबेंचरों से संबन्धित प्रावधान के संबंध में कंपनी बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (IRDA)/भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के संबन्धित दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।
- at Rs.1/- per Company.
- b) In respect of Other Than Actively Traded Equity Shares: - Lower of Cost Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if Break-up Value is negative the nominal value is taken at Rs. 1/- per Company.
- c) In respect of preference shares, if the dividend is not received for the last three years:- The preference shares are written down to a value which will bear to its face value, the same proportion as value taken/ which would have been taken for writing down equity shares bears to the face value of the equity shares. However, if the equity shares are written off to Re.1/- per Company, preference shares also will be written off to a nominal value of Re. 1/- per Company.
- B) Once the value of investment in listed equity/equity related instruments/preference shares is impaired in accordance with the above mentioned policy, the reversal of such impairment losses are recognised in revenue/profit & loss account only when the accumulated losses of such investee companies are completely wiped out and capital is fully restored as per the latest available published accounts on or immediately preceding the date of working out the reversal.
- 4.12 REVERSE REPO Transactions are treated as secured lending transactions and accordingly disclosed in the financial statements. The difference between total consideration at the 1st and 2nd leg of the transaction is treated as income.
- 4.13 "TriParty Repo System (TREPS), which is issued at Discount to the Face Value, is treated as Money Market Instrument as per Reserve Bank of India Notification. Discount earned at the time of lending through TREPS is shown as income, which is apportioned on time basis.
- 4.14 a) Unrealised gain, losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares are taken under the head "Fair Value Change Account" and on realisation reported in profit and loss account.
- b) Pending realisation, the credit balance in the "Fair Value Change Account" is not available for distribution.
- 4.15 "Allocation of Investments into Shareholders' & Policyholders' Funds": Investments of the Company are allocated to Shareholders' and Policyholders' funds as presented in schedule 8 and 8a in the ratio of Shareholders' Fund and Policyholders' Fund respectively as at the beginning of the financial year as stated in Significant Accounting Policy (para) No.10.2

5. प्रीमियम आय

जोखिम के पूर्वानुमान पर प्रीमियम आय की पहचान की गयी है।

6. असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि

असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षण वर्ष के लिए निवल प्रीमियम आय के 50% तक प्रावधान किया गया है।

7. प्रीमियम में कमी

प्रीमियम कमी तब मानी जाती है जब अपेक्षित दावा मूल्य तथा संबन्धित व्ययों का योग असमाप्त जोखिमों के लिए रखी गई प्रारक्षित निधियों से अधिक हो।

8. बकाया दावों के लिए प्रारक्षित निधियाँ

8.1 रिपोर्ट करने की तारीख को, अल्पावधि (अ व) रक्षाओं के अधीन प्रक्रिया किये गए बकाया दावों एवं मध्यम व दीर्घावधि रक्षाओं के अधीन सभी बकाया दावों के मामलों में, बकाया दावों के लिए अलग रखी गयी अनुमानित प्रारक्षित निधि को देय माना गया है। अल्पावधि रक्षाओं के अधीन प्रक्रिया के लिए शेष बकाया दावों के लिए, पूर्व के वर्षों के प्रदत्त दावों के अनुभव के बीमांकिक विश्लेषण पर आधारित औसत दर की गणना के आधार पर प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान का सहायक दस्तावेजों की जानकारी की उपलब्धता/जांच के आधार पर यथोचित परिवर्तन के लिए नियमित रूप से संशोधन किये जाते हैं।

8.2 यह भी कि, दावे उत्पन्न हुए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (IBNR) के लिए प्रावधान, दावे उत्पन्न हुए परंतु पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए (IBNER) के लिए प्रावधानों को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के लिए लेखांकित किया गया है।

8.3 आकस्मिक देयता के रूप में वर्गीकृत निम्नलिखित दावों के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है:

(i) कंपनी द्वारा नामज़ूर दावे तथा उन मामलों में जहां दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसके लिए कानूनी कार्यवाही तथा/अथवा विवेचन प्रारम्भ किया जा चुका है, उन मामलों को छोड़ कर जहां प्रतिकूल निर्णय लिया गया है। इस प्रकार के मामलों के लिए वित्तीय विवरणों में दावों के अधीन प्रावधान किया गया है।

(ii) बैंकों द्वारा दायर दावे जहां, उनके स्वयं द्वारा पुष्टि अनुसार प्राप्यों की वसूली हेतु समझौता प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है।

उक्त (i) व (ii) से संबन्धित मामलों के संदर्भ में यदि ब्याज के लिए दावा किया गया है आकस्मिक देयता अथवा प्रावधान के उद्देश्य दोनों के लिए विचार नहीं किया गया है।

9. पुनर्बीमा

9.1 जोखिम ग्रहण करने पर बीमा प्रीमियम का निर्धारण उसी वर्ष से किया गया है जिस वर्ष से जोखिम आरंभ हुआ है। प्रदान किए गए प्रीमियम में किए जाने वाले बाद के संशोधन का निर्धारण इस प्रकार के संशोधन के वर्ष से किया गया है। पॉलिसियों को रद्द करने के फलस्वरूप उत्पन्न पुनर्बीमा प्रीमियम के समायोजन का

4.16 The Company follows the prudential norms prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA)/ related Reserve Bank of India (RBI) guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to loans / advances / debentures.

5. PREMIUM INCOME

Premium Income is recognised on assumption of risk.

6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISKS

Reserve for unexpired risks is created at 50% of net premium income for the year.

7. PREMIUM DEFICIENCY

Premium deficiency is recognised when the sum of expected claim costs and related expenses exceed the reserve for un-expired risks.

8. RESERVE FOR OUTSTANDING CLAIMS

8.1 In case of processed outstanding claims under Short Term (ST) covers and in case of all outstanding claims under Medium and Long Term covers the reserve for outstanding claims on the reporting date is recognised as the amount estimated as payable. For the outstanding claims that are yet to be processed under ST covers, a provision will be made on an average rate arrived on the basis of actuarial analysis of earlier years claim paid experience. Such provision is progressively modified for changes as appropriate on availability of further information/scrutiny of supporting documents.

8.2 Further, the provision for Claims Incurred but Not Reported (IBNR), Provision for Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) are accounted for as per actuarial valuation as at end of the year.

8.3 No provision is made for following claims which are treated as Contingent Liability:

(i) Claims rejected by the Company and not acknowledged as debts in respect of which legal action and/or arbitration has been initiated except cases where there have been adverse ruling. Such cases have been provided under claims in the financial statements.

(ii) Claims preferred by Banks where, as confirmed by them, compromise proposals for recovery of dues are under negotiation.

Interest claimed, if any, in respect of cases referred to (i) & (ii) is not considered either for the purpose of contingent liability or for provision.

9. REINSURANCE

9.1 Insurance premium on ceding of the risk is recognised in the year in which the risk commences. Any

निर्धारण उसी वर्ष किया गया जिस वर्ष पॉलिसी रद्द की गयी।

- 9.2 पुनर्बीमा करवाने के फलस्वरूप प्राप्त कमीशन की गणना उस अवधि की आय में किया गया है जिस अवधि के दौरान पुनर्बीमा प्रीमियम की अदायगी की गयी।
- 9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन प्राप्त लाभ कमीशन, जहां भी लागू हो, की गणना लाभ निर्धारण के अंतिम वर्ष व पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित अनुसार की गयी है।
- 9.4 पुनर्बीमा समझौते के निबंधन व शर्तों के अधीन पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त/प्राप्तियोग्य राशियों की गणना दावे की गणना के साथ ही की गई है।

10. प्रबंधन व्यय

- 10.1 कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रबंधन व्यय के अतिरिक्त कंपनी द्वारा किए गए व्यय की गणना बीमा कारोबार से संबन्धित व्यय के रूप में की गयी है तथा अतः उसे राजस्व खाते के शीर्ष में रखा गया है। निवेशों से संबन्धित व्यय को राजस्व तथा लाभ व हानि खाते के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया गया है जैसा की महत्वपूर्ण लेखनीति सं 10.2 में उल्लिखित है।
- 10.2 वित्त वर्ष के आरंभ में निवेश आय को लाभ व हानि खाता एवं राजस्व खाते में क्रमशः शेयर धारक निधि व पॉलिसीधारक निधि के रूप में प्रभाजित किया गया है। शेयरधारक निधि में शेयर पूंजी, सामान्य प्रारक्षित निधियाँ तथा पूंजी प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं। पॉलिसीधारकों की निधि में असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि बकाया दावों आदि के लिए प्रारक्षित निधि शामिल हैं।
- 10.3 प्रिंटिंग व स्टेशनरी को खरीद के वर्ष में ही उपयोग में लाया गया, यह मान लिया गया है।

11. कर्मचारी लाभ

- 11.1 कंपनी सभी पात्र कर्मचारियों के लिए उपदान, एक निश्चित लाभ योजना प्रदान करता है। योजना के अधीन पात्र कर्मचारियों के लिए संबन्धित कर्मचारी का वेतन तथा कंपनी में पूर्ण की गयी सेवा की अवधि के आधार पर सेवा निवृत्ति अथवा सेवाओं के समापन के आधार पर एक मुश्त राशि प्रदान करता है। कंपनी बीमा कंपनी द्वारा रखी गयी उपदान निधि में अपना अंशदान देता है। राशि का अंशदान वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कंपनी का उपदान निधि में अंशदान का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के अंशदानों को राजस्व खाते में दर्शाया गया है।
- 11.2 परिकल्पित इकाई ऋण विधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन में पायी गयी कमियों तथा तुलन पत्र की तारीख तक बीमा कंपनी के निधिक शेषों के बीच के अंतरों लिए प्रावधान किए गए हैं
- 11.3 कंपनी की नीति के अनुसार, कुछ निबंधन व शर्तों के अधीन कर्मचारी अपने त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति के समय अपने खाते में जमा छुट्टियों का नकदीकरण कर सकते हैं। तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा शेष छुट्टी की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर अल्पावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए प्रावधान किया गया है। प्रावधान, दीर्घावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर

subsequent revision to premium ceded is recognised in the year of such revision. Adjustment to reinsurance premium arising on cancellation of policies is recognised in the year in which it is cancelled.

- 9.2 Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.
- 9.3 Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognized in the year of final determination of the profits and as intimated by re-insurer.
- 9.4 Amounts received/receivable from the re-insurers, under the terms of the reinsurance arrangement, are recognized together with the recognition of the claim.

10. EXPENSES OF MANAGEMENT

- 10.1 Management expenses, other than those directly related to other businesses of the Company, incurred by the Company are considered as expenses relating to the insurance business and are therefore charged to revenue account. Expenses relating to investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.10.2.
- 10.2 Investment Income is apportioned between Profit & Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds respectively at the beginning of the financial year. Shareholders' Fund consists of Share Capital, General Reserves and Capital Reserves. Policyholders' Fund consists of Reserve for Un-expired Risk, Reserve for Outstanding Claims etc.
- 10.3 Printing and Stationery items are treated as consumed in the year of purchase.

11. EMPLOYEE BENEFITS

- 11.1 The Company provides for gratuity, a defined benefit plan covering all eligible employees. The plan provides a lump sum payment to eligible employees on retirement or on termination of employment based on the salary of the respective employee and the years of employment with the Company. The Company contributes to a gratuity fund maintained by Insurance Company. The amount of contribution is determined based upon actuarial valuations as at the year end. Such contributions are charged off to the Revenue Account.
- 11.2 Provision is made for the shortfall between the actuarial valuation as per Projected Unit Credit Method and the funded balance with the Insurance Company as at the Balance Sheet date.
- 11.3 As per Company's policy, employees are eligible to encash leave standing to the credit of employees at

किया गया है।

- 11.4. भविष्य निधि निश्चित लाभ योजना है। निधि में किए जाने वाले कंपनी का अंशदान राजस्व खाते में प्रभारित है। यदि भविष्य निधि ट्रस्ट की आधारभूत निधि की प्राप्ति संवैधानिक निर्धारित न्यूनतम से कम है तो उस कमी की भरपाई कंपनी को करनी होगी।
- 11.5 कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये भविष्य निधि की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें, आवरित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कर्मचारी अपना अंशदान करते हैं। निगम, उन पात्र कर्मचारियों जिन्होंने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले कंपनी में कार्य ग्रहण किया है व पेंशन का विकल्प नहीं चुना है के मामले में समान राशि का अंशदान करता है। कंपनी ने भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें भविष्य निधि के लिए प्रत्येक माह किए जाने वाले अंशदानों को जमा किया जाता है। भविष्य निधि ट्रस्ट में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी आवधिक आधार पर ऐसे अंशदानों पर विनिर्दिष्ट प्राप्ति की गारंटी देता है, प्राप्ति में हुई कमी, यदि कोई हो तो, की भरपाई कंपनी करेगी।
- 11.6 कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें, रक्षित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कंपनी अपना अंशदान करती है। वे कर्मचारी जिन्होंने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की व पेंशन का विकल्प चुना है पेंशन योजना के अधीन पेंशन सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं। कंपनी ने पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें प्रत्येक माह पेंशन के लिए अंशदान किया जाता है। पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य के आधार पर निवल देयता का मूल्यांकन करेगा तथा तुलन पत्र के आधार पर उसके लिए प्रावधान करेगा।
- 11.7 जिन कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की वे निश्चित अंशदान योजना (नयी पेंशन योजना) के सदस्य होने के लिए पात्र हैं जिसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते (डी ए) के 10% के हिसाब से अपना मासिक अंशदान करते हैं। पात्र कर्मचारियों के मामले में कंपनी समान राशि का अंशदान करती है। कंपनी के अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।
- 11.8 अन्य सभी दीर्घावधिक लाभों का प्रावधान बीमांकिक आधार पर किया गया है।
- 11.9 कर्मचारी लाभों पर बीमांकिक लाभ / हानि, तत्काल राजस्व खाते में अंकित की जाती है।

12. आय कर

- 12.1 कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार चालू लेखावधि के लिए अभिकलित कर योग्य लाभों के आधार पर किया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (चढ) कर नियमों

the time of resignation/retirement subject to terms and conditions. Provision for short-term compensated absences is made on the basis of an estimate of availment of the leave balance to the credit of the employees as at the Balance Sheet date. Long-term compensated absences are provided for based on actuarial valuation as at Balance Sheet date.

- 11.4 Provident Fund is a Defined Benefit Plan. Company's contribution towards the fund is charged to the Revenue Account. In case the return of the Provident Fund Trust's corpus is below the Statutory Prescribed Minimum, the Company will have to fund the shortfall.
- 11.5. Employees are eligible to receive Provident Fund benefits through a defined benefit plan in which employees make monthly contributions to the plan, @ 10%, of the covered employees' basic salary. The Company contributes an equal amount in case of the eligible employees who have joined the Company on or before 31/03/2010 and have not opted for pension benefit. The Company has established a Provident Fund Trust to which contributions towards Provident Fund are made and contributions towards Provident Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Company guarantees the specified rate of return on such contributions on a periodical basis. The Company will meet the shortfall in the return, if any.
- 11.6 Employees are eligible to receive Pension benefits through a defined benefit plan to which the Company contributes to the plan, @ 10%, of the covered employee's basic salary. Employees who have joined the Company on or before 31/03/2010, and have opted to receive Pension benefit are covered under the Pension Plan. The Company has established a Pension Fund Trust to which contributions towards Pension are made each month. Contributions towards Pension Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Company will evaluate the net liability based on an actuarial valuation of the Obligation and the Fair Value of the Assets to meet the obligation and provides for the same as on the date of Balance Sheet.
- 11.7 Those employees who have joined the Company on or after 01.04.2010 are eligible to be the members of a Defined Contribution Plan (New Pension Scheme) in which employees make monthly contributions to the plan @ 10% of the their basic salary and Dearness Allowance (DA). The Company contributes an equal amount in case of the eligible employees. The Company's contributions are charged to the Revenue Account on an accrual basis.
- 11.8 All other Long Term Benefits are provided for on Actuarial Basis.

के अनुसार अदा किया जाता है, जो भविष्य की आयकर देयता पर जमा कर के रूप में भावी लाभों में वृद्धि करेगा, जिसे, व उसकी गणना तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में माना गया है यदि कंपनी यह विश्वास दिलाते हुए सबूत प्रस्तुत करे कि वह भविष्य में सामान्य कर अदा करेगा तथा परिणामी परिसंपत्ति को विश्वसनीयता से आँका जा सकेगा।

- 12.2 आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र की तारीख तक निर्धारित कर दरों तथा अधिनियमों तथा पर्याप्त रूप में अधिमानित कानूनों के आधार पर की जाती है तथा यह गणना उनकी उत्पत्ति की अवधि के आधार पर अलग अलग समय में की जाती है व इसे बाद की अवधियों के लिए एक अथवा अधिक बार उलटाया भी जा सकता है। जहां, आगे ले जायी जाने वाली कारोबार हानियाँ अथवा मूल्यहास हैं, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों की वसूली सुनिश्चित हो। अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जहां भविष्य में उनकी वसूली पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताए व आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

- 13.1 प्रावधान को तभी स्वीकृति दी जाती है जब किसी उद्यम का वर्तमान दायित्व किसी भूतपूर्व घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तथा इस प्रकार के दायित्व के निपटान के लिए स्रोतों का बहिर्गमन संभव हो व जिसके लिए उचित अनुमान किए जा सकते हैं। प्रावधानों करते समय उनके वर्तमान मूल्य से किसी प्रकार की रियायत नहीं किए जाते बल्कि तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की गयी है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किए गए हैं।
- 13.2 आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब किया जाता है जब कंपनी की संभावित देयता अथवा वर्तमान दायित्व होते हैं तथा यह संभव हो कि दायित्वों के निपटान के लिए नकदी की आवश्यकता न हो।
- 13.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों की न तो आँका गया है न ही उनका प्रकटन किया गया है।

14. फ़ैक्टरिंग

- 14.1 ब्याज सहित फ़ैक्टरिंग सेवा शुल्क की गणना जब भी वे उत्पन्न होते हैं तब की गयी है।
- 14.2 फ़ैक्टर किए गए ऋणों को चालू परिसंपत्ति शीर्ष में विविध देनदार के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार के देनदारों को आई आर डी ए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक तथा अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्जक देनदारों को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक देनदारों को आई आर डी ए द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर निम्न मानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है

11.9 The actuarial gains/losses on the employee benefits are immediately recognized in the Revenue Account.

12. INCOME TAX

- 12.1 Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. MAT paid in accordance with the Tax Laws, which gives rise to future economic benefits in form of tax credit against future Income Tax liability, is recognised as an asset in the balance sheet if there is convincing evidence that the Company will pay normal tax in future years and the resulting asset can be measured reliably.
- 12.2 Deferred Tax is calculated at the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the Balance Sheet date and is recognized on timing difference that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Where there is unabsorbed carry forward business losses or depreciation, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realisation of such assets. Other deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a reasonable certainty of realisation in future.

13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

- 13.1 A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.
- 13.2 Contingent Liabilities are disclosed when the Company has a possible obligation or a present obligation and it is probable that a cash outflow will not be required to settle the obligation.
- 13.3 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

14. FACTORING

- 14.1 Factoring Service Charges including interest are accounted as and when accrued.
- 14.2 Debts Factored are included under the head Current Assets as Sundry Debtors. Such debtors are classified as performing and non-performing assets, based on the guidelines issued by the IRDA. Performing debtors are classified as Standard assets, Non-Performing debtors are classified into

- 14.3 फ़ैक्टर किए गए ऋणों तथा वसूली पर ग्राहकों को देय राशि के मूल्य के अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है तथा वे फ़ैक्टरिंग मार्जिन खाते में परिलक्षित हैं।
- 14.4 निपटान/मुद्रागत परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन पर विदेशी मुद्रा दरों में अंतर के कारण होने वाले लाभ तथा हानि ग्राहकों पर प्रभारित की जाती है।
- 14.5 समय समय पर अधिसूचित आई आर डी ए मानदंडों के अनुसार फ़ैक्टरिंग ऋणों के लिए प्रावधान किए गए। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसंपत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल हैं। विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो कि आई आर डी ए द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है :-

मानक परिसंपत्तियाँ:	i. 10% के सामान्य प्रावधान ii. असुरक्षित अटल आरम्भ (जहां प्रतिभूति का वसूलीयोग्य मूल्य अटल आरम्भों 10% से अधिक न हो) के लिए 10% के अतिरिक्त प्रावधान
संदिग्ध परिसंपत्ति :	
-सुरक्षित अंश :	i. एक वर्ष तक 20% ii. एक वर्ष से तीन वर्षों तक 30% iii. तीन वर्षों से अधिक 100%
-असुरक्षित अंश	100%
हानि परिसंपत्ति :	100%

15. एन ई आई ए ट्रस्ट खाता

एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों को पूरी रक्षा अवधि के दौरान समान रूप से आबंटित किया गया है।

16. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 16.1 आरंभिक मान्यता - विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर के अनुसार गणना कर रिपोर्टिंग मुद्रा रिकॉर्ड किया गया है
- 16.2 परिवर्तन - विदेशी मुद्रा मुद्रागत मदों को समापन दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है। गैर मुद्रागत गत उपकरणों जिनकी गणना पारंपरिक लागत अंकन के आधार पर विदेशी मुद्रा में की गयी है को संव्यवहार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।
- 16.3 विनिमय अंतर मुद्रागत मदों के निपटान अथवा परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है व राजस्व उन्हें खाते में प्रभारित किया गया है।

sub-standard, doubtful and loss assets, based on the classification criteria stipulated by IRDA

- 14.3 The unpaid balances of the price of debts factored and due to the clients on collection are included under Current Liabilities and are reflected in the form of Factoring Margin Account.
- 14.4 Gain and loss arising on account of differences in foreign exchange rates on settlement/translation of monetary assets and liabilities are charged to clients
- 14.5 Provision for factoring debts is made as per IRDA norms notified from time to time. Such provision includes provision at the rate of 0.40% on standard assets. Provisions are made for NPAs as per the guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the IRDA :

Substandard Assets:	i. A general provision of 10% ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 % ab- initio)
Doubtful Assets:	
-Secured portion:	i. Upto one year – 20% ii. One to three years – 30% iii. More than three years – 100%
-Unsecured portion	100%
Loss Assets:	100%

15. NEIA TRUST ACCOUNT

The administrative charges received from NEIA Trust is being allocated equally throughout the cover period.

16. FOREX TRANSACTIONS

- 16.1 Initial Recognition - Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency approximately at the date of the transaction.
- 16.2 Conversion - Foreign currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items, which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- 16.3 Exchange Differences - Exchange differences arising on the settlement or conversion of monetary items, are recognized as income or as expenses in the period in which they arise and are charged to revenue account.

NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS:

1. वित्तीय विवरण तैयार करना

इसके साथ संलग्न वित्तीय विवरण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002; कंपनी अधिनियम 2013 तथा बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। प्रबंधन की राय में कारोबार की सामान्य स्थिति में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों के अधीन मदों का वसूली पर मूल्य कम से कम तुलन पत्र में उल्लिखित राशि के बराबर होता है तथा सभी ज्ञात देयताओं तथा संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

3. अचल आस्तियां

3(क) अचल परिसंपत्तियों में, ₹398.47 हजार (पिछले वर्ष ₹398.47 हजार) के वे बिलिडिंग शामिल हैं जहां स्टैम्प ड्यूटी की अदायगी की जा चुकी है परंतु पंजीकरण की औपचारिकता लंबित है। आगे, इसमें ₹5,77,43.90 हजार (पिछले वर्ष ₹5,77,43.90 हजार) की वे संपत्तियाँ शामिल हैं जहां स्टैम्प लगे करार खो गए हैं/ वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, इन संपत्तियों के संबंध में कंपनी के पास का ऑपरेटिव संस्थानों के शेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं।

3(ख) कम्पनी न दलामल हाउस को पट्टे पर लिया है एवं कथित संपत्ति के लिए पट्टे के समझौते के आधार पर निर्धारित दर पर खरीद के लिए प्रति रूपंतरणीय अधिकारों का उपयोग किया है। तथापि पट्टाकर्ता द्वारा इसे मंजूर नहीं किया गया है एवं ईसीजीसी द्वारा निर्धारित निष्पादन के लिए दावा दायर किया गया है। हालाँकि दिनांक 07.07.2016 के आदेश के ज़रिये दावे का निर्णय कम्पनी के लिए प्रतिकूल रहा जिसके विरुद्ध कम्पनी ने अपील किया है। अपील अभी लंबित है। यह नोट किया गया है कि कथित परिसर को अभी तक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, तथापि कम्पनी द्वारा कथित परिसर की खरीद के लिए प्रति रूपंतरण के अधिकारों के लिए न्यायालय के समक्ष दावा दायर किया गया है।

4. अग्रिम तथा अन्य आस्तियां :

4(क) अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल है: कंपनी के खिलाफ दायर मामलों तथा निर्णय हेतु प्रतीक्षित मामलों में न्यायालय के आदेशों के अनुकरण में न्यायालयों में कुल ₹17,81,87.22 हजार हजार (पिछले वर्ष ₹12,94,28.77 हजार हजार) जमा किए गए हैं। उसे विविध जमाओं के अधीन दर्शाया गया है।

4(ख) कर्मचारियों के आवास ऋण पर ब्याज की गणना उपचित आधार पर की गयी है। यदि किसी समायोजन की आवश्यकता पड़े तो अंतिम निपटान के समय किया जाएगा।

4(ग) समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों एवं अन्य परिसंपत्तियों (अनुसूची 12) के लिए सू प्रौ विक्रेता से वसूली योग्य ₹17,23,92.70 हजार (पिछले वर्ष के लिए ₹17,23,92.70 हजार) का प्रावधान शामिल है जिसे अन्यों से वसूलीयोग्य राशि में दर्शाया

1. PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The accompanying financial statements have been prepared as per the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002; Companies Act, 2013 and the Insurance Act, 1938.

2. REALISABILITY OF STATED AMOUNTS

In the opinion of the Management, the items under the Current Assets, Loans and Advances have value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet and provision for all known liabilities and doubtful assets have been made.

3. FIXED ASSETS:

3(a) "Buildings" under Fixed Assets include certain properties costing ₹3,98.47 thousands (previous year ₹3,98.47 thousands) where stamp duty has been paid but registration formalities are pending. Further, it includes, properties costing ₹5,77,43.90 thousands (previous year ₹5,77,43.90 thousands) where stamped agreements are lost/presently not available with the Company. However, the Company is in the possession of the share certificates of the co-operative institution in respect of these properties.

3(b) The Company had taken the "Dalamal House" on lease and had exercised reversionary rights to purchase the said property at a given rate as per the Lease Agreement. However, the Lessor did not agree and ECGC filed a suit for specific performance. This suit was decided unfavourable to the Company vide Order dated 07/07/2016 against which Company filed an Appeal. The Appeal is pending. It is noted that the said premises is not yet classified as asset, however the Company is contesting the matter before Court of Law to exercise reversionary rights to purchase the said assets.

4. ADVANCES AND OTHER ASSETS:

4(a) Advances and other assets include:

An amount of ₹17,81,87.22 thousands (previous year ₹12,94,28.77 thousands) is deposited with the Courts in pursuance of Court Orders for claim suits filed against the Company and in respect of which final decisions are awaited. The same is disclosed under Sundry Deposits.

गया है। मामला मध्यधता के अधीन है, क्योंकि विक्रेता ने कम्पनी के ₹29,17,48.34 हजार की मांग के खिलाफ ₹146,98,02.40 हजार दावा दायर किया है। आकस्मिक देयता में ₹146,98,02.40 हजार को भी शामिल किया गया है। (निम्न नोट का अवलोकन करें)

4(घ) अग्रिम एवं अन्य आस्तियां (अनुसूची 12) में एक पुनर्बीमा कम्पनी से उनके साथ जून 2014 में की गयी अतिरिक्त हानि सम्बन्धी संधि के कारण उनके द्वारा दायर किये गए दावे के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले प्राप्यों में ₹ 171,78,48.42 शामिल हैं। कम्पनी द्वारा पुनर्बीमा कम्पनी के साथ कई अनुकूल विचार विमर्श किये गए एवं संभावना है कि इस राशि की वसूली की जाए।

4(ङ) अग्रिम एवं अन्य आस्तियां (अनुसूची 12) में ₹ 8,00,00.00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 7,00,00.00 हजार के जमा) के जमा शामिल हैं जो कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एवं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में नकद सीमा के रूप में गिरवी रखे गए हैं।

4(च) (₹) अग्रिम एवं अन्य आस्तियां (अनुसूची 12) में रु में ₹ 81,23,31.34 हजार (1117 हजार USD (69.43 प्रति के हिसाब से) का भारत सरकार की ओर से अफ्रीकन ट्रेड इश्युरंस को स्थानांतरित किया गया है।

5. चालू देयताएं:

5(क) चालू देयताओं में, कम्पनी के कर्मचारियों को देय उत्पाद-कता आधारित एकमुश्त राशि योजना (पी एल एल आई) के लिए ₹1,39,50.00 हजार (पिछले वर्ष ₹2,02,00.00 हजार) का प्रावधान किया गया है जो कि प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले वार्षिक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अधीन 31 मार्च 2020 तक कंपनी के अनंतिम रेटिंग के आधार पर कर्मचारियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि प्रोत्साहन (पी एल एल आई) के लिए है, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम रेटिंग की जानकारी लंबित है।

5(ख) कंपनी ने, प्रचलित उद्योग प्रथाओं के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए देय वेतन संशोधन हेतु ₹21,99,69.00 हजार का प्रावधान किया है जिसमें दिनांक 01 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए ₹13,63,11.00 हजार के विभेदक प्रावधान शामिल हैं तथा कर्मचारियों को उसकी अदायगी वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन के पश्चात की जाएगी।

5(ग) कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रथाओं के अनुसार अधिमानित तथा बकाया दावों के लिए निगम की देयता हेतु प्रावधान, वर्ष के अंत तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस प्रकार के व्यक्तिगत दावों के लिए किए गए देयताओं के मूल्यांकन के आधार पर किया गया। प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) दावों तथा नियुक्त बीमांकक द्वारा बकाया दावों के लिए किए गए

4(b) Interest on housing loans to employees is accounted for on accrual basis. Adjustments required, if any, are carried out at the time of final settlement.

4(c) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes ₹17,23,92.70 thousands for the year ended (previous year ₹17,23,92.70 thousands) recoverable from an IT Vendor and is mentioned as "Amount Recoverable from Others". This matter is under arbitration as the Vendor has filed a counter claim of ₹146,98,02.40 thousands as against company's demand of ₹29,17,48.34 thousands. The amount of ₹146,98,02.40 thousand is also included in Contingent Liability (refer note below).

4(d) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes ₹171,78,48.42 thousands as receivables from one of the Reinsurance companies on account of Excess of Loss (XOL) Treaty since June 2014 in respect of a claim filed with them. Company had several rounds of positive discussions with the Reinsurance Company and there is a high probability that the amount shall be recovered.

4(e) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes deposits of ₹8,00,00.00 thousands (previous year deposits of ₹7,00,00.00 thousands) which have been pledged with National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange as cash margin.

4(f) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes amount of ₹81,23,31.00 thousands (USD 1170 thousands @ INR 69.43 per USD) transferred to African Trade Insurance on behalf of Govt. of India.

5. CURRENT LIABILITIES:

5(a) Current Liabilities include ₹1,39,50.00 thousands (previous year ₹2,02,00.00 thousands) towards Productivity Linked Lump sum Incentive (PLLI) payable to the employees which has been accounted for based on the provisional rating of the Company as on 31st March, 2020 under the annual Memorandum of Understanding (MOU) signed with the Administrative Ministry, pending final rating to be conveyed by the Administrative Ministry.

5(b) The Company has made a provision of ₹21,99,69.00 thousands towards wage revision due to its employees based on prevalent Industry practices which includes differential provision of ₹13,63,11.00 thousands attributable to the period 1st August, 2017 to 31st March, 2019 and the same will be payable to the employees upon approval from Ministry of Commerce, Government of India.

5(c) As per the Accounting practice followed by the Company, liability towards claims preferred and outstanding is provided for based on the assessment of individual claims. Liabilities towards such claims

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर गणना किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रभाव पर विचार किया गया है। तदनुसार रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) ₹4819,59,31.75 हजार (पिछले वर्ष ₹3484,42,37.66 हजार) की अनुमानित देयता के रूप में पहचान की गयी है।

6. प्रावधान

- 6(क) कम्पनी का ₹ 5,00,00.00 हजार के डिबेंचरों में किये गए निवेश को पूर्ण रूप से अशोध्य माना गया है एवं आई आर डी ए आई ए के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पूर्व के वर्षों में उसके लिए लेखों में प्रावधान किया गया है। इसे अशोध्य आस्तियों के लिए प्रावधान निवेश शीर्ष में अनुसूची 14 में दर्शाया गया है।
- 6(ख) कम्पनी ने दिनांक 31 मार्च 2020 तक इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फ़ाइनेन्शियल सर्विसेस लि (आई एल एंड एफ़ एस) द्वारा जारी अपरिवर्तनीय सुरक्षित डिबेंचरों में ₹ 105,00,00.00 हजार अंकित मूल्य (₹104,98,00.00 हजार निवेश मूल्य) का निवेश किया। वर्ष के दौरान कम्पनी ने इन निवेशों के अंतर्गत, बीमा कंपनियों के लिए लागू आई आर डी ए आई द्वारा जारी आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के अधीन, आय के रूप में पहचान करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में आवश्यकता से अधिक प्रावधान करते हुए, अशोध्य आस्तियों के लिए प्रावधान निवेश शीर्ष में अनुसूची 14 के अधीन 75% के रूप में ₹78,73,00.00 हजार (पिछले वर्ष 25% के रूप में ₹26,25,00.00 हजार) का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फ़ाइनेन्शियल सर्विसेस लि (आई एल एंड एफ़ एस) में किये गए निवेशों पर ₹10,08,68,30 का ब्याज उपचित हुआ वर्ष 2018-19 के दौरान बहियों में उसके एन पी ए वर्गीकरण तक इसके लिए प्रावधान किया गया एवं वर्ष 2019-20 के दौरान उसे बढ़े खाते में डाला गया।

7. फ़ैक्टरिंग

कंपनी ने आई आर डी ए मानदंडों का पालन करते हुए फ़ैक्टरिंग देयों के निम्न मानक परिसंपत्तियों के लिए ₹50.37 (पिछले वर्ष कुछ नहीं) तथा तथा संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए ₹7,04,26.80 हजार (पिछले वर्ष ₹7,04,26.80) प्रावधान किया है।

8. पुनर्बीमा

कंपनी द्वारा, भारतीय साधारण बीमा कंपनी के लिए आई आर डी ए के दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यकता अनुसार कंपनी के समस्त कारोबार (अल्पावधि व साथ ही साथ मध्यम व दीर्घावधि) के 5% (पिछले वर्ष 5%) का अनिवार्य अर्पण सौंपा गया। पॉलिसी के अधीन 26% (पिछले वर्ष 26%), जी आई सी (8%), स्विस आर ई (8%), स्कोर आर ई (5%), पार्टनर आर ई (2%), हैनोवर आर ई (3%), एवं ईसीआईबी के अधीन 14.50% (पिछले वर्ष 21.50%) जी आई सी (4%), स्विस आर ई (4%), स्कोर आर ई (2.5%), पार्टनर आर ई (1%), हैनोवर आर ई (3%) के साथ कोटा शेयर का अध्यापण की संधि की गयी। कम्पनी ने उक्त पुनर्बीमाकर्ताओं के

have been recognized based on information available up to the year end. In the opinion of management the impact if any, of the above has been considered during the year while assessing the overall provision of unreported and not enough reported (IBNR & IBNER) claims and additional provision for outstanding claims which is arrived at based on actuarial valuation by the Appointed Actuary. Accordingly, an amount of ₹4819,59,31.75 thousands (previous year ₹3484,42,37.66 thousands) has been recognized as estimated liability towards unreported and not enough reported claims (IBNR & IBNER).

6. PROVISIONS:

- 6(a) Investment in Debentures of a company ₹5,00,00.00 thousands is fully treated as doubtful and provided in the accounts in the earlier years in line with IRDAI norms. It is shown under the head Provision for Doubtful Assets - Investment – Schedule 14.
- 6(b) The Company has investments of Rs. ₹105,00,00.00 thousands Face Value (Book Value. ₹104,98,00.00 thousands) in Non-Convertible Secured Debenture issued by Infrastructure Leasing and Financial Services Ltd (IL&FS) as on 31st March, 2020. During the Year, the Company has made additional provision of ₹78,73,00.00 thousands being 75% (Previous year ₹26,25,00.00 thousand being 25%) of this investments and is fully treated as doubtful. This is also shown under the head Doubtful Assets - Investment - Schedule 14. Interest was accrued of ₹10,08,68.30 on the investments made in IL&FS debentures till its NPA classification against which the provision of same amount was made in the books of account in FY 2018-19, which was written off during the FY 2019-20.

7. FACTORING

The Company has made provision of ₹50.37 thousands (previous year ₹NIL) on account of standard assets, whereas in relation to doubtful assets the company in the past has made a provision of ₹7,04,26.80 thousands in line with IRDAI norms.

8. REINSURANCE

The Company has ceded obligatory cession of 5% (previous year 5%) of the entire business of the Company (Short Term as well as Medium and Long Term business) as required under the IRDI guidelines to General Insurance Company of India. Quota Share cession under Policy is 26% (previous year 26%) – with GIC Re (8%), Swiss Re (8%), SCOR Re (5%), Partner Re (2%), Hannover Re (3%) and under ECIB is 14.50% (previous year 21.50%) – with GIC Re (4%), Swiss Re (4%), SCOR Re (2.5%), Partner Re (1%) and Hannover Re (3%). The Company has Excess of Loss (XOL) Treaty cession for

साथ अल्पावधि (एस टी) के लिए हानि की अधिकता संधि (एक्स ओ एल) अध्यापित की है।

वित्तीय वर्ष	कोटा शेयर		एक्स ओ एल (अल्पावधि)
	अनिवार्य	संधि (अल्पावधि)	
2007-08 (सिर्फ एसटी)	15%	20%	कोई एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2008-09	10%	10%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2009-10	10%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2010-11	10%	कुछ नहीं	कोई एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2011-12	10%	13%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2012-13	10%	12%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2013-14	5%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2014-15 (पॉलिसी)	5%	20%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2014-15 (ईसीआईबी)	5%	13%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2015-16 (पॉलिसी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2015-16 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2016-17 (पॉलिसी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2016-17 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2017-18 (पॉलिसी)	5%	27%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2017-18 (ईसीआईबी)	5%	23%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2018-19 (पॉलिसी)	5%	26%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2018-19 (ईसीआईबी)	5%	21.50%	एक्स ओ एल उपलब्ध

9. वैकल्पिक जोखिम अंतरण समझौते (आर्ट)

कंपनी ने, कोटा शेयर आधार पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एन ई आई ए ट्रस्ट के पास मध्यम तथा दीर्घावधि (एम एल टी) के अधीन उच्च मूल्य वाले जोखिमों के लिए जोखिम हिस्सेदारी की व्यवस्था की है। कंपनी ने वर्ष 2019-20 के लिए 50 म व दी रक्षाओं (पिछले वर्ष 43 म व दी र) के लिए शुल्क की अदायगी कर एन ई आई ए ट्रस्ट से गारंटी प्राप्त की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹4,74,82.00 हजार (पिछले वर्ष ₹3,14,54.60 हजार) एन ई आई ए ट्रस्ट को अदा किए।

short Term (ST) covers with the above reinsurer. The re-insurance programme for the earlier year was as under:

Financial year	Quota Share		XOL (ST)
	Obligatory	Treaty (ST)	
2007-08 (Only ST)	15%	20%	No XOL available
2008-09	10%	10%	XOL available
2009-10	10%	15%	XOL available
2010-11	10%	NIL	No XOL available
2011-12	10%	13%	XOL available
2012-13	10%	12%	XOL available
2013-14	5%	15%	XOL available
2014-15 (Policy)	5%	20%	XOL available
2014-15 (ECIB)	5%	13%	XOL available
2015-16 (Policy)	5%	25%	XOL available
2015-16 (ECIB)	5%	25%	XOL available
2016-17 (Policy)	5%	25%	XOL available
2016-17 (ECIB)	5%	25%	XOL available
2017-18 (Policy)	5%	27%	XOL available
2017-18 (ECIB)	5%	23%	XOL available
2018-19 (Policy)	5%	26%	XOL available
2018-19 (ECIB)	5%	21.50%	XOL available

9. ALTERNATE RISK TRANSFER AGREEMENTS (ART)

The company had risk sharing arrangement for some high value exposures under Medium and Long Term (MLT) covers with NEIA Trust set up by Government of India. The Company has obtained guarantee from NEIA Trust for 50 MLT covers (previous year 43 MLT covers) on payment of a fee for the FY 2019-20. During the current FY, the Company paid guarantee fees of ₹4,74,82.00 thousands (previous year ₹3,14,54.60 thousands) to NEIA Trust.

10. प्रीमियम आय

जोखिम ग्रहण करने पर प्रीमियम आय की गणना की गयी है। कंपनी ने, मार्च 2020 के अंत तक, किए गए पोतलदानों/प्रदान किए गए अग्रिमों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ₹67,07,47.92 हजार (पिछले वर्ष ₹44,43,87.00 हजार)के प्रीमियम को पिछले वर्ष के प्रीमियम के रूप में स्वीकार किया है। आई आर डी ए के पत्र सं FN/GEC/LR/001/2013-14/12 दिनांक 30 जनवरी 2014 के जरिये निगम द्वारा आरंभ से अब तक नियमित रूप से अपनाई जाने वाले प्रीमियम लेखांकन की पद्धति पर अपनी सहमति जताई।

11. एन ई आई ए ट्रस्ट

कंपनी को एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त कुल ₹2,48,68.09 हजार (पिछले वर्ष ₹2,95,01.51 हजार)का अन्य आय में शामिल किया गया है। अग्रिम के रूप में प्राप्त ₹18,21,36.04 हजार (पिछले वर्ष ₹17,10,70.36 हजार) के प्रशासनिक व्यय को चालू देयताएं अन्य एन ई आई ए ट्रस्ट में शामिल किया गया है।

12. कोविड 19

महामारी के असर को कम करने के लिए भा रि बैं ने भारत में निर्यात प्राप्तियों की वसूली की अवधि एवं वापस लाने के लिए कुछ रियायत उपाय किये हैं। सरकार के रियायतों की सामानांतर कम्पनी ने भी अपने ग्राहकों के लिए जारी की गयी रक्षाओं की शर्तों में कुछ छूट प्रदान किये हैं। कम्पनी परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए चालू वर्ष के लिए अपने वित्तीय स्थिति का कोविड-19 का अपने कारोबार पर होने वाले प्रभाव का संज्ञान लिया। इन प्रयासों के प्रभाव का अभी आंकलन शेष है एवं कम्पनी को विश्वास है कि परिणामी दावे को भी निपटाया जा सकता है। बीमांकिक अनुमानों के आधार पर हमने हमारे लेखा बहियों में योग्य प्रावधान कर लिए हैं एवं उसका उल्लेख आई बी एन आर व आई बी एन ई आर में शामिल किया गया है।

आगे आई आर डी ए आई द्वारा सूचित अनुसार हमने निम्नलिखित परिस्थितियों में शोधन क्षमता का तनाव परिक्षण किया है :-

परिस्थिति 1:- प्रीमियम आय उसी स्तर पर बनी हुई है एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में दावों का दुगुना हो जाने की सम्भावना है। इस परिस्थिति में कम्पनी की शोधन क्षमता आवश्यक अनुपात के 6.8 गुना होगी।

परिस्थिति 2:- वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रीमियम आय दुगुनी हो जाती है, पुनर्बीमा सहायता में कमी आती है एवं दावा अनुभव बदतर (दुगुने) हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में शोधन क्षमता अनुपात 3.17 गुना रहेंगे।

परिस्थिति 3:- वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रीमियम आय में कमी आ जाती है एवं दावों में वृद्धि होती है। इस प्रकार की परिस्थिति में शोधन क्षमता अनुपात 5.8 गुना रहेंगे।

उक्त परिस्थितियों में हमारी शोधनक्षमता विनियामक न्यूनतम 1.50 गुना के शोधन क्षमता से अधिक ही होगी। वैसे भी कम्पनी लाभकारी संस्था है।

10. PREMIUM INCOME

Premium income is recognised on assumption of risk. The Company has estimated the premium income, based on available information relating to shipments made / advances granted in the month of March 2020 at ₹67,07,47.92 thousands (previous year ₹44,43,87.00 thousands) which is recognised in subsequent year. IRDAI vide its letter no. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, has concurred with the method of Premium accounting consistently followed by the Company since inception.

11. NEIA TRUST

The administrative charges receivable by the Company from NEIA Trust of ₹2,48,68.09 thousands (previous year ₹2,95,01.51 thousands) are included in Other Income. Administrative charges received in advance of ₹18,21,36.04 thousands (previous year ₹17,10,70.36 thousands), are included in Current Liabilities – Others – NEIA Trust.

12. COVID 19

In order to reduce the impact of pandemic, RBI has brought in certain measures relaxing period of realisation and repatriation of export proceeds to India. In line with Govt. relaxations the Company has also relaxed its terms of covers issued to its clients. The Company has further taken cognizance of the impact of COVID 19 on its business and have made assessment of the situation on its financials for the current year. The impact of these developments is yet to be quantified and the company is confident that the resultant claims will be manageable. On the basis of actuarial estimation we have provided the suitable provisions in our books of accounts and same is included in IBNR & IBNER provision.

Further, as advised by IRDAI, we have also carried out a stress test of the solvency in the following scenario:-

Scenario 1:- Premium Income remains at same level and expected claim get doubled compared to FY 2019-20. In this scenario the solvency ratio of the company would be 6.8 times the required ratio.

Scenario 2:- Premium Income doubles from FY 2019-20, reinsurance support decreases and claim experience worsens (doubles). In such scenario the solvency ratio will be 3.17 times.

Scenario 3:- Premium income decreases and claims increases from FY 2019-20. In such scenario the solvency ratio will be 5.8 times.

In above scenarios we will be above the regulatory minimum Solvency Ratio of 1.50 times. As such, the Company will be a going concern.

13(क) कम्पनी ने पॉलिसी धारक के दावे को नामंजूर कर दिया है, जिसके खिलाफ पॉलिसी धारक ने संविदा के निष्पादन के लिए कम्पनी के खिलाफ दावा दायर कर दिया है एवं मामला दिनांक 31.03.2020 तक निर्णयाधीन है। आगे अनुसूची 13 चालू देयताएं के अधीन विभिन्न पॉलिसी धारकों से प्रीमियम के रूप में प्राप्त ₹ 2,32,44.55 हजार की राशि का पॉलिसी धारक से धोषणा की अप्राप्ति के कारण समायोजन नहीं किया गया है। कम्पनी द्वारा जारी पॉलिसी दिनांक 31 अगस्त 2009 को समाप्त हो गयी है। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पॉलिसी धारक ने कम्पनी को न्यूनतम प्रीमियम के रूप में कंपनी को ₹ 2,40,00.00 हजार की अदायगी की थी। जैसा कि पॉलिसी दस्तावेज़ में प्रीमियम की वापसी अथवा समायोजन का प्रावधान है तथा विचाराधीन मामला होने के कारण ₹2,32,44.55 हजार की सम्पूर्ण राशि (न्यूनतम प्रीमियम के अतिरिक्त के ₹ 30,000 हजार सहित) अनुसूची 13 के विविध देनदार शीर्ष के अधीन दर्शाया है।

13(ख) आगे अनुसूची 13 चालू देयताओं के अधीन विविध देनदारों में बैंकों द्वारा निर्यातक उधारकर्ता को प्रदान किये गए गारंटी पर विभिन्न बैंकों को कम्पनी द्वारा रक्षा के विस्तार के लिए विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्रीमियम पर ₹24,61.77 हजार (पिछले वर्ष ₹67,14.06 हजार) की राशि शामिल है। कम्पनी द्वारा कथित राशि को स्वीकार नहीं किया गया है एवं इस सम्बन्ध में बैंकों को, रक्षा में विस्तार करने में अपनी असमर्थता दर्शाते हुए पत्र जारी किया जा चुका है। कम्पनी ने कथित प्रीमियम राशि को वापस लौटा दिया है परन्तु कुछ बैंकों ने वापस लौटाई हुई राशि को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार कम्पनी ने सम्बंधित राशि को विविध देनदार शीर्ष में दर्शाया है।

14. विविध लेनदारों, विविध देनदारों तथा जमाओं, अन्य देयताओं, ऋणों, अग्रिमों तथा वसूली योग्य राशि सहित अन्य परिसंपत्तियाँ, बीमाकृत के व्यक्तिगत बही शेषों सहित विविध जमा, न्यूनतम प्रीमियम राशि, जमा प्रीमियम खाता, पुनर्बीमा खाते विविध जमाओं अन्य परिसंपत्तियों के अधीन शेष पुष्टीकरण तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो तो के अधीन होंगे।

15. निगम द्वारा अपनाई गयी मानक प्रथा के अनुसार, निदेशक मण्डल सहित निगम के विभिन्न अधिकारियों द्वारा, अधिमानित दावों में विभिन्न चूकों को माफ करने के विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग करते हुए दावों का निपटान किया जाता है। इन सभी निपटान किए गए दावों को कंपनी के कारोबार की सामान्य स्थिति में निपटान माना गया है। कम्पनी के किसी भी प्रकार के व्युत्पन्न अनुबंध अथवा वायदा अनुबंध नहीं हैं। कम्पनी का विदेशी मुद्रा में किसी प्रकार का जोखिम नहीं है (अरक्षित)।

13.(a) The Company has rejected the claim of a Policy Holder against which the Policy Holder (PH) has filed a suit against the Company for performance of the contract and as on 31/03/2020 the matter is sub-judice. Premium Received in advance under Schedule 13 – Current Liabilities includes an amount of ₹2,32,44.55 thousands of premium not adjusted due to non-receipt of declaration from the PH. The Policy issued by the Company has expired on August 31, 2009. As per the terms of the policy, the PH committed ₹2,40,00.00 thousands as the minimum premium to the Company and the balance is to be refunded to the PH in case the same is not utilized. As the policy documentation gives the option of refund or adjusting the premium and the issue being sub-judice, the entire amount of ₹2,32,44.55 thousands (including amount of ₹30,00.00 thousands being over and above the minimum premium) is shown under the head Sundry Creditors – Schedule 13.

13. (b) Further, 'Sundry Creditors' under 'Schedule 13 - Current Liabilities' includes an amount of ₹24,61.77 thousands (previous year ₹67,14.06 thousands) on account of premium received from various banks, towards extension of cover to be given by the Company to various banks on account of guarantees provided by the banks to an exporter - borrower. The Company has not accepted the said amount and has communicated to the banks about its inability to extend the cover. The Company has refunded the said premium amount to the bankers some of the banks have not accepted the refund. Accordingly, the Company has reflected the said amount under the head 'Sundry Creditors'.

14. Balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and Deposits, Other Liabilities, Loans, Advances and Other Assets including amount recoverable, Deposits premium accounts including personal ledger balances of insured's, minimum premium account, reinsurance accounts are subject to confirmation and consequential adjustments, if any.

15. As per Standard practice followed by the Company, claims are settled by the various officials of the Company including the Board of Directors by using the discretionary powers to condone various lapses in the claims preferred. All these claims settled are considered to have been settled in the normal course of business of the Company.

16. पूर्व अवधि समायोजन:

नामः (₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रीमियम	-	21,45.80
अन्य	20.00	5.68
मूल्यहास	-	12.70
मरम्मत एवं रखरखाव	2,38.39	-
संपत्ति कर-अंधेरी संपत्ति	-	1,35,12.35
आवास ऋण पर ब्याज	2,13.95	-
एजेंसी कमीशन	-	60.72
कुल	4,72.34	1,57,37.25

जमा : (₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अन्य	-	34.24
आवास ऋण पर ब्याज	-	24,20.70
मूल्यहास	-	13,53.01
कुल	-	38,07.95
पिछली अवधि समायोजन में निवल नामे / (जमा)	4,72.34	1,19,29.30

17. विदेशी मुद्रा में अर्जन एवं व्यय :

(₹ '000)

अर्जन	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वसूल किये गए दावे	1,19,43.75	10,09.48
पुनर्बीमा *	68,48,69.66	107,18,38.48
अन्य प्राप्तियां	1,86,70.85	-

(₹ '000)

व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सदस्यता शुल्क एवं अन्य व्यय	35,40.18	42,63.85
यात्रा व्यय	46,33.35	52,11.12
हैसियत जांच शुल्क	1,09,16.85	98,91.58
पुस्तक एवं पुस्तिकाएं	40,30.26	36,51.88

*पुनर्बीमा अर्जन, पुनर्बीमा प्रीमियम के निवल प्रदत्त दावों के लिए विदेशी मुद्रा में प्राप्त वसूलियां हैं।

16. Prior Period Adjustments Include:

Debits: (₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Premium	-	21,45.80
Others	20.00	5.68
Depreciation	-	12.70
Repair and Maintenance	2,38.39	-
Property Tax - Andheri Premises	-	1,35,12.35
Interest On Housing Loan	2,13.95	-
Agency Commission	-	60.72
Total	4,72.34	1,57,37.25

Credits: (₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Others	-	34.24
Interest On Housing Loan	-	24,20.70
Depreciation	-	13,53.01
Total	-	38,07.95
Net Debit / (Credit) in prior Period Adjustments	4,72.34	1,19,29.30

17. Earnings and Expenditure in Foreign Exchange:

(₹ '000)

Earnings	Current Year	Previous Year
Claims Recovered	1,19,43.75	10,09.48
Re-insurance*	68,48,69.66	107,18,38.48
Other Receipt	1,86,70.85	-

(₹ '000)

Expenditure	Current Year	Previous Year
Membership Fees and other expenses	35,40.18	42,63.85
Travelling expenses	46,33.35	52,11.12
Status Enquiry Fees	1,09,16.85	98,91.58
Books and periodicals	40,30.26	36,51.88

*Reinsurance earning is the recoveries in foreign currency for claims paid net off reinsurance premium.

18. कम्पनी के किसी भी प्रकार के व्युत्पन्न अनुबंध अथवा वायदा अनुबंध नहीं हैं। कम्पनी का विदेशी मुद्रा में किसी प्रकार का जोखिम नहीं है (अरक्षित)।

19. खंडवार रिपोर्ट (लेखा मानक 17)

कंपनी एकल खंड निर्यात ऋण बीमा में परिचालन करती है। अतः कोई भी खंडवार रिपोर्ट प्रदान नहीं किए गए हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने निर्यात बिलों की फ़ैक्टरिंग आरंभ करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी है कुल ₹2,14,44.43 हजार रु के बिल फ़ैक्टर किए गए हैं। वर्ष के दौरान ₹3,78.82 हजार रु राजस्व उपार्जित हुए हैं (पिछले वर्ष कुछ नहीं)। लाभ अथवा हानि एवं आस्तियां कुल क्षेत्रवार गतिविधि के 10% हैं अतः यह ए एस 17 के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य नहीं है।

20. लेखा मानक सं 18 के अनुकरण में संबंधित पार्टी प्रकटन

(i) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

क्र सं	नाम	पदनाम
1	श्रीमती गीता मुरलीधर	31.10.2019 तक अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2	श्री एम् सेंथिलनाथान	01.11.2019 से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)
3	श्री वी धर्मराजन	30.06.2019 तक कार्यपालक निदेशक (परिचालन)
4	श्रीमती आर पद्मावती	01.07.2019 से कार्यपालक निदेशक (परिचालन) 30.06.2019 तक महाप्रबंधक, मुख्य बीमांकन अधिकारी (म व दी अ)
5	श्री सुबीर दास	01.07.2019 से महाप्रबंधक, मुख्य बीमांकन अधिकारी (म व दी अ)
6	श्री सी एन ए अन्बरसन	महाप्रबंधक, मुख्य बीमांकन अधिकारी (ईसीआईबी एस टी)
7	श्री सुनील जोशी	महाप्रबंधक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख
8	श्री पी एल ठाकुर	महाप्रबंधक, मुख्य बीमांकन अधिकारी (पॉलिसी एस टी)
9	श्री शिवाजी नार्वेकर	महाप्रबंधक, मुख्य विपणन अधिकारी एवं पारदर्शिता अधिकारी
10	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	महाप्रबंधक (मा सं वि)
11	श्री राजीव मानवी	30.04.2019 तक महाप्रबंधक, मुख्य वित्तीय अधिकारी
12	श्री ईशनाथ झा	08.05.2019 से महाप्रबंधक, मुख्य वित्तीय अधिकारी

18.The Company does not have any exposure in derivative contracts and forward contracts. The Company has no exposure in foreign currency (un-hedged).

19.SEGMENTAL REPORTING (Accounting Standard 17)

The Company operates in single segment 'Export Credit Insurance'. The Company has initiated activities to start factoring of export bills amounting to ₹2,14,44.43 thousands. Total revenue during the year is ₹3,78.82 thousands (previous year NIL). Since factoring revenue, profit or loss and assets are less than 10% of total segment activity therefore it is not reportable segment as per AS 17.

20. Related Party Disclosures pursuant to Accounting Standard No. 18:

(i) Key Management Personnel:

Sr. No.	Name	Designation
1	Smt. Geetha Muralidhar	Chairman-cum-Managing Director (CMD) upto 31.10.2019
2	Shri M Senthilnathan	Chairman-cum-Managing Director (Additional charge) since 01.11.2019 Executive Director (Policy Matters)
3	Shri V Dharmarajan	Executive Director (Operations) upto 30.06.2019
4	Smt. R Padmavathy	Executive Director (Operations) Since 01.07.2019 General Manager, Chief Underwriting Officer (MLT) upto 30.06.2019
5	Shri Subir Kumar Das	General Manager, Chief Underwriting Officer (MLT) Since 01.07.2019
6	Shri C N A Anbarasan	General Manager, Chief Underwriting Officer (ECIB-ST)
7	Shri Sunil Joshi	General Manager, Chief Vigilance Officer, Chief of Internal Audit
8	Shri P L Thakur	General Manager, Chief Underwriting Officer (Policy-ST)
9	Shri Shivaji Narvekar	General Manager, Chief Marketing Officer and Transparency Officer.
10	Shri Sristiraj Ambastha	General Manager (HRD)
11	Shri Rajiv Manavi	General Manager, Chief Financial Officer upto 30.04.2019
12	Shri Ishnath Jha	General Manager, Chief Financial Officer Since 08.05.2019

13	श्री निर्दोष चोपड़ा	02.05.2019 से मुख्य जोखिम अधिकारी
14	श्रीमती स्मिता वी पंडित	मुख्य अनुपालन अधिकारी
15	सुश्री प्रिसिला सिन्हा	नियुक्त बीमांकिक
16	सुश्री अर्पिता सेन	26.11.2019 से मुख्य निवेश अधिकारी
17	श्री आर के पांडियन	26.11.2019 तक मुख्य निवेश अधिकारी
18	सुश्री योगिता अरोरा	16.04.2019 तक नियुक्त बीमांकिक

(ii) वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को अदा की गयी परिलब्धियां :

(₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वेतन एवं भत्ते	4,60,95.63	3,89,92.41
नियुक्त बीमांकिक	80,03.97	51,92.00

(iv) वर्ष के दौरान सम्बंधित पार्टियों के साथ किये गए संव्यवहार

(क) एन ई आई ए ट्रस्ट

(₹ '000)

क्र सं	समव्यवहारों की प्रकृति	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	2,48,68.09	2,95,01.51
2	अग्रिम रूप में प्राप्त प्रशासनिक प्रभार (आज की तारीख तक शेष)	18,21,36.04	17,10,70.36
3	एन ई आई ए ट्रस्ट को अदा किया गया पुनर्बीमा प्रीमियम (आज की तारीख तक बकाया)	10,40,95.92	4,23,91.41
4	वर्ष के अंत तक बकाया शेष-नामे शेष	3,84,68.97	3,95,03.27
5	प्रदत्त गारंटी शुल्क	4,74,82.00	3,14,54.60

21. आस्थगित कर लेखांकन

वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखा मानक 22 के अनुकरण में आस्थगित कर की गणना की। इसका परिणाम वर्ष के दौरान कुल ₹ 8,76,70.87 हजार (पिछले वर्ष ₹ 2,57,31.23 हजार का जमा) के निवल आस्थगित कर के जमा के रूप में हुआ। वर्ष के अंत तक ₹30,69,52.63 हजार (पिछले वर्ष ₹ 21,92,81.76 हजार) की निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति रही। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा आस्थगित कर देयताओं का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार है :

13	Shri Nirdosh Chopra	Chief Risk Officer Since 02.05.2019
14	Smt. Smita V Pandit	Chief Compliance Officer
15	Ms. Priscilla Sinha	Appointed Actuary
16	Ms. Arpita Sen	Chief Investment Officer Since 26.11.2019
17	Shri R K Pandian	Chief Investment Officer upto 26.11.2019
18	Smt. Yogita Arora	Appointed Actuary upto 16.04.2019

(ii) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year:

(₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Salary and Allowances	4,60,95.63	3,89,92.41
Appointed Actuary	80,03.97	51,92.00

(iv) Transactions during the year with related parties:

(a) NEIA Trust

(₹ '000)

Sr. No.	Nature of Transactions	Current Year	Previous Year
1	Administrative Charges Received for the Year	2,48,68.09	2,95,01.51
2	Administrative Charges received in advance (Balance as on date)	18,21,36.04	17,10,70.36
3	Prepaid Expenses paid to NEIA (Balance as on date)	10,40,95.92	4,23,91.41
4	Outstanding Dues as at year end – Debit Balance	3,84,68.97	3,95,03.27
5	Guarantee Fees paid	4,74,82.00	3,14,54.60

21. DEFERRED TAX ACCOUNTING

During the year the Company has accounted for the Deferred Tax in accordance with the Accounting Standard 22. This has resulted in a Net Deferred Tax Debit during the year amounting to ₹10,59,28.58 thousands (previous year debit ₹8,76,70.87 thousands). The Net Deferred Tax Assets at the end of the year amounts to ₹41,28,81.21 thousands (previous year Deferred Tax Assets ₹30,69,52.63 thousands). The breakup of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities is as under:

(₹ '000)

विवरण	01/04/2019 का आरम्भ शेष	वर्ष के दौरान प्रभारित/जमा	31/03/2020 तक
देयता			
मूल्यहास	3,66,72.27	(1,09,21.55)	2,57,50.72
कुल	3,66,72.27	(1,09,21.55)	2,57,50.72
परिसंपत्तियाँ			
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	15,76,85.28	(3,30,85.42)	12,45,99.86
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	17,23,67.01	12,45,44.69	29,69,11.70
उपदान हेतु प्रावधान	-	62,19.35	62,19.35
पी एल एल आई	70,58.69	(35,47.75)	35,10.94
वेतन के संशोधन (भविष्य निधि व छुट्टी का नकदीकरण)	65,13.92	8,76.16	73,90.08
कुल	34,36,24.90	9,50,07.03	43,86,31.93
आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	30,69,52.63	10,59,28.58	41,28,81.21

22. प्रति शेयर अर्जन की निम्नानुसार गणना की गई :

(₹ '000)

क्र स	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क)	गणक : लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ (₹000)	323,83,97.41	244,38,27.13
ख)	हर : वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या	22,98,63,691.00	18,21,91,781.00
ग)	प्रति शेयर अर्जन : मौलिक (₹)	14.09	13.41
घ)	शेयरों का नाम मात्र मूल्य (₹)	100.00	100.00

कंपनी के पास भविष्य में इक्विटी शेयरों को कम करने की कोई योजना नहीं है। तदनुसार कंपनी के आधारभूत तथा शेयरों को कम करने के उपरांत हुए प्रतिशेयर अर्जन एक समान हैं।

(₹ '000)

Particulars	Opening at 01-04-2019	Charge/ Credit during the year	Closing at 31-03-2020
Liability			
Depreciation	3,66,72.27	(1,09,21.55)	2,57,50.72
Total	3,66,72.27	(1,09,21.55)	2,57,50.72
Assets			
Provision for leave encashment	15,76,85.28	(3,30,85.42)	12,45,99.86
Provision for doubtful debts	17,23,67.01	12,45,44.69	29,69,11.70
Provision for gratuity	-	62,19.35	62,19.35
PLLI	70,58.69	(35,47.75)	35,10.94
Wage Revision (PF& leave encashment)	65,13.92	8,76.16	73,90.08
Total	34,36,24.90	9,50,07.03	43,86,31.93
Deferred Tax Asset/ (Liability)	30,69,52.63	10,59,28.58	41,28,81.21

22. Earnings Per Share is calculated as under:

(₹ '000)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Numerator : Net Profit as per Profit & Loss A/c (₹ '000)	323,83,97.41	244,38,27.13
b)	Denominator: Weighted Average Number of Shares Outstanding during the year	22,98,63,691.00	18,21,91,781.00
c)	Earnings per share: Basic (₹)	14.09	13.41
d)	Nominal Value of Shares (₹)	100.00	100.00

The Company does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

23. आकस्मिक देयताएं

(₹ '000)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	पॉलिसियों के अधीन दावों को छोड़ कर अन्य जिन्हें निगम द्वारा ऋण के रूप नहीं माना गया है	172,82,61.00	208,95,14.00
3.	कंपनी के खिलाफ पॉलि-सी तथा ई सी आई बी दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है व जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	1052,15,10.00	953,71,19.00
4.	कंपनी द्वारा तथा कंपनी की ओर से दी गयी गारंटियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	पूंजीगत प्रतिबद्धता	377,00,00.00	378,98,00.00
6.	आय कर	47,64.75	47,64.75

24. पूंजी दायित्व

कुल बकाया पूंजी दायित्व ₹ 194,36,47.93 हजार (पिछले वर्ष ₹ 127,09,49.00 हजार)

25. आई आर डी ए आई की आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त बीमांकिक द्वारा किये गए बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर ₹ 210,30,00... हजार (पिछले वर्ष ₹ 191,38,00.00 हजार) के प्रीमियम में कमी हेतु प्रारक्षण किये गए हैं।
26. निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) के लिए प्रारक्षित निधि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तथा धारा 198 के अनुसार वर्ष 2014-15 के लिए सी एस आर प्रावधान को अभिकलित किया है। आरंभिक प्रारक्षणों, किए गए भुगतानों तथा अंतिम आरक्षणों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ '000)

विवरण	राशि
व्यय हेतु निर्धारित राशि (क)	5,17,35.09
कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार व्यय हेतु निर्धारित राशि (ख)	7,00,00.00
कुल उपलब्ध राशि (ग = क + ख)	12,17,35.09
वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि (घ)	11,82,01.07
सी एस आर गतिविधियों के अधीन शेष कुछ अव्ययित राशि (च = ग - घ)	35,34.02

23. CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1.	Partly paid up investments	Nil	Nil
2.	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the Company	172,82,61.00	208,95,14.00
3.	Policies and ECIB claims against the Company not acknowledged as debt	1052,15,10.00	953,71,19.00
4.	Guarantees given by or on behalf of the Company	Nil	Nil
5.	Income Tax	377,00,00.00	378,98,00.00
6.	ESI, EPF and Stamp Act.	47,64.75	47,64.75

24. CAPITAL COMMITMENTS

Amount of capital commitments outstanding is ₹194,36,47.93 thousands (previous year ₹127,09,49.00 thousands).

25. Based on the actuarial valuations by the Appointed Actuary, premium deficiency reserve of ₹ 210,30,00.00 thousands (previous year ₹191,38,00.00 thousands) is provided as per IRDAI requirements.

26. RESERVE FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

The Company has computed CSR provision for the year 2019-20 as per section 135 and section 198 of the Companies Act, 2013. The details of opening reserve, payments made and closing reserve is as follows:

(₹ '000)

Particulars	Amount
Amount committed to be spent (A)	5,17,35.09
Amount to be spent as per section 135 of Companies Act, 2013 (B)	7,00,00.00
Total available amount (C=A+B)	12,17,35.09
Amount spent during the year (D)	11,82,01.07
Total unspent amount balance under CSR activities (E=C-D)	35,34.02

27. बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) अधिनियम 2002 के अधीन आवश्यक प्रकटन इसके साथ अनुबंध 1 क व 1 ख के अनुसार संलग्न किए गए हैं।

28. अनुसूचित बैंकों (अनुसूची 11) में अल्पावधि जमाओं में कोर्पोरेशन बैंक के पास गिरवी रखे गए ₹40,00,00.00 हजार शामिल हैं।

29. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (अनुसूची 8) में शामिल निवेशों में :

क) निगम द्वारा अनुषंगी बाज़ार समव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹ 4,99,25 हजार (पिछले वर्ष ₹ 4,99,25 हजार के 7.16% वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 7.16 % वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।

ख) निगम द्वारा समपार्श्विक उधारों तथा उधार देने दायित्वों को पूरा करने के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹ 93,17.00 हजार (पिछले वर्ष ₹93,17.00 हजार के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।

30. निवेश

वर्ष 2018-19 में कम्पनी ने ₹290,58,37.42 हजार के बही मूल्य (₹275,00,00.00 हजार अंकित मूल्य) को अतिरिक्त शोधन क्षमता मार्जिन में से शेयरधारक निधि के लिए अलग वर्गीकृत किया. पैरा 4(f) में उल्लिखित अनुसार अप्रीकन ट्रेड इन्स्युरंस में अंतरित करने के उपरान्त दिनांक 31 मार्च 2020 को अतिरिक्त शोधन क्षमता मार्जिन के रूप में ₹22,38,340.10 हजार बही मूल्य (₹211,01,52.21 हजार अंकित मूल्य) शेष रहा.

31. कर्मचारी लाभ :

(ख) कंपनी में 31.03.2010 तक अथवा उसके पहले भर्ती सभी कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन योजना में शामिल किया गया है। जो कर्मचारी दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात निगम में भर्ती हुए हैं उन्हें परिभाषित अंशदान योजना के अधीन नयी पेंशन योजना (एन पी एस) में शामिल किया गया है।

(ग) कंपनी प्रत्येक कर्मचारी के लिए पेंशन निधि प्रशासक को कर्मचारी के मूल वेतन व महंगाई भत्ते के 10% की अदायगी करती है।

(घ) परिभाषित लाभ पेंशन योजना के पात्र कर्मचारी के मामले में कंपनी अंशदान को पेंशन निधि ट्रस्ट को प्रेषित कर देती है। जो कर्मचारी परिभाषित लाभ पेंशन योजना अथवा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं कंपनी अपना हिस्सा भविष्य निधि ट्रस्ट को प्रेषित करती है।

27. Disclosures as required under the Insurance Regulatory and Development Authority (preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 are enclosed herewith as per Annexure – 1A & 1B.

28. Short Term Deposits with Scheduled banks (Schedule 11) include Fixed Deposits of ₹40,00,00.00 thousands is kept with Bank as collateral security for availing overdraft facility.

29. Investment in Central Government Securities (Schedule 8) includes:

(a) 7.16% 2023 Government of India bonds having book value of ₹4,99,25 thousands (previous year ₹4,99,25 thousands 7.16% 2023 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for secondary market transactions entered into by the Company.

(b) 8.24% 2027 Government of India bonds having book value of ₹93,17 thousands (previous year ₹93,17 thousands 8.24% 2027 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for collateral borrowing and lending obligations by the Company.

30. Investments

In the year 2018-19, Company has segregated ₹290,58,37.42 thousands Book Value (Face Value ₹275,00,00.00 thousands) for Shareholders Fund in excess of solvency margin. After transfer to African Trade Insurance as mentioned in para 4(f), balance in the Shareholders fund in excess of Solvency Margin as on March 31, 2020 is ₹22,38,340.10 thousands Book Value (Face Value ₹211,01,52.21 thousands).

31. EMPLOYEE BENEFITS:

(a) The Defined Benefit Pension Scheme has been extended to include all employees who have joined the Company on or before 31/03/2010. The employees who have joined the Company on or after 01/04/2010 are covered by New Pension Scheme (NPS) under Defined Contribution Scheme.

(b) The Company pays 10% of basic salary & dearness allowance/ personal allowance to a Pension Fund administrator for each eligible employee.

(c) In case of employees who are eligible for Defined Benefit Pension Scheme, the Company remits the contribution to the Pension Fund Trust. For those employees, who are not covered under Defined Benefit Pension Scheme or Defined Contribution Pension Scheme, the Company remits the Company's share to the Provident Fund Trust.

(d) The Guidance note on implementing AS 15 (Revised 2005), issued by ICAI, states that provident funds

- (ड) आई सी ए आई द्वारा जारी ए स 15 (2005 में संशोधित) के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश नोट के अनुसार कर्मचारियों द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जिसमें होने वाली ब्याज में कमी की भरपाई नियोक्ता द्वारा किया जाता है, को परिभाषित लाभ योजना माना जाये।
- (च) भविष्य निधि तथा उसके अर्जनों की आधारभूत निधि, भविष्य निधि पर देय ब्याज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, अतः उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है व लेखे में प्रावधान हेतु कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

(₹ '000)

क्र स	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	तुलन पत्र में स्वीकार किया गया		
	निर्धारित सुविधा दायित्व का वर्तमान मूल्य	49,50,72.55	45,12,51.38
	वर्ष के आरंभ में देयता	45,12,51.38	41,50,84.89
	तुलन पत्र में स्वीकृत अतिरिक्त देयता	(4,38,21.17)	(3,61,66.49)

- (छ) उपदान तथा अधिवर्षिता (पेंशन), जो वित्त पोषित कर्मचारी लाभ योजनाएँ हैं के लिए अवधि के दौरान कर्मचारी लाभ के विवरण निम्नानुसार हैं :

पेंशन

(₹ '000)

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	लाभ दायित्वों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्व	336,34,47.37	314,44,07.54
	ब्याज लागत	26,16,76.21	24,40,06.03
	वर्तमान सेवा लागत	11,42,42.30	10,71,90.84
	अंतरित देयता		
	प्रदत्त लाभ	(51,85,52.90)	(41,39,00.00)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	42,66,99.14	28,17,42.96
	वर्ष के अंत तक अनुमानित लाभ देयताएं	364,75,12.12	336,34,47.37
2	योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन		

set-up by employers, which require interest shortfall to be met by the employer, need to be treated as a defined benefit plan.

- (e) As the corpus of the Provident Fund and earnings thereon are sufficient to meet the requirement of the Interest payable on the Provident fund, no provision for the same and no specific disclosure on account of provision is made in the account.
- (f) The employees of the company are entitled to leave and long service benefits as per the policy of the company. The liability on account of accumulated leave and long service benefits as on last day of the accounting year is recognised at present value of the defined obligation at the balance sheet date based on the actuarial valuation.

(₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	Recognized in the Balance Sheet		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	49,50,72.55	45,12,51.38
	Liability at the beginning of the year	45,12,51.38	41,50,84.89
	Additional Liability recognised in the Balance Sheet	(4,38,21.17)	(3,61,66.49)

- (g) The details of employee benefits under "defined employee benefit plans" for the period on account of gratuity and superannuation which are funded are as under.

Pension

(₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	Change in Benefit Obligations		
	Projected benefit obligations at the beginning of the year	336,34,47.37	314,44,07.54
	Interest Cost	26,16,76.21	24,40,06.03
	Current Service Cost	11,42,42.30	10,71,90.84
	Liability Transferred		
	Benefits paid	(51,85,52.90)	(41,39,00.00)
	Actuarial (Gain) / Loss	42,66,99.14	28,17,42.96
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	364,75,12.12	336,34,47.37

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	वर्ष के आरंभ में अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	303,84,00.00	316,04,11.52
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	23,63,87.52	24,52,47.93
	अंशदान	35,56,13.33	3,32,00.00
	अंतरित परिसंपत्तियाँ	-	-
	प्रदत्त लाभ	(51,85,52.90)	(41,39,00.00)
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	3,38,14.63	1,34,40.55
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	314,56,62.58	303,84,00.00
3	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	364,75,12.12	336,34,47.37
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी देयता	314,56,62.58	303,84,00.00
4	वर्ष के लिए लागत	50,18,49.54	32,50,47.37
	चालू सेवा लागत		
	ब्याज लागत	11,42,42.30	10,71,90.84
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	2,52,88.69	(12,41.90)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	39,28,84.51	26,83,02.41
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	53,24,15.50	37,42,51.35

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
2	Change in Plan Assets		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	303,84,00.00	316,04,11.52
	Expected return on Plan Assets	23,63,87.52	24,52,47.93
	Contributions	35,56,13.33	3,32,00.00
	Assets Transferred in	-	-
	Benefits paid	(51,85,52.90)	(41,39,00.00)
	Actuarial Gain / (Loss)	3,38,14.63	1,34,40.55
	Plan Assets at the end of the year at fair value	314,56,62.58	303,84,00.00
3	Recognized in the Balance Sheet		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	364,75,12.12	336,34,47.37
	Plan Assets at the end of the year at fair value	314,56,62.58	303,84,00.00
	Liability recognised in the Balance Sheet	50,18,49.54	32,50,47.37
4	Cost for the year		
	Current Service Cost	11,42,42.30	10,71,90.84
	Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets)	2,52,88.69	(12,41.90)
	Actuarial (Gain) / Loss	39,28,84.51	26,83,02.41
	Expense recognised in the Revenue account	53,24,15.50	37,42,51.35

उपदान

(₹ '000)

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	लाभ दायित्वों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्व	43,55,74.18	46,00,53.03
	ब्याज लागत	3,39,31.23	3,60,22.15
	चालू सेवा लागत	70,83.93	67,56.16
	पिछली सेवा लागत निहित लाभ	43,55,74.18	46,00,53.03
	प्रदत्त लाभ	(6,11,51.44)	(7,55,23.86)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	2,62,65.86	82,66.70
	वर्ष के अंत तक अनुमानित लाभ दायित्व	44,17,03.76	43,55,74.18
	2	योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन	
वर्ष के आरंभ में अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ		42,04,35.18	28,23,06.47
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन		3,27,51.90	2,21,04.60
अंशदान		2,54,14.65	18,11,48.91
प्रदत्त लाभ		-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि		(6,11,51.44)	(7,55,23.86)
वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ		(38,95.79)	1,03,99.06
3		तुलन पत्र में उल्लिखित	
	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	44,17,03.76	43,55,74.18
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	41,35,54.50	42,04,35.18
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी (देयता)	2,81,49.26	1,51,39.00
4	वर्ष के लिए लागत		
	चालू सेवा लागत	70,83.93	67,56.16
	ब्याज लागत (योजना आस्तियों पर अनुमानित अर्जन सहित)	11,79.33	1,39,17.55
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	3,01,61.65	(21,32.26)
	पिछली सेवा लागत-निहित लाभ	-	-
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	3,84,24.91	1,85,41.35
	श्रेणी	पेंशन	उपदान
	5	अनुमान	
भुनाने पर ब्याज दर		6.81% (7.78%)	6.84% (7.79%)
योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन का अनुमानित दर		6.81% (7.78%)	6.84% (7.79%)

Gratuity

(₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year	
1	Change in Benefit Obligations			
	Projected Benefit Obligations at the beginning of the year	43,55,74.18	46,00,53.03	
	Interest Cost	3,39,31.23	3,60,22.15	
	Current Service Cost	70,83.93	67,56.16	
	Past Service Cost – Vested Benefit			
	Benefits paid	(6,11,51.44)	(7,55,23.86)	
	Actuarial (Gain) / Loss	2,62,65.86	82,66.70	
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	44,17,03.76	43,55,74.18	
	2	Change in Plan Assets		
		Plan Assets at the beginning of the year at fair value	42,04,35.18	28,23,06.47
Expected return on Plan Assets		3,27,51.90	2,21,04.60	
Contributions		2,54,14.65	18,11,48.91	
Assets Transferred In		-	-	
Benefits paid		(6,11,51.44)	(7,55,23.86)	
Actuarial Gain / (Loss)		(38,95.79)	1,03,99.06	
Plan Assets at the end of the year, at fair value		41,35,54.50	42,04,35.18	
3		Recognized in the Balance Sheet		
		Present Value of the Defined Benefit Obligation	44,17,03.76	43,55,74.18
	Plan Assets at the end of the year at fair value	41,35,54.50	42,04,35.18	
	Liability recognised in the Balance Sheet	2,81,49.26	1,51,39.00	
4	Cost for the year			
	Current Service Cost	70,83.93	67,56.16	
	Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets)	11,79.33	1,39,17.55	
	Actuarial (Gain) / Loss	3,01,61.65	(21,32.26)	
	Past Service Cost – Vested Benefit			
	Expense Recognised in the Revenue account	3,84,24.91	1,85,41.35	
	Category	Pension	Gratuity	
5	Assumptions			
	Interest rate for Discounting	6.81% (7.78%)	6.84% (7.79%)	

वेतन संवर्धन	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
कर्मचारी पण्यवर्त की दर	0.50%	0.50%

6	मूल्यांकन की पद्धति	परियोजित इकाई जमा विधि
	योजना आस्तियों पर अनुमानित दर के निर्धारण के लिए उपयोग में लाये गए आधार	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर की गणना परिसंपत्तियों की चालू पोर्टफोलियो, निवेश नीति तथा बाज़ार परिदृश्य के आधार पर की गयी है ताकि पूंजी की सुरक्षा की जाये तथा स्वीकारने योग्य जोखिम मानदंडों के भीतर अधिक से अधिक अर्जन अर्जित किए जा सकें; योजना परिसंपत्तियाँ पूर्ण रूप से विविध-कृत हैं।

32. परिचालन पट्टे

कंपनी के पास विविध स्थानों में कार्यालय परिसर तथा आवास फ्लैटों के परिचालन पट्टे हैं जिन्हें आवधिक आधार पर नवीकृत किया जाता है तथा एक माह से छः माह तक का नोटिस देकर उसे रद्द किया जाता है। किराया वृद्धि शर्तें संविदा दर संविधा पर अलग होती हैं। परिचालन पट्टों के लिए ₹13,92,14.20 हजार (पिछले वर्ष ₹12,79,71.68 हजार) के किराया व्ययों को राजस्व खाते में शामिल किया गया है।

33. एम् एस एम् ई डी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार :

- बकाया राशि ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं)
 - वर्ष भर में किए गए लंबित भुगतान ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं)
 - देय तारीख के पश्चात निपटान किये गए मूलधन देयों पर देय ब्याज ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं)
34. कम्पनी द्वारा, नियमित रूप से अपनाई गयी प्रथा के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रदत्त दावों (अनुसूची 2) की वसूलियों के निवल जैसे कमीशन, बैंक प्रभार आदि को घटा कर शेष राशि, ₹166,43,65.31 हजार (पिछले वर्ष ₹ 150,82,70.98 हजार) को निवल व्यय में दर्शाया गया है।
35. आई आर डी ए आई के परिपत्र सं. 067/IRD/F/CIR/MR-08 दिनांक 28/03/2008 के ज़रिये जारी विनियामक आवश्यकताओं के अधीन अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार हैं :-

(₹ '000)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i	आउटसोर्सिंग व्यय	25,89,16.80	15,27,74.40
ii	कारोबार विकास	1,93,42.18	1,52,98.19
iii	विपणन समर्थन	4,61,43.60	4,99,91.65

Estimated rate of return on Plan Assets	6.81% (7.78%)	6.84% (7.79%)
Salary Escalation	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
Rate of Employee Turnover	0.50%	0.50%

6.	Method of Valuation	Projected Unit Credit Method
	Basis used to determine the expected rate of return on Plan Assets.	The expected rate of return on plan assets is based on the current portfolio of the assets, investment strategy and the market scenario, in order to protect capital and optimize returns within acceptable risk parameters; the Plan Assets are well diversified.

32. OPERATING LEASES

The Company has operating leases for office premises and residential flats at various locations that are renewable on a periodic basis and are cancellable by giving a notice period ranging from one month to six months. Rent escalation clauses vary from contract to contract. Rent expenses included in Revenue Account towards operating leases are ₹13,92,14.20 thousands (previous year ₹12,79,71.68 thousands). As per AS-19 "Leases" amount of minimum future payments for operating leases is ₹35,29,38.59 thousands (previous year ₹62,86,69.64 thousands).

33. As per the provisions of the MSMED Act, 2006:

- Amount Outstanding ₹ NIL (previous year ₹ NIL)
- Delayed Payments made through-out the year ₹ NIL (previous year ₹ NIL)
- Interest payable where principal dues are settled after due date ₹ NIL (previous year ₹ NIL).

34. The recoveries of claims paid in earlier years (Schedule 2) are accounted net of expenses at ₹166,43,65.31 thousands (previous year ₹150,82,70.98 thousands) such as recovery commission, bank charges, etc. incurred on such recoveries as per the practice consistently followed by the Company.

35. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 067/IRDA/F&A/CIR/MAR-08 dt. 28/03/2008 the additional disclosure is given as under:

(₹ '000)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i	Outsourcing Expenses	25,89,16.80	15,27,74.40
ii	Business Development	1,93,42.18	1,52,98.19
iii	Marketing Support	4,61,43.60	4,99,91.65

36. गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात

अनुपातों के संबंध में जानकारी अनुबंध 2 में संलग्न है।

37. निम्न दर्शाये अनुसार धारित तथा पुनर्बीमित जोखिम (हानि अधिकता तथा आपात पुनर्बीमा को छोड़ कर)

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि के लिए प्रीमियम विवरण					
प्रीमियम					
वित्तीय वर्ष	प्रीमियम	प्रतिधारण	%	पुनर्बीमा को सौंपना	%
2019-20	1075,47,39.68	792,28,95.24	73.67%	283,18,44.44	26.33%
2018-19	1247,54,25.98	870,02,07.14	69.74%	377,52,18.84	30.26%

38. आई आर डी ए परिपत्र संख्या आई आर डी ए/एफ एंड आई/परि/सी एम पी/174/11/2010 दिनांक 04.11.2010 के अनुसार पॉलिसी धारकों की अदावित राशि की उम्रवार विश्लेषण दर्शाते हुए अवधिवार अनुबंध 3क एवं 3 ख में दर्शाया गया है।

39. आई आर डी ए के परिपत्र सं 005/आई आर डी ए/एफ एंड ए/परि/मई 09 दिनांक 7.05.2009 के जरिये विनियामक आवश्यकता के अनुसरण में अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है;

क्र सं	प्राधिकारी	गैर अनुपालन / उल्लंघन	₹ 000 में राशि		
			दिया गया दंड	अदा किया गया दंड	दंड से माफी/ कम
1.	बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	सेवाकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	आयकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	अन्य कर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	प्रवर्तन निदेशालय / न्यायनिर्णयन प्राधिकारी / फेमा के अधीन नयायाधिकरण अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	कंपनी अधिनियम 1956 /2013 के अधीन कंपनियों का रजिस्ट्रार/ एन सी एल टी /सी एल बी/कॉर्पोरेट मामलों का विभाग अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

36.RATIOS FOR NON – LIFE COMPANIES

Information in respect of ratios is as per Annexure – 2 attached.

37. Extent of risk retained and reinsured is set out below (excluding excess of loss and catastrophe reinsurance)

Premium Statistics for the Period April 2019 to March 2020					
Premium					
FY	Premium	Retention	%	RI Ceding	%
2019-20	1075,47,39.68	792,28,95.24	73.67%	283,18,44.44	26.33%
2018-19	1247,54,25.98	870,02,07.14	69.74%	377,52,18.84	30.26%

38. Statement showing Age-wise Analysis of un-claimed amount of the policy-holders as per IRDAI Circular no. IRDA/F&I/CIR/CMP/174/11/2010 dated 04/11/2010 and Circular no. IRDA/F&A/CIR/114/05/2015 dated 28/05/2015 is given in Annexure – 3A & 3B.

39. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 005/IRDA/F&A/CIR/MAY-09 dt. 7/05/2009 the additional disclosure is given as under:

Sr. No	Authority	Non-Compliance/ Violation	Amount in ₹ '000		
			Penalty Levied	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority of India	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	GST/Service Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Income Tax Authorities.	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Any other Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	NIL	NIL	NIL	NIL
6.	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956/2013	NIL	NIL	NIL	NIL

7	दावा निपटान सहित किसी मामले में न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया दंड, जिसमें प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8	सिक्वोरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया	कम्पनी सूचीबद्ध इकाई नहीं है अतः लागू नहीं			
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10	कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकारी	57 अस्थायी कर्मियों के सम्बन्ध में *ई पी एफ व एम पी अधिनियम 1952	43,18.04	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		**कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना 1976	1,12,55.47	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		***महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम 1958	4,46.71	कुछ नहीं	कुछ नहीं

नोट

*57 अस्थायी कर्मियों के सम्बन्ध में ईपीएफ व एम पी अधिनियम 1952 दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2017 की अवधि के बीच ईपीएफ अंशदान, ईपीएफ प्रशासनिक/ निरीक्षण प्रभार, ई डी एल आई अंशदान एवं ई डी एल आई प्रशासनिक/ निरीक्षण प्रभार के रूप में जमा पर कुल ₹43,18,042 एवं उस पर लागू ब्याज ₹24,27,917 की क्षतिपूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 6 क एवं 6 ग के साथ पढ़े जाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 38, कर्मचारी पेंशन योजना के 3 एवं कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अधीन सहायक पी एफ कमिश्नर, ई पी एफ ओ द्वारा कम्पनी को दिनांक 10.04.2017 को समन जारी किये गए। कम्पनी, यह उल्लेख करते हुए सहायक पी एफ कमिश्नर, ई पी एफ ओ के समक्ष इस विषय पर अपना विरोध कर रही है कि सम्बंधित विषय पर क्षेत्रीय पी एफ कमिश्नर के आदेशों का पालन करते हुए ई पी एफ ओ में पी एफ का अंशदान किया गया था अतः बिलम्ब पी एफ अंशदान पर ब्याज के भुगतान से उत्पन्न होने वाली देयता, यदि कोई हो तो, लागू दर पर होगी।

**कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (अधिनियम) जुलाई 1989 से अगस्त 2016 तक की अवधि के दौरान अस्थायी कर्मियों के सम्बन्ध में ए पी एफ सी, ईपी एफओ ने ईपीएफ अंशदान, ईपीएफ प्रशासनिक /निरीक्षण प्रभार, ई डी एल आई अंशदान

7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	NIL	NIL	NIL	NIL
8	Securities and Exchange Board of India	Not Applicable as the Company is not a Listed Entity			
9	Competition Commission of India	NIL	NIL	NIL	NIL
10	Any other Central/ State/Local Government / Statutory Authority	*EPF & MP Act, 1952 in respect of 57 casual workers.	43,18.04	NIL	NIL
		**Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, and Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976.	1,12,55.47	NIL	NIL
		***The Maharashtra Stamp Act, 1958	4,46.71	NIL	NIL

Note:-

* EPF & MP Act, 1952 in respect of 57 casual workers - A Summon dated 10.04.2017 was issued to the Company by the Asst. PF Commissioner, EPFO u/s.6, 6A and 6C of the Act read along with Para 38 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952, 3 of Employees' Pension Scheme 1995 and 8(1) of Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976 for payment of damages of ₹ 43,18,042 and interest of ₹ 24,27,917 for the period from 01.04.2016 to 31.03.2017 towards EPF Contribution, EPF Administration/Inspection Charges, EDLI Contribution and EDLI Administration/Inspection Charges. The Company is contesting the matter before the Asst. PF Commissioner since PF contribution to EPFO was made by the Company while following the orders of Regional PF Commissioner, hence the liability, if any in the matter would be on account of payment of interest on delayed PF Contribution, at the applicable rate.

**Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (Act) - APFC, EPFO has issued 3 notices dated 12.03.2019 under Section 6, 6A and 6C of the Act read with Para 38 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, 3 of Employees' Pension

एवं ई डी एल आई प्रशासनिक/निरीक्षण प्रभार के रूप में जमा कुल ₹ 1,12,55,467 एवं ₹1,03,28,895 ब्याज की क्षतिपूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 6 क एवं 6 ग के साथ पढ़े जाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 38, कर्मचारी पेंशन योजना के 3 एवं कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अधीन दिनांक 12.03.2019 को 3 ई पी एफ ओ द्वारा नोटिस जारी किये गए। सुनवाई दिनांक 07.06.2019 को पूरी हुई जबकि आदेश को आरक्षित रखा गया। ईसीजीसी लिमिटेड को अभी तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

***महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम 1958: संविदाकार, मेसर्स यूनिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ किये गए विनिर्माण संविदा समझौते पर देय ₹ 7, 20,500 स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान न किये जाने पर ₹4,46,710 के दंड की अदायगी के लिए दिनांक 06.01.2015 को पत्र जारी किया गया।

40. आय तथा व्यय का आबंटन

निवेश व्ययों को, पॉलिसीधारक निधियों तथा शेयरधारक निधियों के आरंभ शेषों के आधार पर राजस्व खाते तथा लाभ व हानि खाते में नियमित रूप से अपनाई गयी प्रथा के अनुसार आरंभिक शेषों के आधार पर आबंटन किया गया। यह आई आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र सं आई आर डी ए/एफ एंड आई/सी आई आर/एफ एंड ए/231/10/2012 दिनांक 5 अक्टूबर 2012 तथा वित्त वर्ष 2013-14 से प्रभावी शुद्धिपत्र सं आई आर डी ए/एफ एंड आई/सी आई आर/एफ ए/ 26/07/2013 दिनांक 3 जुलाई 2013 के जरिये आई आर डी ए द्वारा निर्धारित प्रकटन मानदंड के अनुरूप है।

41. अनुबंध 4 में उल्लिखित मामलों को पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/वर्गीकृत किया गया

Scheme 1995 and 8(1) of Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 for the period July 1989 to August 2016 in respect of Casual Workers towards EPF Contributions, EPF Administration/ Inspection Charges, EDLI Contributions and EDLI Administration/ Inspection charges totalling to damages of ₹1,12,55,467 and Interest of ₹1,03,28,895. The hearing was concluded on 07.06.2019 while reserving the order. The order is yet to be received by ECGC Ltd.

***The Maharashtra Stamp Act, 1958: Stamp Office, Mumbai, Maharashtra State, vide its letter dated 06/01/2015, had imposed a penalty of ₹4,46,710 for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500 payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, M/s. Unity Infraprojects Limited on 07/04/2012.

The Company has represented the case on 22/01/2015 to The Dy. Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision. The matter is pending for hearing.

40.ALLOCATION OF INCOME AND EXPENSES

Investment expenses are allocated pro-rata between the Revenue Account and the Profit & Loss Account on the basis of opening balances of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund which practice has been followed consistently. This is in line with the disclosure norm set by IRDAI by its master circular No IRDA/F&I/ CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October, 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

41. The figures for the previous period / year have been re-grouped/re-classified wherever necessary to make them comparable with the current period's/year's figures.

(एम्. सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(M. SENTHILNATHAN)
Chairman-cum-Managing Director
DIN - 07376766

(डेविड रस्कीना)
निदेशक
(DAVID RASQUINHA)
Director
DIN - 01172654

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
(SUNIL JOSHI)
Executive Director
DIN - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(NIRDOSH CHOPRA)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कम्पनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार /As per our report of even date:

कृते ए बी एम एंड एसोसिएट्स एल एल पी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 105016W/W-100015
For abm & associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 109176W
For SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

(अनिल चिकोडी)
भागीदार-M.No. 107659
कोल्हापुर
(ANIL CHIKODI)
Partner - M.No. 107659
Kolhapur

(संजय कपाडिया)
भागीदार-M.No. 38292
(SANJAY KAPADIA)
Partner - M.No. 38292

स्थान : मुंबई
दिनांक : 21 अगस्त 2020
Place : Mumbai
Dated : 21st August, 2020

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 /CIN: U74999MH1957GOI010918

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 में अनुबंध - 1 (क) / Annexure - 1 (a) to Schedule 17

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1	निगम की परिसंपत्तियों की परिलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं The details of encumbrances to the assets of the Corporation are as under		
	क) भारत में a) In India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	भारत के बाहर Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
2	बकाया दायित्व (प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार) Commitments Outstanding (as per the data provided by the management)		
	क) ऋणों व निवेशों के लिए की गई व बकाया प्रतिबद्धता a) Commitments made and outstanding for loans and investments	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	ख) अचल परिसंपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धता (अग्रिमों सहित) b) Commitments made for Fixed Assets (Net of advances)	194,36,48.00	127,09,49.00
3	दावेदारों को अदा किए गए दावे, पुनर्बीमा को घटाकर Claims, less reinsurance, paid to claimants		
	क) भारत में a) In India	290,32,07.93	720,60,03.58
	भारत के बाहर Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
4	दावा देयता, जहां दावे की अवधि चार वर्षों से अधिक है Claim liabilities where claim payment period exceeds four years	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
5	छः महीनों से अधिक से बकाया दावे (सकल - भारतीय) Claims outstanding for more than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या / Number of Claims	332	129
	राशि / Amount	1804,68,57.76	1306,89,77.88
	छः महीनों से कम से बकाया दावे सकल - भारतीय) Claims outstanding for less than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या / Number of Claims	479	467
	राशि / Amount	763,23,54.07	1944,46,32.12
	कुल बकाया दावों की संख्या (सकल - भारतीय) Total Number of Claims outstanding (Gross- Indian)	811	596
राशि / Amount	2567,92,11.83	3251,36,10.00	
6	कारोबार से प्राप्त प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर Premiums, less reinsurance, written from business		
	भारत में In India	792,28,95.24	870,02,07.14
	भारत के बाहर Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
7	घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय के रूप में स्वीकार किया गया है। शुद्ध प्रीमियम आय के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है Premium is recognised as Income as per the declared accounting policy. A reserve for un-expired risks is created at 50% of net premium.	396,14,47.62	435,01,03.57
8	निवेशों के संबंध में निविदा के विवरण, Details of contracts in relation to investments for,		
	क) खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित है a) Purchase where deliveries are pending	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	ख) बिक्री जहाँ भुगतान देय हो b) Sales where payments are due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
9	ऋण बीमा कारोबार संबंधी सम्पूर्ण परिचालन व्यय The entire operating expenses pertain to credit insurance business.		
10	घोषित लेखा नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है Investments are valued in accordance with the declared accounting policy.		
11	सीमांत पारिश्रमिक की गणना: सरकारी कंपनी होने के कारण निगम को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 462 के अंतर्गत जी एस आर 463 के जरिए इससे छूट प्रदान की गई है Computation of Managerial Remuneration: The Company is exempted vide notification: GSR 463 u/s 462 of the Companies Act, 2013, being a Government Company.		
12	निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए ऋण प्रतिभूति परिशोधन Basis of amortisation of debt securities	महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की बिन्दु सं. 4.6 का सदर्थ लेँ Refer Point no. 4.6 of Significant Accounting Policy	महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की बिन्दु सं. 4.6 का सदर्थ लेँ Refer Point no. 4.6 of Significant Accounting Policy
	के आधार पर निवेशों के मूल्यों में कमी का प्रावधान Provision for diminution in the value of the investments	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
13	क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में हुए परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ व हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में डाला गया है a) Unrealised gains and losses due to changes in fair value of listed equity shares under Fair value change a/c	(98,05,36.12)	333,71,71.35
	ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है b) Pending realisation, credit balance in Fair value change a/c not available for distribution.	-	333,71,71.35
14	निगम ने 'रीयल स्टेट निवेश संपत्ति' में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है The Corporation does not have investment in 'Real Estate Investment Property.'		
15 क) a)	तुलन पत्र की तारीख तक अदा किए गए व छः महीने से अधिक के लिए लंबित दावे निम्नानुसार हैं Claims settled and remaining unpaid for a period more than six months as on balance sheet date are as under		

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
	दावों की संख्या / Number of Claims	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	राशि / Amount	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
ख) b)	वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अलग से प्रकट की गई हैं All Significant accounting policies forming part of the financial statements are disclosed separately.		
ग) c) 1	वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए जमा निम्नानुसार हैं Deposits made in accordance with statutory requirements are as under		
	क) भारत में - बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन (अंकित मूल्य 1000.00 लाख) a) In India- under Section 7 of the Insurance Act 1938 (Face Value 1000.00 lacs)	लागू नहीं N.A	लागू नहीं N.A
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	लागू नहीं N.A	लागू नहीं N.A
2	निवेशों का अर्जक निवेश व अनर्जक निवेशों में वर्गीकरण निम्नानुसार है Segregation of Investments into performing and non-performing investments is as under		
	अर्जक (मानक) निवेश Performing(Standard) Investments	11999,88,46.65	10561,05,42.14
	अनर्जक निवेश Non Performing Investments	110,00,00.00	110,00,00.00
	कुल अंकित मूल्य(अंतिम मूल्य) Total Book Value(Closing Value)	12109,88,46.65	10671,05,42.14
3	क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत Percentage of business sectorwise		
	जैसा कि निगम केवल निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करता है, अलग से क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है As the corporation caters to exporters only, no such sectors are specifically identifiable.		
4	5 वर्षों के वित्तीय विवरण की समीक्षा संलग्न है। A summary of financial statements for 5 years is enclosed.	अनुबंध 1ख के अनुसार As per Annexure 1b	अनुबंध 1ख के अनुसार As per Annexure 1b

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)	वृद्धि % Growth %
5	विभिन्न वित्तीय अनुपात (प्रबंधन के समेकन के अनुसार) (प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट अनुपात न होने पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों का उल्लेख किया गया है) (वर्ष के अंत तक अथवा जब तक उल्लेख नहीं किया गया हो) Various Financial Ratios (as compiled by the management) (in the absence of specific ratios prescribed by the authority, some of the important ratios are given.) (Year-end unless otherwise stated)			
	सकल प्रीमियम / Gross Premium	1075,47,39.68	1247,54,25.98	-13.79
	शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	792,28,95.24	870,02,07.14	-8.93
	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%) (शुद्ध प्रीमियम/सकल प्रीमियम) Net Retention Ratio (%) (Net Premium/Gross Premium)	73.67	69.74	5.64
	शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%) Profit before Tax to Share Capital (%)	16.00	15.72	1.79
	शुद्ध संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%) Profit before Tax to Networth (%)	7.67	7.04	8.95
	शुद्ध संपत्ति पर कर पश्चात लाभ (%) Profit after Tax to Networth (%)	6.21	5.48	13.32
	सकल प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय (%) Expenses of Management to Gross Premium (%)	27.22	21.16	28.64
	कुल रोजगार पर पी बी डी आई टी PBDIT to Total Employment	70,85.90	52,61.06	34.69
	शुद्ध प्रीमियम पर तकनीकी प्रारक्षण Technical Reserves to Net Premium			
	असमाप्त जोखिम प्रारक्षण / Unexpired Risks Reserve	396,14,47.62	435,01,03.57	-8.93%
	बकाया दावे / Outstanding Claims	6674,15,73.27	5877,71,65.59	13.55%
	प्रीमियम में कमी / Premium Deficiency	210,30,00.00	191,38,00.00	9.89%
	कुल तकनीकी प्रारक्षण / Total Technical Reserves	7280,60,20.89	6504,10,69.16	11.94%
	शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	792,28,95.24	870,02,07.14	-8.93%
	अनुपात / Ratio	9.19	7.48	22.92

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 /CIN: U74999MH1957GOI010918

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 में अनुबंध - 1 (ख) / Annexure - 1 (b) to Schedule 17

क्र.सं. Sr.No	विवरण Particular	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
	परिचालन परिणाम OPERATING RESULTS					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	1075,47,39.68	1247,54,25.98	1240,41,70.70	1267,62,48.71	1320,72,97.15
2	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	792,28,95.24	870,02,07.14	838,82,48.95	839,64,91.37	903,49,64.18
3	निवेशों से आय (शुद्ध) Income from Investments (Net)	507,97,46.56	484,33,90.96	421,18,52.23	377,94,12.18	352,13,64.65
4	अन्य आय (शुल्क और प्राप्ति) Other Income(Fee & Other Receipts)	2,24,58.39	2,34,38.90	3,85,05.23	2,48,01.65	4,33,22.99
5	कुल आय / Total Income	1302,51,00.19	1356,70,37.00	1263,86,06.41	1220,07,05.20	1259,96,51.82
6	कमीशन (शुद्ध) (ब्रोकरेज सहित) Commission (Net) (Including Brokerage)	(37,15,68.81)	(51,56,04.98)	(58,09,97.22)	(70,04,80.73)	(67,71,01.89)
7	परिचालन व्यय Operating Expenses	314,08,13.26	265,94,06.60	192,78,45.75	195,49,31.98	185,56,64.81
8	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claim	958,62,03.99	1141,16,19.58	1138,58,81.99	1056,65,01.81	1000,62,50.19
9	असमाप्त जोखिम प्रारक्षित निधि में परिवर्तन / Change in Unexpired Risk Reserve	38,86,55.95	(15,59,79.10)	41,21.21	31,92,36.41	(34,75,83.63)
10	परिचालन लाभ / (हानि) Operating Profit / (Loss)	86,91,07.70	(42,76,63.30)	(130,05,02.90)	138,09,89.14	106,72,55.08
	गैर परिचालन परिणाम NON OPERATING RESULTS					
11	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय / Total Income under Shareholders' account	313,10,81.51	357,15,43.20	253,46,72.77	269,39,52.70	280,63,42.87
12	कर पूर्व लाभ / (हानि) Profit / (Loss) before tax	400,01,89.21	314,38,79.90	123,41,69.87	407,49,41.84	387,35,97.95
13	कर के लिए प्रावधान Provision for tax	76,17,91.80	70,00,52.77	55,49,97.61	125,35,00.55	111,13,31.25

क्र.सं. Sr.No	विवरण Particular	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
14	कर पश्चात लाभ/ (हानि) Profit / (Loss) after tax	323,83,97.41	244,38,27.13	67,91,72.26	282,14,41.29	276,22,66.70
	विविध MISCELLANEOUS					
15	पॉलिसीधारक खाता Policyholders' Account*	7644,96,74.89	6923,69,85.54	6289,14,37.20	5640,60,00.59	5150,48,47.08
	कुल निधियाँ/Total Funds	7144,83,19.52	6722,76,41.55	5458,50,54.42	4996,80,82.41	4294,57,16.75
	कुल निवेश # Total Investments #	8.76	8.76	9.08	8.50	8.40
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments					
16	शेयरधारक का खाता* Shareholders Account*	5312,60,45.26	4066,29,91.51	3854,63,64.73	3760,40,00.39	3579,15,03.91
	कुल निधियाँ/Total Funds	4965,05,27.13	3948,29,00.59	3345,53,55.94	3331,20,54.94	2984,36,33.68
	कुल निवेश # Total Investments #	8.76	8.76	9.08	8.50	8.40
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments					
17	प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital	2500,00,00.00	2000,00,00.00	1500,00,00.00	1450,00,00.00	1300,00,00.00
18	निवल मालियत / Net Worth	5214,91,80.31	4463,41,14.66	3737,11,20.47	3619,19,48.21	3279,34,83.97
19	कुल परिसंपत्तियाँ Total Assets	13422,97,91.57	11840,49,31.53	10447,07,12.65	9775,15,06.80	8899,09,10.64
20	कुल निवेशों पर प्रतिफल Yield on Total Investments	8.29	8.76	9.08	8.50	8.40
21	प्रति शेयर आय (₹) Earnings Per Share (Rs.)	14.09	13.41	4.98	20.90	22.15
22	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹) Book Value per share (Rs.)	2,08.60	2,23.17	2,70.50	2,70.45	2,59.51
23	कुल लाभांश Total Dividend	-	60,00,00.00	15,00,00.00	72,50,00.00	65,00,00.00
24	प्रति शेयर लाभांश (₹) Dividend per share(Rs.)	-	3.00	1.00	5.00	5.00

* ऊपर दर्शाई गई कुल निधियों व कुल निवेश वर्ष के अंत के हैं। पॉलिसी धारक व शेयर धारक शीर्षों के अधीन वर्ष के आरंभ में उपलब्ध कुल के अनुपात में, निधियों व निवेशों को पॉलिसीधारकों व शेयरधारकों के खातों में विभक्त किया गया है।

* Total funds & total investments shown above are as of year end. Funds & investments has been divided into Policyholders(PH) & shareholders(SH) accounts in the ratio of total funds available at the start of year under PH & SH account.

अनुसूची 11 - नकद व बैंक शेषों के अंतर्गत निवेशों में सावधि जमाएँ शामिल हैं।

Investments includes Fixed deposits under Sch 11 - Cash & Bank Balances.

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि को विश्लेषक अनुपात Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2020

अनुसूची 17 का संलग्न 2 / Annexure 2 to Schedule 17

क्र.सं Sr. No	विवरण Particular	31 मार्च 2020 31 March 2020	31 मार्च 2019 31 March 2019
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर /Gross Direct Premium Growth Rate		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम /Gross Direct Premium	1075,47,39.68	1247,54,25.98
	वृद्धि /Growth	-13.79%	0.57%
2	निवल मालियत के अनुपात में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (गुना) Gross Direct Premium to Net Worth Ratio (Times)		
	कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम /Total Gross Direct Premium	1075,47,39.68	1247,54,25.98
	निवल मालियत (समापन) /Net Worth (Closing)	5214,91,80.31	4463,41,14.66
	अनुपात (गुना) /Ratio (times)	0.21	0.28
3	निवल मालियत की वृद्धि दर /Growth Rate of Net Worth		
	निवल मालियत (प्रारंभिक) /Net Worth (Opening)	4463,41,14.66	3737,11,20.47
	निवल मालियत (समापन) /Net Worth (Closing)	5214,91,80.31	4463,41,14.66
	निवल मालियत की वृद्धि दर /Growth rate of Net Worth	16.84%	19.43%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात /Net Retention Ratio		
	शुद्ध प्रीमियम /Net Premium	792,28,95.24	870,02,07.14
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर /Gross Direct Premium	1075,47,39.68	1247,54,25.98
	निवल प्रतिधारण अनुपात /Net Retention Ratio	73.67%	69.74%
5	शुद्ध कमीशन अनुपात /Net Commission Ratio		
	शुद्ध कमीशन /Net Commission	(37,15,68.81)	(51,56,04.98)
	शुद्ध प्रीमियम /Net Premium	792,28,95.24	870,02,07.14
	अनुपात /Ratio	-4.69%	-5.93%
6	प्रबंधन व्यय की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय /Expenses of Management	292,75,41.86	263,99,38.68
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम /Gross Direct Premium	1075,47,39.68	1247,54,25.98
	अनुपात /Ratio	27.22%	21.16%
7	प्रबंधन व्यय की तुलना में शुद्ध प्राप्त प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Net Written Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय /Expenses of Management	292,75,41.86	263,99,38.68
	शुद्ध प्राप्त प्रीमियम /Net Written Premium	792,28,95.24	870,02,07.14
	अनुपात /Ratio	36.95%	30.34%
8	शुद्ध अर्जित प्रीमियम की तुलना में शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims to Net Earned Premium		
	शुद्ध उपगत दावे /Net Incurred Claims	958,62,03.99	1141,16,19.58
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम /Net Earned Premium	831,15,51.19	854,42,28.04
	अनुपात /Ratio	115.34%	133.56%

क्रसं Sr. No	विवरण Particular	31 मार्च 2020 31 March 2020	31 मार्च 2019 31 March 2019
9	सम्मिलित अनुपात /Combined ratio		
	शुद्ध उपगत दावे /Net Incurred Claims	958,62,03.99	1141,16,19.58
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम /Net Earned Premium	831,15,51.19	854,42,28.04
	अनुपात (क) /Ratio (a)	115.34%	133.56%
	प्रबंधन व्यय / Expenses of management	246,20,63.07	205,35,17.96
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम /Net Written Premium	792,28,95.24	870,02,07.14
	अनुपात (ख) /Ratio (b)	31.08%	23.60%
	सम्मिलित अनुपात (क + ख) / Combined Ratio (a + b)	146.41%	157.16%
10	तकनीकी आरक्षित निधियों की तुलना में शुद्ध प्रीमियम अनुपात (गुना) Technical Reserves to Net Premium Ratio (Times)		
	बकाया दावों के लिए आरक्षित निधि /Reserve for Outstanding Claims	6674,15,73.27	5877,71,65.59
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि /Reserve For Un-expired Risks	396,14,47.62	435,01,03.57
	प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षित निधि /Reserve for Premium Deficiency	210,30,00.00	191,38,00.00
	कुल /Total	7280,60,20.89	6504,10,69.16
	शुद्ध प्रीमियम/ Net Premium	792,28,95.24	870,02,07.14
	अनुपात (गुना) /Ratio (Times)	9.19	7.48
11	बीमांकन शेष अनुपात /Underwriting Balance Ratio		
	बीमांकन लाभ /Underwriting Profit	(432,58,80.76)	(538,18,29.32)
	शुद्ध प्रीमियम /Net Premium	831,15,51.19	854,42,28.04
	अनुपात /Ratio	-52.05%	-62.99%
12	परिचालन लाभ अनुपात /Operating Profit Ratio		
	बीमांकन लाभ /Underwriting Profit	(432,58,80.76)	(538,18,29.32)
	निवेश आय /Investment Income	517,25,30.07	493,07,27.12
	राजस्व खाते में अन्य आय /Other Income in Revenue account	2,24,58.39	2,34,38.90
	परिचालन लाभ /Operating Profit	86,91,07.70	(42,76,63.30)
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम /Net Earned Premium	831,15,51.19	854,42,28.04
	अनुपात /Ratio	10.46%	-5.01%
13	देयता की तुलना में चल परिसंपत्तियाँ : (बीमाकृत की चल परिसंपत्तियाँ भागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) (गुना) / Liquid assets to liabilities ratio: (Liquid assets of the insurer divided by the policy holders' liabilities) (Times)		
	चल परिसंपत्तियाँ /Liquid Assets	2859,23,17.34	1701,26,77.40
	पॉलिसी धारकों की देयताएँ /Policy Holder Liabilities	7280,60,20.89	6504,10,69.16
	अनुपात (गुना) /Ratio (Times)	0.39	0.26
14	शुद्ध अर्जन अनुपात /Net earnings ratio		
	कर पश्चात लाभ /Profit After Tax	323,83,97.41	244,38,27.13
	शुद्ध प्रीमियम /Net Premium	792,28,95.24	870,02,07.14
	अनुपात /Ratio	40.87%	28.09%
15	शुद्ध मालियत पर प्राप्ति /Return on net worth		
	कर पश्चात लाभ /Profit After Tax	323,83,97.41	244,38,27.13
	निवल मालियत /Net Worth	5214,91,80.31	4463,41,14.66
	अनुपात /Ratio	6.21%	5.48%

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particular	31 मार्च 2020 31 March 2020	31 मार्च 2019 31 March 2019
16	आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता (गुना) Available Solvency to Required Solvency margin Ratio (Times)		
	उपलब्ध शोधन क्षमता /Available Solency Margin	4865,08,85.63	3929,70,51.64
	आवश्यक शोधन क्षमता /Required Solvency Margin	323,83,70.70	377,78,26.05
	अनुपात(गुना) /Ratio (Times)	15.02	10.40
17	अनर्जक खाता अनुपात /NPA Ratio		
	निवेश: /Investment:	0.907%	1.031%
	फ़ैक्टरिंग /Factoring	84.89%	100%*

वर्तमान एवं पिछले वर्ष के अनुपातों की गणना आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र IRD/FI/CIR/F/231/10/2012 दिनांक 5 अक्टूबर 2012 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावी, 3 जुलाई को जारी उसके उसके शुद्धि पत्र IRD/F/CIR/F/126/07/2013 के आधार पर की गयी है।

Ratios for the Current Year & Previous Year calculated as per IRDA's Master circular IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

(**एम. सेंथिलनाथन**)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(M. SENTHILNATHAN)
Chairman-cum-Managing Director
DIN - 07376766

(**डेविड रस्कीना**)
निदेशक
(DAVID RASQUINHA)
Director
DIN - 01172654

(**सुनील जोशी**)
कार्यपालक निदेशक
(SUNIL JOSHI)
Executive Director
DIN - 08778530

(**निर्दोष चोपड़ा**)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(NIRDOSH CHOPRA)
Chief Financial Officer

(**स्मिता पंडित**)
कम्पनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार /As per our report of even date

कृते ए बी एम एंड एसोसिएट्स एल एल पी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 105016W/W-100015
For abm & associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 109176W
For SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

(**अनिल चिकोडी**)
भागीदार-M.No. 107659
कोल्हापुर
(ANIL CHIKODI)
Partner - M.No. 107659
Kolhapur

(**संजय कपाडिया**)
भागीदार-M.No. 38292
(SANJAY KAPADIA)
Partner - M.No. 38292

स्थान : मुंबई
दिनांक : 21 अगस्त 2020
Place : Mumbai
Dated : 21st August, 2020

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31.03.2020 तक पॉलिसीधारकों द्वारा दावा न की गई राशि Due to Insured - Unclaimed as on 31st March, 2020

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 क / Annexure 3(A) to Schedule 17
राशि ₹ '000 में / Amount in ₹ '000

क्रं सं Sr. No	विवरण Particulars	कुल राशि Total Amount	1-6 माह 1-6 months	7-12 माह 7-12 months	13-18 माह 13-18 months	19-24 माह 19-24 months	25-30 माह 25-30 months	31-36 माह 31-36 months	36 माह से अधिक Beyond 36 Months
1	दावों का निपटान किया गया परंतु बीमा/पॉलिसीधारकों की ओर से मुकदमेबाजी को छोड़कर किन्हीं कारणों की वजह से दावों का भुगतान पॉलिसीधारकों/बीमाधारकों को नहीं किया गया। Claims settled but not paid to the policyholders / insureds due to any reasons except under litigation from the insured / policyholders	-	-	-	-	-	-	-	-
2	परिपक्वता पर या अन्य कारण से बीमा/पॉलिसीधारकों को देय राशि Sum due to the insured / policyholders on maturity or otherwise	-	-	-	-	-	-	-	-
3	प्रीमियम/कर अथवा कोई अन्य अतिरिक्त वसूली शुल्क जो पॉलिसी की शर्तों अथवा कानून अथवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पॉलिसीधारकों को वापस लौटाना है, परंतु अभी तक लौटाया नहीं गया है / Any excess collection of the premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholders either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	94,66.48	74.62	32,07.56	1,28.84	7,09.58	21.37	45.18	52,79.33
4	चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारक/बीमाधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं। / Cheques issued but not encashed by the policyholder/ insured	56,72.35	83.21	2,98.53	15,96.12	3,97.02	4.04	1,92.51	31,00.92
	Total	1,51,38.83	1,57.83	35,06.09	17,24.96	11,06.60	25.41	2,37.69	83,80.25

नोट: उपरोक्त मद संख्या 4 के अधीन चेक जारी किए गए हैं परंतु उन्हें भुनाया नहीं गया है, जिसमें केवल वैधता समाप्त जारी चेकों की राशि शामिल है। अन्य जारी किए गए लेकिन नैर समाशोधित चेकों के संबंध में, प्रबंधन की राय है कि पॉलिसीधारक चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने के लिए कानूनी रूप से पात्र है। तदनुसार ऐसे चेक की राशि को दावा न की गई राशि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
Note : Cheques issued but not encashed under point no 4 above includes only the amount on account of cheques issued whose validity has expired. In respect of other cheques issued but not cleared, the management is of the opinion that the policyholder is legally entitled to encash the cheque anytime till the validity of cheque. Accordingly the amount of such cheques need not be classified as unclaimed.

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2020 तक दावा न की गई राशि एवं उस पर निवेश आय का विवरण Details of Unclaimed Amounts and Investment Income thereon as on 31st March, 2020

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 (ख) / Annexure 3(B) to Schedule 17

राशि ₹ '000 में/ Amount in ₹ '000

विवरण Particular	31 मार्च 2020 तक As on 31-March-2020	31 मार्च 2019 तक As on 31- March-2019
आरंभिक शेष Opening Balance	1,66,34.60	1,59,83.04
जोड़े: वर्ष के दौरान अंतरित अदावित राशि Add: Amount transferred to Unclaimed Amount during the year	44,31.79	14,09.83
जोड़े: अदावित राशि के चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं (केवल गतावधि चेक शामिल किए जाने हैं) Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)	2,12.49	16,87.17
जोड़े: निवेश आय Add: Investment Income	6,80.64	8,11.66
घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि Less: Amount paid during the year	36,34.63	32,57.10
अदावित राशि का अंतिम शेष Closing Balance of Unclaimed Amount	1,83,24.89	1,66,34.60

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाता / (नकद प्रवाह विवरण)
Receipts & Payments Account / (Cash Flow Statement) for the year ended 31st March, 2020
 (₹ '000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	2019-20	2018-19
क A	परिचालन गतिविधि से नकदीप्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY		
1	अग्रिम रसीदों सहित पॉलिसीधारक से प्राप्त प्रीमियम Premium received from policyholder including advance receipts	1166,68,09.01	1291,09,27.54
2	अन्य रसीदें / वसूली / शुल्क / Other Receipts / Recoveries / Fees	141,32,09.10	132,26,61.48
3	कमीशन और दावों के शुद्ध पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान Payments to reinsurers net of commission and claims	(43,10,78.85)	(41,02,62.61)
4	दावों का भुगतान / Payments of Claims	(409,06,38.16)	(1013,30,71.71)
5	आयोग और ब्रोकरेज के भुगतान Payments of Commission & Brokerage	(5,57,16.18)	(4,06,71.04)
6	अन्य परिचालन खर्चों का भुगतान Payments of Other operating expenses	(262,44,17.91)	(193,34,10.79)
7	जमा, अग्रिम और कर्मचारी ऋण Deposits, Advances & Staff Loan	(91,20,24.91)	(12,42,88.84)
8	आयकर अदा (नेट) / Income Tax Paid (Net)	(156,64,37.80)	542,60,86.32
9	जीएसटी का भुगतान किया गया/ GST Paid	(2,20,54.64)	(2,64,24.10)
10	अन्य भुगतान / संग्रह (शुद्ध) / Other Payments/Collection (net)	(19,90,41.52)	(10,77,15.22)
	अतिरिक्त साधारण वस्तुओं से पहले नकदी प्रवाह Cash Flow before extra ordinary items	317,86,08.14	688,38,31.03
11	अतिरिक्त साधारण संचालन से नकदी प्रवाह Cash Flow from extra ordinary operations	-	-
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क) Net Cash Flow from Operating Activities (A)	317,86,08.14	688,38,31.03
ख B	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
1	अचल सम्पत्तियों को जोड़ना (प्रगति में पूंजीकार्य सहित) Addition to Fixed Assets (including capital work in progress)	(38,89,88.49)	(44,68,01.95)
2	अचल सम्पत्तियों की बिक्री से आय Proceeds from Sale of Fixed Assets	5,03.72	1,43.56
3	निवेश की खरीद और बिक्री की शुद्धराशि Net of Purchase and Sale of Investments	(1371,75,62.53)	(1693,55,48.49)
4	किराया / ब्याज / लाभांश प्राप्त हुआ Rent / Interest / Dividends Received	794,00,04.32	716,04,57.51
5	मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में निवेश Investments in money market instruments and in liquid mutual funds	-	-
6	निवेश से संबंधित खर्च Expenses related to investments	(84,47.83)	(96,82.82)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख) Net Cash Flow from Investing Activities (B)	(617,44,90.81)	(1023,14,32.19)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	2019-20	2018-19
ग C	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
1	शेयर पूँजी जारी करने की कार्यवाही Proceeds from issuance of share capital (Includes Advance Received for Share Capital)	800,00,00.00	500,00,00.00
2	ब्याज / लाभांश का भुगतान / Interest / Dividend paid	(60,00,00.00)	(15,00,00.00)
3	लाभांश वितरण कर / Dividend Distribution Tax	(12,33,31.76)	(3,08,32.94)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग) Net Cash Flow from Financing Activities (C)	727,66,68.24	481,91,67.06
घ D	नकद और नकद समकक्ष, शुद्ध पर विदेशी मुद्रादरों का प्रभाव Effect of foreign exchange rates on Cash and Cash equivalents, net	(2,12.39)	(2,27.60)
	शुद्ध नकदी प्रवाह (क + ख + ग + घ) Net Cash Flow (A+B+C+D)	428,05,73.18	147,13,38.30
च E	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि: Net increase in Cash and Cash equivalents:		
1	-- साल की शुरुआत में -- at the beginning of the year	651,99,97.87	504,86,59.57
2	-- साल के अंत में -- at the end of the year	1080,05,71.05	651,99,97.87
	नकद और नकद समकक्ष में परिवर्तन Change in Cash and Cash equivalent	428,05,73.18	147,13,38.30

(एम. सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(M. SENTHILNATHAN)
Chairman-cum-Managing Director
DIN - 07376766

(डेविड रस्कीना)
निदेशक
(DAVID RASQUINHA)
Director
DIN - 01172654

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
(SUNIL JOSHI)
Executive Director
DIN - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(NIRDOSH CHOPRA)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कम्पनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार /As per our report of even date

कृते ए बी एम एंड एसोसिएट्स एल एल पी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 105016W/W-100015
For abm & associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No. 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 109176W
For SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109176W

(अनिल चिकोडी)
भागीदार-M.No. 107659
कोल्हापुर
(ANIL CHIKODI)
Partner - M.No. 107659
Kolhapur

(संजय कपाडिया)
भागीदार-M.No. 38292
(SANJAY KAPADIA)
Partner - M.No. 38292

स्थान : मुंबई

दिनांक : 21 अगस्त 2020

Place : Mumbai

Dated : 21st August, 2020

MANAGEMENT REPORT

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बीमा कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002 की अनुसूची "ख" के भाग IV की आवश्यकता अनुसार।

1. हम पुष्टि करते हैं कि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण वर्ष के दौरान वैध है। उसे वर्ष 2019-20 के लिए नवीकृत किया गया है।
2. हम पुष्टि करते हैं कि सांविधिक प्राधिकारियों को अदा किए जाने योग्य सभी देयों की अदायगी की जा चुकी है / प्रावधान किया जा चुका है।
3. हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारण स्वरूप तथा शेयरों का अंतरण, सांविधिक व विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है।
4. हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी पॉलिसियों के धारकों की निधियों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया गया है।
5. हम पुष्टि करते हैं कि शोधन क्षमता को बनाए रखा गया है।
6. हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र की तारीख को सभी परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा की गयी है तथा हमारे सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास से तुलन पत्र में विविध शीर्षों ऋणों, निवेशों, विविध देनदारों, नकद तथा चालू परिसंपत्तियों के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक मदों के अधीन दर्शाई गयी परिसंपत्तियों की औसत राशि वसूली योग्य अथवा बाजार मूल्य से अधिक नहीं है।
7. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के दिनांक 20.04.2009 के पत्र के अनुसार निगम की विस्तारित अधिकतम देयता ₹ 100000,00,00 हजार की तुलना में कंपनी का समग्र जोखिम ₹ 98601,6040 हजार है। कंपनी की जोखिम अनावरण की सीमा, साधारण बीमा कंपनियों के लिए इस संबंध में आई आर डी ए आई द्वारा अनुबद्ध संबन्धित सीमाओं के भीतर है।
8. हमारा कोई विदेशी परिचालन नहीं है।
9. पिछले पांच वर्षों के दौरान बकाया लंबित दावों का अवधिवार विवरण अनुबंध "क" के अनुसार है।
10. पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान की प्रवृत्ति के अनुसार लंबित दावों की अवधि अनुबंध "ख" के अनुसार है।
11. हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है।
12. आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर सभी

MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE 'B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT INSURANCE COMPANIES) REGULATION 2002.

1. We confirm that the registration granted by the Insurance Regulatory & Development Authority of India is valid during the year. The same was renewed for the year 2019-20.
2. We confirm that all dues payable to the statutory authorities have been duly paid / provided for.
3. We confirm that the shareholding pattern and transfer of shares are in accordance with statutory and regulatory requirements.
4. We confirm that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.
5. We confirm that required solvency margins have been maintained.
6. We certify that the value of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and in the best of our belief the assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate amounts not exceeding their realisable or market value under several headings – "Loans", "Investments", "Sundry Debtors", "Cash", and the several items specified under "Current Assets".
7. The overall exposure of the Company is ₹ 98601,60,40 thousands against the enhanced Maximum Liability of ₹ 100000,00,00 thousands by Ministry of Commerce & Industry vide letter dated 20.04.2009. Risk exposure of the Company is well within the relevant limits stipulated by IRDAI in this regard for general insurance companies.
8. We do not have any overseas operations.
9. Ageing of claims outstanding during the preceding five years is as per **Annexure I**.
10. Ageing of claims indicating the trend in average claims settlement time during the preceding five years is as per **Annexure II**.
11. We certify that the Investments have been valued according to the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.

- निवेश आस्तियों की आवधिक समीक्षा की जाती है एवं उन्हें निष्पादन एवं गैर निष्पादन आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है ।
13. हम पुष्टि करते हैं कि :-
- क. वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू लेखा मानकों, सिद्धांतों तथा नीतियों का अनुपालन किया गया है।
- ख. प्रबंधन ने लेखा नीतियों को अपनाया है तथा उन्हें नियमित रूप से लागू किया है, वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी मामलों तथा वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ तथा निवल लाभ की सही व निष्पक्ष स्थिति दर्शाने हेतु आई आर डी ए विनियमों तथा किए गए निर्णयों तथा उचित तथा दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार किए गए संशोधनों के अलावा कोई अन्य संशोधन नहीं किए गए हैं।
- ग. प्रबंधन ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखे व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनकी पहचान हेतु बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4) तथा कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है ।
- घ. प्रबंधन ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।
- ङ. प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली वर्तमान व परिचालित कारोबार के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप है ।
14. कारोबार के सामान्य तौर पर किए जाने वाले संव्यवहारों के अलावा किसी भी व्यक्तिगत फ़र्म, कंपनियाँ तथा संगठनों जिसमें कंपनी के निदेशकों का हित निहित है, को किसी प्रकार की अदायगी नहीं की गयी है।
12. All Investment assets are reviewed periodically and assets are classified into performing and non-performing based on IRDAI norms.
13. We hereby confirm:
- a. That in preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies has been followed.
- b. That the management has adopted accounting policies and applied them consistently, apart from changes made as per IRDAI Regulations, and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the operating profit and net profit of the Company for the year.
- c. That the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- d. That the management has prepared the financial statements on a going concern basis.
- e. That the management has ensured that the internal audit system commensurate with the size and nature of business exists and is operating effectively.
14. There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested except the transactions carried out in the ordinary course of business.

कृते ईसीजीसी लिमिटेड For ECGC Limited

(एम. सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(M. SETHILNATHAN)
Chairman-cum-Managing Director
DIN - 07376766

(डेविड रस्कीना)
निदेशक
(DAVID RASQUINHA)
Director
DIN - 01172654

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
(SUNIL JOSHI)
Executive Director
DIN - 08778530

स्थान : मुंबई
दिनांक : 21 अगस्त 2020
Place : Mumbai
Dated : 21st August, 2020

वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर बकाया लंबित दावे
Ageing of Claim outstanding as on Financial Years end

(₹ '000)

अवधि Period	2019-20		2018-19		2017-18		2016-17		2015-16	
	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved
30 दिन 30 Days	102	144,39,15.20	137	433,26,82.28	152	222,40,53.78	100	289,62,03.90	145	217,79,07.35
30 दिनों से 6 माह 30 Days to 6 Months	377	618,84,38.87	330	1511,19,49.84	257	912,16,99.19	185	1010,91,08.40	194	615,90,11.25
6 माहों से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year	200	775,84,21.04	94	761,31,39.08	84	730,94,48.66	145	1113,28,86.64	90	603,93,29.10
1 वर्ष से 5 वर्ष 1 year to 5 years	132	1028,84,36.72	35	545,58,38.80	60	429,14,12.50	36	391,34,63.50	27	178,98,69.62
5 वर्षों एवं उससे अधिक 5 years & above	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग / Total	811	2567,92,11.83	596	3251,36,10.00	553	2294,66,14.13	466	2805,16,62.44	456	1616,61,17.32

वित्तीय वर्षों के दौरान दावा निपटान के संबंधित मामलों
Ageing of Claim settlement during Financial Years

(₹ '000)

अवधि Period	2019-20		2018-19		2017-18		2016-17		2015-16	
	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved
30 दिन 30 Days	41	7,05,56.70	48	8,36,74.42	79	20,10,79.22	126	25,98,28.19	144	38,34,82.06
30 दिनों से 6 माह 30 Days to 6 Months	424	184,52,13.31	538	313,44,99.37	481	262,48,56.37	538	376,97,39.86	345	172,36,21.94
6 माहों से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year	77	154,75,50.96	88	292,01,80.79	91	847,69,72.78	84	242,82,44.91	76	646,47,23.07
1 वर्ष से 5 वर्ष 1 year to 5 years	11	62,08,00.65	51	399,47,17.13	27	152,87,47.54	30	239,55,77.20	14	265,65,80.20
5 वर्षों एवं उससे अधिक 5 years & above	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग / Total	553	408,41,21.62	725	1013,30,71.71	678	1283,16,55.91	778	885,33,90.16	579	1122,84,07.27

*कम्पनी केवल एक खंड निर्यात ऋण बीमा में परिचालन करती है। अतः किसी प्रकार की खंडवार रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है।

*The Company operates in single segment 'Export Credit Insurance'. Hence no segmental reporting is provided.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

AUDITOR'S REPORT

एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफिस नं. 1, अभिषेक बिल्डिंग बी-72/2, सेक्टर 23, सीवूड्स, नेरुल नवी मुंबई 400706.	एसएनके एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 303, तृतीय मंजील, कोणार्क श्रम बिल्डिंग, 156, तारदेव, मुंबई 400034
--	--

abm & associates LLP Chartered Accountants Office No. 1, Abhishek Building, B-72/2, Sector 23, Seawoods, Nerul, Navi Mumbai – 400706	SNK & Co. Chartered Accountants 303, 3rd Floor, Konark Shram Building, 156, Tardeo, Mumbai – 400034
---	---

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्य,

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने ईसीजीसी के वित्तीय विवरणों के लेखा का परीक्षण किया है। (कंपनी) जिसमें दिनांक मार्च 31 2020 को समाप्त तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ एवं हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण (प्राप्य एवं भुगतान खाता) एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश अन्य व्याख्यात्मक जानकारी, जिसमें भारत में स्थित साठ शाखाओं का रिटर्न शामिल है, जिसमें से अट्ठावन शाखाएं नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं।

हमारी जानकारी एवं मतानुसार तथा हमे दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (आईआरडीएआई) एवं विनियम अधिनियम और 2013 अधिनियम (अधिनियम) द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं एवं मार्च 31, 2020 तक इससे संबंधित नियमों को इस प्रकार बनाया गया है, कि जिस भी प्रकार से आवश्यक हो तथा कंपनी के मामलों की स्थिति के अनुसार, आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने में सक्षम हों।

- तुलन पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च 2020 तक कंपनी के मामलों की स्थिति
- राजस्व खातों के मामलों में उक्त दिनांक को समाप्त हुए वर्ष हेतु अधिशेष से;
- लाभ और हानि खाते के मामले में, उस वर्ष के लिए लाभ का वर्ष समाप्त हो गया
- नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियों एवं भुगतान खाते) के मामले में, उस वर्ष की समाप्ति के दौरान प्राप्तियों और भुगतानों की तारीख।

1. राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेषण के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण किया। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The Members of ECGC Limited,

Report on Audit of Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of the ECGC Ltd. ("the Company") which comprise of the Balance Sheet as at March 31, 2020, the Revenue Account, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, which includes the returns of sixty branches situated in India out of which fifty eight branches are audited by appointed branch auditors.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 ("IRDAI") and the regulations made thereunder and the Companies Act, 2013 ("the Act"), in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2020 in so far as it relates to:

- In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2020
- In the case of Revenue Account, of the surplus for the year ended on that date;
- In the case of Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended on that date;
- In the case of Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account), of the receipts and payments during the year ended on that date.

1. Basis of Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants

अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। हम अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में आवश्यक नैतिक आवश्यकताओं एवं नियम बनाए गए, बीमा अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और नियम, के साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICI) द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि जो लेखा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का विश्लेषण

हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे:

- क. अनुसूची 17 के नोट 3 के अनुसार संपत्ति जिनकी उचित अधिकारियों के साथ पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं एवं संपत्ति से संबन्धित समझौते खो गए हैं / वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं, यद्यपि कंपनी मूल शेयर प्रमाणपत्रों के कब्जे में है, संपत्तियों के कानूनी स्वामित्व के साथ कंपनी को निहित करती है।
- ख. अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 (डी) के अनुसार पुनर्बीमा कंपनी से प्राप्य राशि, जो कि जून 2014 से बकाया है व जिसके लिए प्रबंधन द्वारा पुनर्बीमा कंपनी के साथ सकारात्मक चर्चा के कई दौर हुए और अधिक संभावना है कि राशि की वसूली हो जाएगी।
- ग. इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग व वित्त कंपनी के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर का जोखिम के संबंध में अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 6 (बी)।
- घ. अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 12 के अनुसार अनिश्चितता और सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण वित्तीय प्रभाव और शोधन क्षमता के प्रबंधन के आकलन एवं कोविड-19 महामारी की स्थिति से संबंधित अन्य स्थितियाँ, जिनका निश्चित मूल्यांकन प्रमुख रूप से उस समय की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस संबंध में, प्रबंधन ने कोविड-19 के वित्तीय प्रभाव को अलग से ना दर्शाते हुए नियुक्त बीमांकिक के माध्यम से यह प्रमाणित किया है कि किए गए दावों के संबंध में देनदारियों का प्रावधान किया गया है लेकिन कोई देनदारी रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनआर) एवं प्रावधान किया गया है लेकिन कोई पर्याप्त देनदारी रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनईआर) जिसमें कंपनी के वित्तीय विवरण पर कोविड का प्रभाव शामिल है।
- ङ. अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 5 (सी) व 25 के अनुसार दावों के संबंध में देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन में वृद्धि हुई है, लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनआर), पर्याप्त नहीं बल्कि रिपोर्ट की गई (आईबीएनईआर) और 31 मार्च, 2020 तक प्रीमियम कमी जो कि कंपनी के नियुक्त बीमांकिक ("नियुक्त बीमांकिकफ) का दायित्व है। नियुक्त बीमांकिक द्वारा 31 मार्च, 2020 तक इन देनदारियों, आईबीएनआर, आईबीएनईआर और प्रीमियम की कमी के कारण मूल्यांकन को विधिवत प्रमाणित किया है एवं उनके विचार में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए उनके द्वारा विचार की गई धारणाएं आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों एवं आईआरडीएआई के साथ सहमति में भारत के बीमांकिक संस्थान के अनुसार हैं। हमने निगम के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए इस संबंध में नियुक्त बीमांकिक के प्रमाणपत्र पर विश्वास किया है।

of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under provision of Act and the Rules made thereunder, the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the regulations made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following:

- a. Note no. 3 to Schedule 17 regarding properties where registration formalities with appropriate authorities have not been completed and properties where agreements are lost/presently not available with the Company, though the Company is in possession of original share certificates which vests the Company with legal ownership of the properties;
- b. Note no. 4 (d) to Schedule 17 regarding amount receivable from Reinsurance Company, which is outstanding since June 2014, for which management had several rounds of positive discussions with the Reinsurance Company and is of the opinion that there is a high probability that the amount shall be recovered.
- c. Note no. 6(b) to Schedule 17 regarding exposure of Non-Convertible Debentures of the Company to Infrastructure Leasing & Finance Company.
- d. Note No.12 to Schedule 17 which explains the uncertainties and the management's assessment of the financial impact and the solvency position due to the lockdown and other restrictions imposed by the Government and conditions related to the COVID-19 pandemic situation, for which a definitive assessment of the impact is highly dependent upon circumstances as they evolve in the subsequent period. In this respect, the management has not separately disclosed the financial impact of COVID-19 but the Appointed Actuary has certified that the Provision of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR) and Incurred But Not Enough Reported (IBNER) includes the impact of covid on financial statement of the company.
- e. Note No. 5 (c) and 25 to Schedule 17 regarding the Actuarial Valuation of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR), Incurred But Not Enough Reported (IBNER) and Premium Deficiency as at 31st March, 2020 which is the responsibility of the Corporation's Appointed Actuary ('the Appointed Actuary'). The Appointed Actuary has duly certified the actuarial valuation of these liabilities IBNR, IBNER and Premium Deficiency as at March 31, 2020 and in his opinion the assumptions considered by him for such valuation are in accordance with the guidelines and norms prescribed by the IRDAI and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. We have relied upon the Appointed Actuary's Certificate

च. लंबित सामंजस्य और कुछ शेष राशि के परिणामी समायोजन के अंतर्गत विविध देनदार, विभिन्न लेनदार व जमा, अन्य दायित्व, ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्ति सहित वसूली योग्य राशि एवं बीमाधारक के व्यक्तिगत खाता बही सहित विविध जमा, न्यूनतम प्रीमियम खाता, जमा प्रीमियम खाता एवं पुनर्बीमा खाता से संबन्धित अनुसूचित 17 के नोट संख्या 14 के अनुसार।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

2. प्रबंधकीय दायित्व एवं वित्तीय विवरण हेतु शासन के साथ उनके प्रभार

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 134 (5) एवं साथ ही लेखांकन मानक अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट वित्तीय विवरण, जो कि वित्तीय स्थिति का सत्य एवं सही विवरण देता है, को तैयार करने संबंधी, आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन व नकद प्रवाह से संबंधी मामलों में कंपनी के निदेशक मण्डल उत्तरदायी होते हैं। इन दायित्वों में बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 व कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु बनाए गए अधिनियम एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं की पहचान व बचाव के लिए बने गए अधिनियम; उचित लेखा नीतियों के चुनाव व अनुप्रयोग, निर्णय व अनुमान जो कि सही हों एवं पर्याप्त अन्तरिम वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है ताकि वित्तीय विवरण जो कि सही एवं उचित हैं तथा गलत बयानों, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा किसी चूक के कारण हो, से मुक्त लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता व पूर्णता सुनिश्चित की जा सके।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान, प्रबंधन, लाभकारी संस्थान के रूप में कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए, लेखांकन के आधार पर प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, आवश्यकता होने पर संस्थान से संबन्धित मामलों को प्रकट करने का अधिकार रखता है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख रेख का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल का है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां:

उचित आश्वासन के साथ पूर्ण वित्तीय विवरण किसी भी धोखाधड़ी अथवा चूक से मुक्त रखते हुए ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो, हमारा उद्देश्य है। उचित आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि एस ए के अनुसार किए गए ऑडिट में गलत जानकारी का पता लगाया जा सके। गलत जानकारियां प्रस्तुत करना किसी धोखाधड़ी अथवा गलती का नतीजा हो सकता है तथा यदि ऐसा पाया जाता है तो उसे संदेहजनक माना जाएगा यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर यह माना जा सकता है कि वे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुसार एक ऑडिट का भाग होने के कारण हमें पूर्ण ऑडिट के दौरान व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं व व्यवसायिक निर्णय लेते हैं। साथ ही हम:

in this regard for forming our opinion on the Financial Statements of the Corporation.

f. Note no. 14 to Schedule 17 regarding pending reconciliation of and consequential adjustment of certain balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and deposits, Other liabilities, Loans, Advances and other Assets including amount recoverable, and Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium account, deposit premium account and reinsurance accounts;

Our opinion is not modified in respect of these matters.

2. Management's Responsibility and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with Insurance act 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

वित्तीय विवरण के झूठे विवरण के जोखिम को पहचानना व मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए उचित व पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करना। चूक के अपेक्षा धोखाधड़ी के कारण प्राप्त होने वाली झूठी जानकारी को प्राप्त ना कर पाना अत्यधिक जोखिम का कार्य है क्योंकि कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण शामिल हो सकता है।

लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम कंपनी में स्थापित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं इस प्रकार के नियंत्रण पर प्रभावशील परिचालन पर अपनी राय देने हेतु भी हम उत्तरदायी होते हैं।

उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।

लेखांकन की चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों के आधार पर, यदि कोई सामग्री अनिश्चितता घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जो कि कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है।

यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के लिए हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा, हमारी राय को संशोधित करने के लिए इस प्रकार के खुलासे अपर्याप्त हैं।

हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। यद्यपि भविष्य में होने वाली घटनाओं अथवा परिस्थितियों के कारण एक व्यापारिक संस्था के रूप में कंपनी समाप्त हो सकती हैं।

प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना व तथ्यों का मूल्यांकन करना, तथा यह निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रदान कर सके।

हम प्रशासन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के साथ, अन्य मामलों के साथ साथ, लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध आयाम एवं समय के महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिसे हमने अपने लेखा परीक्षा के दौरान पाया हो, की चर्चा करते हैं।

हम शासन हेतु प्राधिकृत लोगों को एक बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमने स्वतन्त्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी सम्बन्धों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतन्त्रता को वहन करने के लिए उचित माना जा सकता है और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय किए हैं।

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matter

1. We did not audit the financial statements/information of sixty branches included in the financial statements of the Company whose financial statements / financial

अन्य मामलों

1. हमने, कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल साठ शाखाएँ जिनके वित्तीय विवरण/जानकारी 31 मार्च 2020 तक की ₹4353,19,93.75 की कुल परिसंपत्तियों तथा उसी तारीख को समाप्त ₹ 1075,47,39.68 के कुल राजस्व (निवल प्रीमियम) तथा कुल ₹ 408,41,21.62 के प्रदत्त दावों में परिलक्षित होती है व जिनके वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है के वित्तीय विवरण तथा वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षण नहीं किया है। अड्डावन शाखाओं के वित्तीय विवरण/ जानकारी की लेखापरीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्टों को प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है तथा हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों तथा प्रकटनों के समबन्ध में यह महत्वपूर्ण रूप से शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में किसी प्रकार का संशोधन नहीं है।

3.अन्य कानूनी व विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

31 मार्च 2020 तक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार बीमा अधिनियम 1938 भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

1. अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकतानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- क. हमने, हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक पूरी जानकारी एवं स्पष्टिकरण प्राप्त कर लिए हैं;
- ख. हमारी राय में शाखा द्वारा कानूनी रूप से आवश्यक सभी लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है;
- ग. शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के अधीन लेखा परीक्षित कंपनी के अड्डावन शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है तथा हमारे द्वारा यह रिपोर्ट बनाते समय उसका उचित ध्यान रखा गया है;
- घ. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानी तथा नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ व भुगतान खाता) उन शाखाओं से प्राप्त लेखा बहियों तथा प्राप्तियों के अनुरूप है जिनका दौरा हमारे द्वारा नहीं किया गया है।
- ङ. हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण (लेखा) नियमों 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं;
- च. सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05/06/2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुपालन में कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 164 के उपखंड (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते;
- छ. कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में एवं इन नियंत्रणों पर परिचालन प्रभावशीलता की जानकारी हेतु हमारी पृथक रिपोर्ट **अनुबंध "क"** का संदर्भ लें एवं;
- ज. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षकों) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने

information reflect total assets of ₹4353,19,93.75 thousands as at 31st March, 2020, total operating revenues in terms of Premium of ₹1075,47,39.68 thousands and Claims paid of ₹408,41,21.62 thousands for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements/ information of fifty eight branches have been audited by the branch auditors (in which financial statements / information of 2 branches have been merged) whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

2. Our opinion is not modified in respect of these matters.

3. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The financial statements as at March 31, 2020 have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the regulations made thereunder and the Companies Act, 2013.

1. As required by section 143(3) of the Act, we report that ;
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the branch so far as appears from our examination of those books;
 - c) The reports on the accounts of the fifty eight branch offices of the Company audited under Section 143 (8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
 - d) The balance sheet, the revenue account, the statement of profit and loss, and the cash flow statement (Receipts and Payments Account) dealt with by this Report are in agreement with the books of account and returns received from the branches not visited by us;
 - e) In our opinion financial statements of the Company comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;
 - f) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. G.S.R 463(E) dated 05.06.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company;
 - g) With respect to the adequacy of internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "**Annexure A**" and;
 - h) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014

योग्य अन्य मामलों के संबंध में हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें
दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में;

- अ. कंपनी को अपनी वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के मद संख्या 23 में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है;
- आ. कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधिक करारों के कारण कोई भावी महत्वपूर्ण हानियों की संभावना नहीं है।
- इ. कंपनी को निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में किसी प्रकार की राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन रिपोर्ट

क्र. सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम हैं। यदि हाँ तो वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खतरों की अखंडता पर सू. प्रौ. प्रणाली के बाहर लेखांकन संव्यवहार की प्रक्रिया के वित्तीय प्रभावों को, यदि कोई है तो, दर्शाएँ।	<p>i) कंपनी के पास निम्नलिखित को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए निम्नलिखित सिस्टम है:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ पुनर्बीमा व्यवसाय का कार्य एवं अचल परिसंपत्तियों में पूंजी के मूल्यहास की गणना। यद्यपि मैन्युअल नियंत्रण उपलब्ध है परंतु ये पर्याप्त नहीं हैं एवं सिस्टम के माध्यम से पुनर्बीमा तथा अचल परिसंपत्तियों को भी शामिल किया जाना आवश्यक है। ▶ निवेश सॉफ्टवेयर मुख्य सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं है एवं निवेश विभाग के अंतिम परीक्षण शेष को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में समेकन के लिए बनाए गए मुख्य परीक्षण शेष में मैन्युअल रूप से शामिल किया जाता है। यद्यपि कंपनी का मुख्य परीक्षण शेष को शामिल करने में नियंत्रण रखा गया है लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है और निवेश सॉफ्टवेयर का भी मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी में विलय कर दिया जाना चाहिए।
2.	क्या किसी वर्तमान ऋण पर कोई पुनर्गठन या कर्ज चुकाने के लिए कंपनी द्वारा ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण कंपनी द्वारा दिये गए ऋण, ब्याज आदि के छूट/ बट्टे खाते में डाले जाने के मामलों हैं? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।	<p>लागू नहीं</p> <p>कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है।</p>
3.	क्या केंद्रीय / राजस्व एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ प्राप्य धनराशी का उनके कार्यकाल और शर्तों के अनुसार सही उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	<p>हाँ, केंद्र सरकार से शेयर पूंजी के रूप में प्राप्त धनराशी का उसके कार्यकाल एवं शर्तों के अनुसार सही तरीके से निर्धारण/ उपयोग किया जाता है।</p>

as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements. Refer note 23 to Schedule 17 to the financial statements;
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;
- iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company;

2. Report u/s 143(5) of the Companies Act, 2013

Sr. No.	DIRECTIONS	ANSWER
1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	<p>i) The Company has system in place to process all the accounting transactions through IT systems except for the following:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Working of Reinsurance Business & Depreciation Working of Fixed Assets. Though manual controls are available, they may not suffice and Reinsurance & Fixed Assets are also required to be routed through system. ▶ Investment software is not integrated with the main IT system, and the final Trial Balance of Investment Department is manually incorporated in the main trial balance, maintained in IT system for consolidation. <p>Though the Company has control at the time of incorporation of the Investment Trial Balance in the Main Trial Balance, it may not suffice and Investment Software should also be merged with the main IT system.</p>
2.	Whether there are any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/loans/interest etc. made by lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	<p>Not Applicable</p> <p>Company has not availed any loan.</p>
3.	Whether funds received/ receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	<p>Yes, funds received in the form of share capital from central government were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions.</p>

क्र. सं.	उप- निर्देश	उत्तर
1.	भौतिक/ डीमैट रूप से उपलब्ध सी जी एस/ एसजीएस/ बॉन्ड्स / डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्वों की संख्या तथा इनमें से उन मामलों की संख्या जो कंपनी के लेखा बहियों में दर्शायी राशी से मेल नहीं खाती हो, का सत्यापन किया जाए तथा यदि कोई विसंगति पायी जाए तो उसे रिपोर्ट किया जाए।	सीजीएस/ एस जी एस में सभी निवेश आर बी आई एस जी एल खाते में किए गए हैं और उनका रिकॉर्ड के साथ सत्यापन किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गई है। सीजीएस की दो प्रतिभूतियों को द्वितीयक बाज़ार परिचालन तथा सीबीएसओ परिचालनों के लिए सीसीआईएल के पास रखा गया है, जिसके लिए हमने आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए हैं। बॉन्ड्स/ डिबेंचरों को स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (संरक्षक) के पास डीमैट रूप में रखा गया है। सभी प्रतिभूतियों को अंतर्निहित अभिलेखों के साथ सत्यापित किया गया है तथा निम्नलिखित मामलों को छोड़कर किसी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गई है: वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिनांक 08.03.2020 के परिपक्वता तिथि को कंपनी को भारतीय रेलवे वित्त निगम का (ISIN: INE053F09GU8 फेस वैल्यू 10.00) 1000 इकाइयों के बांड के लिए छूट प्राप्त हुई है। यद्यपि 31 मार्च 2020 को ये स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस एच सी आई एल) के होल्डिंग विवरण में प्रदर्शित हो रहे हैं। क्यों कि एसएचसीआईएल को एनएसडीएल नामे की पुष्टि नहीं हुई है।
2.	क्या निवेशों के संबंध में हानी रोकने की सीमा निर्धारित है? यदि हाँ तो क्या सीमाओं का पालन किया गया है? यदि नहीं तो विवरण प्रदान किया जाए।	कंपनी द्वारा प्रदत्त की गई सूचना के आधार पर कंपनी के पास ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है। कंपनी का सम्पूर्ण निवेश पोर्टफोलियो एच टी एम (हेल्ड टू मैच्योरिटी)/ ए एफ एस (बिक्री के लिए उपलब्ध) श्रेणी का है। तदनुसार कंपनी के पास हानी रोकने की पॉलिसी/ हानी रोकने की सीमा नहीं है।

Sr. No.	SUB-DIRECTIONS	ANSWER
1.	Number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/Bonds/ Debentures etc. available in physical/ DEMAT form and out of these number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	All the investments in CGS/SGS are held with RBISGL Account and have been verified with records and no discrepancies have been found. Two Securities of CGS have been kept with CCIL for secondary market operations and CBLO operations, for which we have obtained the necessary certificates. Bonds/Debentures are held in DEMAT account with the Stock Holding Company of India Limited (custodian). All securities have been verified with the underlying records and no discrepancies have been found except in case of the following: During the financial year 2019-20, the Company has received redemption proceeds for 1000 units of bonds of Indian Railway Finance Corporation (ISIN: INE053F09GU8), Face Value 10.00 Crores) on 08-03-2020 maturity date. However, as on 31st March 2020, these were still appearing in the holding statement of Stock Holding Corporation of India Ltd (SHCIL) as NSDL debit confirmation is not received by SHCIL.
2.	Whether stop loss limits have been prescribed in respect of the investments. If yes, whether or not the limit was adhered to. If no, details may be given.	As informed by the Company, the Company does not have trading portfolio. Company's entire investment Portfolio is under HTM (Held-to-Maturity)/AFS (Available-for-Sale) category. Accordingly, Company is not having stop loss policy / stop loss limits.

3. वे मामलें जिनकी अन्यत्र रिपोर्टिंग नहीं हुई है, परंतु बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियम 2002 की अनुसूची ग विनियम 3 में निर्धारित के अनुसार कार्यवाही आवश्यक है।
- क. निगम द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियाँ उचित हैं व इस संबंध में कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पढ़े जाने वाले नियम 7 एवं विनिर्दिष्ट लागू लेखा मानकों तथा आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित विनियमों आदेशों/निर्देशों के जरिये निर्धारित लेखा मानकों के अनुपालन में हैं;
- ख. हमने, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन रिपोर्ट, शाखा स्तर पर की गई समीक्षा के संबंध में शाखा के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित प्रबंध रिपोर्ट की समीक्षा की तथा इस संबंध में वित्तीय विवरणों में कोई स्पष्ट त्रुटियाँ अथवा महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पायी हैं।
- ग. कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 3 की उप धारा 4 में निर्दिष्ट पंजीकरण के निबंधन व शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया गया है;
- घ. हमने (उन शाखाओं के अतिरिक्त जहां लेखा परीक्षा उस शाखा से संबन्धित लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है तथा ऐसी शाखाओं, जिनका लेखा परीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में शाखा प्रबन्धक द्वारा सत्यापित किए गए हैं) वास्तविक निरीक्षण, अथवा प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति अथवा अन्य दस्तावेजी सबूत, सिवाय उन प्रतिभूतियों के जो बैंक के कब्जे में हैं व जिसके लिए पुष्टिकरण प्राप्त हो चुका है, से संबन्धित नकद शेषों तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन किया है।
- ङ. हमें कंपनी द्वारा प्रदान की गई सर्वोत्तम जानकारी व स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी द्वारा निवेशों का मूल्यांकन, अधिनियम व इसके दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।
- च. हमें कंपनी द्वारा प्रदान की गई सर्वोत्तम जानकारी व स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार, निगम किसी न्यास का न्यासी नहीं है; तथा
- छ. कंपनी ने पिछले तुलन पत्र के अनुसार मदों की प्रकृति के आधार पर शेयरधारकों की निधियों तथा पॉलिसीधारकों की निधियों में अलग अलग वर्गीकृत किया गया है तथा तदनुसार आय को राजस्व खाते तथा लाभ हानी खाते में अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि कंपनी द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11 (1ख) की शर्तों के अनुसार शेयरधारकों तथा पॉलिसी धारकों से संबन्धित कोई भी अलग खाता नहीं रखा गया है तथा शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः उपलब्ध रिकॉर्डों से निधियों
3. Matters required to be dealt with as prescribed by the Schedule C, Regulation 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 to the extent not reported elsewhere:
- a. the accounting policies adopted by the Company are appropriate and are in compliance with the applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and with the accounting principles prescribed by the Regulations and orders/directions prescribed by IRDAI in this regard;
- b. we have reviewed the management report attached to the financial statements, based on the reports of branch auditors regarding such review at branch level, and there are no apparent mistakes or material inconsistencies with the financial statements;
- c. as per the explanation given by the management, the Company has complied with the terms and conditions of registration as laid down in sub section 4 of section 3 of the Insurance Act, 1938;
- d. we have verified the cash balances (except of the branches where audits were conducted by the concerned branch auditors and the cash balances were verified by the concerned auditors and in case of unaudited branches by the branch managers) and securities relating to the loans and investments made by the company by actual inspection or by production of certificates or the other documentary evidences except securities held by the bank for which confirmations have been received;
- e. to the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, Investments have been valued in accordance with the provisions of the Act and these regulations;
- f. to the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, the Company is not a trustee of any trust; and
- g. the Company has bifurcated shareholders' funds and policyholders' funds based on the nature of items as per the last Balance Sheet and accordingly the income has been segregated in Revenue Account and Profit and Loss Account. Since no separate accounts relating to shareholders and policyholders have been maintained in terms of Section 11(1B) of the Insurance Act, 1938 and since such information is not available at the branches, the application of the funds is therefore not verifiable from the available records. Based on the verification of the books of the

के अनुप्रयोग का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। लेखा बहियों के सत्यापन व जानकारी व हमें दिये गए स्पष्टीकरण के आधार पर ऐसा कोई मामला नहीं मिला है जहां पॉलिसीधारकों की निधियों की संपत्ति का, पॉलिसीधारकों की निधियों के अनुप्रयोग तथा निवेश के संबंध में बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों का परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन किया गया

account and based on the information and explanation given to us and on a review of the available records, we have not come across with the cases where any part of the assets of the policyholders' funds have been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders funds.

कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फार्म रजिस्ट्रेशन नं.:105016W/W-100015 फार्म रजिस्ट्रेशन नं. 109176W

कृते एसएनके एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(अनिल चिकोडी)

भागीदार

सदस्यता सं.:107659

(संजय कपाडिया)

भागीदार

सदस्यता सं. 38292

स्थान : कोल्हापूर

दिनांक : 21/08/2020

यूडीआईएन :

स्थान : मुंबई

दिनांक : 21/08/2020

यूडीआईएन :

For abm & associates LLP

Chartered Accountants

Firm Regd. No. 105016W/W-100015

(Anil Chikodi)

Partner

Membership No. 107659

Place : Kolhapur

Date : 21/08/2020

UDIN :

For SNK & Co.

Chartered Accountants

Firm Regd. No. 109176W

(Sanjay Kapadia)

Partner

Membership No. 38292

Place : Mumbai

Date : 21/08/2020

UDIN :

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए “अनुलग्नक-ए”

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने ईसीजीसी लिमिटेड (कंपनी) के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का 31 मार्च, 2020 तक लेखा परीक्षण किया है, जिसमें उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों का हमारा लेखा परीक्षण शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थिर करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार कंपनी का प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को देखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव जिसमें अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के साथ ही कंपनी की नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने और रोकथाम करने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, शामिल हैं।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (दिशानिर्देश लेख) एवं आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले लेखा परीक्षण जो कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर लागू होते हैं एवं आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं, के मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है।

उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता हमें इसलिए होती है ताकि नैतिक आवश्यकताओं का पालन करने, योजना बनाने एवं इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं या नहीं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर

“Annexure-A” to the Auditors’ Report

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls of ECGC Limited (“the Company”), which comprise as of March 31, 2020 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Company’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (‘ICAI’).

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना शामिल है, जो कि एक सामग्री की कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, पर निर्भर करती हैं।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो कि:

(1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं।

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं एवं;

(3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पहचान या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलतियाँ हो सकती हैं और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली,

reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:-

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company and;

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वित्तीय रिपोर्ट के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर मार्च 31, 2020 तक प्रभावी रूप से परिचालित की जा रही थी

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फार्म रजिस्ट्रेशन नं.:105016W/W-100015 फार्म रजिस्ट्रेशन नं. 109176W

कृते एसएनके एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फार्म रजिस्ट्रेशन नं.:105016W/W-100015 फार्म रजिस्ट्रेशन नं. 109176W

For abm & associates LLP
Chartered Accountants
Firm Regd. No. 105016W/W-100015

For SNK & Co.
Chartered Accountants
Firm Regd. No. 109176W

(अनिल चिकोडी)
भागीदार
सदस्यता सं.:107659

(संजय कपाडिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 38292

(Anil Chikodi)
Partner
Membership No. 107659

(Sanjay Kapadia)
Partner
Membership No. 38292

स्थान : कोल्हापूर
दिनांक : 21/08/2020

स्थान : मुंबई
दिनांक : 21/08/2020

Place : Kolhapur
Date : 21/08/2020

Place :Mumbai
Date : 21/08/2020

यूडीआईएन :

यूडीआईएन :

UDIN :

UDIN :

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

COMMENTS OF CAG

कम्पनी अधिनियम 143(6)(ख) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण को, बीमा अधिनियम 1938 को बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरण को तैयार करना तथा बीमा कम्पनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) नियम, 2002 के साथ पढ़ने के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारूप तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुसार, तैयार करने का दायित्व कम्पनी के प्रबन्धन पर है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरण पर अपने विचार व्यक्त हेतु जिम्मेदार है जो कि अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत दिए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित होगा। दिनांक 21 अगस्त 2020 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उक्त का अनुपालन किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण किया गया है। पूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से, सांविधिक लेखापरीक्षक के किसी भी कार्यकारी दस्तावेज़ के संदर्भ के बिना तथा मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों तथा कंपनी के कर्मचारियों तथा कुछ लेखा रिकॉर्डों के चयनित परीक्षा के आधार पर किया गया है।

अपने पूरक लेखापरीक्षण के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले को उजागर करना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरी नज़र में वित्तीय विवरणों तथा संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(पी. वी. हरिकृष्णा)

लेखा परीक्षा (नौवहन) के मुख्य निदेशक, मुंबई

स्थान : मुंबई

दिनांक : 21.10.2020

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ECGC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

The preparation of financial statements of ECGC Limited for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with, Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 and the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 21 August 2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of ECGC Limited for the year ended 31 march 2020 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(P. V. Hari Krishna)

Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai

Place: Mumbai

Date: 21.10.2020

सेवा तंत्र / SERVICE NETWORK

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
<p>पंजीकृत कार्यालय REGISTERED OFFICE एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021</p>	(022)66590500 / 510	webmaster@ecgc.in
<p>विपणन विभाग MARKETING DEPARTMENT निर्मल बिल्डिंग, 5 वीं मंजिल, 241/242, बॅकबे रिक्लेमेशन, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 Nirmal Building, 5th Floor, 241/242, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai - 400 021</p>	(022) 66590700/10/11	marketing@ecgc.in
<p>परियोजना निर्यात शाखा PROJECT EXPORT BRANCH दलामल हाउस, दूसरी मंजिल, जे.बी. मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021</p>	(022) 66138831	projectexport@ecgc.in
<p>बड़े निर्यातक शाखा, मुंबई LARGE EXPORTERS BRANCH, Mumbai दलामल हाउस, दूसरी मंजिल, जे.बी. मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021</p>	(022) 66138800	leb.mumbai@ecgc.in
<p>बैंक कारोबार शाखा, मुंबई BANK BUSINESS BRANCH, Mumbai दलामल हाउस, तीसरी मंजिल, जे.बी. मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 Dalamal House, 3rd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021</p>	(022) 66138600	bbb.mumbai@ecgc.in
पश्चिमी क्षेत्र / WESTERN REGION		
<p>पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय WESTERN REGIONAL OFFICE द मेट्रोपॉलिटन , 7 वीं मंजिल, प्लॉट नंबर सी -26 / 27, ई ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, E Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051</p>	(022) 6144 8110 / 8181	wro@ecgc.in
<p>बांद्रा एसएमई शाखा BANDRA SME BRANCH द मेट्रोपॉलिटन , 7 वीं मंजिल, प्लॉट नंबर सी -26 / 27, ई ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, E Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051</p>	(022) 6144 8110 / 8181	bandra.mumbai@ecgc.in

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
बांद्रा बैंक कारोबार शाखा BANDRA BANK BUSINESS BRANCH द मेट्रोपॉलिटन , 7 वीं मंजिल, प्लॉट नंबर सी -26 / 27, ई ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, E Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110 / 8181	bbb.bandra@ecgc.in
अंधेरी शाखा ANDHERI BRANCH 506, टाउन सेंटर, मित्तल इंडस्ट्रियल एस्टेट के बगल में, मरोल, अंधेरी - कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 059 506, Town Centre, Next to Mittal Indl. Estate, Marol, Andheri - Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059	(022) 2859 0906 / 7614 / 3856	andheri.mumbai@ecgc.in
चर्चगेट शाखा CHURCHGATE BRANCH तल मंजिल, चर्चगेट चैम्बर्स, विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग, प्लॉट नंबर 5, न्यू मरीन लाइन्स, चर्चगेट, मुंबई 400020 Ground Floor, Churchgate Chambers, Vitthaldas Thackersey Marg, Plot No. 5, New Marine Lines, Churchgate, Mumbai 400020	(022) 2210 7900	churchgate.mumbai@ecgc.in
ठाणे शाखा THANE BRANCH कुसुमांजलि, पहली मंजिल, गोखले रोड, नौपाड़ा, ठाणे (पश्चिम)- 400 602 Kusumanjali, 1st Floor, Gokhale Road, Naupada, Thane (West) - 400 602	(022) 25347807	thane@ecgc.in
अहमदाबाद निर्यातक शाखा AHMEDABAD EXPORTER BRANCH 401, हेरिटेज, नगीनदास चैम्बर्स के पीछे, गुजरात विद्यापीठ आश्रम रोड के समीप, उस्मानपुरा, अहमदाबाद -380 014 401 , Heritage Behind Nagindas Chambers Near Gujarat Vidyapith Ashram Road, Ushmanpura Ahmedabad-380 014	(079) 27544499/ 0054	ahmedabad@ecgc.in
अहमदाबाद बैंक कारोबार शाखा AHMEDABAD BANK BUSINESS BRANCH नागिन्दास चैम्बर्स, पहली मंजिल, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014 Nagindas Chambers, 1st Floor, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 014	(079) 27544932	bbb.ahmedabad@ecgc.in

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
<p>पुणे शाखा PUNE BRANCH वास्तु चेंबर्स, पहली मंजिल, 1202/39, शिरोले रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411 004 Vastu Chambers, 1st Floor, 1202/39, Shirole Road, Shivaji Nagar, Pune - 411 004</p>	(020) 25531998/ 12871	pune@ecgc.in
<p>इंदौर शाखा INDORE BRANCH 408, चौथी मंजिल, सिटी सेंटर, 570, एम जी रोड, इंदौर - 452 001 408, 4th Floor, Citi Centre, 570, M. G. Road, Indore - 452 001</p>	(0731) 2544215	indore@ecgc.in
<p>राजकोट शाखा RAJKOT BRANCH निर्मल-दूसरी मंजिल, रामकृष्ण नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, नगर आयुक्त के बंगले के सामने, राजकोट - 360 001 Nirmal-2nd Floor, Ramkrishna Nagar Corner, Swami Vivekanand Marg, Opp. Municipal Commissioner's Bungalow, Rajkot - 360 001</p>	(0281)2465162/ 169	rajkot@ecgc.in
<p>वडोदरा शाखा VADODARA BRANCH 504, कॉनकोर्ड, 6 वीं मंजिल, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा - 390 007 504, Concord, 6th Floor, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390 007</p>	(0265) 2353304/ 4728	vadodara@ecgc.in
<p>नागपुर शाखा NAGPUR BRANCH प्लॉट न .317, दूसरी मंजिल, एम.जी. हाउस के पास में, आर एन टैगोर मार्ग, सिविल लाइंस, नागपुर - 440 001 Plot No.317, 2nd Floor, Beside M.G. House, R N Tagore Marg, Civil Lines, Nagpur - 440 001</p>	(0712) 2550504	nagpur@ecgc.in
<p>सूरत शाखा SURAT BRANCH 503, 21 सेंचुरी बिज़ सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आगे, रिंग रोड, सूरत- 395 002 503, 21st Century Biz. Centre, Next to World Trade Centre, Ring Road, Surat - 395 002</p>	(0261)2364074	surat@ecgc.in
<p>गिफ्ट सिटी शाखा GIFT CITY BRANCH आईएफएससी बीमा कार्यालय, इकाई सं-304, तीसरी मंजिल, हीरानन्दानी सिग्नेचर बिल्डिंग, ब्लॉक 13बी, ज़ोन 1, गांधीनगर- 382 355 IFSC Insurance Office, Unit No. 304, 3rd Floor, Hiranandani Signature Building, Block 13 B, Zone 1, Gandhinagar-382355</p>	9826259893	giftcityiio@ecgc.in

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
पूर्वी क्षेत्र / EASTERN REGION		
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय EASTERN REGIONAL OFFICE एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1, शेक्सपियर सारनी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 40884999	ero@ecgc.in
कोलकाता निर्यातक शाखा KOLKATA EXPORTERS BRANCH एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1, शेक्सपियर सारनी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 40884999	kolkata@ecgc.in
कोलकाता बैंक कारोबार शाखा KOLKATA BANK BUSINESS BRANCH एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1, शेक्सपियर सारनी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033)40884999	bbb.kolkata@ecgc.in
वाराणसी शाखा VARANASI BRANCH पीसीएफ प्लाजा, वाणिज्यिक परिसर, तीसरी मंजिल, यूनिट नंबर 1, नदेसर, वाराणसी - 221 002 PCF Plaza, Commercial Complex, 3rd Floor, Unit No.1, Nadesar, Varanasi - 221 002	(0542) 2507864	varanasi@ecgc.in
भुवनेश्वर शाखा BHUBANESHWAR BRANCH प्लॉट नंबर 611, तीसरी मंजिल, साहिद नगर, भुवनेश्वर - 751 007 Plot No. 611, 3rd Floor, Saheed Nagar, Bhubaneshwar - 751 007	(0674) 2547772	bhubaneshwar@ecgc.in
रायपुर शाखा RAIPUR BRANCH तीसरी मंजिल, उद्योग भवन परिसर, रिंग रोड संख्या 1, तेलीबांधा, रायपुर - 492 006 3rd Floor, Udyog Bhawan Parisar, Ring Road No. 1, Telebandha, Raipur - 492 006	(0771) 4918826/28	raipur@ecgc.in
गुवाहाटी उप कार्यालय GUWAHATI SUB-OFFICE शर्मा बिल्डिंग, एच.पी. ब्रम्हचारी रोड, नेपाली मंदिर के पास, पी.ओ. रेबारी, गुवाहाटी - 781 008 Sharma Building, H.P. Bramachari Road, Near Nepali Mandir, P.O. Rehabari, Guwahati - 781 008	(0361) 2635983	guwahati@ecgc.in

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
दक्षिणी क्षेत्र -I/ SOUTHERN REGION - I		
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय ख SOUTHERN REGIONAL OFFICE - I तीसरी मंजिल, ओवरसीज टॉवर्स, एल- 756, अन्ना सलाई, चेन्नई 600 002 3rd Floor, Overseas Towers, L-756- Anna Salai, Chennai – 600 002	(044) 42284450 / 2854 5080	sro-i@ecgc.in
चेन्नई निर्यातक शाखा CHENNAI EXPORTERS BRANCH देवा टावर्स, 7 वीं मंजिल, 770-ए, अन्ना सलाई, चेन्नई 600 002 Dewa Towers, 7th Floor, 770-A, Anna Salai, Chennai-600 002	(044) 28491026-33	chennai@ecgc.in
चेन्नई बैंक कारोबार शाखा CHENNAI BANK BUSINESS BRANCH तीसरी मंजिल, ओवरसीज टॉवर्स, 756-एल, माउंट रोड, चेन्नई - 600 002 3rd Floor, Overseas Towers, 756-L, Mount Road, Chennai - 600 002	(044) 42284488-99	bbb.chennai@ecgc.in
चेन्नई दक्षिण शाखा CHENNAI SOUTH BRANCH 15, पहली मंजिल, सरयू पार्क, दूसरी मेन रोड, नई कालोनी, क्रॉम्पेट, चेन्नई-600 044 15, First Floor, Sarayu park, 2nd Main Road, New Colony, Chrompet, Chennai -600 044	(044) 22413540/ 4540/ 5540	chennaisouth@ecgc.in
पेरियामेट शाखा PERIAMET BRANCH तीसरी मंजिल, लेदर सेंटर, 43/53, राजा मुथैया रोड, पेरियामेट, चेन्नई- 600 003 3rd Floor, Leather Centre, 43/53, Raja Muthiah Road, Periamet, Chennai - 600 003	(044) 48599063	periamet.chennai@ecgc.in
कोयम्बटूर शाखा COIMBATORE BRANCH चेन्नई प्लाजा, दूसरी मंजिल, 1090 त्रिची रोड, कोयम्बटूर- 641 018 Cheran Plaza, 2nd Floor, 1090 Trichy Road, Coimbatore- 641 018	(0422) 2304775/ 6/ 9	coimbatore@ecgc.in
मदुरै शाखा MADURAI BRANCH पहली मंजिल, 69 पी.टी राजन सलाई, चोक्किकुलम, केंद्रीय विद्यालय, मदुरै-625 002 1st Floor, 69 P. T. Rajan Salai, Chokkikulam, Opp. To Kendriya Vidyalaya, Madurai- 625 002	(0452) 2525521/ 0340	madurai@ecgc.in

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
सेलम शाखा SALEM BRANCH शांति प्लाज़ा, तीसरी मंज़िल, 1/5, वृन्दावन रोड, पोन्नूस्वामी गौंडर तिरुमना के सामने, मंडपम फेयर लैंड्स, सेलम 636 004 Shanthi Plaza, 3rd Floor, 1/5, Brindavan Road, Opp. Ponnusamy Gounder Thirumana - Mandapam, Fair Lands, Salem, - 636 004	(0427) 2442275	salem@ecgc.in
तिरुपुर निर्यातक शाखा TIRUPUR EXPORTERS BRANCH 137/2, सीजी कॉम्प्लेक्स, पहली मंज़िल, कुमारन रोड, तिरुपुर- 641 601 137/2, C.G. Complex, 1st Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601	(0421) 2232998/ 4355	ebb.tirupur@ecgc.in
तिरुपुर बैंक कारोबार शाखा TIRUPUR BANK BUSINESS BRANCH 137/2, सीजी कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंज़िल, कुमारन रोड, तिरुपुर-641 601 137/2, C.G. Complex, 2nd Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601	(0421)2232812	bbb.tirupur@ecgc.in
तूतिकोरिन शाखा TUTICORIN BRANCH 209/ए- 1, वी ई रोड(पहली मंज़िल), बैंक ऑफ बड़ौदा के उपर, सुगम होटल के समीप, तूतिकोरिन- 628 003 209/A-1,V E Road, (1st Floor) Bank of Baroda Upstairs, Near Sugam Hotel, Tuticorin - 628 003.	(0461) 2324351	tuticorin@ecgc.in
करूर शाखा KARUR BRANCH तीसरी मंज़िल, केवीआर कॉम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, सेंगुंधपुरम, करूर- 639 002 3rd Floor, KVR Complex, 80 Feet Road, Sengunthapuram, Karur - 639 002	(04324) 233911 / 244910	karur@ecgc.in
दक्षिणी क्षेत्र-II / SOUTHERN REGION - II		
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय - II SOUTHERN REGIONAL OFFICE - II रहेजा टावर्स, 11वीं मंज़िल, वेस्ट विंग, 26 एम.जी.रोड, बेंगलुरु- 560 001 Raheja Towers, 11th Floor, West Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25591139/ 82575	sro-ii@ecgc.in
बेंगलुरु निर्यातक शाखा BANGALORE EXPORTERS BRANCH वायुदूत चेम्बर्स, चौथी मंज़िल, 15-16, एम जी रोड, बेंगलुरु- 560 001 Vayudooth Chambers, 4th Floor, 15-16, M G Road, Bengaluru - 560 001	(080)25589775/ 91729	bangalore@ecgc.in

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
बेंगलुरु बैंक कारोबार शाखा BANGALORE BANK BUSINESS BRANCH रहेजा टॉवर्स, 11वीं मंज़िल, ईस्ट विंग, 26 एम.जी.रोड, बेंगलुरु- 560 001 Raheja Towers, 11th Floor, East Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25585375/ 2578	bbb.bangalore@ecgc.in
कोची शाखा KOCHI BRANCH एचडीएफसी हाउस, दूसरी मंज़िल, रविपुरम जंक्शन, एम.जी.रोड, एर्नाकुलम, कोची-682 015 HDFC House, 2nd Floor, Ravi Puram Junction, M.G. Road, Ernakulam, Kochi - 682 015	(0484) 2359437/ 57	kochi@ecgc.in
कोल्लम शाखा KOLLAM BRANCH सेवेंथ डे चर्च के पास, रेसीडेंसी रोड, कडप्पकड़ा, कोल्लम- 691 008 Near Seventh Day Church, Residency Road Kadappakada, Kollam - 691 008	(0474) 2748715	kollam@ecgc.in
हैदराबाद निर्यातक शाखा HYDERABAD EXPORTERS BRANCH हाका भवन, दूसरी मंज़िल, पब्लिक गार्डन्स के सामने, हैदराबाद - 500 004 HACA Bhawan, 2nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad - 500 004	(040) 23234334/ 40833	ebb.hyderabad@ecgc.in
हैदराबाद बैंक कारोबार शाखा HYDERABAD BANK BUSINESS BRANCH 6वीं मंज़िल, एल.बी. भवन, 6-3-550, मेडीनोवा के सामने, एर्रामंज़िल, सोमाजिगुड़ा, हैदराबाद- 500 082 6th Floor, L.B. Bhawan, 6-3-550, Opposite Medinova, Erramanzil, Somejiguda, Hyderabad - 500 082	(040) 23396382/ 3	bbb.hyderabad@ecgc.in
विशाखापत्तनम शाखा VISAKHAPATNAM BRANCH पहली मंज़िल, शंकर प्लाज़ा, शंकर मठम मंदिर के सामने, शंकरमठम रोड, द्वारकानगर, विशाखापत्तनम-530 016 1st Floor, Shankar Plaza, Opp Shankar Mattam Temple, Shankar Matham Road, Dwarkanagar, Vishakhapatnam - 530 016	(0891) 2748653/ 54	visakhapatnam@ecgc.in
गुंटूर शाखा GUNTUR BRANCH कृष्णा प्लाज़ा, दूसरी मंज़िल, 26-21-22, नागारम पालेम, जी.टी.रोड, गुंटूर-522 004 Krishna Plaza, 2nd Floor, 26-21-22, Nagaram Palem, G T Road, Guntur - 522 004	(0863) 2337096	guntur@ecgc.in

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
मंगलूर शाखा MANGALORE BRANCH पहली मंज़िल, एस्सेल टॉवर्स, बंट्स हॉस्टल सर्कल, मंगलूर - 575 003. 1st floor, Essel Tower, Bunts Hostel Circle, Mangalore - 575 003	(0824) 2444288/289, 8341626980	mangalore@ecgc.in
उत्तरी क्षेत्र / NORTHERN REGION		
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय NORTHERN REGIONAL OFFICE ब्लॉक 3, प्लेट ए, चौथी मंज़िल, एनबीसीसी वाणिज्यिक परिसर, पूर्व किदवाई नगर, नई दिल्ली-110 023 Block 3, Plate A, 4th Floor, NBCC Commercial Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi- 110 023	(011) 20815513/20815512	nro@ecgc.in
दिल्ली एसएमई शाखा DELHI SME BRANCH एनबीसीसी प्लेस, साउथ टावर्स, चौथी मंज़िल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली-110 003 NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhisma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 49284000	metro.newdelhi@ecgc.in
दिल्ली बड़े निर्यातक शाखा DELHI LARGE EXPORTERS BRANCH एनबीसीसी प्लेस, साउथ टावर्स, चौथी मंज़िल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली-110 003 NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhisma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 49284011	leb.newdelhi@ecgc.in
दिल्ली बैंक कारोबार शाखा DELHI BANK BUSINESS BRANCH तीसरी मंज़िल, हंसालय बिल्डिंग, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110 001 3rd Floor, Hansalaya Building, 15, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001	(011) 49284666	bbb.newdelhi@ecgc.in
पश्चिम दिल्ली शाखा WEST DELHI BRANCH 305-306, के एल जे टावर(पूर्व), तीसरी मंज़िल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110 034 305 - 306, KLJ Tower (North), 3rd Floor, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110 034	(011) 45638142/ 43/ 44	west.delhi@ecgc.in
गुरुग्राम शाखा GURUGRAM BRANCH प्लॉट नं. 470, उद्योग विहार, फेज़ 5, गुरुग्राम, हरियाणा- 122 016 Plot No. 470, Udyog Vihar, Phase 5, Gurugram, Haryana -122 016	(0124) 4300603/04	gurgaon@ecgc.in

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
लुधियाना शाखा LUDHIANA BRANCH 92, सूर्यकिरण कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंज़िल दि मॉल रोड, पी.ओ. बॉक्स नं. 281, लुधियाना-141 001 92, Suryakiran Complex, 2nd Floor, The Mall Road, P.O. Box No. 281, Ludhiana - 141 001	(0161) 2441082/ 2405684	ludhiana@ecgc.in
जालंधर शाखा JALANDHAR BRANCH ऑफिस सं-1, भूतल, मिडलैंड फाइनेंशियल सेंटर, आईसीआईसीआई बैंक के समीप, 21-22 जी.टी. रोड, जालंधर, पंजाब-144 001 Office No.1, Ground Floor, Midland Financial Centre, Adjoining ICICI Bank, 21-22 G.T.Road, Jalandhar, Punjab -144 001	(0181) 2233235	jalandhar@ecgc.in
कानपुर शाखा KANPUR BRANCH 14/147, स्काई लार्क कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, चुन्नीगंज, कानपुर - 208 001 14/147, Sky Lark Complex, 3rd Floor, Chunniganj, Kanpur - 208 001	(0512) 2535855	kanpur@ecgc.in
मुरादाबाद शाखा MORADABAD BRANCH पंडित शंकरदत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइंस, मुरादाबाद - 244 001 Pundit Shankar Dutt Sharma Marg, Civil Lines, Moradabad - 244 001	(0591) 2415476/ 2435395	moradabad@ecgc.in
जयपुर शाखा JAIPUR BRANCH दूसरी मंज़िल, आनंद भवन, संसार चंद्र रोड, जयपुर-302 001 2nd Floor, Anand Bhavan, Sansar Chandra Road, Jaipur-302 001	(0141)2367292	jaipur@ecgc.in
आगरा शाखा AGRA BRANCH दीपक वासन प्लाज़ा, दूसरी मंज़िल, 17/2/4 संजय प्लेस, आगरा- 282 002 Deepak Wasan Plaza, 2nd Floor, 17/2/4 Sanjay Place, Agra - 282 002	(0562)2521676	agra@ecgc.in
पानीपत शाखा PANIPAT BRANCH मलिक प्लाज़ा, पहली मंज़िल, संजय चौक के पास, जी.टी. रोड, पानीपत- 32 103 Malik Plaza, 1st Floor, Near Sanjay Chowk, G.T. Road, Panipat - 132 103	(0180) 2634933/ 3139	panipat@ecgc.in

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
जोधपुर शाखा JODHPUR BRANCH 178, नारायणम, दूसरी मंज़िल, अपर चोपसनी रोड, बॉम्बे मोटर सर्किल के समीप, जोधपुर-342 003 178, Narayanam, 2nd Floor, Upper Chopasani Road, Near Bombay Motor Circle, Jodhpur - 342 003	(0291) 2770302/ 03	jodhpur@ecgc.in
चंडीगढ़ शाखा CHANDIGARH BRANCH पी.एच.डी. चेम्बर्स हाउस, पहली मंज़िल, सेक्टर 31 ए, चंडीगढ़- 160 031 PHD Chambers House, 1st Floor, Sector 31 A, Chandigarh - 160 031	(0172) 5003628/27	chandigarh@ecgc.in
नोएडा शाखा NOIDA BRANCH 1121, 11वां तल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सी-1, सेक्टर 16, नोएडा, उ.प्र.-201 301 1121, 11th Floor, World Trade Tower (WTT), C-1, Sector 16, Noida, UP - 201 301	(0120) 4249186	noida@ecgc.in
फ़रीदाबाद शाखा FARIDABAD BRANCH एससीओ- 149 दूसरी मंज़िल, सेक्टर-21-सी, फ़रीदाबाद, हरियाणा- 121 001 SCO-149, 2nd Floor, Sector-21-C, Faridabad, Haryana - 121 001	(0129) 4315114/ 115/ 116/ 117	faridabad@ecgc.in
श्रीनगर शाखा SRINAGAR BRANCH दूसरी मंज़िल, जे.के. बैंक बिल्डिंग, सफ़ीना प्लाज़ा के निकट, हरि सिंह हाइ स्ट्रीट, श्रीनगर- 190 001 2nd Floor, JK Bank Building, Near Safina Plaza, Hari Singh High Street, Srinagar - 190 001	0194-2477947	srinagar@ecgc.in



ईसीजीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय, एक्सप्रेस टावर्स, 10वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021
टेली: 6659 0500 / 6659 0510 • वेबसाइट: www.ecgc.in

IRDA Regn. No. 124

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें, हम जोखिम से रक्षा प्रदान करेंगे.

ECGC Limited

(A Government of India Enterprise)

Registered Office: Express Towers, 10th Floor, Nariman Point,
Mumbai - 400 021, India. Tel: 6659 0500 / 6659 0510 • Website: www.ecgc.in

CIN No. U74999MH1957GOI010918

You focus on exports. We cover the risks.